


उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
की
डी. फिल. उपाधि के लिए
प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

शोधार्थी
अलका सिंह

शोध निर्देशक
प्रो० चन्द्र प्रकाश झा



मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
1998

विषय—सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	I II
विषय प्रवेश	III VI
1. ऐतिहासिक सर्वोक्षण (स्वतंत्रता प्राप्ति तक)	1 - 43
2. स्वतंत्रता प्राप्ति और महिलाएं [1947]	44 - 62
3. नारी उत्थान [1947- 1957]	63 - 88
4. संक्रमण काल [1958 - 1967]	89 - 120
5. नारी चेतना का विकास [1968 - 1977]	121 - 146
6. बदलता परिदृश्य [1978 - 1987]	147 - 170
7. वर्तमान काल [1988 - 1997]	171 - 195
उपसंहार	196 - 212
अनुक्रमाणिका	- - -
ग्रंथ—सूची	213 - 224

प्रस्तावना

पिछले 50 वर्षों में महिलाओं की स्थिति का विभिन्न स्तरों पर समग्र आकलन हमारी सम्पूर्ण सामाजिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमारी प्रगति के गणित को स्पष्ट कर देता है। शिक्षा के विकास, रोजगार की स्थितियों तथा सामाजिक चेतना के समस्त आकड़े महिलाओं के सम्बन्ध में कितने सार्थक हैं यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलाएँ देश की जनसंख्या का 48 प्रतिशत हैं जो सामान्यतः उपेक्षित हैं। यह उपेक्षा हमारी परम्परागत समझ और नैतिक सोच का नमूना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बदली परिस्थितियों तथा वैश्विक लिंग-चेतना की समझ ने समाज के प्रति हमारी वैज्ञानिक सोच को सुदृढ़ किया है। महिलाएँ इससे अछूती नहीं हैं।

भारतीय इतिहास के कुछ तथाकथित सुखद अतीत को छोड़ दे तो भारतीय समाज में महिलाओं का जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिया गया था ऐसा हम बाद की स्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल तथा उसके पश्चात् का सम्पूर्ण साहित्य महिलाओं के पतन का साक्ष्य है। रामायण के नैतिक आदर्शों में सीता की अग्नि परीक्षा हो या महाभारत की पृष्ठभूमि में द्रौपदी का चीरहरण या फिर याज्ञवल्क्य और गार्गी का सवाद हो, स्त्री हमेशा वही रही है जैसी वह बनायी गयी है। उत्तर-वैदिक काल से लेकर अब तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में जो ह्रास हुआ वह थोड़े बहुत सामयिक परिवर्तनों के साथ यथावत बना रहा। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के अन्दर आयी चेतना ने इसे बदलने का पुरजोर प्रयास किया है जिसमें उन्हें आशिक सफलता अवश्य मिली है जो उनके प्रयास को आगे बढ़ाने में सहायक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बीते 50 वर्षों में सम्पूर्ण देश में महिलाओं की स्थितियों में जो सुधार हुआ है उत्तर-प्रदेश उससे अछूता नहीं रहा है। फिर भी यहाँ की स्थिति कुछ नगरीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो बहुत अच्छी नहीं है। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी उत्तर-प्रदेश प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक हैं। अन्य क्षेत्र भी महिलाओं के सर्धर्भ में बहुत प्रगतिशील नहीं हैं।

इसलिए इस शोधकार्य मे सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश मे महिलाओ की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियो तथा महिलाओ मे इन बिन्दुओ के प्रति समझ को जानने का प्रयास किया गया है।

यद्यपि यह एक बहुत बडा कार्य था और मेरे लिए सर्वथा असम्भव किन्तु इस कार्य के समापन पर मै अपने शोध-निर्देशक प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश झा की अत्यत आभारी हूँ जिनके निर्देशन मे यह कार्य सम्पन्न हुआ। मै आभारी हूँ अपनी विभागाध्यक्ष तथा विभाग के उन सदस्यो की जिन्होने मुझे उत्साहित किया विशेषकर श्री पन्नालाल विश्वकर्मा जी की जिन्होने मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित किया।

शोधकार्य चूँकि अत्यत जटिल एव श्रम-साध्य कार्य होता है और इसे अकेले कर पाना असम्भव होता है। एक शोध-प्रबन्ध के पीछे प्रत्यक्ष तत्वो के साथ अनेक अप्रत्यक्ष सहयोगी भी होते है। इसलिए अपने इस कार्य के सफलता पूर्वक समापन पर मै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगो की आभारी हूँ।

शोध जैसे कार्य मे पुस्तकालयो की अहम भूमिका होती है। मै इस सम्बन्ध मे अनेक पुस्तकालयो, सस्थानो तथा मत्रालयो की अत्यत आभारी हूँ। इनमे प्रमुख रूप से गोविन्द वल्लभ पत सामाजिक शोध सस्थान, झूँसी, इलाहाबाद, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद, गिरी सस्थान, लखनऊ, समर्थन, भोपाल, परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मत्रालय तथा मानव ससाधन मत्रालयो की मै अत्यंत आभारी हूँ।

अत मे, जैसा कि मैने पहले कहा यह कार्य मेरे लिए अकेले कर पाना सम्भव नही था, इसलिए मै उन सभी दोस्तों, मित्रो तथा शुभचिंतको की हृदय से आभारी हूँ जिन्होने मुझे सहयोग दिया।

दिनांक १२-१२-१८

अलका सिंह
अलका सिंह

उत्तर प्रदेश – एक परिचय

उत्तर प्रदेश अपने 294413 वर्ग किमी० के क्षेत्र के साथ 13 मण्डलो में विभाजित है जिसमें 68 जिले हैं यह भौगोलिक रूप से उत्तर भारत में स्थित है जिसकी सीमा द० में मध्य प्रदेश पूर्व में बिहार, प० में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से लगती है साथ ही इस राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा उ० में नेपाल से भी लगती है। सम्पूर्ण प्रदेश का लगभग 1735 प्रतिशत हिमालय के बर्फीले पहाड़ है। प्रदेश का यह क्षेत्र अत्यन्त ठंडा तथा शरद ऋतु में बर्फीली वर्षा का क्षेत्र है तथा वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेमी० होती है। यह राज्य के समस्त नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, यमुना तथा रामगंगा। राज्य को पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक – आर्थिक तथा Ecologically विभाजित किया जा सकता है ये क्षेत्र हैं—

- 1 उत्तरा खण्ड पर्वत श्रेणी – शिवालिक तथा निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी
- 2 बुन्देल खण्ड – विध्याचल पर्वत श्रेणी से बना क्षेत्र
- 3 पश्चिमी क्षेत्र – यमुना बेसिन से निर्मित क्षेत्र
- 4 मध्य उत्तर प्रदेश – गंगा बेसिन से निर्मित क्षेत्र
- 5 पूर्वी क्षेत्र – बड़े पैमाने पर गंगा बेसिन से निर्मित क्षेत्र

प्रदेश के ये उप क्षेत्र अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थितियों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और इन दृष्टियों से इन सभी क्षेत्रों के विकास का परिदृश्य अलग-अलग है। यद्यपि मूल रूप से अन्तर बहुत बड़ा नहीं है फिर भी जो दृष्टिगत है उसमें अन्तर निश्चित रूप से दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से सम्पन्न है जहाँ सिंचाई की पूर्ण और पर्याप्त सुविधा है।

मध्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास नजर आता है किन्तु कृषि का विकास नहीं हुआ है। पूर्वी उ०प्र० तथा बुन्देलखण्ड प्रदेश के सबसे विपन्न तथा अविकसित क्षेत्र हैं। इसलिए यहाँ किसी तरह का विकास नहीं दिखाई देता।

1. उत्तराखण्ड क्षेत्र -

प्रदेश का यह क्षेत्रा भौगोलिक रूप से पर्वतीय और जगलो से ढका हुआ है। यहाँ का आर्थिक और सामाजिक सघटन बहुत ही जटिल तथा कमजोर है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को पोस्टल इकोनामी के नाम से जाना जाता है।

क्योकि यहाँ के पुरुष पहाडो से मैदानी क्षेत्रो मे रोजगार की तलाश मे पलायन करते है। महिलाए यहाँ के घरेलू तथा सार्वजनिक दोनो ही जीवन की रीढ हैं खेती से लेकर घरेलू कार्य तक प्रति महिला का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ की मूल अर्थव्यवस्था महिलाओ के श्रम पर आधारित है। यही कारण है कि इस क्षेत्र मे चलने वाले तीन प्रमुख आदोलन महिलाओ द्वारा ही सचालित किये गये। पहला 1962-63 मे नशाबन्दी, दूसरा 1974-75 मे चिपको तथा तीसरा 1995-96 से उत्तराखण्ड आन्दोलन, इन तीनों मे ही महिलाओ की मुख्य भूमिका थी। उत्तर प्रदेश के इसी क्षेत्र मे साक्षरता दर सबसे अधिक है।

2 बुन्देलखण्ड क्षेत्र -

इस उपक्षेत्रा का अधिकाश भाग असिचित तथा ऊसर है। सिचित क्षेत्र अत्यत कम तथा वर्षा बहुत कम होती है। इन्ही कारणो से इस सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिसख्य आबादी गरीबी रेखा से नीचे जाती है। कुछ जिलो, जैसे बॉदा आदि मे जनजातिय जनजीवन जगलो पर आश्रित है। इस पूरे परिक्षेत्र मे मजदूरो को दी जाने वाली मजदूरी राज्य के अन्य क्षेत्रो के अलावा बहुत कम है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र मे मध्यकालीन सामतवादी प्रवृत्तियो थोडा बहुत अन्तर के साथ यथावत विद्यमान है जो इस क्षेत्र के सामाजिक विकास मे बाधक है। सामान्यत यहाँ महिलाओ की स्थिति पर भी मध्य कालीन प्रभाव हैं अधिकाश महिलाये सामान्यत भारतीय घरेलू महिलाये है।

3 पश्चिमी क्षेत्र -

पश्चिमी उ०प्र० का कृषीय विकास की दृष्टि से उ०प्र० ही नहीं भारत के सबसे सम्पन्न क्षेत्रों में है यह क्षेत्र सिंचाई के साधनों से पूर्ण रूपेण सम्पन्न हैं नहरों के जाल तथा ट्यूबवेलों ने इस क्षेत्र में हरित क्रांति को सफल बनाया जो इस क्षेत्र के विकास के मूल में है। आर्थिक रूप से सम्पन्न यह क्षेत्र महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। समाज में उनकी स्थिति द्वितीय श्रेणी के नागरिक की है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यंत सघन चेतना और कार्य की आवश्यकता है।

4 मध्य क्षेत्र -

परम्परागत रूप से मध्य क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की संस्कृति में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है। यहाँ भूमि का बटवारा जातीय आधार पर ही है और निम्नजातीय लोगों के पास सिंचित भूमि नहीं है। इस परिक्षेत्र में महिलाओं की गृहउद्योग सम्बन्धी काम की परम्परा है जैसे कसीदाकारी तथा चिकेन की कढ़ाई जिसने अब उद्योग का रूप ले लिया है।

5. पूर्वी क्षेत्र -

उ०प्र० का पूर्वी उपक्षेत्र भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा तथा पूरी तरह से सामतवादी परम्पराओं का गढ़ है इस क्षेत्र में जनसंख्या का भार सबसे अधिक है।

अध्याय : 1

इतिहास में नारी तथा उसके जीवन स्तर का विशद विवेचन का विषय है। यह इसलिए कि इतिहास और नारी का संबंध एक गुत्थी की तरह है जिसे समझना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इतिहास के अध्ययन में नारी की भूमिका को सामने लाने का प्रयास मुश्किलों से भरा है। हमारे पास 3000 वर्षों के लिखित इतिहास तथा प्रागैतिहासिक अध्ययन के संबंध में किये गये शोधों में मानव सिर्फ पुरुष है,¹ के पूर्वाग्रह के कारण स्त्री-पुरुष सहसंबंधों, समाज में स्त्री की भूमिका, मानव सभ्यता के विकास में उसकी उपस्थिति की निरंतर उपेक्षा की गयी। फलस्वरूप इतिहास और समाज में नारी की स्थिति समझने तथा उससे संबंधित अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व में नारी सम्बन्धी क्रमबद्ध ऐतिहासिक सामग्री सामान्य रूप से कम उपलब्ध है। मानव के अतीत का सच्चा अध्येता बनने के लिए मुख्यतः प्रागैतिहास से प्राप्त जानकारी का सहारा लेना पड़ता है।² इसके द्वारा हम उन सूक्ष्म तरीकों का मूल्यांकन एवं प्रदर्शन कर सकते हैं जिनके सहारे भौतिक और सामाजिक वातावरण मानव जीवन को प्रभावित करते रहे हैं।

प्रागैतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ सदा पितृसत्ता के जटिल ढांचे में नहीं जी रही थीं। मातृ सत्ता के काल में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी।³

स्त्रियों पर नियंत्रण विशेष परिस्थितियों तथा विशेष प्रक्रिया के कारण हुआ होगा, क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ में एक समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब स्त्री और पुरुष जीवन की लगभग प्रत्येक परिस्थिति में समान रहे होंगे। यह वह समय रहा होगा जब सब कुछ प्राकृतिक रहा होगा।⁴ प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अध्येताओं का मानना है कि मनुष्य के संस्कृति निर्माता पूर्वज लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व हुए।⁵

1 फ्रायड सिगमंड -

फ्रायड की दृष्टि में सामान्य मनुष्य पुरुष था। जबकि स्त्री विकृत मनुष्य। फ्रायड की यह सौंच शिक्षा के माध्यम से इस युग में सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता में लोकप्रिय हो गयी जिसने मध्य कालीन दृष्टिकोण को पुष्ट किया।

2 झा एव श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ - 36 1984।

3 चक्रवर्ती उमा, कन्सेप्चुलाइजिंग ब्राह्मनिकल पेटीयार्की इन अर्ली इण्डिया जेंडर, कास्ट क्लास एण्ड स्टेट इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993।

4 गेल, इसे पुरा प्रस्तर युग सा उसके पहले की अवस्था मानती है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अध्येताओं की अवधारणा भी इससे मेल खाती है। एगल्स भी इससे सहमत हैं। आमवेट गेल, पेटीयार्की एण्ड मेट्रीयार्की, फेमिनिस्ट कान्सेप्टस सिरीज, एस एन डी टी बम्बई।

5 झा एव श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ - 36 1984।

अपने विकास क्रम में मानव अनेक सकटों से उबरकर जिया। इस सकट काल और सस्कृति निर्माण दोनों में ही स्त्री मानव विकास क्रम का हिस्सा अवश्य रही होगी। नैसर्गिक नियमों के कारण स्त्री-पुरुष न केवल समीप आये होंगे बल्कि उन्होंने विकास क्रम में एक दूसरे की आवश्यकता को समझा होगा। यह वह काल था जब मानव का संवेदना का स्तर पर विकास होने लगा। यह विकास उसे अन्य जंगली जीवों से अलग रहने को विवश करने लगा।¹ स्वच्छन्द प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़कर वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से प्रकृति के रहस्य खोलने लगा।

मानव विकास विभिन्न कारणों के कारण कई स्तरों पर हो रहा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु परिवर्तन था।² यह जलवायु परिवर्तन विशेष परिस्थिति के रूप में सामने आया और मनुष्य समूह में रहने की प्रक्रिया से न केवल जुड़ने लगा बल्कि समूहगत जीवन उसे सुरक्षा प्रदान करने लगा। यह काल पाशविकता का काल था इस काल में मनुष्य लगभग जानवरों की तरह रहता भोजन इकट्ठा करता और शिकार मारता था।³ इस काल तक महिला और पुरुष के सह सम्बन्ध बराबरी पर आधारित थे। बहुत समय तक समूह में रहने के साथ उपजी सहयोग की भावना ने मानवीय संवेदना को जन्म दिया जिसके कारण मानव समूह विशेष के लिए सस्कृति का निर्माण करने लगा।⁴ समूह में रहने की इस प्रक्रिया ने ही भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए संघर्षों को जन्म दिया और इन संघर्षों ने मानव जीवन के महत्व, जिजीविषा महत्वाकांक्षा तथा पहचान बनाने की इच्छा को जन्म दिया। इन सभी कारणों से पुरुष स्वाभाविक रूप से सक्रिय होता गया। पुरुषों की इस सक्रियता ने ही उत्तरोत्तर नियंत्रण की भावना को जन्म दिया। यह नियंत्रण ही उत्तरोत्तर गूढ़ और जटिल होता गया।

1 सोहन सस्कृति जो उत्तर पश्चिम प्रांत सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पायी गयी, में इस विकास के लक्षण स्पष्ट रूप के दिखते हैं। इस सस्कृति से प्राप्त हथियार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मानव बुद्धि के प्रयोग की अवस्था में पहुँच चुका था।

2- भू वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी लगभग 48 अरब वर्ष पुरानी है और इस पर जीवन लगभग 35 वर्ष अरब वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। मानव के पूर्वज परम्परा को अधिक से अधिक मध्य नूतन युग तक ही खींचा जा सकता यह शिवालिक शिक्षणों से प्राप्त रामा पिथोरस के आधार पर इस विषय पर शोध अध्येताओं का मानना है कि मानव विकास के साथ जलवायु परिवर्तन में जगल छोटे हो गये।

3- एगल्स - ओरिजन आफ द फैमिली, प्राइवेट प्रापर्टी एण्ड द स्टेट पृष्ठ - 1884

4- भारत में पायी जाने वाली अनेक पुरापाषाण कालीन साक्ष्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है इस सदर्भ में नरासिंहपुर (मध्य प्रदेश) आंध्र तमिलनाडु, आदि में पाये गये साक्ष्य।

भारत की मध्य पाषाण कालीन सस्कृति के गुफा चित्रो, शैलाश्रयो के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि महिलाये इस युग मे भोजन एकत्रण के साथ शिकार मे भी भाग लेती थी। इस समाज मे नारी की प्रजनन भूमिका के प्रति आदर भाव था इसलिए महिला की यौनिकता को कोई खतरा नही था।¹

नव पाषाण स्तर की प्रमुख उपलब्धि थी खाद्य-उत्पादन का अविष्कार, पशुओ के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। इसका मानव इतिहास मे अद्भुत महत्व है क्योकि इस नयी कृषि जीवन पद्धति का अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम था जनसख्या वृद्धि। इसलिए इसे नवपाषाण क्राति की सज्ञा दी जाती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि नवपाषाण जीवन पद्धति का विकास एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। यह कार्य एकाएक सम्पन्न नही हो सकता। इस सस्कृति के प्रसार मे विकासवादी और विसरणवादी दोनो ही पद्धतिया काम करती है इस क्रातिकारी युग मे मनुष्य ने पशुपालन और कृषि का कार्य प्रारम्भ किया फलस्वरूप उत्पादन की इस नवीन प्रक्रिया मे महिलाओ की भूमिका का भी निर्धारण हुआ होगा। वस्तुतः ग्राम्य जीवन के स्थायित्व ने मानव को व्यवस्था और नियम बनाने को प्रेरित किया और इस व्यावस्था निर्माण ने महिलाओ को अनेक प्रकार की सुविधाये प्रदान की। उस नवीन जीवन पद्धति के लिए सहयोग और सहसम्बन्ध की आवश्यकता थी। इसीलिए स्त्री पुरुष के मध्य एक सहज सहयोग के मनोविज्ञान का उदय हुआ क्योकि अब आपसी सहयोग से उत्पादित भोजन के कारण उन्हे जगलो मे भटकने अनिश्चित जीवन जैसी प्रक्रियाओ से छुटकारा मिल गया। फलस्वरूप अब उनके पास अन्य विकास के पर्याप्त अवसर थे। उत्पादन की इस नवीन व्यवस्था ने कई तरीको से पुरुष के वर्चस्व के मनोविज्ञान को बलवान किया।

1- चक्रवर्ती उमा - कन्सेल्युलाइजिंग ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की इन अर्थो इण्डिया . जेन्डर, कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट , इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, 3 अप्रैल 1993,

जनसख्या की वृद्धि ने मानव को अन्य जगली जीवो की तुलना मे अधिक बलवान बना दिया। इसलिए मानव समूहो ने प्रजनन काल मे स्त्रियो की विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की। धीरे-2 स्त्रिया इस सुरक्षा की आदी हो गयी और पुरुषो मे स्त्रियो पर नियत्रण की भावना बढने लगी।¹ यह नियत्रण स्त्री की सुरक्षा की दृष्टि से था। अत स्त्रियो की तरफ से इसका प्रतिरोध नही हुआ। फलस्वरूप इस सुरक्षा रूपी नियत्रण ने अपने को अत्यधिक प्रभावशाली बना लिया। यह वह समय था जब उत्पादन मे विस्तार हुआ, काम बढा, नयी श्रम शक्ति की आवश्यकता बढी, सामाजिक प्रक्रिया जटिल होती गयी। समय के साथ लिंग आधारित काम का बटवारा हुआ।² लिंग आधारित श्रम विभाजन ने सम्पूर्ण विश्व को लगभग बाट सा दिया। बाहरी दुनिया से अब महिलाओ का सम्बन्ध न के बराबर रह गया। इस नवीन सामाजिक परिस्थिति ने महिलाओ का सम्बन्ध न के बराबर रह गया। इस नवीन सामाजिक परिस्थिति ने महिलाओ की सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन ला दिया। एक ओर तो पूजीवादी श्रम प्रक्रिया प्रारम्भ हुई , दूसरी ओर पितृसत्तात्मक लिंग आधारित पदानुक्रम जिसमे स्त्री घरेलू श्रमिक बनकर रह गयी। यानि महिलाये प्रजनन और अपने रख रखाव के लिए लघु उत्पादन मे फसकर घरेलू बन गयी।³ मारिया मीस कहती हैं " लिंगो के बीच श्रम का असमान बंटवारो हिस्सा की मदद से प्रारम्भ हुआ। फिर परिवार और सरकार जैसी सस्थाओ ने एक मजबूत विचार धारा की मदद से उसे बनाये रखा। नव पाषाण काल से लेकर सिधु सभ्यता तक का काल वैचारिक सक्रमण का काल था। जिसमे मातृप्रभावात्मक व्यवस्था दिखती तो थी किन्तु पितृ सत्तात्मक व्यवस्था अपरोक्ष रूप से प्रभावी होती जा रही थी। नारीवादियो का यह मानना है कि चरवाहा युग मे पहली बार पितृसत्तात्मक सम्बन्ध बने।⁵

1, नारी वादी शुलामिथ फायर स्टोन का मानना है " महिलायें प्रजनन के कारण दमित है।"

भसीन कमला, पितृसत्ता क्या है ? पृष्ठ 28 सिस्टम विजन नयी दिल्ली 1994

2, लर्नर गर्ड, द क्रियेशन ऑफ पेट्रियार्की आक्सफोर्ड एण्ड न्यूयार्क (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1986) पृष्ठ -217

3, मारिया मीस का शोध पत्र, विमन द लास्ट कालोनी (काली फार विमन 1988 दिल्ली)

4, मारिया मीस, विमन द लास्ट कालोनी (शोध पत्र) काली फार विमन 1988 दिल्ली

5, भसीन कमला, पितृसत्ता क्या है ? पृष्ठ 23 सिस्टम विजन नयी दिल्ली 1994

प्रजनन चूकि महिलाओ से जुडा था इसलिए स्त्री की प्रजनन शक्ति के प्रति आदर भाव बना रहा। स्त्रियो के प्रति दक्षिण एशिया के आदिवासियो मे यह सम्मान आज भी है। स्त्री तथा पुरुष के बीच यहा अधिक अन्तर नही है क्योकि दोनो के सहयोग के बिना जी पाना यहा सम्भव नही है।¹

सिन्धु कालीन समाज में नारी (2300 ई.पू. से 1750 ई. पू.) :-

मानव विकास क्रम मे सिन्धु सभ्यता एक महत्वपूर्ण पडाव है। सिधु एव उसकी सहायक नदियो के उपजाऊ मैदान की इस कास्य कालीन सभ्यता का उदय हुआ था।² सिधु सभ्यता के कुल स्थलो की गिनती 350 के लगभग है।³ क्षेत्र की दृष्टि से यह सुमेरियाई सभ्यता से कही विशाल थी।

सम्पूर्ण सिन्धु कालीन सभ्यता का अध्ययन लिखित साक्ष्यो के अभाव मे उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही किया गया है। इसलिए इस समाज मे महिलाओ की स्थिति के विषय में , अनुमान के आधार पर सह सबध जोडने का प्रयास किया गया है। यद्यपि हमारे पास इस सस्कृति से सबधित लिखित प्रमाण, लिपि अपठनीय होने के कारण नही है किन्तु हम पुरातात्विक साक्ष्यो को नकार नही सकते।

इस सभ्यता के आधार क्षेत्र सिंध तथा पंजाब रहे हैं जहाँ के अनेक पुरास्थलो से नारी मृण्यमूर्तियों तथा मुहरे प्राप्त हुई है। मोहन जोदडो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से लेकर अन्य सभी मृण्यमूर्तियों अपने नैसर्गिक नारी सुलभ आकर्षणो के साथ प्राप्त हुई है।

1. समाजवादी नारीवादियो विरोनिका विची की आन पेट्रियार्की में उद्धृत।

2 पाण्डेय जगनारायण, सिन्धु घाटी की सभ्यता १९७७ - ५

2 झा एव श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास १९७७ -

ये इतनी अधिक सख्या मे है कि इतिहासकारों को इस सभ्यता और नारी के सदभो को गम्भीरता पूर्वक विचार का विषय बनाना पडा। साथ ही मुहरो पर उकेरे गये चित्र तथा उनकी स्थितियो की सामान्यतया अनदेखी नही की जा सकती । विद्वानो ने इन मुहरो पर उकेरे गये चित्रों की विवेचना कर इसे मातृशक्ति की उपासना से जोडा है। मातृशक्ति की उपासना सम्बधित कुछ प्रमुख साक्ष्यो मे हडप्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर है जो लेखयुक्त होते हुए अपठनीय है। "इसमें एक तरफ सिर के बल खडी एक स्त्री का चित्र है जिसकी योनी से एक पौधा प्रस्फुटित है। मुहर के दूसरी तरफ एक पुरुष शस्त्र लिये खडा है तथा एक हाथ ऊपर उठाये एक स्त्री खडी है।"¹

इस मुहर पर अकित चित्र के आधार पर हम सिधु कालीन समाज को मातृ प्रभावात्मक समाज की सजा दे सकते है। "ऐसे समाजो मे नारीत्व के गुणो को सभी तरह के उत्पादन के स्रोतो के रुप मे देखा गया, उन्हे ही सारे ब्रह्माण्ड के मुख्य सक्रिय सिद्धान्त के रुप मे स्वीकारा गया तथा सभी महिलाओ को माँ के रुप मे परिभाषित किया गया।"²

प्रत्येक ऐतिहासिक युग मे पुरुषत्व एव नारीत्व को अलग-अलग ढग से परिभाषित किया गया है।³ यह परिभाषा निर्भर करती है उस युग के उत्पादन के विशिष्ट ढग पर।

1 पाण्डेय जगनारायण, सिन्धु घाटी की सभ्यता।

2 मारिया मीस का शोध-पत्र, विमन द लास्ट कालोनी काली फार विमन 1988 नई दिल्ली।

3 भसीन कमला, पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ 35, सिस्टम विजन नयी दिल्ली 1984।

नगरीकरण सैधव कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यह विकसित एव जटिल आर्थिक सगठन का परिचायक है।¹ कृषि, पशुपालन के साथ शिल्प और व्यापार सिन्धु सभ्यता के प्रमुख आधार थे। जिस समाज में व्यापार तथा सुगठित राजतंत्र के लक्षण परिलक्षित हो वहाँ मातृ-सत्ता का होना एक विरोधाभास से अधिक कुछ नहीं। इसलिए तमाम साक्ष्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि सैधव कालीन सभ्यता के धार्मिक एव पारिवारिक पक्ष पर मातृत्व की प्रधानता थी, किन्तु सैधव सभ्यता के सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष में यह प्रधानता समान रूप से थी यह प्रश्न अनुत्तरित है।

व्यापार एक उन्नत सामाजिक सगठन का परिचायक है, किन्तु साथ ही यह समाज में श्रम विभाजन, दास प्रथा निचले स्तर पर नारी श्रम के शोषण तथा उच्च स्तर पर नारी अकर्मन्यता को इंगित करता है।² फेयर सर्विस ने लिखा है कि नगरीय समाज में यथा स्थिति बनाये रखने के लिए संतुलन आवश्यक है किन्तु सभ्यता की जटिलता तथा वाह्य परिस्थितियों के कारण यह संतुलन बिगड़ जाता है।³ इस संतुलन को ही मार्क्स ने उत्पादन के साधनों से जोड़कर देखा है। मार्क्सवादी दर्शन ने नारी की स्थिति को उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन की प्रक्रिया से जोड़कर देखा है। अपने विश्लेषणों में उन्होंने नारी जीवन तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तरसम्बन्धों की विशद व्याख्या की है।

इन समस्त अध्ययनों के आधार पर हम सिन्धु कालीन समाज के मातृसत्तात्मक प्रधानता को सिर्फ धार्मिक तथा पारिवारिक क्षेत्र तक ही सीमित मान सकते हैं। जहाँ तक आर्थिक एव राजनीतिक क्षेत्र का प्रश्न है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है।

1 पाण्डेय जगनारायण, सिन्धु घाटी की सभ्यता पृष्ठ 46, प्रामाणिक पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

2 पाण्डेय जगनारायण, सिन्धु घाटी की सभ्यता पृष्ठ 40।

3 वही 42।

श्रम क्षेत्र में उनका योगदान अवश्य रहा होगा क्योंकि महिलाएँ परिवार की प्रमुख सदस्य थीं जो पारिवारिक उत्पादन और उद्योग में अपने श्रम के बल पर प्रमुख भूमिका निभाती हैं और रही होंगी।¹ यह कहना अत्यंत कठिन है कि उत्पादन में उनकी यह सक्रियता अतः तक बनी रहती थी। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि सिन्धु काल लिंग आधारित श्रम के बटवारे की सहमति का काल था। स्त्री—पुरुष दोनों ही एक दूसरे के कार्य के महत्त्व को समझकर उसे उचित सम्मान देते थे। यही कारण था कि समाज पुरुष—प्रधान होते हुए भी मातृवशात्मक था।

वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि सिन्धु सभ्यता में महिलाओं की दशा सामान्य थी और कथित रूप से पूरी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होते हुए भी यह समाज पुरुष—प्रधान ही था। पुरुष की प्रधानता होने पर भी नारी की यौनिकता को कोई खतरा नहीं समझा जाता था तथा मातृत्व और प्रजनन में छिपी नारी शक्ति की पूजा होती थी।² आर्यों द्वारा भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेने और यहाँ के मूल निवासियों को जिन्हें वो जातीय तौर पर अपने से हीन समझने थे, को अपने अधीन कर लेने के बाद वर्गों में बटा हुआ समाज विकसित हुआ और धीरे—धीरे नारी शक्ति की पूजा की जगह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने ले ली।³ अपने अधीन की हुई जाति के लोगों में आर्यों ने अधिकांश पुरुषों को मार डाला तथा स्त्रियों को दास बना लिया। भारत की धरती पर दास बनाया जाने वाला पहला समूह महिलाओं का था।⁴ महिलाओं की दासता के साथ ही दास प्रथा को सस्थागत रूप मिला।⁵ बुनियादी स्तर पर पितृ सत्ता की स्थापना के लिए किसी एक कारण या इतिहास में किसी एक क्षण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

1 कलपगम यू. लेबर एण्ड जेन्डर, पृष्ठ 234।

2 चक्रवर्ती उमा, "कन्सेप्चुलाइजिंग ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट" इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993।

3 वही।

4 वही तथा शर्मा आर, एस मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फारमेशन इन ऐन्वेंट इंडिया, पृष्ठ 38

5 लर्नर गर्डा, द क्रियेशन आफ पेट्रियार्की, आक्सफर्ड एंड न्यूयार्क

हम पुरुष प्रभुत्व को जिस रूप में आज देखते हैं उसके पीछे लगभग 2500 सालों 3100 ई० पू० से लेकर 600 ई० पू० तक की सतत प्रक्रिया है, कई घटक और ताकते इसके लिए उत्तरदायी हैं।¹ गेल आमवेट का यह निष्कर्ष कि नारी विकास के तीन चरण हैं बहुत तर्क सगत हैं। वे कहती हैं —

- 1 सबसे प्राचीन मानव समाज मातृकेन्द्रित समूह थे, या जेन्डर विहीन खानाबदोश समाज थे।
- 2 शासन तंत्र के गठन के पूर्व के कौटुम्बिक समाज। जिसमें महिलाये रिश्ते-नातों के माध्यम से सशक्त थी और स्वतंत्र सत्ता रखती थी।
- 3 शासन तथा वर्ग वाले समाज जिसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक तंत्रों के माध्यम से नारी अधीनता पर बल दिया।

यद्यपि आर्यों के आगमन के साथ पितृसत्तात्मक विचार धारा वाले शासनतंत्र का उदय हुआ किन्तु उसका सिधु कालीन मातृ-पूजा के साथ निरन्तर संघर्ष होता रहा। यह तनाव ऋग्वेद में प्रायः देखने को मिलता है। कुछ दृष्टान्तों से वैदिक आर्यों का नारी समूह के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है।²

1 लर्नर गर्डा, द क्रियेशन आफ पेट्रियार्की, आक्सफर्ड एव न्यूयार्क पृष्ठ 217 आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1986

2 चक्रवर्ती उमा, 'कन्सेप्युलाइजिंग ब्राह्मनिकल पेटियार्की इन अर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट' इकोनामिक खण्ड पॉलिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993।

ऋग्वैदिक समाज में नारी —

नारीवादियों का मानना है कि आर्यों के भारत में आगमन के पश्चात् यहाँ के स्थिर नगरीय जीवन का विध्वंस नारी स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुआ।¹ स्त्रियों को इस काल में दास बनाया जाने लगा।² ऋग्वेद युद्धों के वर्णन से भरा हुआ है। इसका कारण है भारत में आर्यों का आगमन तथा सिन्धु सभ्यता के पतन के बीच अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों बची हुयी थी जिससे लगभग 250 वर्षों तक आर्यों को अनवरत रूप से युद्धरत रहना पड़ा। इन युद्धों ने स्त्री-पुरुष संबंधों की समानता को न केवल खण्डित किया बल्कि नये सामाजिक चिंतन को जन्म दिया। इस नवीन चिंतन को ही सामान्यतः पितृसत्तात्मक विचारधारा की सजा दी गयी। ऋग्वैदिक अध्ययन तथा समाज शास्त्रियों की विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेदकालीन समाज एक सुगठित कबायली समाज था। उनके भैतिक जीवन में पशुचारण का महत्व था। पशुचारण की प्रधानता ने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का निर्माण किया।³ यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था थी। ऋग्वैदिक आर्य युद्धों के समय अपनी प्रजाति को न तो हारता हुआ देख सकते थे और न ही अपमानित होता हुआ। यही कारण था कि उन्होंने अपने कबीलों की सुरक्षा के लिए नियमों का विकास किया साथ ही स्त्रियों के प्रति विशेष सतर्कता रखी।

निर्वाह अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि तथा युद्धों के सर्वव्यापी वातावरण में महिलाओं की स्थिति निश्चित रूप से शोचनीय रही होगी। यद्यपि जीवन स्थायी नहीं था किन्तु फिर भी उन्होंने समाज निर्माण तथा जीवन दर्शन के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया।⁴ इस समाज निर्माण की प्रक्रिया ने राजनीतिक संस्थाओं के रूप में जन, विश तथा विदथ को जन्म दिया।⁵ इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान क्या रहा इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती।

1 चक्रवर्ती उमा, कान्सेप्टुलाइजिंग ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की इन अर्ली इण्डिया जेन्डर, कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट E P W 3 अप्रैल 1993 ।

2 शर्मा आर, एस, मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फारमेशन इन ऐन्शेंट इंडिया, पृष्ठ 38, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड 1983

3 मारिया मीस का शोध-पत्र, विमन द लास्ट कालोनी काली फार विमन 1988 नई दिल्ली।

4 शर्मा आर, एस, मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फारमेशन इन ऐन्शेंट इंडिया, पृष्ठ 38

5 वही पृष्ठ-38

ऐसा लगता है आर्यों ने समाज निर्माण को दो भागो मे प्रमुख रूप से विभाजित किया। पहली थी समाज निर्माण के साथ राजनीतिक दर्शन और दूसरी थी समाज निर्माण के साथ जीवन दर्शन। आर्यों ने समाज निर्माण की दूसरी प्रक्रिया से ही महिलाओ के सरोकार को जोडा और उसका विकास किया। यद्यपि ऋग्वैदिक नारियो को जीवन के कई क्षेत्रो मे अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नारी विकास की एकतरफा प्रक्रिया ने उन्हे सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक प्रशासन से दूर रखा। दूसरी तरफ मलियाओ को वैचारिक रूप से परिवार तथा उसके शुभ के दृष्टिकोण से जोड दिया।¹

प्राय ऋग्वैदिक नारियो की स्थिति के विषय मे जो बाते कही जाती है वह बहुत सुखद प्रतीत होती है। ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस समतामूलक समाजवादी समाज की कल्पना की थी, उसमे समाज बहुत हद तक वर्गविहीन था। इस वर्गहीन कहे जाने वाले समाज ने स्त्रियो पर नियत्रण प्रारम्भ किया।² ऋग्वेद मे स्त्रियो से सम्बन्धित विषय जैसे नारी शिक्षा, परिवार मे उसकी स्थिति, विश्पला, मुदगलानी जैसी स्त्रियो का विवरण वस्तुत एक सुखद स्थिति थी। शिक्षा जैसे क्षेत्र स्त्रियों के लिए व्यापक रूप से खुले थे। वैदिक काल मे जब वेद ही अध्ययन के प्रमुख विषय थे स्त्रियो को भी समान रूप से वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था।³ वेदो की बहुत सी ऋचाये स्त्रियो द्वारा लिखी गयी। परिवार से लेकर समाज तक में स्त्री शिक्षा तथा शिक्षित स्त्रियो दोनों का विशेष महत्व था।⁴ स्त्री पुरुष के सहसम्बन्ध को शिक्षा तथा गृहस्थ जीवन दोनों पर आश्रित बताया गया।⁵ पति सेवा का जो एकतरफा और गलित रूप आज हमे समाज मे मिलता है उसके बीज हमे ऋग्वेद मे देखने को मिलता है।⁶ ऋग्वेद में स्त्रियों की शिक्षा, सुन्दरता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार की चर्चा बार—2 हुई है।⁷

1 भसीन कमला, पितृसत्ता क्या है?

2 चक्रवर्ती उमा, कन्सेपचुलाइजिग ब्रहमानिकस पेट्रियार्की उन अर्ली इण्डिया जेन्डर, कास्ट क्लास, एण्ड स्टेट इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली 3 अप्रैल 1993।

3 1 यत सुपर्णा विप्रणं अजमीवा विवेवे

तत्र मे गच्छताद्धवे शल्य इद्र कुल्मलं यथो।

4 एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी व्युच्छन्ती युवति अथर्ववेद शुक्रवासाः

विश्वस्येशना पार्थिवस्य वस्व उषो अघेह सुम्भगे व्युच्छ।

5 शर्मा, आर एस, मिटीनीयल कल्चर एण्ड स्पेशल फार्मेशन इन एन्सेन्ट इण्डिया।

6. ऋग्वेद 8/73/3

7. ऋग्वेद 3/58/8

इन तीन बिन्दुओ मे शिक्षा ही ऐसा उपकरण। था जो आगे चलकर पुरुष प्रधान राजनीतिक तत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसलिए कालान्तर मे शिक्षा को नारी के विकास मे बाधक समझा जाने लगा। फलस्वरूप नारी जगत का विकास प्रारम्भ हो गया जो अत्यत रहस्यपूर्ण था

जैसा की नगरहीन लोगो से आशा की जा सकती थी आर्यो मे विकसित आर्थिक प्रणाली नही थी। पशुचारण की तुलना मे कृषि का स्थान नगण्य था। यही कारण था स्त्री के मातृप्रभाव को हम इस काल मे नही पाते। ऋग्वेद मे जो स्त्री सम्बधी अवधारणा थी वह उत्तोरत्तर विकसित हो गयी जो अनेक अर्थो मे बाद के सदर्थो को पुष्ट करता है। ऋग्वेद कहता है घर मे सधवा स्त्रियो का प्रथम स्थान है (ऋ 10/18/7) इनको सदा निरोग अज्जप घृत आदि स्निग्ध पदार्थो से विभूषित, मूल्यवान धातुओ से अलकृत तथा अश्रुविहीन होना चाहिए (ऋ 0/18/7) सुरुपिणी, हसमुख (3/58/8) शुद्ध, कर्तव्यनिष्ठ, पतिप्रिया (8/73/3) सुवस्त्रा (10/71/4) विचारशील (1/28/3) पति मात्र परायण (ऋ 10/85/47) होना चाहिये। ऋग्वेद की इसी अवधारणाओ को परवर्ती साहित्य ने धर्म तथा स्त्री को जोडकर स्त्रीधर्म का निर्माण किया किन्तु शुद्ध धार्मिक प्रक्रिया से स्त्री को न केवल दूर रखा अपितु सन्यास तप, ध्यान की अवस्था के लिए उसे शत्रु घाषित कर दिया।

इस तथ्य का प्रमाण इस बात से मिलता है कि ऋग्वैदिक देवकुल मे देवियो की स्थिति निम्न है।¹

1 वाशम, ए एल, वाण्डर दैट वाज इण्डिया पृष्ठ-५०

यद्यपि कि ऋचाओ मे देवियो को उचित स्थान नही प्राप्त था। किन्तु आर्यो के भौतिक जीवन के धार्मिक अनुष्ठानो मे पत्नियो को पूर्ण अधिकार प्राप्त था।¹ भाई—चारा, सिद्धान्त और धर्म एक दूसरे के पूरक है। यही कारण है कि आर्यो का यज्ञ प्रधान धार्मिक पक्ष बहुत सगठित है। धीरे—धीरे धर्म ओर नारी का सम्बन्ध बहुत जटिल हो गया और स्त्रियो अपने परिवार के हित के लिए शुभ सोचने वाली उपकरण बन गयी। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण वर्णन है इन्द्र द्वारा उषा का बलात्कार, जिसका उल्लेख कई बार हुआ है।² बलात्कार जैसे घृणित सदर्भो के पश्चात भी इन्द्र का इस काल मे एक देवता (प्रमुख) के रूप मे बने रहना एक विचारणीय प्रश्न है। शायद यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल मे जिन विवाह पद्धतियो का वर्णन है उसमे राक्षस और पैशाच विवाहो को अनैतिक कर्म न मानकर विवाह पद्धतियो की श्रेणी मे रखा गया। ऋग्वेद मे एक पत्नी वाले पितृसत्तामक परिवार की अवधारणा के चिन्ह नही मिलते। यद्यपि इस समाज मे स्त्रिया कई क्षेत्रो मे समान अधिकार रखती थी। किन्तु व्यापक रूप से लगभग सम्पूर्ण ऋग्वैदिक साहित्य मे स्त्रियो की कल्पना सुघड गृहणी के रूप में की गयी है।³ उपनयन के पश्चात कन्याओ को अपने जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार था जो किसी भी समाज के उन्नतिशील विचारो का सूचक है।

ऋग्वेद काल के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यो का अभाव है और अगर हम मान ले कि इतिहास पुरातत्व से भिन्न मनुष्य जाति के अतीत का लिखित साधनो द्वारा एक अध्ययन है तो भारतीय इतिहास आर्यो से प्रारम्भ होता है।⁴ समाज शास्त्र के अध्ययन की विधियो द्वारा हम इस समाज मे कबायली समाज के लक्षण पाते है। हो सकता है कि यह समस्त लक्षण नये परिवेश मे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओ और अपने को स्थापित करने के दोहरे सघर्षो का परिणाम हो।

1 ऋग्वेद 10/18/7

2 बाशम ए एल, वाण्डर दैट वाज इण्डिया पृष्ठ - 58

3 परायती नामन्वेति पाथ आयतीना प्रथमा शश्रुतीनाम
व्युच्छन्ती जीवमुदीयरन्त्युषा मृत क चन बोधयन्ती ऋग्वेद 1/2/6

4 बाशम ए एल, वाण्डर दैट वाज इण्डिया - 61

लिपियो के विकास के अभाव मे भी ऋग्वैदिक आर्यो ने जिस प्रकार के समाज की कल्पना की तथा स्त्री शिक्षा को समाज की प्राथमिक आवश्यकता के रूप मे विकसित किया यह एक सराहनीय प्रयास था। स्त्री को राजनैतिक सगठनो तथा प्रशासन से दूर रखने का कारण शायद युद्धो से दूर रखना रहा हो।'

उत्तर वैदिक काल मे होने वाले जटिल राजनीतिक विकास, अधिशेष पर आधारित अर्थतंत्र के विकास ने, ऋत के हास ने ऋग्वैदिक आर्यो की सम्पूर्ण सकल्पना को एक दूसरी दिशा दे दी। अगर ऐसा न होता तो शायद नारियो को योगदान न तो उपेक्षित रहता और न ही बाहित और ऐसी स्थिति मे एक सतुलन स्त्री पुरुष दोनो के बीच दिखता।

उत्तर वैदिक काल (1000 से 500 ई पू)

ऋग्वेद के रचनाकाल तथा बौद्ध युग के मध्य लगभग चार पाच सौ वर्षो का अन्तर है।² इस अवधि मे अनेक उत्तर वैदिक ग्रथो की रचना यजुस, अथर्वन, ब्रहमण तथा उपनिषदो के रूप मे हुई ³ यह वह काल था जब सम्पूर्ण उत्तरी भारत के जीवन मे एक निश्चित दिशा मे परिवर्तन हो रहा था।⁴ आर्यो के कबायली जीवन मे परिवर्तन आ रहा था। यह परिवर्तन उनके जीवन मे आने वाली स्थायित्व की झलक देता है। इस स्थायित्व से जीवन के सभी क्षत्रो मे कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए जो थोडे बहुत अन्तर के साथ लम्बे समय तक चलते रहे। इस काल की प्रमुख विशेषता थी— कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कबायली जीवन मे दरार का पडना और वर्णव्यवस्था का जन्म।⁵ इन तीनो बिन्दुओ ने वैदिक कालीन मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओ को प्रभावित किया।

1 बाशम ए एल, पाण्डर दैट वाज इण्डिया - 67

2 वाशम, ए एल, अद्भुत भारत, पृष्ठ 30

3 वही

4 एस आर शर्मा मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फार्मेशन इन एशेंट इण्डिया पृष्ठ

5 दिलीप चक्रवर्ती ' बिगिनिग आफ आयरन अण्ड सोशल चेंज इन इण्डिया स्टडीज पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट खण्ड 14 अक 4, 1973

यह विचारणीय है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तो बनी किन्तु महिलाओं की समानता का आधार खत्म सा हो गया। ऐसा शायद इसलिए था कि ऋग्वेद काल के नारी सम्बन्धी जीवन दर्शन ने महिलाओं को सामाजिक न बनाकर घरेलू बना दिया था साथ ही वर्णव्यवस्था जैसी जटिल सामाजिक संरचना की अवधारणा का विकास हो रहा था जिसमें ब्राह्मण के रूप में एक सशक्त वर्ग जन्म ले रहा था जो समस्त राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियों का नियंत्रण करता था।¹ इन सभी परिवर्तनों ने स्त्री तथा पुरुष के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचनी प्रारम्भ कर दी। पितृसत्ता की जड़ें गहरी होती गयीं। जीवन के सभी क्षेत्र पुरुष प्रधान होते गये और महिलाएँ अब सिर्फ पुत्री, बहन, माँ और पत्नी की सीमा में आबद्ध हो गयीं।

महिलाओं को पुरुषों द्वारा नियंत्रित करने की झलक तथा उस प्रक्रिया से उपजे तनाव को हम ऋग्वेद में आसानी से देख सकते हैं।² कुछ दृष्टान्तों से ऐसे सुझाव भी मिलते हैं कि महिलाओं को शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाना चाहिए।³ यही कुछ मूल कारण थे जिससे उत्तर वैदिक कालीन नारी की शैक्षिक दशा में गिरावट आयी।

कृषि, व्यापार तथा शिल्पों के उदय ने अधिशेष उत्पादन को जन्म दिया। इस अधिशेष से सशक्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों का उदय हुआ। इन संगठनों ने न केवल नारी के विकास में बाधा पहुँचायी बल्कि स्त्री पुरुष के भेद को नैसर्गिक तथा ईश्वरीय बताकर और अधिक गहरा कर दिया। समाज में पुरुष की प्रधानता बढ़ती गयी फलस्वरूप स्त्री समाज का अग बने के स्थान पर उपयोग की वस्तु बनती गयी।⁴

1 एस आर शर्मा, "क्लास फार्मेशन एण्ड इट्स मैटिरियल बेसिस इन द अपर गैजिटिक बेसिक ईसा पूर्व लगभग 1000-500) अगस 1917 में हिस्टारिक रिव्यू एण्ड 2 में प्रकाशित

देखिये चन्द्रा चक्रवर्ती, कामन लाइफ इन द ऋग्वेद एण्ड अथर्ववेद ऐन एकाउन्ट आफ दी फोकलोर इन दी वैदिक पीरियड 1977,

2 चक्रवर्ती उमा, कन्सेप्टुअल ब्राह्मनिकल पेट्रियार्की इन आर्ली इण्डिया जेन्डर कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट E P W 3 अप्रैल 1996

3 वही

4 भसीन कमला, पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ 9

उत्पादन सम्बन्ध, पारिवारिक रिश्ते और सम्पत्ति गत अधिकार अब कानून के माध्यम से मों से छीनकर पिता को दे दियो। उत्तर वैदिक काल मे लिखे जाने वाले अनेक ग्रन्थ और वेद इस बात का प्रमाण है कि अब स्त्री अपने ऋग्वेद कालीन अधिकार भी खो चुकी थी। अथर्ववेद मे दहेज देने के स्पष्ट सुझाव है ¹ समाज ने दहेज देने की इस प्रथा को आर्थिक सम्बन्धो से जोडकर देखा। फलस्वरूप ब्राहमण साहित्य मे पुत्री को सभी दुखो का श्रोत और पुत्र को वरदान कहा गया है। मैत्रायणी संहिता मे उसे सुरा तथा पासा के समान बताया गया है।

उत्तर वैदिक कालीन सस्कृति ऋग्वेद कालीन सस्कृति की तुलना मे भौतिकता मे अधिक विकसित थी। समाज के विकास की इस अवस्था ने व्यक्ति तथा समाज दोनो के नैतिकता सम्बन्धी अवधारणाओ मे भी परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तर वैदिक काल के 500 वर्षो का और उसके विकास का विश्लेषण करें तो वर्णव्यवस्था पर आधारित समाज तथा समाज मे विकसित होने वाली लगभग समस्त व्यवस्था पुरुष प्रधानता को क्रमश सुदृढ करती गयी। चार वर्णो मे बटे समाज मे नारी का भी स्तरीकरण हुआ।² यह स्तरीकरण कालान्तर मे विधि निर्माताओ के लिए नियत्रण के नवीन सूत्रीकरण का प्रतिपादन करने मे सहायक हुआ। सम्पूर्ण राजनीतिक सगठन पुरुष योग्यता और क्षमता पर आधारित होते गये।

1 एस आर शर्मा, मिंटिरियल कल्चर एण्ड सोशल फार्मेशन इन एशेंट इण्डिया पृष्ठ 47

2 नारीवादियो, तथा अन्य विचारधाराओं की सभी महिलाओं का मानना है कि महिलाओ के प्रति भेदभाव सम्यता के विकास के साथ ही आरम्भ हुआ। उनका मानना है कि सम्यता और नारी दोनों का एक दूसरे में समाहित होना ही विकास का द्योतक है। उदाहरण के रूप में भारतीय सम्यता, मिश्री सम्यता तथा अन्य सभी द्योतक है। उदाहरण के रूप में भारतीय सम्यता, मिश्री सम्यता तथा अन्य सभी प्राचीन सम्यताए पुरुषों के लिए नारी के त्याग पर ही आधारित थी।

उत्तर वैदिक कालीन परम्परा में जिस कुल का उल्लेख है वो ऋग्वेद में अप्राप्य है।¹ कुल के विकास में समाज में परिवार के साथ अनेक मनोवैज्ञानिक अन्तर सम्बन्धों का विकास किया जिसने परम्परा के रूप में स्थान ग्रहण कर व्यक्ति की पहचान को बौना बना दिया और महिलाओं को पहचानहीन। धर्म के विकास ने स्त्री और कुल की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की।

उत्तर वैदिक कालीन परम्परा में जिस कुल का उल्लेख है वह ऋग्वेद में अप्राप्य है। कुल के विकास में समाज में परिवार के साथ अनेक मनोवैज्ञानिक अन्तर्सम्बन्धों का विकास किया जिसने परम्परा के रूप में स्थान ग्रहण कर व्यक्ति की पहचान को बौना बना दिया और महिलाओं को पहचानहीन। धर्म के विकास में स्त्री और कुल की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की।

उत्तर वैदिक कालीन परम्परा में ब्राम्हण का एक अनुत्पादित वर्ग था जो अधिशेष पर अपना जीवन यापन करने का आदी था। यही कारण था कि उसने अपने को विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग बनाये रखा। इसके लिए आवश्यक था कि वह अपनी धार्मिक श्रेष्ठता की छाप लोगों पर बनाये रखे। इस धार्मिक श्रेष्ठता के लिए भी आवश्यक था कि ऐसे वर्ग को चुना जाये जो अपने अवचेतन से शुभ अशुभ की स्थिति से जुड़ा हो। इस स्थिति से महिलाओं को ऋग्वेद काल में ही जोड़ दिया गया था। फलस्वरूप धर्म की संध जो समाज में महिलाओं के माध्यम से लगी वह आज तक स्थापित है। शिक्षा उस सम्पूर्ण क्रिया कलाप की शत्रु थी। इस लिए महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा। ब्राम्हणों की इस समाज रचना के सबल पोषक क्षत्रिय थे।

1 शर्मा एस आर मिटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फार्मेशन इन ऐशेट इण्डिया पृष्ठ-10 ।

2 श्रीमाली एव झा – प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ 16 ।

इसलिए ब्राम्हणों ने चतुराई पूर्वक साहित्यों की रचना के माध्यम से क्षत्रिय पुरुषों को महिमामण्डित करके स्त्रियों की स्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित किया। इस विचारधारा की स्थापना में दो महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत में प्रमुख भूमिका निभायी।

रामायण शैली तथा विषय की दृष्टि से वस्तुतः भिन्न है। इसमें महाभारत की तरह प्राचीन लक्षण नहीं प्राप्त होते तथापि महाभारत में राम का उपाख्यान इस रूप में वर्णित है, जिससे सूचित होता है कि महाभारत का अंतिम संकलनकार रामायण से परिचित था। रामायण के पात्रों की मर्यादा में सम्पूर्ण भारतीय समाज को नैतिक नियमों में कमोबेश बाध दिया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है यह उस मर्यादा की ही भूमि है इसलिए यहाँ की स्त्रियों ने सीता के चरित्र को ढोया है। यह एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया रही है जो आज भी थोड़े बहुत अन्तर के साथ बनी हुई है। सीता का चरित्र उत्तर प्रदेश की स्त्रियों की विडम्बना है।

विशिष्ट सृष्टि सिद्धान्त तथा उससे जुड़ी नारी सम्बन्धी अवधारणा सामाजिक आर्थिक सिद्धान्त पर गढ़ी गयी नारी को समझने में बड़ी सहायता करता है। भारतीय दार्शनिक व्याख्या कहती है कि " प्रलय के अवसान एवं सृष्टि के आरम्भ में जब उसी सर्वाधार सद्रूप प्रभु की इच्छा शक्ति अभिव्यक्त होती है, तब वह प्रभु महेश्वर एव मायी और उनका शक्ति समूह प्रकृति माया आदि शब्दों में वर्णित होता है।" उपनिषदों ने नारी को प्रभु की शक्ति के रूप में जोड़ा है। उपनिषद कहते हैं कि जब पुरुषावतार (ब्रह्म) को एकाकीपन का भय सताने लगा तब उनका विराट शरीर गिर गया और दो भागों में विभक्त हो गया।²

1 भारतीय दर्शन में उपनिषद इसकी व्याख्या करते हैं।

2 स इममेवात्मान द्वेषापातयत (बृहदारण्यक उपनिषद 9/4/3)

एक भाग का नाम पति और दूसरे का पत्नी पडा ¹ और ब्रह्म जो सुख और आकाश दो रूपो मे थे वे भी दौनो मे विभक्त हो गये।² सुख विशेषाक पति (नर) आकाश विशेषाक पत्नी (नारी)। अत शक्ति शक्तिमान का युगल अनादि अनन्त है। शक्तिमान के बिना शक्ति का पृथक अस्तित्व नही रह सकता। उस शक्तिमान की वह महाशक्ति ज्ञान, बल, क्रिया आदि अनेक रूपो से उसकी सहकारिणी एव सहधर्मिणी बनी रहती है।³ वही शक्ति परा एव अपरा भी कहलाती है ⁴ और अशी का अश भी कहलाती है।⁵ अत नारी बिना नर शरीर अर्ध वृगल कहलाता है। इस अपूर्णता की पूर्ति नारी द्वारा ही हो सकती है।⁶ इन समस्त दार्शनिक व्याख्याओ के पीछे पितृसत्ता तथा परिवार के अन्तरसम्बन्धो को जोडकर देखना होगा। परिवार की स्थापना ऋग्वैदिक काल मे भी थी किन्तु ऋग्वैदिक नारी की स्वतंत्रता परिवारवाद की स्थापना मे बाधक थी। इसलिए स्त्री पुरुष सम्बन्धो की दार्शनिक व्याख्या की गयी। इस दार्शनिक व्याख्या को धर्म के साथ कुशलता से जोडा गया। धर्म से जुडते ही उपनिषदों और गीता का यह सूक्ष्म विचार स्थूल रूप मे परिणत हो गये। धर्म ने इन व्याख्याओ को महिलाओ के लिए इनको हमेशा तर्कसगत बनाये रखा। परिवर्ती स्मृति साहित्य ने इसी को आधार बनाकर महिलाओ के लिए कानूनी बेडियो तैयार की जो आज तक अनेक विरोधो के होने पर भी समाज मे अपनी जडे जमाये हुए है। यह नियत्राण की वैचारिक पहल थी जो समाज के स्वरूप को गढती है।

मौर्य काल मे नारी :-

मौर्य साम्राज्य की सामाजिक—आर्थिक दशा , शासन प्रबन्ध तथा धर्म और कला सम्बन्धी जानकारी के लिए हमारे पास प्रचुर सामग्री है।

1 क बहम ख बहम (छान्दोग्य 4/10/5)

2 छान्दोग्य उपनिषद

3 वही

4 उपरेदमितस्वन्त्या प्रकृति विद्धि में पराम।

जीवमूता महाबाही (गीता 7/8)

5 ममैकाशों जीवतो के जीवमूत सनातन (गीता 15/7)

6 कस्य रूपममूद द्वेधा यत्कायमकिच्छन्ते (गीता 3/12/52)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इण्डिका तथा अशोक के अभिलेखों का ठीक से अर्थ लगाया जाय तो पता चलेगा कि वो तत्कालीन समाज को जानने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं।

पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रों की भांति कौटिल्य ने भी वर्णव्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना।¹ राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी।² सुदृढ़ होती व्यवस्था ने, फैलते हुए वाणिज्य और व्यापार ने, संगठित राज्य व्यवस्था ने महिलाओं को अपनी सुविधानुसार नियमों में बाधना प्रारम्भ कर दिया। मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सुरक्षित दीखती है।³ इस सुरक्षा का अर्थ है बधनों का बढ़ना।⁴ इस काल में स्त्रियों को नियोग तथा पुनर्विवाह की अनुमति थी।⁵ समाज का विभाजन स्त्रियों के स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखता है। सम्राट घरों की स्त्रियाँ प्रायः घर से बाहर नहीं निकलती थीं। इन्हें अर्थशास्त्र में अनिष्कासिनी कहा गया है।

अर्थशास्त्र जो धार्मिक नीति ग्रंथों से अधिक उदार है, दुराचारिणी स्त्रियों के लिए अत्यधिक कठोर नियम निर्धारित करता है। एक स्त्री जो अपने पति की इच्छा की इच्छा के प्रतिकूल क्रीडा में भाग लेती है मदिरा पान करती है, उसे उपण का अर्थदण्ड देना चाहिए। यदि वह अपने पति की आज्ञा के बिना दूसरी स्त्री से भेट करने उसके घर जाती है ऐसी दशा में उसे 6पण का अर्थदण्ड देना होगा। यदि किसी पुरुष से भेट करने जाती है तो 12पण का दण्ड देना होगा। इस प्रकार पति को पूर्णरूप से अपनी पत्नी की गतिविधि पर लगभग असीमित अधिकार थे। उच्च श्रेणी की स्त्रियों पर पर्याप्त रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। जिससे उनके सतीत्व पर किसी तरह की आंच न आये।

1 बाशम ए एल, अद्भुत भारत, पृष्ठ, 85

2 नही पृष्ठ - 85

3 पाथरी भगवती प्रसाद, मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास,

4 जैगर एलिसन, फेमिनिस्ट पालिटिक्स एण्ड ह्यूमन नेचर, न्यूजर्सी रोमन एण्ड एलन हैण्ड, 1993

5 बाशम ए एल अद्भुत भारत

जो भी हो एक पत्नी को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त थी, उसका प्रथम कर्तव्य यह था कि अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करे, थक जाने पर भी उसके चरण दबाये—उससे पहले सोकर उठे तथा उसके पश्चात भोजन ग्रहण करे तथा सोये।

नियंत्रण का तरीका अनेक स्तरों पर अलग—अलग ढंग से कार्य करता है।¹ पहला ढंग विचारधारा के स्तर पर कार्य करता है जो चरित्रों के माध्यम से संप्रेषित होता है।² यह संप्रेषण यदि सकारात्मक रूप से कार्य करता है तो व्यक्ति के अवचेतन से होता हुआ अन्तःकरण को प्रभावित करता है। इस स्तर पर स्त्री ने पतिव्रता के चरित्र को अपने मन और रूप में अपना लिया। इसी कारण असामनता पूर्ण व्यवस्था आगे भी चलता रहा। इस स्थिति में उनकी स्वयं की सहभागिता के कारण उनके निचले स्तर पर उगली उठाने वाला कोई नहीं रहा। इस तरह धारणा के रूप में पितृसत्ता इतनी दृढ़ता से जम गयी कि स्वाभाविक सी दिखने लगी।

ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के साथ किसी तरह का दुराचार या शोषण होता था।³ इस व्यवस्था ने कुल के लोगों के बीच स्नेह के बीज बोये। स्नेह के इस बन्धन ने स्त्री को अतिवादिता की हद तक सुरक्षा प्रदान की और इस सुरक्षा ने धीरे—धीरे स्त्री की बची हुई स्वतंत्रता का भी हनन करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरी तरफ स्नेह और सुरक्षा के मिले—जुले प्रयास ने कुल की परम्परा, संस्कृति तथा प्रतिष्ठा का निर्माण किया। फलस्वरूप स्त्री और प्रतिष्ठा एक दूसरे के पर्याय बन गये जिसने महाभारत जैसे युद्धों का स्वरूप ग्रहण कर लिया।

1 मीस मारिया का शोध पत्र, विमन द लास्ट कालोनी (कालीफार विमन 19988, दिल्ली)

2 लर्नर गर्ड, द क्रियेशन आफ पेटियार्की आक्फोर्ड एण्ड न्यूयार्क · आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1986

3 हायडी हार्डमन, द अनहैपी मैरिज ऑफ मार्किस्जम एण्ड फेमिनिज्म टुवर्ड्स ए मोर प्रोग्रेसिव यूनियन इन कैपिटल एण्ड क्लास समर।

हार्टमन का कहना है कि पितृसत्ता रिश्तों का एक समूह है, उन रिश्तों का नैतिक आधार है। इसमें पुरुषों के भी ऊँच—नीच या पदानुक्रम के सम्बन्ध होते हैं साथ ही सभी पुरुषों में, मर्द होने के नाते भाईचारा होता है जिसके कारण वे महिलाओं को दबाने में सफल होते हैं।

स्त्री ने बहुत सहजता से अपने आप को इन तीनों से जोड़कर देखना प्रारम्भ किया। यदि किसी ने कुल में बनायी परम्परा को स्वीकार नहीं किया तो उसे समस्त समाज ने तिरस्कृत कर दिया। समाज का यह तिरस्कार स्त्री के लिए अभिशाप साबित हुआ क्योंकि उसे अब सामाजिक उपभोग की वस्तु बना दिया गया। फलस्वरूप स्त्री एक नये रूप में समाज के समक्ष आयी। यह स्वरूप था गणिका का।

वास्तव में स्त्री के प्रति प्राचीन भारतीय प्रवृत्ति रहस्यपूर्ण थी। ऋग्वेद काल के पश्चात् शिक्षा का अधिकार छिन जाने से महिलाओं के विषय का समस्त चित्रण पुरुषों द्वारा किया गया। यही कारण है कि महिलाओं ने क्रमिक विकास के रूप में पुरुषों के विचारों, उनके शासनतंत्र को तथा उनके विश्लेषण को सर्वमान्य रूप से ग्रहण कर लिया।¹ मौर्य काल की विशेषता यह है कि वह जटिल सामाजिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। एक तरफ पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग तथा दूसरी तरफ पुरुष से मिलने पर अर्थदण्ड, विरोधाभास को प्रकट करता है।

एक तरफ स्त्रियों के घर से निकलने पर प्रतिबन्ध तथा दूसरी तरफ वेश्याओं के स्वरूप का गठन तथा राज्य के लिए उनका उपयोग।² ऐसा नहीं था कि इन वेश्याओं को इस काल में घृणित समझा जाता था। देवदीन नामक चित्रकार सुतनुका नामक देवदासी से प्रेम करता था।³ बौद्ध कथाओं में वर्णित वैशाली की वेश्या आम्बपाली समस्त सभ्य भाग में प्रसिद्ध थी। वह अपने नगर के अमूल्य रत्नों में थी। समन्ती समाज में प्रायः ही शक्तिशाली और समृद्ध गणिकाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हलचलों की केन्द्र होती हैं। वेश्या स्वतंत्र नारी है।⁴ स्वतंत्रता उसकी सजा है इसलिए वह वेश्या है। लेकिन यह भी सही है कि इस गतिशील स्वतंत्र चेता नारी ने हर समय के कथाकार को प्रायः अपनी ओर आकर्षित किया है।⁵

1 मारिया मीस, वीमन द लास्ट कालोनी,

2 बाशम ए एल, अद्भुत भारत

3 वही

4 जैन अरविन्द औरत होने की सजा पृष्ठ 5

5 वही पृष्ठ -5

बौद्ध भिक्षुणिया भी बन्धनो से मुक्त होती थी। हम उन्हें भी स्वतंत्र कह सकते हैं। वे स्वयं लिखती हैं

मुक्त हूँ मैं जी भर कर मुक्त
मुक्त हूँ मैं तीन क्षुद्र वस्तुओं से
खरल से, मूसल से और अपने
ऐठे हुए देवता से।¹

वस्तुतः दोनों की स्वतंत्रता में अन्तर है, वेश्या ने समाज में रहकर न तो पुरुष का संरक्षण स्वीकार किया है, न ही सामाजिक स्वीकृति किन्तु भिक्षुणी मुक्त होते हुए भी संरक्षण के सम्बल के साथ ही जीवन यापन करती है और यही अन्तर समाज में सम्मान के मनोविज्ञान का प्रश्न खड़ा करता है। यही से समाज में स्त्री और स्त्री के बीच भेद उत्पन्न करता है। वेश्या चूँकि यौन शुचिता के आडम्बर से निर्भय हो जीवन यापन करती है इसीलिए वह घृणित है। किन्तु भिक्षुणी को भिक्षुणी होने के पश्चात् भी उस आडम्बर को यथावत् ग्रहण करना होता है। अतः वह निश्चित रूप से पराश्रित है।

मौर्य साम्राज्य की लडखडाती हुई दीवार ई.पू. 187 में ढह गयी फलस्वरूप भारतीय इतिहास की राजनैतिक एकता कुछ समय के लिए खण्डित हो गयी। उत्तर पश्चिमी से विदेशी आक्रमण मौर्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग 5 विदेशी संस्कृतियों से भारतीयों के परिचय ने सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित किया।

1 बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित कविता के अंश।

निश्चित रूप से उस काल में नारियों की सामाजिक दशा भी प्रभावित हुई जो आक्रमण काल की विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर सामान्य रूप से सकारात्मक ही रही।

दक्कन में मौर्य सत्ता के पतन के पश्चात् नये राज्यों का उदय हुआ। उन नवोदित राज्यों में नयी संस्कृति का निर्माण हुआ। जिसमें तुलनात्मक रूप से महिलाओं को सम्मान अधिक प्राप्त था। सभी सातवाहन शासकों को उनकी माता के नाम से जाना जाता था।¹ सातवाहन संस्कृति के मुख्य केन्द्र प्रतिष्ठान गोवर्धन (आधुनिक नासिक) एवं वैजन्ती थे।² यही कारण है भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में महाराष्ट्र में महिलाओं को सम्मान अधिक प्राप्त है।

विकसित राजनीति ने वैवाहिक सम्बन्धों को कूटनीति का अस्त्र बनाना प्रारम्भ किया और इसी क्रम में सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर टकराहट को समाप्त करने का प्रयास किया। यह राजनीति में महिलाओं के उपयोग की सबसे सम्मानित रीति थी। यही वह समय था जब बौद्ध भिक्षुणियों ने संघ में प्रवेश कर धर्म के प्रचार में अपना सक्रिय सहयोग दिया।

गुप्त काल में स्त्री .—

गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। यह काल लम्बे ऐतिहासिक क्रमिक विकास का परिणाम था राजनैतिक तंत्र के सुगठित विकास ने समाज में स्थिरता को जन्म दिया। सामाजिक स्थिरता ने संस्कृति तथा समृद्धि का निर्माण किया।

1 सातवाहन शासकों को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। सातवाहनों के महान शासक गौतमी शतकर्णी को उसकी माता गौतमी तथा वशिष्ठी पुत्रा पुलुमावी को उसकी माता वशिष्ठी के नाम से जाना जाता था।

2 श्रीमाली एवं झा प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ 223 ।

यही कारण था कि गुप्त काल साहित्य, कला तथा शिल्प की दृष्टि से अति समृद्ध रहा है। इस काल में साहित्य, कला तथा शिल्प तीनों ही का केन्द्र बिन्दु नारी रही है। इस केन्द्र बिन्दु की स्थिति ने गुप्त कालीन नारी को भौतिक दृष्टि से नारीत्व का प्रतीक बना दिया। दूसरी तरफ इस काल में पनपने वाले धर्म ने स्त्री को न केवल रहस्य और घृणा का पात्र बनाया बल्कि उसे गूढ़ धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा।

स्त्रियों की समाजिक मर्यादा को लेकर इस काल में कुछ ऐसी बातें विकसित हुईं जो बात की शताब्दियों में उनकी विशेषता बन गई। अल्प आयु विवाह, सतीप्रथा आदि प्रथाएँ इस काल में सामने आईं। यही वह काल था जब जन्म से मृत्यु तक वह पुरुष नियंत्रण में रहने को निर्देशित की गई। स्त्री की यौन शुचिता और पवित्रता की परिकल्पना ने स्त्री और पुरुष के परस्पर सम्बन्धों के मध्य अपरोक्ष दीवार खड़ी कर दी। जिसके फलस्वरूप स्त्री पूर्वोक्त सहधर्मिणी, सहचरी आदि स्थानों से युक्त हो 'भोग्या' बन गई। अब उसके व्यक्तित्व को प्रत्येक कोणों के मानदण्ड प्रत्येक पुरुष द्वारा अपनी विचारधारा के स्तर पर तैयार किये जाने लगे। धार्मिक, आर्थिक और व्यक्तिक सभी स्थितियों में स्त्रियों पर प्रतिबन्ध लगाये गये, उन्हें ऐसी सम्पत्ति कहा गया जो किसी को भी दी जा सकती है। उनकी यह निरन्तर अधीनता पितृसत्तात्मक समाज का सबसे सुगठित रूप था और है।

उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी शिक्षा दी जाती थी जिसका उद्देश्य मात्र इतना था कि वह बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप कर सकें। सार्वजनिक जीवन में भाग लेना उनके लिए आवश्यक नहीं समझा गया।

इस काल के साहित्य के अध्ययन से स्त्रियों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है किन्तु यह सभी सूचनाएँ उच्चवर्गीय स्त्रियों से सम्बन्धित हैं।

सती प्रथा के सम्बन्ध में भी गुप्त कालीन अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं। सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्ष्य 510 ई. का एरण शिला लेख है। जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का वर्णन है।

पृष्ठ 315

गुप्त काल विधिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण काल रहा मनु महाराज की मनु संहिता ने समाज को लिखित विधिक स्वरूप प्रदान किया जिसके परिणाम स्वरूप समाज अब एक निश्चित दिशा में गति करने लगा। सामान्यतः मनु ने स्त्रियों से उनके अधिकार छीन लिये और उन्हें पूर्ण रूप से पति पर आश्रित सेविका बना दिया। मनु ने सर्वप्रथम कन्या के विवाह की आयु सामान्य परिस्थितियों में निश्चित करके 12 वर्ष कर दी।¹ यह एक ऐसी परम्परा रही कि उससे स्त्रियाँ का उभर पाना अत्यन्त कठिन कार्य बन गया। इन परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा समृद्ध वर्गों तक सीमित रह गयी।

यद्यपि जन साधारण में सती होने का प्रचलन नहीं था किन्तु विधवाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। उच्च तथा ब्राह्मण वर्ग की विधवाओं का जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण था।² इस काल के विधिकारों ने स्त्री की पवित्रता को पुर्नजन्म के सिद्धान्त से जोड़कर उसके ऊपर मानसिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करने लगे। बृहस्पति के अनुसार “ पति के मरने पर जो पतिव्रता साध्वी निष्ठा का पालन करती है वह पापों को छोड़कर पतिलोक में जाती है।”³

1 कात्रामामरणत्तिएतेदृगृहे कन्यर्तुमत्यपि

न चैवैना प्रयच्छेतु गुणहीनायकहिंचित' मनु स्मृति 989 ।

2 आल्तेकर ए.एस. दि. पोजीशन आफ विमेन इन हिन्दू सिविल एजुकेशन, पृष्ठ .60

3 कन्याश्रम, नारी श्रमक 1448, जीता प्रेस जोरखपुर।

गुप्तकालीन अनेक स्मृतियों से विधवा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत नियम आदि का विधान है।

स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के विषय में विभिन्न स्मृतिकारों ने पर्याप्त मतभेद है। याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को पति की सम्पत्ति का अधिकारी बताया गया है। उनका कहना है पुत्र के अभाव में पत्नी सम्पत्ति की अधिकारी होगी।¹ बृहस्पति और नारद ने कन्या भी पुत्र के समान सन्तान होती है अतः पुत्र के अभाव में उसका सम्पत्ति पर अधिकार होना चाहिए। किन्तु व्यवहारिक रूप से यह विषय विवादग्रस्त है। ऐसे भी शास्त्रकार हुए हैं जिन्होंने कन्या तथा पत्नी किसी को सम्पत्ति में अधिकारी नहीं माना है।

गुप्त काल चूँकि हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है इसीलिए इस विधियों को इस पुनरुत्थान के साथ कठोरता से अपनाया गया। जिसके समाज में नारियों की स्थिति को अत्यन्त निम्न बना दिया।

स्मृतिकार मनु ने स्त्रियों के उपनयन में व्यवधान उत्पन्न किया। गृहकार्य ही अग्नि कार्य के समान पवित्र होने से स्त्रियों के उपनयन की आवश्यकता नहीं रह गयी।² आल्लेकर का मत है कि 500 ई० पूर्व से स्त्रियों का उपनयन समाप्त हो चुका था।³ 9वीं शताब्दी में मेघातिथि के महाभाष्य से स्त्रियों के उपनयन संस्कार में पुनः प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। यही कारण था कि सामान्य वर्गों में कुछ कारणों से स्त्री-शिक्षा विचारणीय विषय ही नहीं रह गया।

1 " आमन्त्रिका तु कार्यय स्त्रीवामावृदशेषत
सस्कायार्य मारीरस्य यथाकाल यथाक्रमम् ।
वैवाहिको विधि स्त्रीणाम् सस्कारों दैदिक स्मृत
पतिसेवा गुरौ वासौ मृहार्थेग्नि परिक्रमा ।।' मनु 2,66.67

2 आल्लेकर ए एस पोजीशन ऑफ बुमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृष्ठ - 202

3 वही

स्मृतिकारो के आदेशानुसार इस काल मे बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा याज्ञवल्क 1, सर्त एव यम 2 आदि स्मृतिकारो ने कहा कि जो अभिभावक अपनी कन्या का विवाह तारुण्य प्राप्ति से पूर्व नही कर देते वे अपराधी है। इस धार्मिक प्रलोभन की प्रतिक्रिया का ज्ञान अलबरुनी 3 के कथन से स्पष्ट हो जाता है। अलबरुनी कहता है – ‘हिन्दू अपनी बालिकाओ का विवाह अल्प वय मे ही कर देते है। बारह वर्ष तक कोई ब्राहमण अपनी कन्या कुमारी नहीं रख सकता।’

इस प्रकार बारह वर्ष की अवस्था मे विवाह हो जाने से स्त्रियो की शिक्षा सम्भव नही थी। 4 बाशम के अनुसार बौद्ध धर्म के अन्तर्गत तंत्रा शाखा के जन्म से जो अनाचार फैला उससे बचाने के लिए भी बालिकाओ का विवाह अल्पवय मे ही कर दिया जाता था। 5

बौद्ध धर्म तथा कालान्तर मे हिन्दू धर्म मे पनपे तत्रा विज्ञान ने स्त्री को साधना का साधन बताया। बौद्ध सिद्धो की यह वाममार्गी शाखा थी सिद्ध साधक नारी भोग मे विश्वास करते थे। यही कारण था कि आगे चलकर सिद्ध साधको के विरोध मे नाथ सम्प्रदाय का उदय हुआ जिसने योग की पवित्रता के लिए स्त्री के दर्शन को ही वर्जित कर दिया। राजतरंगिणी (12वीं सदी) से ज्ञात होता है कि किन्नर पुर मे एक राजा की स्त्री का अपहरण एक बौद्धभिक्षु ने अपनी ऐन्द्रजालिक विद्या से कर लिया था। 6

-
- 1 “अप्रयच्छन्समाप्नोति ध्रूणहत्या ऋतौ – ऋतौ” याज्ञ स्मृति , 9 64।
 - 2 9 67 1 22 उद्घृत, आल्लेकर एजूकेशन इन एंशेन्ट इण्डिया पृष्ठ- 217।
 - 3 साउच, अलबेरुनीज इण्डिया भाग दो पृष्ठ- 131।
 - 4 आल्लेकर एजूकेशन इन एंशेन्ट इण्डिया पृष्ठ 217।
 - 5 बाशम ए एल द वान्डर दैट वाज इण्डिया पृष्ठ 189।
 - 6 राज पृष्ठ 13-14 श्लोक 199-200।

सन् 750 से 1200 का काल भारतीय इतिहास में अनेक राजवंशों के उत्थान और पतन का काल रहा है। इन राजवंशों में गुर्जर—प्रतिहार चौहान, परमार, चालुक्य, चदेल, गहड़वाल, शुहिल, तोमर आदि अधिकांश वंश 'राजपूत' माने जाते हैं। यूरोपीय इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी मूल का प्रमाणित करने का प्रयास किया है।¹ जो भी हो मध्ययुग की इस शासन—परम्परा ने एक नवीन तथा विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना का निर्माण किया। जिसे हम 'राजपूत संस्कृति' कह सकते हैं। इस संस्कृति में अनेक तत्व सम्मिलित हैं, जैसे राजपूतों की युद्धप्रियता, शौर्य, क्षमाशीलता बहुविवाह, प्रशासन के रीति—रिवाज। विदेशी आक्रमण के विरुद्ध अनवरत युद्धरत रहने के कारण ये हिन्दू—समाज के राजनीतिक नेता मान लिए गये। यही कारण था कि लगभग छः शताब्दियों तक राजपूत जाति का विशिष्ट सामाजिक महत्व बना रहा। राजपूतों की संस्कृति का सबसे सुन्दर चित्रण राक्षो साहित्य में है। यह साहित्य समकालीन सामंतवादी पृष्ठ भूमि का सबसे अच्छा प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता है। इन ग्रन्थों के नायकों को जितना युद्धों में रत दिखाया गया है उतना ही सुन्दरियों के साथ विवाह के लिए उत्सुक भी।² इस प्रकार समकालीन वीरगाथात्मक साहित्य सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से मुखरित करता है।

समकालीन महिलाओं से भी वीरागना होने की अपेक्षा की जाती थी। वीरागना सम्बन्धी आदर्शों की उनकी अपनी सहिता थी। महिलाये अपने पुरुषों को युद्ध में भेजने के लिए प्रेरणा श्रोत बनें। पति को युद्ध में मारे जाने को अपना गौरव माने।³ पति के युद्ध में मारे जाने के साथ उच्च वर्गों में सती⁴ तथा जौहर⁵ जैसी परम्पराओं का प्रारम्भ हुआ। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में भयंकर पतन हुआ क्योंकि नारी को भी युद्धों का कारण माना जाने लगा।⁶

1 कर्नल राड अपने शोधों में राजपूतों को शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी शासकों के वंशजों से सम्बन्धित माना है।

2 डा नागेन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास।

3 इस सम्बन्ध में राजपूताने की स्त्रियों के मध्य चरित्रयों प्रकलित हो गयीं उदाहरण—किल्ला हुआ जो भरिया बहिण मारो कत।

4 सती प्रथा का अर्थ है कि मृत्यु के पश्चात् उसके मृत शरीर के साथ जलना है।

5 जौहर युद्ध के समय पुरुष के युद्धरत होने की अवस्था में आक्रमणकारियों से अपनी सम्पूर्ण स्त्रियों के लिए स्त्रियों द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित करना है।

6 जेहि की घिटिया सुन्दर देखी तेहि पर जाइ बरे हथियार।

इस प्रकार श्रृंगार और वीर—रस जैसे दो विरोधी तत्व समकालीन जीवन मूल्यों के प्रतीक बन गये।

पृथ्वी राज रासो, जो हिन्दी का प्रथम महाकाव्य है ये कवि चन्द्रवरदाई पृथ्वीराज को जितना वीर दिखाया है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी। कवि ने एक ओर तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है दूसरी ओर रूप—सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उभारे हैं। नारी दोनों इसो के केन्द्र में है।¹ वस्तुतः सामंती व्यवस्था में नारी सिर्फ एक वस्तु है, सम्पत्ति है।² समस्त मध्ययुगीन साहित्य स्त्रियों की पतिपरायणता, धर्म परायणता, त्याग तथा बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है।³ यही उनका स्त्रीत्व है और यही शील। हर विजेता ने शत्रु—राज्य के पशुओं और गुलामों को लूटा उनके साथ ही स्त्रियों को भी 'लूटा', क्योंकि मूलतः वह सम्पत्ति ही थीं।

इस काल में मुख्य रूप से स्त्रियों को धर्म से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। परिव्यक्ता, विधवा तथा समाज से बहिष्कृत स्त्रियों के लिए प्रभु चरण को ही मुख्य बनाया गया है। मध्य काल के 'रास साहित्य' में इस प्रकार के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इन कवियों ने राजाओं की वीरता तथा युद्धों का विस्तार से विवेचन किया है किन्तु साथ ही मोक्ष के अपने दार्शनिक विचार को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया है।

कौशाम्बी के राजा शतानीक द्वारा चम्पापुर पर आक्रमण के समय उसके सेनापति ने चदन बाला नामक युवती का अपहरण कर सेठ के हाथों बेच दिया। इस युवती ने अपार कष्टों को सहते हुए भी अपने अतीत्व की रक्षा की तथा अन्ततः जैन धर्म अंगीकार कर लिया जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुई।⁴

1 डा नागेन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास

2 जैन अरविन्द औरत होने की सजा पृष्ठ-21 राजकमल प्रकाशन

3 वही

4 चदन बाला रास (जैसा साहित्य)

यह तथा ऐसी कथाये पुरुष समाज की स्त्रियों के प्रति दोहरे चरित्र की परिचायक है। चन्दन बाला का अपने सतीत्व की रक्षा करना समाज के लिए श्रद्धा परिचायक रहा।

भारतीय इतिहास में इस्लाम के प्रभुत्व ने यहाँ की व्यवस्था को हर स्तर पर प्रभावित किया। इस सत्ता परिवर्तन ने न केवल राजनीतिक संरचना में घुसपैठ की अपितु सामाजिक संरचना को भी सभी स्तरों पर प्रभावित किया। इस्लाम के आगमन के साथ-साथ महिलाओं की दशा में भारी परिवर्तन आया। यह परिवर्तन सकारात्मक न होते हुए भी नारी की निरंतर गिरती हुई स्थिति में सहायक रहा। यही कारण था कि सम्पूर्ण सल्तनत तथा मुगल काल नारी के सदर्भ में सराहनीय नहीं रहा। इसके दो कारण थे— (1) शासक वर्ग विदेशी था (2) उसका धर्म भिन्न था। इन दोनों ही कारणों ने भारतीय समाज को हर स्तर पर प्रभावित किया। चूँकि मध्यकालीन समाज तर्क विवेक और मनुष्य की प्रधानता से इतर समूह के लिए, समूह के द्वारा के सिद्धान्त पर चलता था इसलिए इस समाज से अत्यधिक आशा नहीं की जा सकती थी। कुरान के वचन और हदीस के नियम इस्लाम को मानने वालों के लिए शिरोधार्य थे और ये दोनों ही ग्रन्थ औरत की स्वतंत्रता की परिकल्पना नहीं करते। इसलिए स्वयं इस्लाम के अनुयायियों के समाज में स्त्री की दशा अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ उनके भारत आगमन ने यहाँ के अपेक्षाकृत अलग समाज पर अपना पूर्ण प्रभाव डाला। फलस्वरूप भारतीय समाज जो गुप्त काल तक स्त्रियों के दोहरे चरित्र का परिचायक बन गया था जब और भी रूढ़िवादी हो गया। स्त्रियों के सम्बन्ध में इस्लाम के दर्शन ने भारतीय स्त्रियों की दशा का दयनीय बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। यद्यपि इस्लाम में महिलाओं को सम्पत्तिगत अधिकार प्रदान किये थे किन्तु ये अधिकार व्यावहारिक रूप से नहीं मिलते थे।

चूँकि इस्लाम को मानने वाला शासक वर्ग था तथा नये आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि वाला वर्ग था। इसलिए देशी समाज का उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक था। दोनो समाजो के एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने इस काल मे महिलाओं की स्थिति को अत्यत कठिन तथा उलझा हुआ बना दिया।

ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर भारत मे मुहम्मद गोरी की विजय से जिससे दिल्ली मे सुल्तानो के राज्य (1206—1526) की स्थापना हुई, भारत मे मध्य काल की असली शुरुआत हुई।* यह एक ऐसे शासन की स्थापना थी, जो कई दृष्टियो से पुराने शासन से भिन्न था। 12 वी शताब्दी के तुर्की आक्रमण के पश्चात् राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप स्थापित हुआ वह ऊपर से आरोपित प्रणाली के समान था। दूसरी तरफ विजेता न केवल नयी सस्कृति के वाहक थे बल्कि नये धर्म के अनुयायी थे। यह नवागन्तु इस्लाम धर्म अपनी धार्मिक विधि सहिता के प्रथम सूत्र मे ही कहता है "हमने पुरुषो को स्त्रियों पर हाकिम बना के भेजा है।"* ऐसी स्थिति मे विजित और विजेता दोनो ही समाजो में स्त्री के संदर्भ मे कोई मूलभूत अन्तर नही था।

फख्रे मुदब्बिर के अनुसार जब मुइज्जुद्दीन मुहम्मद गोरी 1205—6 ई० मे खोखरो को हराकर गजनी वापस लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय ठिकानो को प्रतिनिधि चुन लिया।* इस प्रकार भारत मे तुर्की सम्राज्य की विधिवत स्थापना हुई।* ऐबक के शासन काल से हम किसी निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुँच सकते क्योकि यह न केवल प्रारम्भिक काल था अपितु बहुत छोटा भी था।

इल्लुतमिश का 26 वर्ष का शासन—काल अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा विशेषकर हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से। सन् (1210—1236) तक का शासनकाल राजनीतिक उथल—पुथल तथा स्थापना का काल रहा। इल्लुतमिश विश्व इतिहास का ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी समस्त सन्तानों में अपनी पुत्री रजिया को योग्य उत्तराधिकारी समझा। उत्तराधिकारी के रूप में रजिया का चयन समय और काल की सीमा रेखा के विपरीत था और यही कारण था कि रजिया को अपने शासन काल की अल्प अवधि में निरंतर सधर्षरत रहना पड़ा। इल्लुतमिश की लिंग निरपेक्ष चयन नीति के विपरीत समाज में स्त्री की क्षमताओं के प्रति गलत धारणाओं ने रजिया की स्थिति को कमजोर बना दिया।

रजिया को उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद भी इल्लुतमिश की मृत्यु के पश्चात् गद्दी पर नहीं बैठाया गया। रजिया ने उचित अवसर देखकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। जनता ने उसका पूर्ण समर्थन किया। रजिया का विरोध तुर्क अमीरों ने किया। समकालीन इतिहासकार मिनहाज का कहना है “रजिया ने कुशलता से अपने विरोधियों को कुचल दिया। लखनौती से देवल तक सारे अमीरों ने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया।”

रजिया ने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समान ‘कुबा’ (कोट) और कुलाह (टोपी) पहनकर जनता के सामने जाने लगी। शासन का समस्त कार्य वह स्वयं करने लगी। मिनहाज के अनुसार — रजिया ने तीन वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन किया। उसके शब्दों में सुल्तान रजिया एक महान शासक थी — बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिन्तक, सम्प्रदाय प्रजा पालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे — सिवाय नारीत्व के और इसी कारण पुरुषों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे।

इतिहासकार मिन्हाज का यह कथन इस बात का प्रमाण है कि नारी की प्रशासन सम्बन्धी सभी योग्यताये पुरुष प्रभावी व्यवस्था मे पनप नहीं सकती। रजिया का राज्यारोहण और उसकी क्षमता मध्यकालीन सामतवादी पुरुष प्रधानता को चुनौती थी। दूसरी तरफ सामान्य महिलाओ की स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं था। क्योकि रजिया परिस्थिति विशेष की देन थी। फिर भी पितृ सन्नात्म समाज व्यवस्था मे स्वय को सत्ता के शीर्ष पर स्थापित कर पाना स्वय मे बहुत बडी सफलता थी। रजिया के पश्चात सत्ता के शीर्ष पर महिलाओ के विषय मे सोच पाना भी कल्पना थी क्योकि आम स्त्री अनेक नियम कानून, मान प्रतिष्ठा तथा धर्म के बन्धनो की शिकार थी जो प्रशासन और राज्य जैसे विषयो पर सोच भी नहीं सकती थी।

रजिया के पश्चात आये सुल्तानो मे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने धार्मिक सस्कारो को महिलाओ के लिये अत्यत रूढिवादी तरीके से पेश किया। एक तरफ घरेलू महिलाओ के बाजार जाने तथा बाहर निकलने पर कडा प्रतिबन्ध था दूसरी तरफ सुन्दर कन्याओ को जो विषय भोग के लिए होती थी का बाजार मूल्य होता था। अलाउद्दीन के राज्य मे घर मे काम करने वाली दासी का मूल्य 5 से 12 टके विषय भोग के लिए दासी का मूल्य 20 से 40 टके होती थी मध्य कालीन शासन व्यवस्था निरकुश और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था थी। जिसमे शासक सर्वशक्तिमान होता था।

समकालीन लौकिक हिन्दी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो जो सामतवादी प्रवृत्तियो से पूर्णत. विलग समकालीन जन सस्कृति के है, ने जन साहित्य को अपनी लेखनी का विषय बनाया।

खुसरो ने जन साहित्य के आदर्श को बहुत सार्थक रूप दिया। खुसरो ने अपनी रचनाओं में स्त्री के दर्द और समकालीन परिवेश का चित्रण किया है। तत्कालीन साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस्लाम के सामाजिक धार्मिक मतवाद के साथ भारतीय सिद्धान्त और चिन्तन का जो संघर्ष आरम्भ हुआ उसमें महिलाओं की दशा संरक्षित जीव से अधिक नहीं रह गयी। फलस्वरूप जर जोरू जमीन के लिए प्रचलित मान्यता को और अधिक बल मिला। चूँकि इस्लाम को स्वयं को एक सामाजिक धार्मिक मतवाद तथा राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करना था। यही कारण था कि शासक वर्ग में अपने को हर स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया। इसके विरुद्ध तत्कालिक प्रतिक्रिया को निष्क्रियता का नाम दिया जा सकता है। कारण यह नहीं था कि समकालीन शासक वर्ग में कोई सुनिश्चित प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि समाज ने इसकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया था क्योंकि भारतीय जीवन धर्म तान्त्रिक ढंग से श्रेणीबद्ध तथा सामन्तवादी व्यवस्था पर आधारित ग्रामीण कृषक समाज के ढर्रे पर चलता चला आ रहा था। इस समस्त उपक्रम में महिलाओं के प्रश्न सर्वथा गौण थे। उनकी स्थिति को ईश्वरीय विडम्बना के साथ जोड़ का देखा जाता था महिलाओं में भी अपनी स्थिति को यथावत स्वीकार कर लिया था यही कारण था कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का प्रशासनिक तन्त्र कमजोर होने लगा अंग्रेजों ने इसे अन्ततः ध्वस्त कर दिया। जैसे जैसे देश पर अंग्रेजी प्रभुत्व बढ़ा शोषण की गति तेज होती गई और देश का आर्थिक आधार हिलने लगा। इसका भारत के सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव पड़ा। नये शासन में अनेक खामियाँ थीं तथा लोक कल्याणकारी तत्वों को अभाव था। अतः देश के स्थिति सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं हुआ।

ऐसी हालत में देश के अन्दर आर्थिक विपन्नता के साथ सामाजिक कुरीतियाँ भेदभाव एवं धार्मिक अधविश्वास बढ़ते गये परिणाम यह हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत दरिद्रता एवं पिछड़ेपन की सीमा तक पहुँचा गया इस समय अधविश्वास और धार्मिक आडम्बर का बोल बाला था और इसकी सबसे अधिक शिकार महिलाएँ थी यही कारण था कि सर्वप्रथम धार्मिक आडम्बरों को ही चुनौती दी गई फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलनों का प्रमुखता दी गई यह सुधार आंदोलन सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहा इसका प्रभाव धर्म से अधिक राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ा। तत्कालीन भारतीय समाज में कई ऐसी मान्यताएँ थी जिनका आधार अधविश्वास और अज्ञान था। इस सदर्भ में सुधारकों को ध्यान सबसे पहले स्त्रियों की दशा सुधारने की ओर गया। सती, बाल विवाह, पर्दा, बाल हत्या तथा जातीय भेद भाव इसके ज्वलंत अदाहरण हैं। सदियों के अत्याचार तथा शोषण के कारण ही महिलाओं की यह दशा थी। व्यक्तिगत कानूनों तथा धार्मिक प्रथाओं ने स्त्रियों को समाज में बहुत ही निम्न स्तर दे रखा था। परम्परागत रूप से महिलाओं को माँ और पत्नी के रूप में प्रायः प्रशंसा की जाती थी। निम्नवर्गीय महिलाओं से खराब स्थित उच्च वर्गीय महिलाओं की थी। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और न ही उन्हें व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार ही था ऐसा माना जाता है कि हिन्दु महिलाएँ सिर्फ एक बार विवाह कर सकती हैं किन्तु पुरुषों का इच्छानुसार विवाह करने की छूट थी। पुरुषों के लिये बहु विवाह तथा मुसलमानों में ही मान्य थी इस तरह सम्पूर्ण देश में लगभग स्थितियाँ सामान्य थी और महिलाएँ समाजिक कुरीति तथा दुर्दशा का शिकार थी। ब्रिटिश भारत में महिलाओं की दशा खराब होने के अनेक कारण थे इनमें सबसे प्रमुख हिन्दु मुस्लिम संस्कृतियों का एक दूसरे पर पड़ने वाला गहरा प्रभाव था। युद्धपरक परिस्थितियों से उत्पन्न स्थितियों में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के विचार में तथा इससे उपजी कठिनाइयों ने महिलाओं को संरक्षण तथा सीमाओं के रहने का आदी बना दिया।

युद्ध की विभीषिका का महिलाओ पर दुहरा असर पडता था। पहला उनके ऊपर होने वाले शारीरिक अत्याचारो के रूप मे तथा विधवाओ के रूप मे उत्पन्न स्थिति से अपने समाज और लोगो द्वारा होने वाले अत्याचार इन दोनो ही स्थितियो से महिलाओ को बचाने के लिए उन्हे धर्म के आडम्बरो मे बुरी तरह जकड दिया गया फलस्वरूप सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन समाज तथा महिला के लिये आवश्यक समझा जाने लगा ब्रिटिश भारत मे लडकियो के विवाह की उम्र 8 से बारह वर्ष थी ऐसा नही था कि इन लडकियो का विवाह हमउम्र लडको से ही किया जात था लडकियो का विवाह किसी भी उम्र के व्यक्ति से किया जा सकता था इसका परिणाम यह होता था कि भारत में विधवाओ की एक बहुत बडी सख्या थी 12 वर्ष की कन्या भी अगर विधवा हो जाये तो उसे पुनर्विवाह का अधिकार नही था। विधवाओ द्वारा अपने पति के लाश के साथ जल जाना अच्छा माना जाता था। आर्थिक रूप से हिन्दु तथा मुसलमान दोनो ही धर्मो की दशा अच्छी नही थी। मध्यमवर्गीय स्त्रियो का आर्थिक उपक्रम में हिस्सेदारी बनना समाज की दृष्टि मे अच्छा नही माना जाता था यही कारण था कि हिन्दुओ मे महिलाओ का सपत्तिगत अधिकार नही था। मुसलमानो मे दोख्तरी के रूप मे यह अधिकार पुत्रियो को सैद्धान्तिक रूप से प्राप्त था लेकिन व्यवहारिक रूप से यह अधिकार नही था यही कारण था कि आर्थिक रूप से महिलाये पुरुषो पर निर्भर थी। इस आर्थिक निर्भरता ने भारतीय महिलाओ की स्थिति अत्यत दयनीय बना दी जो इस काल के पहचान थी। इस काल मे हिन्दु विधि के अनुसार हिन्दु महिलाओ को तलाक का अधिकार नहीं था मुस्लिम महिलाओ को यह अधिकार सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से था व्यवहारिक रूप से उन्हे यह अधिकार प्राप्त नही था।

महिलाओ को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी सामान्यतः उनकी शिक्षा को भी अच्छा नहीं माना जाता था ऐसी स्थिति में यह अति आवश्यक है कि स्थिति का गहन अध्ययन किया जाय और महिलाओ के उत्थान की दिशा में कुछ सार्थक कार्य किये जाये। पश्चिम के विचार और एक नई संस्कृति के सम्पर्क से यहाँ कि सामाजिक दशा में आना और लाना दोनों की अवश्यभावी था। सह बदलाव आना यद्यपि स्वभाविक था किन्तु इसको दिशा देना अति आवश्यक था अन्यथा स्थितियाँ शायद कुछ अलग तथा नियंत्रण के बाहर होती इन्हीं को ध्यान में रखकर मानवतावादी तथा सामतवादी भावनाओ से प्रेरित होकर सुधारको ने महिलाओ की दशा सुधारने के लिए आंदोलन प्रारम्भ कर दिये। आंदोलन अपने प्रारम्भिक वर्षों में समतावादी तथा व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का समर्थक रहा किन्तु परिस्थितियों के टकराव ने वस्तुस्थिति को बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया फिर भी जनता को यह समझाने का प्रयास किया जाने लगा कि किसी भी धर्म में महिलाओ का स्थिति को नीचा कर के नहीं रखा गया बल्कि लगभग सभी धर्मों में महिलाओ का सम्मानपूर्ण अधिकार दिया गया है। व्यवहारिक रूप से महिलाओ की जो भी स्थिति थी उसमें सबसे अधिक खराब स्थिति बंगाल की थी। बंगाल में सती बाल शिशु हत्या तथा विधवाओ की स्थिति तीनों ही स्थितियों में महिलाओ के साथ अत्याचार अपने चरम पर था। बंगाल की इन स्थितियों का वहाँ के सुधारक अत्यंत गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने इस स्थिति से महिलाओ को उबारने के लिये सकल्प कर लिया था राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया और सती प्रथा को कम करने के लिये पूरी शक्ति से प्रयास करने लगे। सती प्रथा को बन्द करने के लिये राजा राम मोहन राय ने कम्पनी की सरकार से सहयोग मागा।

लार्ड विलियम बेटिक ने जो इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था ने राजा राम मोहन राय को पूर्ण सहयोग तथा समर्थन दिया और 1829 में कानून बना कर विधवाओं को जीवित जलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा न्यायालयों को यह आदेश दिया कि ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या का मुकदमा चलाया जाय और अपराधी को दण्ड दिया जाय। 1830 में इस कानून को बम्बई तथा मद्रास में भी लागू कर दिया गया सती प्रथा के विरोध में बना यह कानून अत्यंत सफल सिद्ध हुआ और बंगाल में इस कानून के बनने के पश्चात् सती प्रथा की घटनाओं में अत्यंत कमी आई।

महिलाओं से सम्बन्धित दूसरी कुप्रथा शिशु वध की थी जो महिला शिशुओं से सम्बन्धित थी। यह प्रथा बंगालियों तथा राजपूतों में अत्यंत प्रचलित थी। इस प्रथा के विरोध में भी सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ही विरोध का स्वर उठाया और 1870 में कानून बना कर इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु विज्ञान की प्रगति के साथ आज स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरान्त M.T.P. के रूप में अन्यत्र विकट रूप से हमारे सामने है।

स्त्रियों की दशा सुधारने में बाल विवाह निषेध तथा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन प्रारम्भ किया गया। इस ओर कलकत्ता के संस्कृत कालेज के आचार्य ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का कार्य सबसे अधिक उल्लेखनीय है। यद्यपि विद्यासागर के कार्यों का व्यापक विरोध हुआ और इसे अपने समय में व्यापक सफलता नहीं मिली किन्तु यह विधवाओं की स्थिति के विषय में न केवल महत्वपूर्ण कार्य था अपितु एक महत्वपूर्ण चिन्तन था उन्होंने वेदों के उदाहरण देकर प्रमाण प्रस्तुत किये कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। 1856 में अन्ततः हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध घोषित किये गये।

बम्बई के प्रोफेसर डी० के० कर्वे और मद्रास में वीरेश लिंगम पाण्डुल ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया वे विधवा पुनर्विवाह सघ के सचिव थे। 1899 में उन्होंने विधवा आश्रम स्थापित किया जिसमें विधवाओं को जीविकोपार्जन का साधन प्रदान किया जाता था। सुधारकों ने बाल विवाह का भी विरोध किया इसके फलस्वरूप 1872 में एक कानून नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था तथा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला बहुविवाह भी अवैध घोषित कर दिया गया किन्तु यह कानून बहुत प्रभावशाली नहीं हो सका। भारत सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण कदम 1930 में उठाया उस वर्ष हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से बसल विवाह निरोधक कानून पास हुआ जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें 18 वर्ष से कम लड़के तथा 14 वर्ष से कम लड़की का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया एक्ट के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के लिए सजा भी थी किन्तु इस कानून को पार कराने तथा सरकार द्वारा लागू कराने की सजगता के अलावा सुधारकों ने कोई अन्य कदम नहीं उठाया यही कारण है कि बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। 19वीं शताब्दी में एक गलत धारणा प्रचलित थी कि हिन्दू शास्त्रों में स्त्री शिक्षा की अनुमति जैसे ही सांस्कृतिक जागरण प्रारम्भ हुआ सुधारकों ने इस भ्रांति का जोरदार खंडन किया। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिये तात्कालिक प्रयास प्रारम्भ हो गये।

नारी शिक्षा :-

18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय समाज वस्तुतः सामंतवादी था जिसमें अनेक वर्ग और अनेक जातियां निवास करती थी। भारतीय शासकों ने शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली थी। विद्यालय मंदिर तथा मस्जिदों में चलाये जाते थे।

स्त्रिया कभी विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण करने नही जाती थी। राजा राम मोहन राय मे जब भारतीय जनमानस मे नवयुग के प्रकाश के स्रोत के रूप मे शिक्षा को प्रचारित किया तो उन्होने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया। जे ई डी. बेथुन ने भारतीय बालिकाओ के जिए 1849 मे एक विद्यालय स्थापित किया बेथुन के देहान्त के पश्चात लार्ड डलहौजी ने इसे अपने हाथ मे ले लिया और बेथुन महाविद्यालय स्त्रियो की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्रा मे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का योगदान भी सराहनीय रहा। ये बंगाल के कम से कम 35 विद्यालयो से सम्बद्ध थे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ज्योति बा फुले ने, फुले ये जानते थे कि पुरुष शिक्षा से महत्वपूर्ण है स्त्री शिक्षा इस क्षेत्र मे उनका साथ दिया उनकी पत्नि सावित्री बाई ने। 1 जनवरी 1848 को दोनो ने पुणे मे लडकियो का पहला स्कूल खोला जिसके प्रथम वर्ष मे मात्रा 6 लडकिया थी महाराष्ट्र मे ज्योति बा फुले के इस कार्य का धर्मगुरुओ द्वारा खुलकर विरोध किया गया। 15 मई 1848 को उन्होने हरिजन महिलाओं की शिक्षा के हरिजन बस्ती मे एक स्कूल खोला। इस काल मे शिक्षा ही प्रत्युत सम्पूर्ण शिक्षा को लेकर भारतीय समाज सुधारक न केवल चिन्तित थे अपितु आदोलित और इनके सतत् प्रयासो के परिणामस्वरूप 1854 मे वुड्स का घोषणापत्र आया जो भारतीय शिक्षा के विकास मे सरकार द्वारा किया गया पहला सगठित प्रयास था। इसके अनुसार तीनों प्रेसीडेन्सियो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास मे विश्वविद्यालयो की स्थापना कीगई प्रत्येक प्रान्त मे शिक्षा विभाग बनाये गये तथा प्रादमरी के बजाय माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार की इस नीति से काफी प्रभावित भी रही। 1882 मे आये हन्टर आयोग ने महिला शिक्षा के सदर्थ मे कहा जहा तक महिलाओ की शिक्षा का सबन्ध है हन्टर आयोग महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध के अभाव पर खेद प्रकट करता है।

1882 से 1902 के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ किन्तु प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण इसका विकास नहीं हो सका। इस काल में पिछड़े वर्गों के शिक्षा के साथ महिला शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई। द्वैत शासन के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा से अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाये गये जिसके अन्तर्गत लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा का आयोजन किया गया। 1922 से 1927 के काल में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तेज गति से हुआ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो 1921-22 में 1,55,017 थी 1926-27 में बढ़कर 1,84,829 तक पहुँच गयी। इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1921-22 में 61,09,752 से बढ़कर 1926-27 में 80,17,923 हो गयी। शिक्षा के इस विस्तार के होने के बाद भी महिला शिक्षा का विकास नहीं दिखाई पड़ा। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई जनगणना के अनुसार 5 गावों में 4 गावों में कोई स्कूल नहीं था। प्रति 1000 स्त्रियों में केवल 7 पढ़ना जानती थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तों में द्वैत शासन का अंत हो गया और सम्पूर्ण प्रान्तीय प्रशासन को एक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई। छात्रों की संख्या 10 वर्षों में अत्यधिक बढ़ गई। यह प्रसार जनता में समान रूप से जागृति के फैलने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा से हुई जिसने सम्पूर्ण समाज में बदलाव की प्रक्रिया को जन्म दिया। 1947 तक आते आते महिला शिक्षा के द्वार तो खुले किन्तु उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं किया गया। सामान्यतः लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की बुद्धि अधिक तेज होती है परन्तु शरीर में मस्तिष्क में मृदुता भी अधिक होती है यही कारण है कि गणित जैसे शुष्क और बुद्धि ग्राह्य विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएँ शरीर से प्रायः निस्तेज और निर्बल हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियाँ सम्भवतः गृहस्थी में दयनीय स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। सदा बीमार रहने से वे स्वयं तो दुखी रहती हैं कुटुम्ब भी सुखी नहीं रहता।

विद्या सुख के लिए होती है परन्तु यहा दुखदायी हो जाती है। दूध और घी अमृत है पर जितना पच सके अन्यथा विष भी बन सकता है। इसी तरह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा भी है। इसलिए उच्च शिक्षा देने और दिलाने के लिए माता पिता को लडकी की शरीर की स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिये साधारणत मैट्रिक सम्मेलन की प्रथमा अथवा महाविद्यालय की विद्या विनोदनीय की परीक्षा तो प्रत्येक लडकी के लिये एक तरह से जरूरी ही है। घर गृहस्थी चलाने योग्य इतना पर्याप्त अतएव सदगृहणी होकर ही स्त्रिया विदुषी बने ऐसी ही पढाई की आवश्यकता है। इस दृष्टि से आज की युनिवर्सिटियो की शिक्षा नारी जाति के निरर्थक ही नही अत्यंत हानिकारक भी है। स्त्री शिक्षा के प्रति समाज का यह दृष्टिकोण 1947 की स्थितियो को स्पष्ट करता है। ऐसा इसलिये भी था क्योकि सक्रमण काल मे आधुनिक शिक्षा तथा परम्परागत रहन सहन मे टकराव की स्थिति उत्पन हो चुकी थी। नवीन शिक्षा पद्धति ने

अध्याय : २

1947 का वर्ष भारतीयों के लिए लम्बे संघर्ष की समाप्ति का वर्ष था। 15 अगस्त 1947 का देश 200 वर्षों पुरानी अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ। सन् 1947 को हम विश्लेषण के आधार पर दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं।

पहला 15 अगस्त 1947 से पूर्व तथा दूसरा 15 अगस्त 1947 के पश्चात्। इन दोनों ही चरणों की अपनी विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक स्थितियाँ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करती रही हैं। इनमें महिलाएँ भी सम्मिलित हैं।

1921 की जनगणना के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का 80 प्रतिशत गावों में रहता था तथा शेष 20 प्रतिशत नगरों में। इस सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 47 प्रतिशत महिलाएँ थीं। भारत के गाँव आत्मनिर्भर कृषि प्रधान गाँव हैं। जहाँ स्त्री पुरुष दोनों कार्य करते हैं। भारतीय समाज में कार्यों का जातिगत वटवारा था। जिसमें पिछले दो दशकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है।

भारत का ग्रामीण समाज मूल रूप से अशिक्षित समाज था। इसलिए मध्यकालीन सामाजिक मूल्यों के प्रचलन से महिलाओं की सामाजिक सक्रियता को बहुसंख्यक समाज की स्वीकृति नहीं थी। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए गाँधी जी ने जब तीसरे चौथे दशक के प्रारम्भिक वर्षों में क्रमशः असहयोग और सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाये तो उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों से, समान रूप से विदेशी ब्रिटिश राज के कानूनों को मानने से इन्कार करने का आह्वान किया।¹ गाँधी जी ने इस बात को पहले ही समझ लिया था कि महिलाओं के सहयोग से ही निरक्षर किसान का घर स्वतंत्रता का गढ़ बन सकेगा। इसके लिए उन्होंने चरित्र के नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया।

1 चक्रवर्ती रेणु, भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका, पृष्ठ -1

स्त्री तथा उसके परिवारीजनो को भयमुक्त किया। सही कारण था कि भारत के इतिहास मे पहली बार महिलाये पुरुषो के कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतत्रता सग्राम के उतर आयी।¹ महिलाओ की सक्रिय सहभागिता को पुरुष समाज की आशिक स्वीकृति मिली। यह अनायास नही था इसके मूल मे 20वी शताब्दी का क्रातिकारी चितन था। यह ऐसा समय था जब सम्पूर्ण विश्व क्रातिकारी स्थितियो का सामना कर रहा था और महिलाओ की सामाजिक भागीदरी को स्वीकृति मिल रही थी। भारत मे यह सक्रियता परिस्थितिजन्य थी, क्योकि राष्ट्रीय आन्दोलन मे महिलाओ की सक्रिय भूमिका तथा राष्ट्रीय नेताओ के सहयोग के बाद भी मूल सामाजिक सरचना तथा जीवन दर्शन मे कोई ढाचागत परिवर्तन नही हुआ। महिलाओ को पुन परम्पराओ और मर्यादाओ मे सिमटकर जीने के उपदेश दिये जाने लगे।²

19वी शताब्दी के प्रारम्भिक सुधारक जब भारतीय सभ्रात वर्ग की स्वराज सबधी माग को बुलंद करने मे लगे थे, तब वे ही नारी शिक्षा के विस्तार और विधवा विवाह³ आदि महिलाओ से सम्बधित समाज सुधरो में भी अग्रणी थे। यही समय था जब विश्व स्तर पर, 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध और लगभग सम्पूर्ण 20वी सदी के काल मे सामाजिक चिंतन, मजदूर तथा महिला शोषण की प्रकृति के कारणों पर, उस ऐतिहासिक समय की सीमाओ के अन्दर कुछ प्रमुख चितको जैसे — मार्क्स, उंगेल्स, बेवेल, स्तालिन, लेनिन, माओ क्लारा, रोजा लीबनेख्त आदि द्वारा प्रकाश डाला जा रहा था।⁴ फलस्वरूप समाज के लिए चल रहे आन्दोलन मे सुधारवादियों, रूढिवादियों आदि के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखाए रही और वैचारिक सघर्ष जारी रहा। भारत की तत्कालीन परिस्थितियो में भारतीय समाज मे परोक्ष रूप से बडे परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनानी प्रारम्भ कर दी थी।

1वही

2 ईश्वर चन्द विद्यासागर के प्रयासों से 1866 में विधवा पुनर्विवाह कारण पास हुआ।

3 कुमुदनीपति, मार्क्सवादी एवं नारी,

4.

शिक्षा का विकास 1947 में नगरीय स्तर तक ही सीमित था तथा शिक्षा से सम्बन्धित रोजगार विशेषकर महिलाओं की स्थिति, जो शूद्रों से भी खराब थी। इसका कारण था क्योंकि महिलाओं का भी सामाजिक स्तरीकरण था।¹ प्रत्येक समुदाय की स्त्री अपने समाज में दूसरी श्रेणी की नागरिकता रखती थी।² लगभग सभी मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दया एवं करुणा की पात्र थी। जहाँ उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाओं दहेज, विधवा, सती, बाल-विवाह जैसी कुप्रथाओं की शिकार थी वही निम्न वर्गीय महिलाएँ पति की प्रताड़ना, शारीरिक श्रम तथा बलात्कार जैसी भयानक पाशाविकता का शिकार थी। जिसे सहन करना इन महिलाओं की नियति थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय समाज की मान्यताएँ पूर्णरूप से सामंतवादी थीं। सामंती व्यवस्था एक पिरामिड है जो ऊपर से नीचे की ओर फैलती है।³ यहाँ सारी मूल्य संहिता और व्यवस्था की बनावट यही है। सामंतवादी समाज में नारी मात्र सम्पत्ति है। तभी तो जर, जोरू और जमीन पुरुष समाज के झगड़े की जड़ है। क्योंकि मूलतः यह तीनों ही सम्पत्ति हैं। मूलतः इस समाज में स्त्री की न कोई जाति है, न नाम है और न इच्छा है। “ वह सिर्फ एक बेनाम, बेचेहरा और बेपहचान औरत है।”⁴ “ पुरुष नारी को उसी तरह सजाता, सुरक्षा देता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है, जैसे अपने हाथियों, घोड़ों और बैलों को सजाता, सँवारता और संरक्षण देता है।”⁵ इन सामंतवादी जज्जिरो में महिलाएँ विशेष रूप से जकड़ी रहीं क्योंकि यह एक वैचारिक नियंत्रण भी था जो युद्ध, धर्म तथा अतिपितृसत्तावाद के युग से उत्पन्न हुआ था। जिससे भय, आस्था और संरक्षण की मनोवृत्ति का विकास हुआ। इस अवस्था ने महिलाओं को पालतू बना दिया।⁶

1 डीकुले डी.एच. वुमन इन पॉलिटिकल थिंकींग पृष्ठ 52

2 बउमा सिमोन, द सेकेन्ड सेक्स के प्रभा सीतान द्वारा अनुक्ति पुस्तक के पृष्ठ -20 से

3 जैन अरविन्द, औरत होने की सजा, पृष्ठ 19 राजकमल प्रकाशन

4 16 अप्रैल 1988 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में इस्लाम ग्रहण करने तथा पाकिस्तान में 6 हफ्ते के पश्चात लिडा बर्क फेंक लिखती हैं पर्दा पुरुषों का अविष्कार है उनका भय हमारी जान का बोझ बन गया है।

5 जैन अरविन्द

6 सिंह 67 श्रीनाथ, आदर्शनारी, कल्याण नारी अंक 1947

महिलाओ ने पारिवारिक और सामाजिक दोनो ही स्तरों पर हो रहे महिला शोषण को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया।¹ राष्ट्रीय आन्दोलन में निभाई गई उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें हर प्रकार के शोषण और परतंत्रता के प्रति न केवल सचेत किया था बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों तथा अधिकारों के प्रति नई जागृति प्रदान की थी। बीसवीं शताब्दी में लैंगिक समानता के प्रति महिलाओं की जागरूकता को चिन्हित किया।² विश्वस्तर पर हो रही वैचारिक क्रान्ति का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था।, पडा भी, किन्तु स्वभावतः रूढ़िवादी और बन्द समाज होने के कारण स्थितियाँ 1947 तक यथावत बनीं रहीं।

1947 में मिली स्वतंत्रता देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बीते वर्षों में मिले आत्मविश्वास तथा नये नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ हमें एक नवीन राष्ट्र का निर्माण करना था। यह स्वतंत्रता हमने अनेक विसर्गतियों के साथ प्राप्त की थी। इस मुक्ति-सघर्ष के साथ हमने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर बहुत कुछ ग्रहण किया। हमने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को भी समझा तथा देश के भीतर चल रहे आन्तरिक आन्दोलनों का भी नेतृत्व किया। इन आन्दोलनों में से कई हमारी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। इनमें प्रमुख था दलित आन्दोलन और नारी आन्दोलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी यह प्रश्न यथावत बने रहे। सम्पूर्ण देश में महिलाओं और दलितों की स्थिति विचारणीय थी।

1 वीना मजुमदार, चेंजिंग टर्मस ऑफ पालिटिकल डिसकोर्स, इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, जुलाई 22 1995ए

2 वही

गॉंधी ने इस सामतवादी रूढिवादी लोगों के प्रति अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किये -

“ यदि मेरा जन्म नारी के रूप में हुआ होता तो मैं पुरुष के इस आडम्बर के विरुद्ध कि नारी का जन्म उसकी क्रीडा वस्तु बनने के लिए हुआ है, विद्रोह में उठ खड़ा होता।”¹

गॉंधी के इन वक्तव्यों ने, साथ ही महिलाओं के साहस ने एक शक्तिशाली आन्दोलन की आधारशिला रखी।

वस्तुतः यह ऐसा समय है जब हमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नये अर्थों से जोड़ना था। ऐसे समय में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भारत के इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ था।

परिवार -

परिवार जो किसी भी समाज की प्राथमिक इकाई है। सबसे अधिक पितृसत्तात्मक है।² पुरुष इस संस्था का मुखिया है। इसी के भीतर हम आने वाली पीढ़ियों को पितृसत्तात्मक मूल्य देने का कार्य करते हैं। परिवार के भीतर ही हम सबसे पहले ऊँच-नीच पदानुक्रम और लिंग आधारित भेदभाव का पता पढ़ते हैं। परिवार अपने आइने में न केवल समाजिक व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है और बच्चों को उसे मानने का पाठ पढ़ाता है बल्कि परिवार निरंतर इस व्यवस्था को गढ़ता और मजबूत करता है।”³

1 चक्रवर्ती रेणु की पुस्तक, भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका

2 मसीन कमला, पितृसत्ता क्या है? तथा दुर्मेन इन पॉलिटिकल थॉट पृष्ठ -10

3 लर्नर गर्डा, द क्रियेशन ऑफ़ पैट्रियार्की आक्सफोर्ड एण्ड न्यूयार्क

परिवार का व्यक्ति के विकास में सकारात्मक और नकारात्मक रहा कि वह जड़वत हो गया। इसका कारण था ¹ इन सयुक्त परिवारों पर मध्यकालीन तथा धार्मिक मान्यताओं की पकड़। भारत में प्रायः सयुक्त परिवार की ही प्रथा रही जिसमें परिवार के सगठन को बनाये रखने के लिए मध्यमवर्गीय महिलाओं को विशेषकर लम्बे समय तक अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है।

1947 तक भारत में सयुक्त परिवार ही थे। 1947 की सामाजिक स्थितियों को जानने के लिए कल्याण के कुछ लेखों के अंश

“ हमारे सयुक्त परिवारों की प्रथा ने लोकतन्त्र और धर्मतन्त्र प्रत्येक स्त्री के आजीवन भरण-पोषण का अनिवार्य भार उसके पिता-माता के वश पर रखता था और सभी पुरुषों को विवाह करने का आदेश होने के कारण प्रायः सभी अबलाओं को पुरुष के साथ विषम प्रतियोगिता में उतर कर धनोपार्जन के क्षेत्र में अपमान और अत्याचार नहीं सहन करना पड़ता था। सभी स्त्रियों को प्रथम यौवन से ही — जिस समय इन्द्रिया बहुत ही प्रबल होती हैं। कामोपभोग की सुविधा होने से प्रकट या अप्रकट रूप से वेश्या वृत्ति नहीं करनी पड़ती।” ²

“ यद्यपि कहने सुनने को अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गये, तथापि अंग्रेजियत से हमारा पिंड अभी नहीं छूटा और न शीघ्र छूटने की आशा है। सम्पादक महोदय क्षमा करना। हमारी धारणा तो यह है कि अंग्रेजियत के प्रभाव से तो आप भी नहीं बच सके। यदि ऐसा न होता, तो नारी अंक की योजना का कार्य आप क्यों करते? हमारी आर्य सस्कृति में तो नारी का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं माना गया है।”³

1 सयुक्त परिवार का अर्थ है कई पीढ़ियों तक एक साथ, एक परिवार के रूप में रहना।

2 चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद जी, आधुनिक नारी, कल्याण नारी विशेषांक पृष्ठ -144

3 मित्रा श्री चारुचन्द्र जी (एटर्नी एट ला), नारी . पश्चात्य समाज में और हिन्दू समाज में, कल्याण नारी अंक पृष्ठ 201 गीता प्रेस, गोरखपुर

उन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि 1947 तक भारतीय जनमानस अपने पौराणिक मापदण्डों से निकल कर नयी दिशा में कदम रखने को तैयार नहीं था। इराकें दो परिणाम हुए — पहला यह कि नारी उद्धार से सम्बन्धित अधिकांश प्रश्न सीमित रहे। दूसरी तरफ धर्म तथा समाज के भय ने सुधारकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह तत्कालीन मध्यमवर्गीय तथा उच्च वर्गीय महिलाओं की परिवारिक स्थिति की जो चेतना तथा विकास के साथ गहरे मथन की स्थिति के बीच फसा हुआ था।

दूसरी तरफ निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं की स्थिति भी विचारणीय थी। जहाँ मध्यमवर्गीय महिलाओं को समातवादी मूल्यों की जकड़न में मानसिक उत्पीड़ना तथा अनेक अन्य शोषणों जैसे — दहेज, सती, बाल-हत्या आदि के साथ जीना पड़ता था। वही निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक शोषण दोनों को ही देखा जा सकता है। परिवार के पोषण के लिए बाहर से कमा कर लाने तथा उसे भोजन के रूप में परिवार में सामने प्रस्तुत करने तक के अन्तराल में निम्न वर्गीय तथा मजदूर महिलाओं को अनेक पारिवारिक तथा सामाजिक त्रासिदियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए परिवार जहाँ व्यक्ति की सुरक्षा तथा व्यक्ति के विकास की गारन्टी समझे जाते हैं वही महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास ही नहीं अपितु मूलभूत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराने में नाकारा साबित रहे हैं।

परिक्कर कहते हैं कि भारत की सामाजिक संरचना दो मूलभूत तत्वों के पीछे घूमती रही है, यह है जाति तथा संयुक्त परिवार। धर्म को छोड़कर अन्य सबकुछ उन दो सस्थाओं से जुड़ा हुआ है।

परिवार, विवाह, महिलाओ की स्थिति शिक्षा, यह सभी तत्व उसी मूलभूत सरचना के अग है। इसीलिए विवाह महिलाओ की स्थिति तथा शिक्षा भारतीय समाज के सदर्म मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परिवार चूकि सभी क्रिया-कलापो का केन्द्र बिन्दु है, इसीलिए समस्त गतिविधिया यही से सचालित होती है।

भारतीय गँवो की जातिगत स्थितिया ही मध्यम वर्ग, निम्न मध्यमवर्ग तथा निम्न वर्ग का निर्धारण करती है। उ०प्र० भारतीय जाति व्यवस्था का गढ है। जहा से इस जटिल सस्कृति का फैलाव भारत के विभिन्न क्षेत्रो मे समय-समय पर होता रहा है।

विवाह :-

भारत मे हिन्दू मान्यताओ के अन्तर्गत विवाह जन्म जन्मान्तरो का बन्धन है। जिसे सहजता से तोडा नही जा सकता यह मूल रूप से हमारी मान्यता का अग है और यह मान्यता 1947 तक अपने मूलस्वरूप मे विद्यमान थी। पत्नी का समस्त चिन्तन श्रगार तथा जीवन पति के लिए ही था। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 ¹ के पूर्व हिन्दू विवाह की जो शर्ते थी वह 1947 की स्थितियो को स्पष्ट करती है। इन शर्तो मे-

- 1 दोनो पक्ष का हिन्दू होना आवश्यक था।²
- 2 विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह अमान्य थे।³
- 3 वर वधू को भिन्न गोत्र एव प्रवर का होना आवश्यक था किन्तु 1946 मे केन्द्रीय अधिनियम पारित करके यह उपबन्ध किया गया कि कोई विवाह इसीलिए अवैध नही होगा कि विवाह के पक्षकार समान गोत्र, प्रवर या वर्ण वाले है।⁴

1 1955 हिन्दू विवाह अधिनियम के पश्चात वैवाहिक सस्कार में अनेक अवैध विवाहों को वैध करके परिवर्तन किये गये।

2 हिन्दू विधि, पृष्ठ 25

3 वही

4 वही

4 हिन्दू पुरुष एक से अधिक स्त्रियो से विवाह कर सकता था, किन्तु स्त्री मात्र एक पति से विवाह कर सकती है।¹

5 विवाह के पक्षकारो को सपिण्ड सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्बन्धित न होना आवश्यक था। *

हिन्दू विवाह के लिए सामान्यत आयु का निर्धारण नहीं था।¹ पुरुषो का विवाह लगभग 25 वर्ष की अवस्था मे किये जाने के सकेत मिलते थे। जबकि कन्या का विवाह 8-12 वर्ष मे करना पुण्य कर्म करना माना जाता था। हिन्दू विवाह चूकि धार्मिक कृत था अत शारीरिक रूप से अक्षम पुरुष भी विवाह कर सकते थे, किन्तु आधुनिक युग मे ऐसे व्यक्तियो के साथ विवाह प्रभावहीन माना गया है।² मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के साथ भी विवाह होते थे। जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, किन्तु प्रिवी कौंसिल ने मत व्यक्त किया कि गभीर कोटि की मानसिक अक्षता होने पर विवाह अविधिमान्य होगा।³

इन सामाजिक मान्यताओ और स्थितियो के विपरीत समाज मे नारी को लेकर चल रहे चिन्तन ने भी इसी काल मे अपने लिये वैचारिक धरातल तलाशना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप भी आन्दोलनो को लेकर दो धाराए स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी।
1 परम्परागत सामती विचारधाराए 2 आधुनिक समाजवादी विचारधारा।

पहली विचारधारा देश की बहुसंख्यक जनता की विचारधारा थी जिसका नेतृत्व हमारे धार्मिक पुरोहित कर रहे थे तथा दूसरी विचारधारा का नेतृत्व सिर्फ शिक्षित (उनका प्रतिशत भी कम था) तथा नगरीय लोगो पर ही था। फलस्वरूप भारत मे स्वतंत्रता प्राप्ति तक बाल विवाह की प्रथा विद्यमान रही। बाल विवाह की परम्परा का परिवहन आज भी भारत की कई जातियो तथा क्षेत्रो मे देखने को मिलता है।⁴

1 बाल विवाह अधिनियम 1929 जो राय हरविलास शारदा बहादुर द्वारा सरकार के सम्मक्ष प्रस्तावित किया गया था, शारदा एक्ट कहलाता है।

2 जैन अरविन्द, औरत होने की सजा पृष्ठ 49 राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली तथा हिन्दू विधि पृष्ठ - 36

3 वही पृष्ठ 49

4 हिन्दू विधि तथा जैन अरविन्द के औरत होने की सजा पृष्ठ 49 तथा पृष्ठ 36

भारतीय जीवन दर्शन में विवाह चूँकि धार्मिक कृत्य है इसलिए वह नारी के विकास क्रम को पूर्ण रूप से बाधित कर देता है। अतः बाल विवाह नारी विकास को किसी तरह पनपने का अवसर नहीं देता। जहाँ तक पुरुषों का सम्बन्ध है विवाह उनके विकास में किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचाते। वस्तुतः विवाह कन्या के लिए भी बाधा स्वरूप नहीं होना चाहिए, किन्तु हमारी परम्परागत विचारधारा में कन्यादान की वस्तु है।¹ इसलिए वह पशु समान है। मेवात के लोक कवि सादल्ला कहते हैं—

बाबल तेरा देस में, एक बेटी एक बैल
हाथ पकड के दीना जामे, परदेसी के गैल। *

सादल्ला (मेवाती जनकवि)

“ हर साल अक्षय तृतीय यानि अखा तीज के मंगलकारी दिन हजारों अबोध और नाबालिग (दूध पीते समेत) बच्चों को विवाह के पवित्र बंधन में बँध दिया जाता है। ”
“बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 (111) में विवाह के लिए अन्य आवश्यक शर्तों में से एक यह भी है कि “ विवाह के समय दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन 18 साल से अधिक होनी चाहिए।”

विवाह मूल रूप से एक व्यक्तिगत प्रश्न है किन्तु मध्यकालीन मान्यताओं के अन्तर्गत यह एक धार्मिक प्रश्न है।² मध्यकालीन मान्यताओं में जकड़े पुरुषों का सामाजिक वैचारिक स्तर भी अच्छा नहीं कहा जा सकता।

1 बाशम ए, एल, अद्भुत भारत पृष्ठ

2 अहमद अकील, मुस्लिम विधि पृष्ठ 35 (निकाह)

3—वही पृष्ठ 38

भारत में यह मान्यता पुरुष के अहंकार और दम को इतना अधिक विकसित कर देती है कि वह तर्क पूर्ण वैचारिक प्रश्नों पर भी रूढ़िवादी धर्म का अनुयायी ही बना रहता है।

जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है यह बाधा विवाह जैसे प्रश्न पर स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। सामंती परिस्थितियों के अन्तर्गत महिलाओं को हजारों तरह के बन्धनों तथा अवरोधों में रखा गया और सहिताओं, विशेषकर मनु सहिता के धार्मिक समादेशों को उद्धृत करके पुरुषों के साथ उनकी असमानता का प्रचार किया गया एवं उसे वैध बनाया गया। लड़की को बचपन में पिता के अधीन युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना होता है। इस उक्ति की पुनरावृत्ति वास्तव में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति को ही प्रतिबिम्बित करती है। सामंतवाद महिलाओं को या तो देवी के रूप में। मानवीय मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन एक मानव के रूप में कहीं भी स्वीकृत नहीं है। मनु स्मृति जिसका चलन हमें आज तक हिन्दू विवाह व्यवस्था में देखने को मिलता है, जिसमें स्त्री सदा ही पिता, पति और पुत्र की आश्रिता मानी गयी हो — को हम कैसे किसी प्रगतिशील समाज के निर्माण से जोड़ सकते हैं? कुछ ऐसी ही स्थिति मुस्लिम समाज की भी है।

विवाह एक सस्था है। “ यह सस्था मानव सभ्यता का आधार है।” कुरान में लिखा है “ हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम (अधिकारी) बनाकर भेजा है।”

पैगम्बर ने कहा — “ पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, सम्पत्ति या उनके सौन्दर्य के लिए करते हैं, परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिए करना चाहिए।”

4 वही पृष्ठ 60

5 खालिद रशीद मुस्लिम विधि, पृष्ठ 54

मुस्लिम विधि में अवज्ञाकारिणी पत्नी के विरुद्ध पति को निम्न उपचार प्राप्त है 1 विवाह विच्छेद, 2 निर्वाह-वृत्ति देने से इन्कार, 3 दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए दीवानी वाद । १

ये तीनों ही अवस्थाये पुरुष समाज के हक में हैं, जहाँ तर्क करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। वस्तुतः मुस्लिम विवाह एक सविदा है किन्तु इसका सामाजिक पक्ष भी है। २

स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी कुछ अपवादों को छोड़कर विवाह एक धार्मिक संस्कार ही है। धर्म और रूढ़िवादिता से जुड़े संस्कारों को प्रगतिशील से जोड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य है।

एक निष्ठ विवाह किसी भी समाज के सभ्यता का सूचक है, किन्तु यह एक निष्ठता भारतीय ही नहीं लगभग सभी समाजों में सिर्फ महिलाओं के चारित्रिक उच्चता का बोधक है। इसलिए जो लोग विवाह संस्था को समय और काल से काटकर देखते हैं वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पौराणिक काल में महिलाओं को सम्मान हासिल था। इसको स्थापित करने के लिए उन्हें भारतीय दर्शन से शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति जैसे बिम्बों का सहारा लेना पड़ता है। यह विचार प्रक्रिया कुल मिलाकर महिलाओं के विकासक्रम को पीछे ढकेलने का कार्य करती है। यह एक प्रतिगामी चिन्तन है। जो 1947 से लेकर आज तक समान रूप से बना रहा है। अधिकतर लोग नारी के ऐतिहासिक विकास क्रम को जो सम्मानजनक नहीं दिखता, को नकारने का प्रयास करते हैं।

1. अब्दुल अहमद मुस्लिम विधि पृष्ठ- 85.

2. वही पृष्ठ- 60

दहेज —

भारतीय समाज की वेदकालीन संरचना के काल से ही दहेज को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कन्या के पिता को उपहार देना चाहिए।¹ राजा जनक ने अपनी प्रिय पुत्री सीता के विवाहोत्सव पर प्रभूत कन्या धन दिया था।² तत्कालीन समाज में दहेज का क्या दार्शनिक आधार था यह एक विशद विवेचना का विषय है, किन्तु कालान्तर में यह प्रथा समाज के लिए अभिषाप बन गयी। स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार वर पक्ष की आवश्यकता बन गया। भारतीय समाज में इस कुरीति ने अपनी जड़े स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक बहुत सुदृढ़ता से जमा ली हैं। आकड़े बताते हैं कि दहेज के कारण मरने वाली नववधुओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।³ भारतीय समाज की यह प्रथा भारतीय समाज के आन्तरिक विरोधाभासों को परिभाषित करती है। जहाँ विवाह एक धार्मिक कृत्य था वही दहेज विरोध के अनेक रूप प्रस्तुत करता है। विवाह दो आत्माओं के मिलन, जन्म — जन्मान्तर की बात करता है। वही नववधुओं का उत्पीड़न, स्त्रियों की त्रासद स्थितियों शास्त्रों में की गयी महिलाओं के महिमा मण्डन की पोल खोलता है। पुत्री के पिता के रूप में पुरुष यह त्रासदी सहकर भी इसे बनाये रखने में अपना सक्रिय सहयोग देता रहा है।⁴ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस समाज में हमने शोषण तथा उत्पीड़न की व्यवस्थाएँ गढ़ी हैं।⁵ हमारे परिवार क्रूरता और दासता के पुराने नियमों से जकड़े हुए हैं।

सामंती समाज की जकड़न ने स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को स्वतंत्र मानवीय सम्बन्धों के रूप में न तो गढ़ने की कोशिश की और न ही उन्हें सहज रूप से विकसित ही होने दिया। परिणाम स्वरूप नारी को उसकी मूलभूत नैसर्गिक आवश्यकताओं के लिए, जिससे वो सृष्टि के सृजन में सहायक बन सके की कीमत दहेज के रूप में देनी पड़ती है।

1 ऋग्वेद वेद

2 रामायण

3 **पुनिस रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि, पिछले 5 वर्षों में दहेज हत्याओं में 67 की वृद्धि हुई है।** **अब नारी की**

4 निराला, सूर्यकान्त त्रिपाठी, सरोज स्मृति 'राम विराग' पृष्ठ 89 देखें निराला ने समस्त रूढ़िवादी नियमों को तोड़कर अकेले तर्क के बल पर समस्त कार्य करने का निश्चय लिया।

5 मसीन कमला, पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ —

हम अपनी परम्पराओ, मर्यादाओ, नारी की यौन शुचिता, आदर्शों का जो जाल बुनते रहे है दहेज उन सभी तथाकथित मानदण्डों की सामाजिक हैसियत का निर्धारक है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सबसे घृणित रूप है।

लडकी के जन्म से ही उसके चारों ओर आदर्शों का जाल बुन दिया जाता है, वह आदर्श — विवाह, सुखी दाम्पत्य और महान — वात्सल्य की दुनिया में इस कदर खो जाती है कि उन्हें अपने अस्तित्व सामाजिक उत्तरदायित्वों तक का ज्ञान नहीं रहता। दहेज जो मूलरूप से पिता की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा है, का विषय भी अजनबी लोगों के स्वाभिमान का प्रश्न बन जाता है। इस विषय पर कन्या की असहमति परिवार के लिए कलक साबित होती है।

वर्ष 1947 में दहेज से सम्बन्धित नववधुओं के मृत्यु के आकड़े स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते, किन्तु विभिन्न अन्य कारणों से महिलाओं की मृत्यु के आकड़े आसानी से देखे जा सकते हैं इसमें आत्महत्या तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध है। दहेज चूँकि आर्थिक सकट के रूप में भारतीय समाज में जाना जाने लगा इसलिए इसे पुत्री के जन्म से जोड़कर देखा जाने लगा। इसने नारी के उत्पीड़न में एक नये अध्याय की शुरुआत की। यह उत्पीड़न था बालिका शिशु की हत्या। यह कुरीति दहेज की देन थी और आज भी है। यह प्रथा कथित रूप से बगाल तथा राजपुताने में प्रचलित थी किन्तु इसका शिकार लगभग सम्पूर्ण भारत था। सपीहन सिद्धान्त की परिकल्पना वाले इस देश में जहाँ अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड को एक रूप में स्वीकार किया गया था वहाँ एक बालिका से उसके जीने के अधिकार भी छीन लिये जाते थे। यह प्रथा इतनी सहज और स्वाभाविक थी कि इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में सम्पन्न किया जाता था। आज भी यह प्रथा अपने बदले हुए स्वरूप में भ्रूण हत्या के रूप में विद्यमान है।

1947 से लेकर आज तक के मध्य बालिका जन्म को लेकर वैचारिक परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि तब बालिका शिशु हत्या में माँ का सहयोग न के बराबर था किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में यह भ्रूण हत्या माता पिता के सम्मिलित प्रयासों से की जाती है। साधारणतया हमारी महिलाएँ आर्थिक रूप से परतत्र हैं सामाजिक उत्पादन में उनका सरोकार अधिकांश मामलों में टूटा हुआ है। इसीलिए घरों के अन्दर गृहदासी का जीवन व्यतीत करना उनकी नियति बन गयी है। दहेज के नाम पर होने वाली मौते इसका उदाहरण हैं।

विधवाएँ —

भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति भी समाज के पितृराज्यात्मक स्वरूप के ऐतिहासिक जटिल तथा असंगत स्वरूप को प्रकट करती है। पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्री जीवन अनेक धार्मिक तथा सामाजिक प्रतिबन्धों के साथ नये सिरे से प्रारम्भ होता था। यह शिशु हत्या, बाल विवाह और दहेज के पश्चात् स्त्री के जीवन कृम की विकास प्रक्रिया थी। भारतीय हिन्दू समाज विधवाओं को जीवन की आवश्यक शर्तों से भी वंचित रखता था। विधवाओं की स्थिति के 1947 सम्बन्ध में एक विधवा द्वारा लिखे लेख का अंश

“ आज की विधवा की क्या दशा है — जरा सोचिए । बारह चौदह वर्ष की सुकुमार अवस्था, जिसे ब्याह क्या वस्तु है — इसका भी पता नहीं जो खेल कूद में रहने योग्य है। सास —ससुर से जहाँ प्यार मिलना चाहिए वहाँ वह दुत्कारी जाती हैं पिशाचनी है, आते ही हमारे बच्चे को खा गयी, रोंड कुभागिनी है। ”¹

1 कल्याण नारी अक, दुःखमय विधवा जीवन ले. एक बहन पृष्ठ 216

“ हिलना-मिलना, हँसी – खुशी, त्यौहार- पर्व, विवाह-शादी सभी से बहिष्कार तथा बात – बात में कडाई। किसी मंगल कार्य में परछाई भी न पड़े। सामने दीख गयी तो ससुर – देवर ही नहीं पिता और भाई का भी शुभ यात्रा मुहुर्त बिगड़ गया। साधवा के सामने आ गयी तो मानो उसका सोहाग ही लूट रही है। ”¹ “ इस प्रकार स्नेह शून्य मानवता रहित दारुण दुर्व्यवहार के साथ ही नीच वृत्ति के दुराचारी पुरुषों की कामदृष्टि का शिकार भी उसको होना पड़ता है। ”²

हिन्दू विधवा के प्रतिबन्धों में –

श्रगार, धार्मिक कृत्य, सामान्य सामाजिक अवसरों पर उपस्थिति – आदि शामिल थे। वैधव्य को गॉंधी जैसे विचारक ने भी “ हिन्दू धर्म का आभूषण माना है। ” गॉंधी जैसे विचारक की वैधव्य के प्रति यह दृष्टि उनके उन रूढियादी विचारों तथा संस्कारों को प्रकट करती है जो भारतीय साहित्य तथा दर्शन में भरे पड़े हैं। जबकि वैधव्य की भयावहता यह थी कि बंगाल से आयी विधवाओं से वृन्दावन के मंदिर भरे पड़े थे और आज भी है।

सफेद वस्त्र, सिर मुड़ाये, हाथ में एक कटोरा लिए – अच्छे और सम्राट घरों की स्त्रियाँ भी वृन्दावन के आश्रमों में अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थीं। इनमें कुछ घरों से निकाली तथा अधिकांश वे थीं जो समाज में तिरस्कृत होने के भय से स्वतः इन आश्रमों को चुनती थीं। इसमें सबसे अधिक शोचनीय दशा युवा विधवाओं की थी जो दोहरे सामाजिक मानदण्डों का शिकार होती थीं ।

1 वही

2 वही

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह कानून पास हो गया था किन्तु इसे सामाजिक मान्यता न के बराबर मिली थी। बंगाल महाराष्ट्र आदि जगहों पर विधवाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। एक तरफ जहाँ पुरुषों को कई विवाह करने की सामाजिक छूट थी वहीं स्त्री के लिए वैधव्य को स्वीकार करना उसकी नियति थी। सदियों से परिवार के नाम पर, सम्बन्धों की मधुरता के नाम पर, प्रेम व करुणा के नाम हमेशा महिलाओं से बलिदान मागा गया है और इस बहाने उसे दोगले दर्जे का नागरिक बनाकर पहलकदमी से वंचित रखा गया। यह महिला की गुलाम स्थिति का सूचक है जो भारतीय समाज में साहित्य तथा धार्मिक नियंत्रण द्वारा विद्यमान था। विधवाओं के चरित्र को मानस में बहुत अधिक महिमा मण्डित किया गया जिसने भारतीय समाज के सभी वर्गों पर अपना प्रभाव बनाया।

स्त्री की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सीमाएँ जो बचपन से निर्धारित थी, उसे तोड़ सकने की क्षमता स्त्री ने स्वतंत्रता प्राप्ति तक हासिल नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि इस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता स्त्री के पास नहीं थी बल्कि पितृसत्तात्मक समाज ने उसके ऊपर परिस्थितियों का ऐसा बोझ डाल दिया था जिससे लड़ पाना केवल उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं था। यह एक सामाजिक प्रश्न था जिससे सामूहिक प्रयासों से ही निपटा जा सकता था। वास्तव में इतिहास के किसी विशेष समय में विशेष भौतिक परिस्थिति उपस्थित हमारे आत्मगत प्रयास की सीमा निर्धारित करती हैं नारी के पैदा होते ही उसके पालन पोषण में परिवार व समाज भेदभाव बरतने लगता है। उसके जीवन को पितृसत्तात्मक मूल्यों के अनुरूप गढ़ने लगता है उसका विवाहित जीवन परिवार में पितृसत्ता के विरुद्ध क्षण क्षण संघर्ष में बदल जाता है।

स्त्री की सामाजिक भूमिका ओर उसकी एक स्त्री के रूप में स्वाभाविक भूमिका जीवन पर्यन्त टकराती रहती है। इसलिए मार्क्स नारी मुक्ति को आर्थिक आजादी से जोड़कर देखता है। मार्क्स की अवधारणा के अनुसार — औरत का सामाजिक व्यवहार, उसकी मानसिक अवस्थायें उसके सस्कार, जीवन का हर प्रत्यक्ष — अप्रत्यक्ष आयाम इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष अवधि में उसके आर्थिक सम्बन्ध किस प्रकार के हैं। यही प्रमुख रूप से उस अवधि के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का निर्धारण करता है जो स्त्री के जीवन को प्रभावित करती हैं मानव विकास में आर्थिक अवस्था एक आधारभूत तत्व है जो व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है किन्तु इसके साथ ही नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करने की जरूरत है।

रोजगार —

आज हम एक सक्राति काल से गुजर रहे हैं। जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई प्रकार के द्रुतगामी परिवर्तन हो रहे हैं। एक हमाने में विशेषरूप से गावों में भारतीय नारी के लिए कहा जाता था कि “ समय उसका अपना है ओर इतिहास उसकी अपनी लय के अनुसार ही चलता है। बीसवीं सदी की घड़ियों के साथ उसके समय और इतिहास का कोई मेल नहीं है।” यह बात पिछले कई सालों तक सही हो सकती थी लेकिन आज अधिकांश स्त्रियों के लिए यहाँ तक कि गावों की स्त्रियों के लिए भी लागू नहीं होती।

आधुनिक परिवार की अन्यान्यक्रिया के सही मूल्यांकन में एक और महत्वपूर्ण घटक घर के बाहर रोजगार में लगा हुआ स्त्रियों का प्रतिशत है। औद्योगिक व्यवस्था के विकसित होने के पहले स्त्रियाँ घर के भीतर की नौकरिया करती थी, जैसे — खाना बनाना, नौकरानी के रूप में घर का अन्य कार्य, कृषि मजदूरी तथा अध्यापन कार्य। जब उन्होंने आरम्भ में उद्योग में प्रवेश किया तो उनके कार्य घर में सीखे हुए कामों से मिलते जुलते थे।

प्रथम विश्व युद्ध के समय थोड़े समय के लिए, स्त्रियों के लिए रोजगारी के बहुत से क्षेत्र खुल गये और दूसरा विश्व युद्ध आने पर सभी स्तरों पर उनके लिए अभूतपूर्व अवसर थे। वे मोटर-कारों चलाने लगी तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पहुँच गयी। जहाँ सैनिक कर्मचारी घर लौटे तो बहुत सी स्त्रियों ने नौकरी छोड़ दी फिर भी 1940 की तुलना में सेवारत स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक रही। इन परिस्थितियों से स्त्रियों की घर के अन्दर भूमिका में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। स्त्रियों की इस बदलती हुई पद स्थिति से पारस्परिक सम्बन्धों का पूरा प्रतिमान ही बदल गया।

भारत के भीतर इन बदलती परिस्थितियों का प्रभाव बहुत जटिल ढंग से हुआ। भारत में विकास की कई सतहें थी विशेषकर हिन्दी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ।

1 डा दास परिमल , 11 अगस्त मंगलवार सन 1959 'भारत', पेज 8

2 ब्राउन शैक्षिक सामाजिक विज्ञान, पेज 254

अध्याय : 3

किसी भी नवस्वतंत्र राष्ट्र के लिए जो उपनिवेशवाद के शिकजे का लम्बे समय तक शिकार रहा हो को इन स्थितियों को लाने में समय लगता है। यह विडम्बना है कि बेहतर स्थितियों तक के अन्तराल में सबसे कठिन समय समानता के स्तर पर महिलाओं का समाज में संघर्ष होता है।¹ रूढ़िवादी दक्षिणपथी मानसिकता महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

यह सही है कि राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व साझेदारी रही है, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह साझेदारी पुरुषों के अभूतपूर्व सहयोग एवं परिस्थितियों से उत्पन्न वैचारिक क्रान्ति का परिणाम थी। यह महिलाओं की समृद्ध सामाजिक स्थिति का सूचक नहीं था क्योंकि देश की स्वतंत्रता के पश्चात् दगो की शिकार सबसे अधिक महिलाये हुईं।² आधुनिक दार्शनिकों के व्यक्ति प्रधान चिंतन ने मध्यकालीन समूह प्रधान चिंतन की नींव हिला दी। समूह के बन्धनों से मुक्ति ने जहाँ कई स्तरों पर हानि पहुँचाई वही व्यक्ति के घुटते चिंतन और प्रतिभा को अवसर दिये। इन अवसरों ने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभायी है।

1947 से 1957 तक के मध्य भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 1948 में प्रकाशित कल्याण का नारी अंक महिलाओं के प्रति समाज में पनप रही नयी विचार-धारा तथा सती-सावित्री की नारी भूमिका का मिला जुला उपदेश प्रस्तुत करता है एक लेख में स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतंत्र न रहने के लिए कहा गया है, वह इस दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संघटन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सजग पहरेदार की आवश्यकता है।³

1 ईरान अफगानिस्तान तथा फिलिस्तीन में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

2 सरदारनी जीवन कौर (जो सीमान्त गाँधी के सेक्रेटरी गणेशा सिंह पख्तून) के संस्मरण से।

3 कल्याण नारी अंक , ' भारतीय नारी का स्वरूप और दायित्व " पृष्ठ 72 गीता प्रेस 1948 ।

नारी के इस सरक्षणात्मक विकास ने ही उसे समाज में कमजोर, अबला और असहाय बना दिया है। इस विचारधारा की झलक हमें हिन्दी साहित्य में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।¹ वस्तुतः यह एक सक्रमण काल था। देश के राष्ट्रीय नेता देश के समग्र विकास के लिए ईमानदारी से विचार कर रहे थे। गॉंधी ने स्त्री शिक्षा तथा समाज में उसकी भागीदारी को सिद्ध कर दिया था। असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा 1942 के महत्वपूर्ण आन्दोलनों के माध्यम से हमने पढी —लिखी विचारशील महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर ली थी। जिसने महिला प्रश्नों की सार्थकता को पूरे देश के समक्ष रखा। सरोजनी नायडू ने 1940 में ही महिला छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा — “नाजवान छात्रों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा बनी।”²

सरोजनी नायडू ने अपने व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण और राजनीतिक आन्दोलन को व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन बनाये जाने के तरीके के अनुभव से जन्मे विवेक के साथ छात्रों को सम्बोधित किया “हमारा सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा है जिससे हम अपनी बहनों को पवित्रता का मूर्तिमान रूप समझते हैं। पर जब किसी लड़की की पवित्रता पर धब्बा लगता है तो हमें कदापि यह नहीं लगता कि इन महिलाओं तथा हमारे घर की महिलाओं में कोई अन्तर नहीं है। जब तक महिलाओं की पवित्रता पर धब्बा लगता रहेगा, जब तक पुरुष की कामुकता स्त्री को निगलती रहेगी, जब तक तीव्र कामुकता सैकड़ों निराश्रित महिलाओं को अपनी जकड़ में रखने की ताकत रखेगी। तब तक किसी महिला का सम्मान सुरक्षित नहीं।³ 1940 में दिया गया सरोजनी नायडू का यह भाषण भारत में भारत की महिलाओं के लिए आशा की किरण थी।

1 प्रसाद जय शकर, कामायनी, 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो'

2 भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका पृष्ठ — 8 चक्रवर्ती रेणू पीपुल्य पब्लिशिंग हाउस ।

3 चक्रवर्ती रेणू, भारतीय महिला आन्दोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका।

महिलाये एव साम्प्रदायिक दगे (1947 - 1948) -

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ही किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के शर्त है। हथियार बन्द लडाईयो का सबसे अधिक नुकसान महिलाओ को भुगतना पडता है। स्वतत्रता प्राप्ति से ठीक पूर्व हुए विभाजन ने उपरोक्त दोनो ही स्थितियो का मिला जुला ओर धृणित रूप प्रस्तुत किया । शरणार्थी बनी जनता का सीमाओ के आर - पार आवागमन ओर प्रवास सत्ता हस्तातरण से पूर्व ही न केवल शुरू हो गया था, बहुत कुछ हो भी चुका था। कुछ भयकर लूटपाट, मार काट और कत्लेआम से लोगो का अपने घरों मे रहना सम्भव ही नही रह गया था।

मानव -मानव के बीच आपसी सवेदना ओर सद्भाव का गला घोटने वाली इरा दुर्घटना ने सम्पूर्ण मानवता पर चोट की थी। परन्तु आधी मानवता स्त्री जाति पर यह चोट अधिक गहरी थी। " जैसा कि हर युद्ध दगे, दुर्घटना के समय प्राय होता है , उस विभाजन के समय भी स्त्रियो की जान पर बन आयी। उन्होने अपने पति, पुत्र, प्रियजन, सम्बन्धी , सरक्षक ओर घर बार तो खोये ही, ओर भी बहुत कुछ खोया। " ² इन महिलाओ की सहायता करने के लिए जो स्वतत्रता सग्राम सेनानी महिलाये आयी उनमे प्रमुख थी - अमुतरल्लाम, डा० सुशीला नेयर, खुर्शीद बेन, सुचेता कृपलानी, सहोदरा राय, इदिरा गॉधी आदि। ³ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यो हुआ कि इन महिलाओ को पुरुष बर्बरता का शिकार होना पडा ? विभाजन की त्रासदी को पुरुषो ने भी सहा, किन्तु महिलाओ के लिए ऐसी स्थितिया अस्मिता, सरक्षण और

1 क्लोरा आशारानी , महिलायें व स्वराज, सूचना प्रसारण मंत्रालय पृष्ठ 464 ।

2 वही

3 वही

विवशता से क्यूं जुड़ जाती है? विभाजन से सम्बन्धित साहित्यो को पढने के पश्चात यह आभास होता है कि दगो के ताडव मे मनुष्य (नर) की पाशविक प्रवृत्तियोँ अपने समस्त विकारो के साथ खुलकर अपना खेल खेलती है।¹ ऐसी स्थितियो मे महिलाओ के समक्ष अनादि काल से एक ही प्रश्न बना है अस्मिता का और सामान्यत स्त्रिया इसके साथ समझौता नही करना चाहती। आशा रानी ब्होरा अपनी पुस्तक महिलाए एव स्वराज' मे लिखती है, " अपने इस जीवन धन, लाज ओर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कई जगहो पर सैकडो स्त्रियो ने कुओ और नदियो मे छलागे लगाकर व्यक्तिगत और सामूहिक आत्महत्याये की। जहों ऐसा ही हो सका, समय पर खाने के लिए जहर भी नही मिल सका, वहों विवश हो उन्हे हमलावरो के आगे आत्मसमर्पण कर देना पडा। इस प्रकार हजारो युवतियोँ अपहृत करके ले जायी गयी।"² सरदारनी जीवन कौर के बयान अनुसार कुछ सीमा पार क्षेत्रो मे ले जाकर बेच दी गयी। कइयो ने मौका पाकर आत्महत्या कर ली। कुछ घरो मे बिठा दी गयी। शेष मे से जिन्हे बचाया नही जा सका, मी-मारी फिरी या कोठो पर बिठा दी गयी।³ क्या इतिहास मे महिलाओ के साथ बर्बरता की यह पहली दुघर्टना थी। शायद नही।

ऐसी दुर्घटनाये महिलाओ को हर देश, हर काल, हर परिवेश मे युद्धो तथा सम्प्रदायिक सघर्षो के समय उठानी पडी है। तो क्या हम ये समझे की पुरुष की पाशविक प्रवृत्ति का अन्त कभी नही। होता पहले बगाल मे दगो की आग भडकी थी। उसे बुझाने के लिए जब गोंधी जी ने नोआखाली यात्रा की तो उन्होने वहों दगो से उत्पन्न स्थिति मे महिलाओ को देखा तो राहत कार्य के लिए आहवान किया। गोंधी ने कहा " ऐसी स्थिति मे मुझे राजस्थान की राजपूत स्त्रियो का जौहर याद आता है।"

¹ देखें : लेख 'बलात्कार : पीडा ही हार' क्षरिन्द अेन नौषो दुनिघा २७ मार्च से २ अप्रैल, १९८८

² ब्होरा आशारानी, महिलाए एव स्वराज, सूचना प्रसारण मंत्रालय पृष्ठ 464

³ वही

⁴ विभाजन से सम्बन्धित साहित्य।

विभाजन का क्रोध जो दगो के रूप में परिलक्षित हुआ उसका कारण स्त्रियाँ तो नहीं थी फिर इस त्रासदी की शिकार सबसे अधिक महिलाएँ ही क्यों हुईं? यह ठीक है कि इन परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के अभाव में जौहर जैसा ही निर्णय लेना चाहिए किन्तु क्या हमें अपनी मानव सभ्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? क्या हमने स्त्री की यौनिकता के साथ शर्मिन्दगी और बेइज्जती को बहुत बड़ा मायाजाल नहीं तैयार किया है?

अगर ऐसा न होता तो इन स्थितियों की शिकार महिलाओं की पुनर्स्थापना बहुत दुष्कर कार्य न होता। जो समाज महिलाओं के लिए ऐसी स्थितियों पैदा करता है, वही अपने रूढ़िवादी सकीर्ण दृष्टिकोण से अपने कृत्य के लिए उन्हें ही दोषी ठहरा, उनके लिए वापस घरों के दरवाजे बन्द कीने लगता है।¹ यह स्थिति उन बहुसंख्यक महिलाओं की होती है (और हुई) जो धर्म, समाज और परिवार के बन्धनों में अपने को गुंथी रखती है, किन्तु ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को बचाने उन्हें साहस पूर्वक उचित स्थान पर पहुँचाने और सुरक्षा देने का कार्य भी कुछ महिलाओं ने ही किया। ये वो महिलाएँ थी जिन्होंने महिलाओं समेत सम्पूर्ण समाज को वास्तविक स्थितियों से परिचित कराया। समान मानवीय अधिकारों के लिए सविधान निर्माताओं को प्रेरित कर सहयोग दिया।

भारत का सविधान — 1947—50

कैबिनेट —योजना के अनुसार नवम्बर 1946 में एक सविधान सभा का गठन किया गया।²

1 बहोरा आशारानी, स्वराज और महिलार्यें, सूचना प्रसारण मंत्रालय पृष्ठ 465

2 पाण्डेय जयनारायण, भारत का सविधान, सेन्ट्रल ला एजेन्सी पृष्ठ 37

कुल 296 सदस्यो मे से 211 सदस्य कांग्रेस से चुने गये और 73 मुस्लिम लीग तथा शेष स्थान खाली रहे। सविधान बनाने के लिए जब पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई तो उसके सामने अनेक चुनौतियों थी। एक ओर मुस्लिम लीग का असहयोग तथा दूसरी ओर कैबिनेट —मिशन की सीमाये। 3 जून 1947 को देश विभाजन का निर्णय हो गया। अगस्त 1947 मे स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही सभी परिसीमाये समाप्त हो गयी। इसके साथ ही सविधान — सभा एक सम्प्रभु निकाय बन गयी।¹

अनेक चुनौतियो से विचलित हुए बिना सविधान निर्माता साहस के साथ कार्य करते रहे। 2 वर्ष 11 महीने के अथक प्रयास और निरन्तर परिश्रम के पश्चात 26 नवम्बर 1949 तक सविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। सविधान के कुछ उपबन्ध तो उसी दिन अर्थात् 26 नवम्बर 1949 को प्रवृत्त हो गये और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए। जिसे सविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है।²

भारत का सविधान और महिलाये :-

भारतीय सविधान अपनी प्रस्तावना मे कहता है—

“ हम भारत के लोग, भारत को सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को — सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सबमे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए दृढ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा मे आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद्द्वारा इस सविधान को अगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।”³

1 वही पृष्ठ - 37

2 वही पृष्ठ - 37

3 पाण्डेय जयनारायण, भारत का सविधान, पृष्ठ 37, सेन्ट्रल ला एजेन्सी

इस प्रकार भारत के सविधान ने प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अनुच्छेद - 14 के अन्तर्गत समानता का, अनुच्छेद - 15, धर्म, मूलवश, जाति लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है।¹ अनुच्छेद - 21 स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ जीने का अवसर देता है।² भारतीय सविधान में मिली समानता के बाद भी भारत में महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय थी। भारतीय समाज में व्याप्त महिलाओं से सम्बन्धित अनेक कुश्रितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 15(3) के अन्तर्गत स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध किये गये।³ अनुच्छेद 15(3), 15(1)

15(2) दिये गये सामान्य नियम का अपवाद है।⁴ यह अनुच्छेद उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद (15) की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से नहीं रोकेंगी। स्त्रियों और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।⁵

भारत का सविधान कहता है कि " स्त्रियों और बालकों की विशेष प्रकृति के कारण उसे संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। इसी कारण उनके लिए राज्य को विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित है। किन्तु इस संवैधानिक सहानुभूति के पीछे छिपा दर्शन एक विचारणीय प्रश्न है।

स्त्रियों के प्रति इस वैधानिक सहानुभूति के आधार के विषय में अमेरिकन न्यायालय ने मूलर बनाम आरेगन के मामले में कहा कि " अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उसके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुखद स्थिति में कर देते हैं। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है। जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।"⁶

1 वही

2 वही

3 वही

4 वही

5 वही

6 मूलर बनाम आरेगन, 12 ला एड 55।

अमेरिकन न्यायालय का यह निर्णय स्त्रियों के प्रति सवैधानिक सहानुभूति की व्यवस्था तो गढ़ता है किन्तु अपरोक्ष रूप से वह समस्त मध्यकालीन मानसिकता को पुष्ट और सुनिश्चित करता है। जनहित में महिलाओं के सरक्षण का अर्थ है उसे अनेक सामाजिक प्रतिबन्धों से जकड़ना साथ ही उसके व्यक्तिगत विकास को बाधित करना।

वस्तुतः समस्त समाजों का विकास इस बात का प्रमाण है कि परिवार के उपर के राजनीतिक सगठनों में स्त्री को वचित रखा गया है। इसके पीछे छिपे दर्शन का मूल था उसकी स्त्रीजन्यता। इसीलिए महिलाओं से सम्बन्धित आज तक के न्यायालयों के निर्णय मूलतः स्त्री सरक्षण का ही उपबन्ध करते हैं स्त्री विकास का नहीं।

अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत स्त्रियों को विशेष प्रसूति प्रदान किया जा सकता है।¹ राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण सस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा ऐसी सस्थाओं में उनके लिए स्थान (सुरक्षित) आरक्षित कर सकता है।² अनुच्छेद 15 (3) स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए केवल विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।³ प्रत्येक बात में पुरुषों के समान सुविधा देने का उपबन्ध नहीं करता। देखिये — सी वी मुथम्मा बनाम भारत सघ⁴ के मामले में न्यायालय का निर्णय। न्यायालय का निर्णय था कि यदि पेशे और परिस्थितियों समान हों तो व्यवहारतः उनमें महिलाओं को कार्य करने से रोका जा सकता है।

1 पाण्डेय जयनाराण, भारत का सविधान, पृष्ठ — 38 सेन्ट्रल ला ऐजेन्सी।

2 वही पृष्ठ-38

3 वही पृष्ठ-38

4 एआई आर 1947 सु को 1868। पिटिशनर को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड -1 के पद पर इस आधार पर प्रोन्नति नहीं दी गयी थी क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी। न्यायालय ने इसे असवैधानिक घोषित किया। विवाहित होने के कारण प्रोन्नति न देना अशोक कालीन कौटिल्य के अर्थशास्त्रा की महिलाओं के प्रति नीति की याद दिलाता है।

भारतीय सविधान ने निष्पक्षता के साथ किसी भी प्रकार के विभेद से अपने को बचाये रखा किन्तु आर्टिकल -26 के अनुसार धर्मगत कानूनों को मान्यता दे विरोधाभासों को जन्म दिया है।¹ अनुच्छेद 15, जहाँ धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है वही धर्मगत कानूनों ने उन सभी व्यवस्थाओं को यथावत बनाये रखा। विशेषकर महिलाओं के विषय में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें समाज के जिस नये स्वरूप को गठना था उनको इन कानूनों के कारण गठना मुश्किल हो गया। मिताक्षरा² तथा दायभाग³ पर आधारित हिन्दू विधि अपने मूल स्वरूप में आज भी वही है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व थी। यह सर्वविदित है कि समस्त धार्मिक, नृजातीय, सांस्कृतिक और रूढ़िवादी लोग मूल रूप से लैंगिक समानता के विरोधी होते हैं।⁴ धर्मगत विधियाँ इन समस्त तत्वों को यथावत बनाये रखने में अपना सक्रिय सहयोग देती हैं। हिन्दू विधि में फिर भी 1955-56 के पश्चात सुधार के लिए प्रयास किया गया और चार प्रमुख कानूनों को ससद ने पास किया

- 1 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- 3 हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956
- 4 हिन्दू अवयस्कता तथा सरक्षता अधिनियम 1956

हिन्दू विधि में हुए इन प्रमुख परिवर्तनों ने हिन्दू महिला के अधिकारों को अपेक्षाकृत अधिक कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम विधि अपने मूल स्वरूप में ज्यों की त्यों बनी रही।

1 हिन्दू विधि

2 याज्ञवल्क्य स्मृति पर विजानेश्वर द्वारा लिखित भाष्य (11 वीं शताब्दी) यह विषय परिस्थितियों में लगभग सम्पूर्ण भारत में मान्य हैं

3 जोभूतवाहन द्वारा लिखित विधि जो बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें असम का भी कुछ भाग आता है

4 अग्निहोत्री इदू - चेजिंग टर्मस ऑफ़ पॉलिटिकल डिस्कॉर्स वूमन मूवमेंट इन इन्डिया, 1970 - 1990

इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली जुलाई 22-1995 ।

मुस्लिम विधि वेत्ताओ का मानना है कि मुस्लिम विधि में महिलाओ को बहुत से हक हासिल है किन्तु मुस्लिम समाज मे महिलाओ की दयनीय दशा किसी से छिपी नही है। इन दोनो ही विधियो को सविधान के द्वारा मान्यता मिलने के कारण महिलाओ सम्बन्धी विषयो पर किसी प्रकार का कोई मूल परिवर्तन नही दिखता। जनता पर धर्म गुरुओ के शासन ने उसे जड बना दिया है। यह जडता धार्मिक प्रश्नो पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।

भारत मे महिलाओ को सम्पत्तिगत अधिकार -

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा नारियो को सम्पत्ति मे पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है।¹ इसके पूर्व स्त्री के पास दो प्रकार की सम्पत्ति हो सकती थी। स्त्रीधन 2 नारी सम्पदा।

1 स्त्रीधन वह सम्पत्ति थी जिसमे उसका पूर्ण स्वामित्व होता था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामादो को दाय मे प्राप्त होती थी।²

2 वह सम्पत्ति जिसमे उनका सीमित स्वामित्व होता था तथा जो उनकी मृत्यु के बाद उनके दामादो को दाय में प्राप्त नही होती थी। अपितु मृतक पुरुष स्वामी के दामादो को प्राप्त होती थी।³

1 धारा 14 के अन्तर्गत हिन्दू-विधि

2 हिन्दू पर्सनल ला, पृष्ठ 90

3 पृष्ठ 90 वधि

इस प्रकार अधिनियम पारित किये जाने के पूर्व हिन्दू नारी के अधिकार बहुत सीमित थे। कोई पुरुष उत्तराधिकार से सम्पत्ति प्राप्त करके पूर्ण स्वामी होती था। जबकि स्त्रियाँ सीमित स्वामी हुआ करती थी। पूरे देश में एकरूपता नहीं थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को कानून में एकरूपता लाने तथा नारियों को पुरुषों के बराबर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा - 14 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह धारा स्त्रीधन और नारी सम्पदा को समाप्त कर हिन्दू नारियों के कब्जे में रहने वाली समस्त सम्पत्ति पर उनको स्वामित्व प्रदान करती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दू विधि द्वारा हिन्दू महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार देने का प्रयास किया गया किन्तु हमारी समाजिक व्यवस्था तथा विचारों ने इसे व्यवहार रूप में स्वीकार नहीं किया। आज भी महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों का न तो ज्ञान है और न ही कोई लाभ।

नारी सम्पदा पर पूर्ण स्वामित्व समाज के लिए एक विषम परिस्थिति है। पति के धन में पत्नी का अधिकार भारतीय समाज को आज भी स्वीकार नहीं है। उसके द्वारा की गयी वसीयत विवाद का कारण हो सकती है देखिए कौटूर स्वामी बनाम वीरब्बा¹ के वाद को जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद,² पटना³, मध्यप्रदेश⁴ के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मत व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर भोगी अधिनियम पारित किये जाने के बाद भी नारी सम्पदा के अविधिमान्य अन्य सक्रमण को चुनौती देकर रद्द करा सकते हैं।

1 एआईआर (1959) सु को 577

2 हनुमान प्रसाद बनाम मु चन्द्रावती, एआई आर 1952 इलाहाबाद 304

3 जूलल बनाम प्रदीप एआई आर 1958 पटना 115

4 धीरज कुँवर बनाम लक्ष्मण सिंह एआईआर 1957 मप्र 38

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वैधानिक स्थिति यह है कि उत्तरभोगी अधिनियम पारित किये जाने के बाद भी नारी सम्पदा के अवैध अन्य सक्रमण को चुनौती देकर रद्द करा सकते हैं।

विवाह .—

स्वतंत्रता प्राप्ति के इस प्रथम दशक में हिन्दू विधि में व्यापक परिवर्तन किये गये इन परिवर्तनों में प्रमुख था “ हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955”। इस अधिनियम की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया, कि इस अधिनियम को पूर्व प्रचलित विवाह विधि में सधोधन करने एवं उसे सहिता बद्ध करने के उद्देश्य से भारतीय ससद द्वारा पारित किया गया है। ससद कहती है (अ) यह अधिनियम हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 कहा जायेगा (ब) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर है। यह अधिनियम राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होने के साथ राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव रखता है। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण सशोधन विवाह की आयु से सम्बन्धित है।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (1938 में सशोधित) द्वारा बाल विवाह की कुप्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से वर के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तथा वधू के लिए 15 वर्ष निर्धारित की गयी। अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी कि “ विवाह के समय वर ने 18 वर्ष और वधू ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।” इस शर्त का उल्लंघन करने पर विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु यह एक अपराध है।¹ इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ हिन्दू विवाह में अनेक परिवर्तन किये गये किन्तु व्यवहारिक रूप में सामान्यतया इस दशक में कोई परिवर्तन नहीं आया। समाज में वैवाहिक स्थितियों यथावत बनी रही।

1 धारा 18 द्वारा इस अपराध के लिए 15 दिन के साधारण कारावास या एक हजार जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

जहाँ तक बाल विवाह का प्रश्न है इस दशक में नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विवाह अधिकार बाल्यावस्था में ही हुआ करते थे। इसको कानूनी नहीं तो सामाजिक मान्यता अवश्य प्राप्त थी। इलाहाबाद के फूलपुर तहसील के आकड़े बताते हैं कि 100 में से 96 महिलाओं का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में हुआ और 100 में से 70 पुरुषों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में हुआ।¹

उ०प्र० भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है साथ ही अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से समृद्ध भी, इसलिए इस प्रदेश में विकास के नाम पर किसी भी नीति को कार्यान्वित करना अपने आप में कठिन कार्य है। 1991 की जनगणना के आधार पर भारत में 354 करोड़ पुरुष तथा 331 करोड़ महिलाएँ हैं। इन महिलाओं का सबसे बड़ा वर्ग गाँवों में रहता है। और यह वर्ग असंगठित क्षेत्र में लगा है। इस क्षेत्र में कुल कार्यशक्ति की 90 महिलाएँ हैं। जिसमें 80 कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। उत्पादन के क्षेत्र में लगी इन महिलाओं को शिक्षित करना सबसे कठिन कार्य है आर्थिक रूप से पिछड़े इस प्रदेश में शिक्षा के महत्व को यहाँ की जनता ने समझा है किन्तु लैंगिक असमानता के सामाजिक स्वरूप की दुरुहता महिला शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है महिलाओं के चतुर्दिक विकास के क्षेत्र में कट्टरपथी विचार मध्ययुगीन रिति-रिवाजों और धार्मिक पथों ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती रही। उ०प्र० के शहरी क्षेत्रों मुख्य रूप से लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, आगरा जैसे शहर शैक्षिक विकास की दृष्टि से समृद्ध रहे (तुलनात्मक रूप से) दूसरी उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्र इस विकास प्रक्रिया में आज भी पिछड़े हैं। उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 छात्राओं में से केवल एक छात्रा 12 वी कक्षा तक पहुँच पाती है।²

1 साक्षात्कारों पर आधारित आकड़े।

2 जनगणना रिपोर्ट 1991 से ग्रह आंकड़े।

इसलिए शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के साथ-साथ अन्य परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत धीमा है। जैसा कि स्पष्ट है इसका मूल कारण अशिक्षा है। यही कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश तथा भारत सरकार दोनों ने ही शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया और इसके लिए समितियों का गठन किया।

शिक्षा :-

शिक्षा महिलाओं के स्तर में सुधार लाने और उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने का आधार है। यह वह मौलिक हथियार है जो समाज के पूर्ण सदस्य के रूप में उनकी भूमिका को पूरा करने के लिए महिलाओं को दिया जाना चाहिए। भारत में औपनिवेशीकरण के काल में शिक्षा को पूरे तौर पर उपेक्षित रखा गया। इसलिए महिला शिक्षा के प्रोत्साहन और विकास की प्रक्रिया का चित्र आजादी के बाद स्पष्ट नहीं होता। इसलिए आजादी के पश्चात 30 प्र० में महिला शिक्षा ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण रूप से शिक्षा के विकास पर बल देना अति आवश्यक था। शिक्षा प्रणाली में लड़कियों की अनुपस्थिति और उनके द्वारा पढाई छोड़े जाने की उची दरे, एक समस्या थी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बालिकाओं की शिक्षा दरे अत्यन्त नीची थी। इसके कई सामाजिक और आर्थिक कारण थे। शहरी और ग्रामीण स्तर पर स्थितियाँ आजादी से लेकर आज तक अलग-अलग रही हैं। 30 प्र० की स्थितियाँ सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य का ही एक अंग थी। आजादी के समय सम्पूर्ण भारत की 80 प्रतिशत आबादी जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी निरक्षर थी। यह स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में करनी थी।

1. त्रेवेली की अग्रगामी नीतियाँ, 2000 तक मदिनाई, सेन्टर फॉर मिशन डेवलपमेंट एंडी. नयी दिल्ली

1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत में आज भी 20 करोड़ से ज्यादा महिलाएँ पूर्णतः निरक्षर हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत है और महिला साक्षरता 39.27 प्रतिशत है। महिलाओं की इस प्रतिशतता में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में यह दर 64 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 30.62 प्रतिशत है। उ० प्र० में महिला साक्षरता सिर्फ 19.02 प्रतिशत है। 1991 की इस रिपोर्ट में महिलाओं की साक्षरता दर 1946 की स्थितियों को और हमारे शिक्षा विकास कार्यक्रमों की स्थिति स्पष्ट कर देती है। आज भी उ० प्र०, म० प्र०, राजस्थान तथा बिहार में भारत के आधे से अधिक निरक्षर रहते हैं जिनमें महिलाएँ सबसे अधिक हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम दशक में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो 1938 में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष प० जवाहर लाल नेहरू थे। इस समिति ने अपना कार्य सुचारु रूप से करना प्रारम्भ कर दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम चार वर्ष शिक्षा के विकास की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावी रहे।¹

प्रथम पंचवर्षीय योजना वस्तुतः शिक्षा के समस्त विकास के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही थी इसलिए इसमें तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास की भी योजनाओं को महत्व दिया गया।² साथ ही महिला शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावी बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गयी।³

1 विश्वास ए एव अग्रवाल एस० पी० – डेवेलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया – 1986 पृष्ठ – 692 – 693

2 Review of First Five year Plan Government of India Planning Commission, May 1957 P 250

3 वही

प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य तथा केन्द्र सरकारों का वार्षिक खर्च जो 1950-51 में 65 करोड़ रुपये था से बढ़कर 1955-56 में 116 करोड़ रुपये हो गया। योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर प्रतिवर्ष केन्द्र तथा राज्यों के खर्च इस प्रकार बढ़ रहे थे -

	(रुपये करोड़ में)				
	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56
केन्द्र	24	30	32	99	136
राज्य	174	194	234	274	337

शिक्षा के विकास पर खर्च तथा क्रमशः वृद्धि भविष्य में देश के सर्वांगीण विकास का सूचक था। किन्तु यह बजट कालान्तर में तुलनीय दृष्टि से कम होता गया।

उ० प्र० में विभिन्न परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	हाईस्कूल तथा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या		स्नातक परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1946-47	19,366	2,010	4,183	481
1947-48	22,486	—	3,458	—

1 Education in India, (report) Ministry of Education Government of India 1947-48 Volume - I

2 स्त्री पुरुष दोनों ।

तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा को ध्यान में रखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के अन्दर महाविद्यालयों की स्थापना की गयी -

वर्ष	महाविद्यालय तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा
1951-52	20
1952-53	20
1954-55	37
1955-56	40

इन महाविद्यालयों में छात्रा-छात्राओं के बीच संख्या की दृष्टि से न केवल अंतर है बल्कि यह अंतर बहुत बड़ा है।

वर्ष	लड़के	लड़कियाँ	कुल	खर्च
1951-52	16,819	1,219	18,038	55,56,831
1952-53	20,243	1,519	21,762	58,27,769
1954-55	21,417	1,214	22,631	53,04,515
1955-56	23,069	1,292	24,361	54,77,715

1 Education of India Ministry of Education, Government of India for the year 1951-52, 1952-53, 1955-56 Volume I Figures for 1954-55 not available

2 वही।

इन आकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि लड़कियों की संख्या में वृद्धि न के बराबर है। 1952-53 में जो संख्या 1,519 पहुँच गयी थी वह 1954-55 में घटकर पुन 1,214 हो गयी। पुन इनकी संख्या में वृद्धि हुई वर्ष 1955-56 में किन्तु यह वृद्धि बालकों की तुलना में बहुत ही खराब रही किन्तु तकनीकी शिक्षा में, स्वतंत्रता के प्रथम दशक में महिलाओं की भागीदारी महिला शिक्षा के विकास तथा समाज के विकास में शुभ संकेत था।

वर्ष 1951-1956 के मध्य उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या -

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	कुल	कुल खर्च
1951-52	1	1,427	226	1,653	3,73,041
1952-53	1	1,686	232	1,918	6,57,528
1954-55	—	—	—	—	—
1955-56	12	3,25	329	3,581	11,66,921

प्रथम पंचवर्षीय योजना शिक्षा के विकास की दृष्टि से सतोषजनक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इन वर्षों में सरकार ने शिक्षा पर खर्च तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान देते हुए उसे कार्यान्वित किया। प्रदेश में एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के साथ अन्य शिक्षा पर ध्यान दिया गया। सरकार की ओर से प्रयास सराहनीय रहा किन्तु समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी उत्साहजनक नहीं रही।

1 Education in India "Ministry of Education Government of India for year 1951-52, 1952-53 to 1955-56 Volume I figures for 1954-55 not available.

विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में हों इतना अवश्य था कि महिला साक्षरता तथा प्राइमरी शिक्षा में विकास अवश्य दिखाई पड़ता है। जो आकड़े हमें तकनीकी शिक्षा तथा अन्य शिक्षा में महिलाओं से संबंधित दिखाते हैं वो बाद के वर्षों में थोड़े बहुत अन्तर के साथ यथावत बने रहे। स्त्री शिक्षा की गति धीमी होने का कारण समाज के आर्थिक क्रियाकलापों से उसके न जुड़े होने के कारण था। परिवार के आर्थिक पक्ष की समस्त जिम्मेदारी नैतिक रूप से पुरुषों को वहन करनी चाहिए यह विचार धारा ने स्त्री को समाज के इस महत्वपूर्ण पक्ष से वंचित रखा और यही कारण था कि स्त्रियों ने भी शिक्षा को हमेशा रोजगार से जोड़कर देखा और शिक्षा के विकास के प्रति उनकी रुचि विशेष नहीं रही।

नियोजन —

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक रोजगार कृषि तथा कृषि संबंधित कार्यों से जुड़ा था क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता था। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी परम्परागत समस्याएँ थीं। जो सामन्तवाद की देन थीं। भारत में रोजगार की समस्या को जटिल आर्थिक प्रक्रिया तथा संयुक्त परिवार प्रथा के कारण गहराई से महसूस नहीं किया गया विशेषकर मध्यम वर्गीय समाज में किन्तु राजगार निम्न वर्ग की आद्यतन समस्या रही। निम्न तथा मध्यम वर्ग का कृषि से संबंधित रोजगार के कारण ऐसा जुड़ाव रहा है जो एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इस असंगठित क्षेत्र में श्रम अधिक है जिसके कारण निर्वाह व्यवस्था बनी रहती है किन्तु श्रम की अधिकता कृषक वर्ग को जहाँ सीमित साधनों में मजदूरी की समस्या देती है वहीं मजदूरी की कम लागत दोनों की स्थितियों जटिल एवं उबाऊ बना देती है।

इसलिए उ० प्र० मे — जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है — उ कारण रोजगार की स्थितियाँ विकट है।

कृषि जैसे असंगठित क्षेत्र मे कुल श्रम शक्ति का 80 प्रतिशत महिला है। सयुक्त परिवार व्यवस्था मे दिनचर्या तथा खाना पकाने और खिलाने से बचे समय का समस्त हिस्सा परिवार से सबधित रोजगार के उत्पादन मे ही महिलाओ द्वारा लगाया जाता है। दूसरी तरफ निम्न वर्गीय परिवारो मे महिलाए कृषि कार्यों के लिए न केवल सुलभ हो जाती है अपितु उन्हे कम दिहाडी भी दी जाती रही है। महिला श्रम का यह शोषण 1947 से लेकर आजतक यथावत बना हुआ है। महिलाओ के इस शोषण को पारिवारिक स्तर पर सहयोग का सूचक माना जाता है और सार्वजनिक तौर पर तकनीकी क्षमता मे अकुशल।¹ इन दोनो की स्थितियो मे परिणाम एक ही होता है। इसलिए महिलाओ के सबन्ध मे रोजगार की बात करना एक कठिन और दुरुह प्रश्न है। लगभग सभी देशो और समाजो मे महिलाये अपनी क्षमता से अधिक कार्य करती है।² जो कार्य आवश्यक तो है किन्तु अनुत्पादक उन सभी कार्यों से महिलाओ का गहरा सरोकार है।

उ० प्र० मे बदलती स्थितियों के कारण महिलाओ के रोजगार की स्थितियो मे उपरी तौर पर परिवर्तन स्वाभाविक था। यद्यपि कि शिक्षा के माध्यम से उपजे रोजगार तथा विषम सामाजिक स्थितियो के कारण महिलाओ के लिए निश्चित दिशा मे ही अवसर थे किन्तु इतना अवश्य था कि परम्परागत पारिवारिक बधनो से निकलकर स्त्रियों स्वास्थ्य, अध्यापन जैसे क्षेत्रो मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी थी।

1 यू कवपगम, लेबर एण्ड जेंडर, पृष्ठ — 18

2 वही पृष्ठ- 18

3 वही पृष्ठ- 18

1955 तक 329 महिला डाक्टरो की सख्या, लगभग 13,14 छात्रो की सख्या एग्रीकल्चर कालेजो मे इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि शिक्षित वर्ग महिला शिक्षा और महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने के प्रति रुचि दिखा रहा है। यद्यपि यह परिवर्तन नगरीय क्षेत्रो मे देखने को मिलता है किन्तु यह महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक था। उ० प्र० मे शिक्षा एव रोजगार को देखते हुए शिक्षको के प्रशिक्षण कालेजो की स्थापना की गयी। शिक्षा के विकास ने महिलाओ के लिए सामाजिक स्तर पर रोजगार को प्रोत्साहन दिया। इसमे सबसे प्रमुख था शिक्षा से जुडा रोजगार। जैसे ट्रेनिंग कालेजो मे प्रशिक्षित महिलाए महिला शिक्षा के विकास मे रोजगार परक भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित की गयी।

वर्ष	प्रशिक्षण विद्यालयों की सख्या	पुरुषो की सख्या	महिलाओ की संख्या
1947—48	11	728	212
1949—50	9	611	488

स्रोत — Education in India (report)

इस प्रकार सरकार ने लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा मे कुल मिलाकर छ प्रशिक्षण विद्यालय खोले। जिनमे इलाहाबाद के तीन ट्रेनिंग सेन्टर महिलाओ के लिए थे। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षा के विकास ने भारत में स्त्री शिक्षा के साथ महिलारोजगार को भी प्रोत्साहित किया। रोजगार की इन स्थितियों ने महिलाओ की धीरे-धीरे आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से जोडना प्रारम्भ किया।

1957 तक यानि स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम दशक मे महिलाओ के रोजगार को व्यापक सामाजिक स्वीकृति नही थी। ऐसा नही था कि महिलाए आवश्यकता पडने पर घर से बाहर रोजगार के लिए नही निकलती थी, किन्तु ऐसा पुरुष विहीन परिवार या निम्न वर्ग मे होता था। निम्न वर्ग की सामाजिक स्थितियो को मध्यम वर्ग ने कभी स्वीकृत नही किया।

बलात्कार :-

बलात्कार न तो स्त्री-पुरुष सबन्धो के तनाव का सूचक है और न ही स्त्री के समर्पण तथा सहयोग का। यह पुरुष पाशुविकता का उदाहरण है जो दुश्मनो, विरोधियो को अपमानित करने का माध्यम है। देह, स्त्री की उक मात्र पहचान के रुव मे उसका गुण भी है और गाली भी।¹ वस्तुतः नारी के प्रति हमारी धारणा दो मूलभूत तत्वो से बनी है भय और घृणा। घृणा युद्ध को जन्म देती है। युद्ध अनवरत काल से ही नारी अपमान को जन्म देते रहे है। इतिहास ऐसे उदाहरणो से भरा हुआ है। युद्ध आर्यो -अनार्यो के मध्य हो देवतओ और राक्षसो के मध्य हो या फिर दगो की त्रासदी हो, इन सभी परिस्थितियो मे महिलाओ के साथ बलात्कार की घटनाये सामान्य सी बात है। युद्धों के समय स्त्रियो को लूटना उन्हे दासी बनाने के साक्ष्यो से भारतीय ही नही विश्व इतिहास भरा पडा है। 1947 में देश के विभाजन से उत्पन्न स्थिति की सबसे अधिक शिकार महिलाए हुई।उनके साथ जगह-जगह पर संगठित बलात्कार हुआ। संगठित बलात्कार की विशेष स्थिति है। इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। संगठित बलात्कार एक विशिष्ट सामाजिक परिघटना है सिर्फ इस अर्थ मे नही कि यह जन समुदाय के जन तात्रिक अभियानो को कुचलने का भयानक हथियार है।

1. देवी जैन शरनिन्द औरत होने की राजा के पृष्ठ 30-35 तक

इसकी भयानकता इस बात में निहित है कि राजनीतिक दमन को प्रथम बिन्दु बनाकर पूरे सामाजिक संगठन की उस धुरी पर आघात करने लगता है जिसके निर्माण में ऐतिहासिक विकास के क्रम में कितने ही ऊँचे पारिवारिक और सामुदायिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विरोध के लिए सम्पूर्ण सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। इस अभियान में हमें अपने मध्यकालीन सकारों से लड़ना होगा। जिसमें नारी की यौन शुचिता को अपनी सामाजिक हैसियत का निर्धारक मान लिया जाता है। "सच तो यह है कि हमारे सारे परम्परागत सोच में नारी को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। पहली करुणामयी शील की देवी तथा दूसरी काम कदरा, कुत्सित और अश्लील है। जब तक वह पुरुष की इच्छा और वासना के नियंत्रण में है, वह सौन्दर्य है, अगर उससे निरपेक्ष है नियन्त्रण से बाहर है तो दण्डनीय है। यही से स्त्री और उसकी यौन शुचिता के सामाजिक व्याख्या और स्थापित मापदण्ड अभिशप्त स्त्री को समाज से काटकर या तो असहाय बना देते हैं जिसका परिणाम अधिकांशतः हत्या या आत्महत्या होता है या फिर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेल देते हैं। जहाँ वह अपने शरीर को माध्यम बना आर्थिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर लेती है किन्तु सामाजिक सम्मान खो देती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस अपराध (बलात्कार) में निरन्तर वृद्धि होती रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जहाँ पारिवारिक जकड़न से स्त्री को थोड़ी राहत मिली वही स्त्री के प्रति उपजी इस सामाजिक विसंगति ने उसके व्यक्तित्व के विकास को बाधित किया है। बलात्कार के पश्चात् स्त्री भी स्वयं को समाज में रहने के योग्य नहीं समझती। प्रसिद्ध नारीवादी सिमन कहती है "स्त्री न तो हारमोन से नियंत्रित है न उसमें कोई रहस्यमय अंतःवृत्ति है, बल्कि यह तो उसका शरीर है जो दूसरों के माध्यम से प्रवर्तित हुआ है। अतः स्त्री वही है जो वह बनायी गयी है।"

बभ्रुशुा खिमेन - द लेडेन्ड के उभा खेतान द्वारा अनुदित पुस्तक से

नारी के अवस्था के विश्लेषण मे जाने के लिए इस उत्पीडन की अवस्था के लिए जिम्मेदार भौतिक आधार पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसलिए आर्थिक रूप से स्त्री की परतत्रता के विषय नये समाज की सरचना तथा नैतिक मूल्यों के मूल बिन्दु होने चाहिए।

दहेज .—

महत्वपूर्ण हिन्दू कोड बिल, महिलाओ के अधिकार और उनकी सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के पश्चात भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण कुप्रथा दहेज की तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। यही कारण था कि अनेक कानूनी परिवर्तनो, शिक्षा तथा सामाजिक विकास के बाद भी स्त्रियों की दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होना चाहिए था देखने को नहीं मिलता है। व्यावसायिक क्रान्ति के भारत आगमन, बदले हुए पूँजीवादी चिंतन और घटती हुई नैतिकता ने अपने पुत्रो को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया और विवाह की नैसर्गिक आवश्यकता को आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सामतवाद के पतन ने यह सामती विकार साधारण जनता मे सम्प्रेषित हो गया फलस्वरुप निम्न वर्ग से उच्चवर्ग तक अपनी हैसियत के अनुसार पुत्रों की कीमत लगाने लगा। उ० प्र० के लगभग सभी क्षेत्र इस कुप्रथा का शिकार है। यहाँ लोकगीत अनेक अर्थों मे इसीलिए पुत्री के जन्म पर मातम सा सदेश देते हैं।¹ लोकगीतो मे व्याप्त व्यथा के मूल मे पुत्री का विवाह और विवाह में दिया जाने वाला धन ही मुख्य कारक है। पुत्री के जन्म पर माँ की प्रताडना इस बात का प्रबल सकेत है। देखा जाय तो नारी के इर्द-गिर्द घूमने वाली समस्त आर्थिक प्रक्रिया उसके हाशिया कारण मे प्रमुख भूमिका निभाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के इस प्रथम दशक मे दहेज एक कुप्रथा अवश्य थी किन्तु आज के सामाजिक परिवेश की तरह कोढ नहीं।

1 जो मै जनतो धियो कोखि होईहैं पियती मरिचिया पिसाय, पूर्वी उ० प्र० का लोकगीत

उस समय के समाचार पत्रों के अध्ययन से यह पता चलता है कि उस समय स्त्रियों के सबन्ध में दहेज जैसी कुप्रथा मृत्यु का कारक नहीं थी। 1952 में एक घटना स्टोव से एक महिला के जलने की मिलती है जिसे हम स्पष्ट रूप से दहेज हत्या नहीं कह सकते।¹ कुल मिलाकर दहेज विवाह से जुड़ी एक प्रक्रिया अवश्य थी साथ ही महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण भी किन्तु यह महिलाओं के लिए इस दशक में मृत्यु का कारण नहीं था।

1 आकर लीडर, 5 अगस्त 1952, इलाहाबाद।

अध्याय : 4

राष्ट्र निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है, जो राष्ट्र की विचार धारात्मक महत्वाकांक्षा को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर निश्चित स्वरूप प्रदान करती है।¹ किसी नवस्वतन्त्र राष्ट्र के निर्माण की यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। नेहरू ने अपने शासन काल के इस दूसरे दशक में इस प्रक्रिया को अपने तथा अपने सहयोगियों द्वारा बनाये रखा। पण्डित नेहरू के सहयोगियों में महलनोबिस, जिन्होंने रुस के विकास को ध्यान में रखकर, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कर देश के आर्थिक विकास को केन्द्र में रखा। पण्डित नेहरू और उनके सहयोगी यह जानते थे कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है उसकी आर्थिक सुदृढता। इसलिए राष्ट्रनिर्माताओं ने इन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया। साथ ही राष्ट्र के विकास से संबंधित लगभग सभी बिन्दुओं पर ध्यान रखा गया।

विकास के इन प्रारम्भिक चरणों में आर्थिक विकास के समक्ष तत्कालीन राष्ट्रनिर्माताओं तथा चिन्तकों को अन्य बिन्दु अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण नहीं लगते थे। यही कारण था कि पंचवर्षीय योजनाएँ अपने प्रथम चरण में जहाँ अत्यन्त सफल रही वही दूसरे चरण से ही वो असंतुलित दिखने लगी। विकास के इस चरण में जिन अन्य बिन्दुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी वो सरकारी उपेक्षा का शिकार रही। सरकारी बजट का अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, विज्ञान और तकनीकी जैसे क्षेत्रों तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों पर खर्च होता था जो राष्ट्र की तत्कालीन आवश्यकता थी। इन राष्ट्रीय समस्याओं के व्यामोह में महिला प्रश्नों पर विचार करना न तो आवश्यक समझा गया और न ही इसकी आवश्यकता ही समझी गयी। इन उपेक्षाओं के होते हुए भी महिलाओं से संबंधित सामाजिक प्रश्न राजनीतिक रूप से नहीं तो सामाजिक रूप से ही गम्भीरता पूर्वक लोगों के समक्ष उभरने लगे।

1 प्रोफेसर, सिंह एल आर - "Problem of nation building in India" जी बी पत सस्थान में प्रस्तुत शोध पत्र।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय महिलाओं से संबंधित जो विषय विचारणीय थे जिन पर राष्ट्रीय नेताओं ने अनेक विचार प्रस्तुत किये वो सभी विषय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उतने मुखर नहीं रह गये थे। फिर भी महत्वपूर्ण "हिन्दू कोड बिल" के पश्चात् "दहेज निरोधक कानून" जैसी संवैधानिक प्रक्रिया इस बात का प्रबल संकेत थी कि भारतीय राष्ट्रीय सरकार महिला विषयक प्रश्नों पर निष्क्रिय नहीं है।

औपनिवेशिक काल में नारी सम्बन्धी विषयों के प्रति विशेष चिंता व्यक्त की गयी थी। बाल-विवाह, सती प्रथा, पर्दा, वैधव्य के प्रति विशेष चिंता थी। राष्ट्र के विकास प्रक्रिया में यह चिंता बाद के दशकों में उतने सघन रूप से नहीं दिखायी देती। नारी सम्बन्धी प्रश्नों पर सरकारी तथा सामाजिक दोनों ही स्तरों पर अनुकूल वातावरण भी तैयार नहीं किया गया। स्वयं महिलाएँ राष्ट्रीय आन्दोलन के पश्चात् निष्क्रिय और निस्तेज होने लगीं। राष्ट्रीय प्रश्नों के समक्ष उन्होंने नवस्वतंत्र राष्ट्र के नवनिर्माण प्रक्रिया के मूल बिन्दु को भुलाकर पुनः अपने पुराने स्वरूप को ग्रहण करने लगीं। यह एक प्रतिगामी कदम था जो आने वाले वर्षों में महिलाओं के विकास के सम्बन्ध में घातक सिद्ध हुआ। इन उपेक्षाओं के होते हुए भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के इस दूसरे दशक में भारतीय समाज में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। नवीन वैचारिक धरातल पर विभिन्न कारणों से नारी शिक्षा की आवश्यकता का आभास लोगों को होने लगा। नारी शिक्षा के नये परिवेश में नारी की परिवर्तित भूमिका से लगभग सम्पूर्ण भारत आकर्षित हुआ। यह आकर्षण विशेष रूप से युवा पुरुषों में दिखने लगा। इसके अनेक कारण थे। यद्यपि इस दशक में शिक्षा का आवश्यकता से बहुत कम विकास हुआ किन्तु पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से समाज तथा नारी के विकास में शिक्षा की आवश्यकताओं को गम्भीरता दी जाने लगी।

यही कारण था कि समाज में नारी की स्थिति तथा नारी विकास से सम्बन्धित प्रश्न गम्भीर स्वरूप ग्रहण कर राष्ट्रीय प्रश्नों से जुड़ गये। ये प्रश्न शिक्षा के माध्यम से न केवल महिलाओं अपितु समाज तथा राष्ट्र दोनों के ही समक्ष गम्भीर स्वरूप ग्रहण करने लगे। महिलाओं के उत्थान के सम्बन्ध में धीरे-धीरे राष्ट्रीय सहमति बनने लगी फलस्वरूप सरकार ने महिलाओं के विकास के गम्भीर प्रयास प्रारम्भ कर दिये और कहा कि भारत में महिलाओं के विकास के लिए अति आवश्यक है लिंग निर्धारित कार्यों पर विचार करना तथा उसमें परिवर्तन लाना। फलस्वरूप एक समिति का गठन किया गया। जिसे **Committee of status of women in India (1974)** जाना गया।

उत्तर प्रदेश का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण इसके सभी क्षेत्रों में लगभग समान है। नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही स्तरों पर बालिकाओं एवं महिलाओं की उपेक्षा सामान्य जीवन शैली है। शिक्षा से लेकर सम्पत्तित्तगत अधिकारों तक उसे दूसरे दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। वो तमाम घरेलू साधन जो व्यक्तित्व के विकास में साहायक सिद्ध होते हैं— पर बालकों एवं पुरुषों का अधोषित अधिकार है। जो यहाँ के समाज की परम्परागत सोच है। कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यवस्था के इस स्वरूप को सामाजिक समझदारी के साथ अपरोक्ष रूप से बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है। यह स्वीकृति परम्परागत व्यवस्था का हिस्सा है जिसे हम पितृसत्ता के माध्यम से समझ सकते हैं। परिवार जो समाज की बुनियादी इकाई है सबसे अधिक पितृसत्तात्मक संस्था है। पुरुष ही इस संस्था का मुखिया है। पुरुष ही परिवार समाज की दया और दमन दोनों ही स्थितियों से गुजरते हैं। यहीं से लड़के और लड़की के मध्य उँच-नीच का भेदभाव प्रारम्भ होता है। परिवार का मुखिया परिवार में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुषों पर नियंत्रण रखता है।

1 मसीन कमला, पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ- 10 " औरतो का ट्रेनिंग एवं कम्युनिकेशन सेंटर।

अनेक नियंत्रण सिर्फ महिलाओ पर लागू होता है। पारिवारिक पदानुक्रम मे पुरुष सदैव ही ऊपर रहता है। गर्डालर्नर के अनुसार समाज मे व्यवस्था बनाए रखने और पदानुक्रम जारी रखने मे परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। वे लिखती है। “ परिवार अपने आइने मे न केवल सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है ओर बच्चो को उसे मानने का पाठ पढाता है बल्कि परिवार लगातार उस व्यवस्था को गढता और मजबूत करता चलता है।” 1

उत्तर प्रदेश किसी भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। पारिवारिक हितो के लिए व्यक्तिगत हितो के त्याग की आवश्यकता होती है जो यहाँ के परिवारो की ऐतिहासिक विरासत है। 2 यहाँ की परम्परा मे आदर्श स्त्री को सीता के रूप मे देखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ की स्त्रियो पशुओ के समान बेजुबान होती है। यहाँ का समाज इस पर गर्व करता है। 3 यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रो मे आज भी बडे सयुक्त परिवारो की व्यवस्था कमोबेश जारी है। परिवारो का टूटना अच्छा नही माना जाता। दो तीन पीढियो तक साथ रहने की परम्परा आम बात है। धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होने लगती है कि यह सब किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव या प्रकृति नही। यह सब कुछ एक “व्यवस्था” के अन्तर्गत है। 4 इस सम्बन्ध मे ‘सिल्विया वैवी’ कहती हैं— “ यह सामाजिक ढाचो और रिवाजो की एक व्यवस्था है।” वह आगे कहती है— पितृसत्ता को एक व्यवस्था के रूप मे समझना जरूरी है क्योकि इस व्यवस्था से यह विचारधारा जुडी है कि पुरुष स्त्रियो से बेहतर होते है। महिलाओ को पुरुषो की सम्पत्ति की तरह नियंत्रण मे रहना चाहिए। 5 यह परिवेश उत्तर प्रदेश के लगभग सभी परिक्षेत्र मे समान रूप से पाया जाता था तथा थोडे बहुत तथाकथित अन्तरो के साथ आज भी पाया जाता है।

1 गर्डालर्नर, द क्रियेशन ऑफ पेट्रियार्की आक्सफोर्ड एण्ड न्यूयार्क ' आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस पृष्ठ - 217 ।

2 यह परम्परा सूर्यवशी राजाओं की कथाओं पर आधारित है विशेषकर 'राम' के सदर्म में ।

3 यहाँ के लाकगीत ।

4 मसीन कमला, पितृसत्ता क्या है? पृष्ठ 25 औरतों का ट्रेनिंग एव कम्युनिकेशन सेंटर ।

5 सिल्विया वैल्ली ।

स्वतंत्र भारत में परिवर्तन स्वाभाविक था और संविधान लागू होने तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के लागू होते ही यह परिवर्तन दिखायी देने लगा। इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की थी। यद्यपि की, भारत सरकार ने दशकों से राष्ट्रीय शिक्षा पर अपने बजट खर्च का मूल्यांकन नहीं किया। यहाँ शिक्षा की आवश्यकताओं को महसूस तो किया गया किन्तु इस पर केन्द्र सरकार का बजट खर्चा मात्र 6 प्रतिशत रहा।¹ जिसे विभिन्न पार्टियों 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने की मांग कर रही है। यह खर्च भारत जैसे बड़े और आबादी वाले देश के लिए बहुत कम था। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की उपेक्षा का असर राज्य स्तर पर पड़ना स्वाभाविक था। चूँकि यह प्रदेश बड़ा होने के साथ-2 परम्पराओं का गढ़ है इसलिए यहाँ शिक्षा के विकास की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था।

एक देश जहाँ परम्पराये हजारों वर्ष पुरानी हो और जो मानव विकास से समाज के आचरण और व्यवहार को संचालित करती हो वहाँ आप अति आधुनिक सामाजिक राजनैतिक विचारों को आरोपित नहीं कर सकते। इसके लिए सघन प्रयास तथा समाज को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है।² यह सघन प्रयास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश साक्षरता के क्रम में 14वें स्थान पर है। 16 बड़े राज्यों में 14वाँ स्थान यहाँ के सम्पूर्ण शिक्षा की असलियत को उजागर करता है।³ 1992-93 के National family health survey के आंकड़े बताते हैं कि दो तिहाई से अधिक महिलाएँ तथा 6 साल उम्र के ऊपर के लगभग एक तिहाई पुरुष निरक्षर हैं।⁴ NFHS की यह गणना जनगणना आंकड़ों 74.7 प्रतिशत महिला तथा 44.3 प्रतिशत पुरुषों के आंकड़ों भी कम है। आजादी के 50 वर्षों के बाद हमारी शैक्षिक उपलब्धि न केवल निराशाजनक है अपितु चौकाने वाली है।

1 सी पी एम तथा अन्य पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र देखिये।

2 राव आर मिश्रा एस के Change of attitude as function of some personality factors & journal of social psychology 1x101 63 pp 311-17

3 जनगणना रिपोर्ट 1991

4 National health survey 1992-93 Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश को हम पांच प्राकृतिक भागो मे विभाजित किया गया है। —
अध्ययन की सुविधा के अनुसार ये क्षेत्र है।

1. उत्तर प्रदेश के पहाडी प्रदेश।
2. पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
3. मध्य उत्तर प्रदेश।
4. पूर्वी उत्तर प्रदेश।
5. बुन्देल खण्ड।

स्वतंत्रता के पश्चात सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के रूप मे जाना जाता है किन्तु इन क्षेत्रो की अपनी भौगोलिक विभिन्नता है जो वहाँ के क्षेत्रगत विकास को प्रभावित करती है। यह क्षेत्रगत विभिन्नता हमे शैक्षिक सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रो मे देखने को मिलती है।

इन सभी क्षेत्रो मे शिक्षा के विकास की आवश्यकता को तो महसूस किया गया किन्तु नारी शिक्षा फिर भी उपेक्षा का शिकार रही। इस उपेक्षा का कारण स्पष्ट है। इस सदर्थ मे इतिहासकार मेरिडिथ वर्थविक कहती है।, ' जहाँ पुरुषो की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से नौकरी से जुडी है वही स्त्री शिक्षा की कोई आर्थिक भूमिका नही थी। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य नारी का उन्नयन न होकर सिमटकर परिवार की उन्नति रह जाता है।'' सामाजिक स्तर पर परिवार बहुत से मानुषिक समर्पण मॉगता है विशेषकर स्त्रियो से । महिलाओ को परिवार पर आर्थिक एव भावात्मक रूप से निर्भर होना चाहिए। परिवार के बाहर सामाजिक जीवन में असफल होना चाहिए ओर पुरुष के बराबर काम और समाज मे सतोषजनक हिस्सेदारी निभाने में असमर्थ होना चाहिए।

उनको स्ववलम्बी नही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो परिवार के निर्माण प्रक्रिया मे बाधा आती है।¹ परिवार मूल रूप से उन तत्वो का सगठन करते है जो नारी को प्रेम के ऐच्छिक साहचर्य मे छिपाकर रखते है। परिवार नारी को न्यूनतापूरक श्रमशील भी बना देता है यही कारण है कि वह श्रम बाजार की बहुत सस्ती श्रमशक्ति बन जाती है इन सभी परिस्थितियो का प्रत्यक्ष लाभ परिवार के पुरुषो को मिलता है। इस वजह से सामाजिक परिवर्तन की ओर उनकी विशेष रूचि नही होती है, आज की पारिवारिक सस्था एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिफल है। जिसमे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियो ने विशेष भूमिका निभाई है। इन सभी परिस्थितियो ने मिलकर स्त्री शिक्षा को प्रभावित किया परिणाम स्वरूप नगरो मे जहाँ परिवार मे वैचारिक परिवर्तन नजर आ रहा था स्त्री शिक्षा तेजी से बढ रही थी किन्तु गँवो मे स्थिति वही बनी हुई थी।² गँवो के स्तर पर राज्य सरकार की उदासीनता ने विकास प्रक्रिया मे गँवो एव शहर को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया। नगरो ने जहाँ आधुनिकता को अपनाया वही ग्रामीण क्षेत्रो मे परम्परा अपनी जडे जमाये हुए थी। यही कारण था कि भारत का विकास हमें दो स्तरो पर नजर आता है। 1957 मे नगरो की स्थितियों सक्रमण काल से गुजर रही थी। अधिकांश परिवार अपनी रूढियो के मजबूत बन्धनो को तोडने के प्रयास मे जुटे थे और घर की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर भेज रहे थे। वही दूसरी ओर गँवो अभी भी अपनी पीढियों के आदर्श को बनाये हुए थे। स्थिति के इस विरोधाभास से न केवल उत्तर प्रदेश अपितु सम्पूर्ण भारत गुजर रहा था।

1964-66 के Education and national development report मे कहा गया कि "for ful development of our human resources, the improvement of homes, and moulding the character of children during the most impressionable years of infancy the education of women is of even greater importance than that of men."³

1 अग्रवाल ममता पृष्ठ 11 एजुकेशन एण्ड मार्डनाइजेशन |

2 वही -

3 अग्रवाल ममता एजुकेशन एण्ड मार्डनाइजेशन पृष्ठ - 30


कमीशन ने कहा कि हम शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, हिंसा के बिना। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत विकास करता है।¹

जहाँ महिलाएँ सम्पूर्ण मानव समाज की आधी दुनिया हैं वही किसी भी राज्य के लिए इस आबादी के आधुनिकीकरण में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। यह आधी आबादी ही गहरे स्तर पर परम्पराओं का पोषण और संचालन करती है यह अशिक्षा और धर्म के बन्धनों के कारण है। मानव इतिहास में धर्म जहाँ आस्था और विश्वास से जुड़ी एक सफल प्रक्रिया रही वही वर्गीय जातीय और महिला शोषण जारी रखने के लिए शोषकों को पूर्ण दार्शनिक एवं वैधानिक साथ ही नैतिक अधिकार प्रदान किये।² भारत जैसे गरीब देश के सामंती समाज में धर्म के विस्तार के लिए सबसे अधिक उपजाऊ जमीन महिलाओं में मिलती है क्योंकि महिलाओं को इस तरह की मानसिक व शारीरिक गुलामी में रखा गया जहाँ उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। दक्षिण एशिया के देशों में इसकी मौजूदगी और ताकत बहुत ज्यादा है। उदाहरण के रूप में एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी भारत में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म पर निर्भर करती है।³ धर्म के प्रति समाज की आस्था नारी शिक्षा को बाधित करने में लम्बे काल तक सहायक रही। यह स्थिति शहरों में इस दशक में टूटती हुई दिखती है। महिलाओं के वर्गीय विकास की स्थिति एक पिरामिड के सदृश नजर आती है जहाँ महिलाओं की अधिसंख्य आबादी निरक्षर तथा विभिन्न तरह के शोषणों का शिकार है वही जिन परिवारों में शैक्षिक विकास हुआ वहाँ स्थितियाँ बेहतर हैं दूसरी तरफ छोटी जाति की महिलाएँ एवं मुस्लिम महिलाओं में विकास प्रक्रिया न के बराबर है।


1 एजुकेशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट सन 1964-66

2 स्वामीनाथन श्रीलता, महिला व धर्म, इतिहास बोध नारी अंक।

3 गुन्नार मिरडिल, एशियन ड्रामा।



ग्रामीण क्षेत्र



नगरीय क्षेत्र

उपरोक्त पिरामिड इस तथ्य को इंगित करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश महिला आबादी निरक्षर है। ग्रामीण स्तर पर यह निरक्षरता बहुत अधिक है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत घटता नजर आता है। अनुसूचित जाति तथा ग्रामीण महिलाएँ मूलतः न केवल अशिक्षित हैं बल्कि निरक्षर भी। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में पिरामिड का शीर्ष महिलाओं में शिक्षा के विकास को इंगित करता है इसके कारण शहरी क्षेत्रों में निरक्षर महिलाओं में शिक्षा के विकास की प्रतिध्वनि मिलती है। 55 वर्ष की 300 महिलाओं का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उच्च हिन्दू महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अन्य की तुलना में अधिक है। 100 हरिजन महिलाओं तथा 100 मुस्लिम महिलाओं में यह प्रतिशत चिन्ताजनक है।

महिलाएँ	साक्षर	निरक्षर	शिक्षित	कुल
उच्च हिन्दू	30	50	20	100
अनु जाति व अन्य	10	87	3	100
मुस्लिम	20	72	8	100

नगरीय क्षेत्र में 55 वर्ष तथा उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं का अध्ययन।

महिलायें	साक्षर	निरक्षर	शिक्षित	कुल
उच्च हिन्दू	10	85	5	100
अनु० जाति व अन्य	3	96	1	100
मुस्लिम	5	92	3	100

ग्रामीण क्षेत्र में 55 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की महिलाओं का अध्ययन

यह अध्ययन इस को स्पष्ट करता है कि महिलाओं में 1957-67 के मध्य शिक्षा का विकास तो हो रहा था किन्तु इसकी गति बहुत धीमी थी। ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं में यह अन्तर बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न करता है। महिला शिक्षा में कमी का बहुत बड़ा कारक परम्परा के साथ गरीबी भी है। परम्परा जहाँ महिलाओं को घर में रहने की सलाह देता है वही गरीबी उस विचार को मजबूरी के कारण पुष्ट करती है। सन 1950 में एम.एस.ए. राव ने शिक्षा द्वारा समाज परिवर्तन विषय पर मालाबार में अध्ययन किया था। उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक था। उन्होंने मानवीय कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया और पाया कि ये सभी गतिविधियाँ समाज की सस्कृति तथा नियमों को इंगित करती हैं। सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली पर आधारित आकड़े गहरी छानबीन के पश्चात् डा० राव ने पाया कि मालाबारी जीवन के सूक्ष्मतम बिन्दुओं तक ब्रिटिश सस्कृति का गहरा प्रभाव है। इस विदेशी सस्कृति के सम्पर्क में वहाँ के परम्परागत मूल्यों के स्थान पर नये मूल्यों का सृजन किया है और समस्त समाज की विचारधारा तथा व्यवहारिक जीवन में बदलाव आ रहा है। जो स्पष्ट रूप से दिखता तो नहीं है किन्तु समाज संक्रमण के काल से गुजर रहा है।

1 राव एम.एस.ए. सोशल चैन्ज इन मालाबार पापुलर बुक, बाम्बे 1957 ।

कुछ इसी तरह का कार्य डैनियल लर्नर ने मध्य पूर्व में किया कि आधुनिकता व्यावहारिक व्यवस्था है और यह गतिशील है। सक्रमण काल शिक्षा तथा अन्य संस्कृतियों के सम्पर्क से ही आता है।¹ आधुनिकता विचारों में स्वतंत्रता और सूक्ष्म दृष्टि देती है जो नयी व्यवस्था को रचने में सहायक होता है।

इस तरह के तमाम अध्ययन शिक्षा आधुनिकता तथा विकास के संदर्भ में किये गये किन्तु इससे महिलाओं को जोड़कर उनके सामाजिक स्तर पर अध्ययन लगभग न के बराबर हुए हैं। जो थोड़े बहुत अध्ययन हुए हैं उनमें चन्द्र कला हाटे मोहिनी सेठ तथा भारत सरकार की रिपोर्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

चन्द्रकला हाटे ने अपने अध्ययन का विषय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के सामाजिक स्तर में परिवर्तन रखा। इस अध्ययन में महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ कार्य किया जिसमें उन्होंने नारी जीवन के लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन कर विश्लेषण किया और पाया कि तस्वीर बहुत साफ नहीं है। उन्होंने पाया कि सैद्धान्तिक बराबरी को हम व्यावहारिक रूप नहीं दे पाये हैं। विशेषकर मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यमवर्गीय धरातल पर। थोड़े बहुत अर्थों में उनका जीवन स्तर सुधरा अवश्य है किन्तु पूरी तरह नहीं।

इस विषय पर दूसरा महत्वपूर्ण अध्ययन **Report of the committee on the status of women in India** भारत सरकार का है। कमेटी ने भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर जानने का प्रयास किया।

¹ Lerner Danict, the passing of traditional society' modetning the middle east

उसमे परिवार, विवाह, दहेज, विधवा, तलाक तथा साथ में स्त्री शिक्षा। दूसरी कमेटी ने यह भी जानने का प्रयास किया कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है, किन जगहों पर वस स्वतंत्र निर्णय लेती है तथा रोजगार सम्बन्धी विषय में महिलाओं की स्थिति क्या है? अपने अध्ययन के दौरान कमेटी ने पाया कि आजादी के पश्चात देश की जनता ने काफी हद तक अपने समाज में परिवर्तन को स्वीकारा है। कमेटी ने यह पाया कि महिलाओं से सम्बन्धित लगभग सभी प्रश्नों पर शहरों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आगे इसका एक मात्र कारण शिक्षा है।

57-67 के मध्य उत्तर प्रदेश में नारी शिक्षा का विकास :-

महिला शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में यह दशक सतोषजनक कहा जा सकता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसे सन्तोषजनक नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ अतिरिक्त आर्थिक आय के साधन के अभाव में सम्पूर्ण शिक्षा ही बाधक रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की अपेक्षा करना ही गलत है। जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रश्न है यहाँ बालिका शिक्षा अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वदा उपेक्षित रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे दशक तक सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कोई भी महिला डिग्री कालेज नहीं था। सिर्फ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय इसका अपवाद था। इस दशक के प्रथम चरण में जहाँ महिलाएँ पर्दे में रहती थी अपितु वो पुरुषवादी विचारधारा को ही अपना स्त्री धर्म मानते हुए पढ़ने में अपनी रुचि नहीं दिखाती थी। नार्दन इण्डिया पत्रिका के एक लेख में सुचेता कृपलानी लिखती है " क्या कारण था कि स्वतंत्रता आन्दोलन में ब्रिटिशों के विरुद्ध अपने भाइयों तथा पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय महिलाएँ लड़ी जबकि उनमें 90 प्रतिशत निरक्षर महिलाएँ थी। '1

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका , जून 17 1961, इलाहाबाद 30 प्र०।

शायद हमने अपनी नीतियों में कहीं चूक की है। हमने महिलाओं के इस उत्साह और समर्थन को कोई नवीन वैचारिक दिशा नहीं प्रदान की है। इसके मेल में हमारी महिला शिक्षा नीति ही रही है। और यही कारण है कि सामाजिक परम्परा गरीबी, तथा दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण बालिकाओं का प्रतिशत स्कूलों और कालेजों में नहीं बढ़ रहा है।¹ इन स्थितियों को देखते हुए National Council of Womens Education तथा राज्य सचिवालय ने मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किये जिससे सरकार की यह नीति सुचारू रूप से चले। इसी कार्यक्रम के लिए 'स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय परिषद' ने बालिकाओं की शिक्षा के व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए नियोजन आयोग से अधिक धन राशि की मांग की गयी।

इन सरकारी योजना के कार्यान्वयन का प्रतिफल बाद के वर्षों में स्पष्ट रूप से दृष्टगत होता है। 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा आयोग को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार शिक्षा के विकास में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। राज्य अपनी आय का लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे 2 स्कूलों कालेजों में इनकी संख्या बढ़ रही है। निम्न आंकड़े दर्शाते हैं कि क्रमशः महिलाओं की संख्या में आनुपातिक वृद्धि हुई है।

1 वही अक्टूबर 12 1961, इलाहाबाद उ० प्र०

वर्ष	छात्र	छात्राएँ	योग
1961-62	1,10,389	5,986	1,16,375
1962-63	1,13,516	7,151	1,20,667
1963-64	1,05,643	26,514	1,32,157
1964-65	1,12,205	28,672	1,40,877
1965-66	1,19,578	30,112	1,49,690
1966-67	1,24,702	32,384	1,57,086

उपरोक्त आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं सामान्य शिक्षा में छात्राओं की संख्या बढ़ी है किन्तु यह छात्रों से अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। 1961 से लेकर 1967 तक की स्थितियाँ इस विकास को इंगित करती हैं कि महिला शिक्षा में सरकार की योजनाएँ नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः सफल रही हैं। यह सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग न के बराबर रही है 1961 में जब विश्वविद्यालयों में 1,10,389 छात्र थे तो छात्राएँ मात्र 5,986 थीं। यह अन्तर इस बात का प्रमाण है कि परिवार के अतिरिक्त आर्थिक सहायन के द्वारा ही स्त्री शिक्षा संभव थी दूसरी तरफ बालकों की शिक्षा को सामान्य आर्थिक श्रेणी के परिवारों ने आवश्यक समझा। इसके पीछे हमारी परम्परागत विचारधारा कार्य कर रही थी कि स्त्री शिक्षा आवश्यक नहीं है। 1966-67 तक सरकार अपने स्त्री शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुष शिक्षा परिणाम स्वरूप यह संख्या 32,384 के रूप में दृष्टिगत होती है।

1 Education in India (Report) for the years 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 - Vol - I Ministry of Education and Social welfare, Government of India.

1957-67 के मध्य सामाजिक समस्याये तथा महिला सम्बन्धी कानून अधिकाश देशो मे कानूनी व्यवस्था तथा बुर्जुआ दोनो है। भारत का सविधान इससे अछूता नही है। 1956 मे हिन्दू विधि में हुए परिवर्तन के पश्चात विशेषज्ञो द्वारा यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि कानून निर्माण तथा उसके व्यवहारिक पक्ष मे अत्यन्त असमानता है। ससद और सरकार अपने द्वारा बनाये गये कानूनों के व्यवहारिक पक्ष से अत्यन्त असन्तुष्ट रही किन्तु अन्य सामाजिक कुप्रथाओ के निषेध के लिए उपयुक्त कानूनों की निरतर आवश्यकता होने लगी। यही कारण था 6 अगस्त 1959 को लोक सभा ने दहेज निषेध विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया। समिति से यह आशा की गयी कि वह सदन के आगामी अधिवेशन मे अपनी रिपोर्ट सदन मे पेश कर दे।

1947 से 1967 तक के समाचार पत्र दहेज की समस्या की दृष्टि से ही नही अपितु नारी सम्बन्धी प्रश्नों की दृष्टि से अत्यत विचारणीय है। इन 20 वर्षों के समाचार पत्रों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि समाचारो मे स्त्री विषयक समाचार जिसे अपराध की श्रेणी मे रखा जा सकता है, मे 1952 के पश्चात धीरे दहेज हत्या के रूप मे दृष्टिगत होता है जहाँ पहले स्त्री के अपहरण उसको बहलाने फुसलाने तथा भगाने के समाचार स्त्री से जुडे थे वही अब स्त्रियों के जलकर मरने के समाचार प्रमुखता ग्रहण करने लगे। 1952 के 9 अगस्त के लीडर समाचार पत्रा मे एक स्त्री के जलकर मर जाने की एक बहुत छोटी खबर छपती है। 1952 तक दहेज हत्याये चूँकि विचारणीय प्रश्न नही था इसलिए इसे न तो समाचार पत्र मे प्रमुखता मिली और न ही समाज मे किन्तु इस तरह की घटनाओ मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई जिसके कारण ससद ने 1 जुलाई 1961 मे दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया और दहेज लेने और देने दोनो को अपराध घोषित कर दिया।

इस कानून के अनुसार – दहेज लेने या देने वालो के लिए कडी सजा का प्रावधान किया। अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने पर—

5 वर्ष तक का कारावास

15,000 रुपये जुर्माना।

या

दहेज की राशि यदि 15000 रुपये से ज्यादा हो तो उस राशि के बराबर जुर्माना।

साथ ही दहेज मागने की सजा 6 माह का कारावास और जुर्माना है

समाचार पत्रों के अध्ययन पर आधारित इस अधिनियम में भी अन्य अधिनियमों की तरह अनेक प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना अत्यंत कठिन है। उदाहरण के लिए इस अधिनियम में दहेज मागने की सजा 6 माह का कारावास है। कानून चूँकि साक्ष्य मागता तो यह सिद्ध करना कि अमुक व्यक्ति दहेज माग रहा था अत्यंत कठिन है इसलिए यह प्रक्रिया समाज तथा उसकी आपसी समझ पर निर्भर है इसलिए कानून वहाँ बिल्कुल असहाय प्रतीत होता है स्वतंत्रता के तीसरे दशक में प्रस्तुत होने वाला स्त्री विषयक यह कानून सबसे महत्वपूर्ण था किन्तु आज 31 वर्ष पश्चात् भी यह मात्र कागजी दस्तावेज है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ इस कानून के बनने के पश्चात् दहेज तथा दहेज से सम्बन्धित अन्य अपराधों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होने लगी। समाचार पत्र के अध्ययनों से जो बातें स्पष्ट होती हैं वह समाज में दहेज की प्रथा तथा उसके गणित रूप को स्पष्टतः प्रकट करती हैं।

समाचार पत्रों में दहेज से सम्बन्धित महिला मृत्यु के सदिग्ध प्रकरण -

समाचार पत्र	वर्ष 1957-59	1959-61	1961-63	1963-65	1965-67
नार्दन इण्डिया पत्रिका	20	23	29	40	61
लीडर	27	20	31	39	59
भारत	47	49	40	45	70

इन आकड़ों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं से सम्बन्धित कुप्रथाओं में एक नवीन कुप्रथा बहुत सहज और प्रभावी तरीके से समाज में अपना स्थान बनाने लगी और इस कुप्रथा को अपराध घोषित किये जाने के पश्चात् भी अघोषित रूप से स्वीकार किया गया। तत्कालीन वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एम ए अणे ने कहा कि " दहेज की प्रथा हमारे देश में हाल ही में प्रारम्भ हुई है जबकि भौतिकवाद को प्रधानता प्राप्त हुई है"। 9 अगस्त 1959, रविवार को भारत समाचार पत्र में अपने सम्पादकीय में लिखा कि, " वैसे तो समाज में दहेज प्रथा की कड़ी निंदा और आलोचना की जाती है और उसे समाज का एक बड़ा कलंक माना जाता है फिर भी यह दुख की बात है कि इस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। इसके अभिषाप से बहुत लोग कष्ट उठाते हैं और उत्पीडित होते हैं।"

समाचार पत्रों के अध्ययन के आधार पर -

दहेज तथा दहेज हत्याओ ने दहेज की विभीषिका को अत्यन्त विकराल बना दिया है। दहेज चूकी समाजिक सदर्भो से जुडी घिनौनी आर्थिक प्रक्रिया है इसलिए इसका समाजगत विश्लेषण अतिआवश्यक है। अग्रेजो द्वारा सृजित नयी आर्थिक प्रणाली मे मध्यमवर्ग के उदय ने जनसख्या के एक बहुत बडे हिस्से को क्रय शक्ति मे क्रमश वृद्धि की जो सामान्यतया उच्च जाति के सम्मान प्राप्त किन्तु अभावग्रस्त लोग थे।

नवीन आर्थिक प्रक्रिया तथा बढी हुई क्रयशक्ति का उन्होने सामन्ती प्रक्रिया के तहत सचालन कर प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयास किया और इसके लिए इस मध्यम वर्ग मे अपनी सक्षिप्त पूँजी को मिथ्या अडम्बर के इस प्रयोजन पर खर्च करना आरम्भ किया। समाज का स्वरूप अब और अधिक जटिल हो गया क्योकि एक तरफ दहेज कन्या विवाह मे बाधक था वही दूसरी तरफ बाल विवाह जैसी प्रथा समानान्तर रूप से चल रही थी। ऐसा नही था कि बाल विवाह करने वाले समाज दहेज से प्रभावित नही हुए। उन क्षेत्रो तथा समाजों मे जहाँ बाल विवाह होते थे मे भी दहेज ने अपनी जगह बनायी और गौने ¹ के समय दहेज की रकम मागी जाने लगी। मागी गयी यह राशि सम्मान और गौरव के साथ वर पक्ष को सुविधाजनक रूप से दी जाने लगी। फलस्वरूप यह कुप्रथा आश्चर्यजनक रूप से विकराल होती गयी।

वो समाज जहाँ जीवनयापन श्रम पर आधारित है वहाँ आज भी दहेज सम्बन्धी अपराध नगण्य है। यह एक बहुत विशाल वर्ग है जहा कि समस्याये अलग है और उनका अपराध अलग है इसलिए निचले तबको मे साधारण रूप से विवाह एक आवश्यक नैसर्गिक और सृष्टिगत आवश्यक्ता के रूप में किया जाता है।

1 विवाह के कुछ वर्षो पश्चात जब कन्या बडी होकर पहली बार ससुराल जाती है।

उत्तर प्रदेश में दहेज अनेक बार जातिगत श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन करता है। यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य सत्य था कि कुछ सम्पन्न जातियाँ जैसे— क्षत्रियो, वैश्य, ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह में अत्यधिक दहेज देते हैं। ऐसा नहीं था कि समाज में दहेज को मान्यता नहीं थी¹। पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुमायूँ आदि के लोकगीतों में पुत्री के सुखी जीवन की कामना के साथ उसे पर्याप्त दहेज देने के लिए भी आग्रह किया गया है। लोकगीतों की गहरी छानबीन से यह पता चलता है कि धन की कमी के कारण हमेशा ही सुयोग्य तथा सुन्दर कन्या को उसके योग्य वर नहीं मिलता है जिस पर उसका पिता उसे सात्वना देता है कि पुत्री जिस तरह के वरों का तुम वर्णन कर रही हो उनका मूल्य बहुत अधिक है और वो मेरी सामर्थ्य के बाहर है इसलिए तुम मेरे द्वारा चुने गये व्यक्ति से विवाह करो।²

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छह ग्रामों के अध्ययन से यह पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के 20 वर्षों में पूँजीवादी संस्कृति का प्रसार धीरे-धीरे—2 किन्तु हो रहा था फलस्वरूप कन्या का विवाह दहेज के कारण समस्या बनता जा रहा था। पूर्व में जहाँ पहले सिर्फ आयोजन पर होने वाले खर्च से किसानों को कर्ज लेना पड़ता था वही अब विवाह के लिए निर्लज्जता पूर्वक खुलकर माँगी गयी राशि या वस्तु विशेष समस्या का कारण थी। गाँवों के अधिकांश लोगो ने (जो 55 से 60 वर्ष के उम्र के थे) यह स्वीकार किया कि उसके घरों में कन्या के विवाह के समय गहने तथा खेत गिरवी रखना सामान्य प्रथा थी। जिसे सब सामान्यतः समझते थे किन्तु अब ये चीजें गिरवी रखकर काम नहीं चलता बल्कि इसे बेचना पड़ता है यही कारण था कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कन्यायें जन्म के उपरान्त उपेक्षा का शिकार रही हैं।

1 जैसा कि श्री एम.ए.अणे कहते हैं कि इसका प्रचलन अभी हुआ है

2 पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोगीत।

आकडे बताते हैं कि जन्म के पश्चात लड़की की मृत्युदर लड़कों की तुलना में अधिक है।

तालिका - 1

सम्पूर्ण मृत्यु दर **NFHS** (1991-92)

उम्र	लड़का	लड़की	कुल
0-4	28.5	34.9	31.6
05-14	2.6	2.3	2.5
15-49	3.8	4.1	3.9
50-00	36.8	32.3	34.8
ढक्क	11.7	12.1	11.9

तालिका - 2

सम्पूर्ण मृत्यु दर **SRS** (1991)

उम्र	लड़का	लड़की	कुल
0-4	33.2	38.4	35.6
5-14	2.2	2.6	2.4
15-49	3.8	3.8	3.8
50	32.9	28.8	30.9
CDR	11.1	11.6	11.3

1 नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 उत्तर प्रदेश (NFHS)

2 रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा 1992-93 भारत सरकार (SRD)

तालिका एक नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 उत्तर प्रदेश का है तथा तालिका दो रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा, भारत सरकार का है दोनों इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि लडकियों की मृत्युदर 0-4 की अवस्था में लडको की तुलना में कहीं अधिक है। यह आकड़े 1992-93 के हैं जब बालशिशु हत्या जैसे अनेक कुप्रथाओं के लिए कड़े कानून बनाये गये हैं तथा इनको कड़ाई से लागू करने के प्रावधान हैं

महिलाओं के प्रति पारिवारिक हिंसा -

यदि किसी महिला का पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूर व्यवहार करें तो उन्हें 3 वर्ष की जेल तथा जुर्माना देना होगा।' (भारतीय दण्ड संहिता धारा 498 क) क्रूर व्यवहार की परिभाषा में अन्य तरह के उपबन्धों को जोड़कर स्त्री के लिए जहाँ सुरक्षा की दीवार बनाने की कोशिश की जाती है वही क्रूरता के नये स्वरूप सामने आने लगते हैं।

महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार हमारी अलिखित सामाजिक संहिता है। इसका कार्य व्यापार हमारी आपसी समझ का नमूना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस दूसरे दशक में महिलाओं के प्रति न केवल हिंसा में विस्तार हुआ है अपितु हमारे हिंसात्मक बिन्दुओं में भी विस्तार हुआ है। हिंसा के नये क्षेत्र खुले हैं। यह अनायास नहीं है कि इस दशक में स्टोव से खाना बनाने वाली वधुओं के जलने के जो मामले समाचार पत्रों के माध्यम प्रकाश में आये उनमें अधिकांशतः दहेज से जुड़ी नियोजित हत्याएँ थीं। इन हत्याओं पर पर्दा डालना हमारे सामाजिक समझौते का सुन्दर उदाहरण है।

दूसरी तरफ हम दहेज हत्या की आलोचना भी करते हैं। “ वधु हत्या जिसे हम दहेज हत्या भी कहते हैं, के मामले में यह जब पुनर्विवाह करके पुनः दहेज प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या की जाती है या जब प्रेमान्ध होकर दूसरी तीसरी स्त्री से विवाह किया जाता है।” ऐसे मामले में मौत की सजा सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है।² सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में हमारे देश में वधु-हत्या की घटनाएँ खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। जब कभी इस प्रकार के कायरतापूर्ण अपराधों का पता लगे और मुल्जिम पर अपराध साबित हो तो अदालत को ऐसे अपराधियों के साथ कठोरता से पेश आना चाहिए।³

इस तरह की स्वीकृति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के प्रति पारिवारिक हिंसा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है।

तलाक .—

हिन्दू विवाह एक सस्कार था अतः प्राचीन विधि में विवाह— विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी। विवाह—विच्छेद के सम्बन्ध में पहली बार हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 द्वारा व्यवस्था की गयी।¹ विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति के परिणाम स्वरूप पति पत्नी वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। कानून द्वारा मिले इन नये अधिकारों ने मनुष्य के सम्पूर्ण चित्त को एक नयी दृष्टि प्रदान की। सामाजिक दृष्टि से टूटते संयुक्त परिवारों, नये बनते छोटे परिवारों में मानवीय संबंधों को नये धरातल पर ला दिया। शिक्षा के प्रसार, महिलाओं द्वारा वैतनिक श्रम के प्रति आकर्षण तथा नवीन पूजावादी व्यवस्था ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया।

1 हिन्दू विधि पृष्ठ 45।

परिणाम स्वरूप विवाह—विच्छेद की प्रवृत्ति का विकास हुआ। दूसरी तरफ योग्य वर से अपनी कन्या के विवाह की आकांक्षा ने दहेज जैसी कुप्रथा को अघोषित रूप से बढ़ावा दिया। 1 इस कारण दहेज सम्बन्धी मुकदमों की न्यायालयों में बढ़ोत्तरी स्वाभाविक था जिसका परिणाम अन्ततः विवाह—विच्छेद जैसे प्रक्रिया ही थी। इस प्रष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति के इस दूसरे दशक में 30 प्र० में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में तलाक लेने के मामलों में वृद्धि हुई है।

आधुनिक विचारधारा तथा जीवन पद्धति से परिवारों में तनाव बढ़ा फलस्वरूप पति पत्नी के रिश्तों में टकराहट आयी। पहले जहाँ इस तरह की टकराहट पर बड़े बुर्जुगों के दबाव आपसी समझौते तथा विवशता वश सम्बन्ध निर्वाह किये जाते थे वही अब मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है। अपने प्रारम्भिक चरण में विवाह विच्छेद के आधार सीमित तथा कठोर थे। विवाह विधि (सशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा विवाह विच्छेद के अधिकारों को विस्तृत करते हुए नरम बना दिया गया। 2 अपने प्रारम्भिक चरण में ही यह कानून व्यवहार में आने लगा और समाज में इसका उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया। जबकि मूल अधिनियम के प्रमुख उपबन्ध आज भी अमल में नहीं हैं। भारतीय न्यायालयों में लम्बित मुकदमों में तलाक से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है। तलाक कानूनों ने जहाँ परिवारों के टूटने के दृश्य प्रस्तुत किये हैं वही महिलाओं की स्थिति को बेहद जटिल बना दिया है। कारण यह है कि अधिकांश पारिवारिक मामलों में जहाँ तलाक तक स्थिति पहुँच जाती है महिलाओं को दोषी माना जाता है। जबकि तनाव के क्षण में नवविवाहित महिलाओं को अधिकांशतः पारिवारिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है।

1 औरत होने की सजा, जैन अरविन्द पृष्ठ 128 ।

2 हिन्दू विधि पृष्ठ 46 ।

यह क्रूरता ही अन्तत विवाह विच्छेद का कारण बनती है जिसमे महिलाओ की मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों ही स्थितियों स्वतंत्रता (व्यक्तिक) मिलने के बाद भी विषम बनी रहती है।

चुनाव और महिलाएं —

भारत के संविधान निर्माताओं ने मानवीय अधिकारों और बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान नागरिक अधिकारों की गारन्टी दी। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं को विदेशी महिलाओं की तरह समान अधिकारों के लिए अलग से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी उन्हें बराबरी के वैधानिक अधिकार भारतीय गणराज्य की घोषणा के साथ ही प्राप्त हो गये किन्तु उन अधिकारों को व्यावहारिक रूप देना बहुत आसान काम नहीं है। गणतन्त्र बनने के बाद 1952 के चुनावों में महिलाओं की उम्मीदवारों के रूप में भागीदारी बहुत ही निराशाजनक थी। इसका कारण हमारी सांस्कृतिक परम्परा थी। यह एक सच्चाई है कि राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं का आना हमारी स्थापित सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के सवाल पर वर्तमान कांग्रेसी सांसद अणित जोगी कहते हैं, "मेरी आशंका तो यह है कि इसके चलते भारतीय समाज की सबसे मजबूत कड़ी—परिवार विखण्डित होगा घरेलू महिला या माँ ऐसी धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द सम्पूर्ण परिवार चलता रहता है और ये महिलाये सरकारी कार्यालयों में या सार्वजनिक सस्थानों के पीछे भागने लगी तो परिवार की अवहेलना होगी।"

सदियों से पितृसत्तात्मक समाज की इस सोच ने महिला को परिवार की स्वामिनी होने के भ्रम में उलझाये रखा। उसका यह भ्रम ऐसा नहीं कि टूटा न हो, समय समय पर यह मुखरित भी हुआ किन्तु वह समाज के विकास की प्रक्रिया में अपना सहयोग नहीं दे सकी। यही कारण है कि भारत में महिलाओं की राजनीति में भूमिका न के बराबर है। जबकि राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका नये भारत के निर्माण में आशाजनक सकेत थी। सविधान निर्माण में महिलाओं का सक्रिय योगदान इस आशा की पुष्टि करता था। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आशा के अनुरूप न होते हुए भी उत्साहजनक थी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बराबरी के स्तर पर उनकी भागीदारी स्वतंत्र भारत में महिलाओं की नयी स्थितियों का परिचायक था।

महिलाओं का राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर.—

प्राचीन काल से आज तक सामाजिक — राजनैतिक सस्थाओं में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। राजशाही सामंती चेतना पर जनचेतना प्रभावी होती गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सविधान द्वारा प्रदत्त समानता ने महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय की क्षमता प्रदान की। 30 प्र0 में सरोजनी नायडू ने (1947 में) प्रथम महिला राज्यपाल का दायित्व सभाला। महिलाओं ने समाज में अपनी भागीदारी प्रदर्शित की तथा सामाजिक परिवर्तन में सहयोग किया। उदाहरण के लिए शराब बंदी के लिए 30 प्र0 के विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलन हुए । जो महिलाओं द्वारा ही किए गये। महिलाओं की सक्रिय राजनीति में भागीदारी बहुत कुछ चुनाव घोषणा पत्रों तथा जनचेतना पर निर्भर करती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनैतिक जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखायी देता है किन्तु वह परिवर्तन सक्रिय राजनीति में आम भारतीय महिला को आने की छूट नहीं देता परिणाम स्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को तथा विधानसभा में सीटों को देखते हुए निराशाजनक है।

वर्ष	महिलाओं की संख्या
1952	13
1957	29
1962	21
1967	08

उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिलाएँ

उपरोक्त आंकड़े संतोषजनक नहीं होते हुए भी महिला भागीदारी की आशा बनाये रखने में सहायक अवश्य है दूसरी ओर यह इस बात का भी प्रमाण है कि स्वतंत्रता आन्दोलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सक्रिय महिला भागीदारी के होते हुए भी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के योग्य नहीं समझा गया। साथ ही राजनीति में पुरुष आधिक्य या पुरुष वर्चस्व ने उन्हें यह भागीदारी दी ही नहीं। इस सक्रिय भागीदारी, जिससे महिलाओं को वंचित रखा गया के अभाव में प्रदेश का विकास असंतुलित होता गया। और यह असंतुलन पारिवारिक स्तर पर भी परम्परागत रूप से प्रभावी रहा।

समाज के स्वरूप के निर्माण में तथा उसके निरन्तर गतिशील रहने की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष दोनों का समान योगदान होना चाहिए।

उ०प्र० के राजनैतिक परिदृश्य में यह योगदान अधिकांशतः नहीं रहा। इसके स्पष्ट कारण हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति तथा धर्म ने प्रायः प्रमुख भूमिका निभायी है। उन समाजों में जहाँ गरीबी, बेराजगारी, बीमारी, भूख, वैज्ञानिक समझ का अभाव है, यानि जो समाज पिछड़े है, वहाँ अधिक असुरक्षा व अनिश्चितता है। ऐसे में धर्म समाज को एक नागपाश के रूप में जकड़े रहता है। यह स्थिति सचेतन रूप से ही समाज के प्रभावशाली हिस्से द्वारा अन्य लोगों पर आधिपत्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में धर्म एक शोषण की प्रक्रिया बन गयी है और इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा शिकार महिलाएँ हुईं।

उत्तर प्रदेश का समाज एक ऐसा समाज है जहाँ हर किस्म के भेद भाव रहे हैं — जहाँ प्रभावशाली और कमजोर वर्ग रहा है। सवर्ण, दलित व पिछड़े हैं, यहाँ उत्पादन के तरीके विकसित नहीं रहे परिणामतः समाज में सभी के लिए सामान साधनों का अभाव रहा। इसी कारण इस पूरे क्षेत्र में धार्मिक नियंत्रण भारत के हर अधिकार से वंचित है — राजनीति से, उत्पादन के साधनों से, फसल के बटवारे तथा उसके कानूनी अधिकार से। घर से बाहर तक उसे बोलने का हक नहीं है। औरत को धर्म में निहित शोषण से मुक्त करने के मामले में औरत की आर्थिक आजादी प्रमुख कदम है। इन धार्मिक, सामाजिक विशेषकर जातिगत प्रतिबन्धों ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति तथा स्वतंत्र निर्णय की क्षमता सबको प्रभावित किया।

उच्चस्तरीय राजनीति में यह दशक उत्तर प्रदेश तथा भारत दोनों ही स्तरों पर महिलाओं के सर्द्ध में आशापूर्ण रहा किन्तु सामान्य स्तर पर हम इसे सतोषजनक नहीं कह सकते। क्योंकि परम्पराओं के इस गढ़ को भेदने महिलाओं को अभी कम से कम दो दशक लगेगे। यद्यपि सुचेता कृपलानी इस दशक में मुख्यमन्त्री रही किन्तु इसे हम महिला उपलब्धि से जोड़कर नहीं देख सकते हैं।

रोजगार

उत्तर प्रदेश में महिला राजगार की स्थितियों को समझने के लिए यहाँ के समाज के मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थिति, परम्परा तथा नारी की भूमिका को समझना होगा। भाषा जो समाज की विचारधारा को सम्प्रेषित करने का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है—द्वारा महिलाएँ कभी वह स्थान नहीं प्राप्त कर सकी जो पुरुषों को है। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाएँ परिवार के आर्थिक कार्य व्यापार में अपने श्रम के माध्यम से जुड़ी तो रहती हैं किन्तु उसका संचालन नहीं करती। इसलिए महिलाओं को रोजगार का विषय और उस पर बहस अत्यन्त जटिल बिन्दु हैं।¹ प्रत्येक देश और समाज में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कठिन श्रम और दोहरे दायित्व का निर्वहन करती हैं। अधिकांश जगहों पर वह कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं किन्तु उन्हें उत्पादन के बिन्दुओं से जोड़कर नहीं देखा जाता। यही कारण है कि उन्हें ससाधनों के संचालन और नियन्त्रण की छूट नहीं है।

“भारत में लगभग सभी महिलाएँ कार्य करती हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र से जुड़ी श्रमिक महिलाएँ।

1 कलपगम यू- लेबर एण्ड जेन्डर, पृष्ठ - 18

बालविवाह की प्रथा के कारण ये महिलाये मुख्य रूप से पत्नियों होती है जो परिवार या परिवार के आर्थिक ससाधन मे वृद्धि के लिए कार्य करती है। जो महिलाए खेतो मे कार्य नही करती है वो कृषि से जुड कार्य घरो मे करती है।¹ परिवार के हित से जुडे श्रम के पश्चात भी महिलाओ बच्चो को उपभोक्ता की श्रेणी मे रखा जाता है न कि उत्पादन के रूप मे। परिवार के लिए किए गए असाध्य श्रम के बाद भी महिलाओ के प्रति इस उपेक्षापूर्ण दृष्टि का कारण महिलाओ का परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण है। महिलाओ द्वारा पत्नी के रूप मे किया गया उसका कार्य उसकी परम्परागत भूमिका का अग माना जाता है।

उत्तर प्रदेश चूकि कृषि प्रधान देश है तथा परम्परा और सस्कृति का गढ है। इसलिए यहाँ कृषि प्रधान समाज की सभी विशेषताएं है। महिलाए कृषीय समाज की रीढ है किन्तु उन्हे सम्मान प्राप्त नहीं है क्योंकि यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मूल विचार धारा है।² पुरुष घर के भीतर महिला द्वारा की जानेवाली मेहनत तथा घर के बाहर कमाई जाने वाली मजदूरी दोनो पर नियत्रण सखते हैं। महिलाओ को ज्यादातर ऊँची नौकरियो से दूर रखा जाता है। इसलिए उन्हें ऐसे धन्धे अपनाने पडते हैं जिनमे पारिश्रमिक कम मिलता है। काम का यह ढंग महिला को लाभ का बताया जाता है किन्तु यह सबसे अधिक शोषण करने वाला ढग है। महिला के मेहनत और शोषण पर पुरुषो का नियत्रण उन्हे भौतिक फायदा पहुंचाता है।³

1 1981 की जनगणना रिपोर्ट

2 वैल्वी सिल्विया, थियोराइजिंग पेट्रियार्की, आक्सफर्ड बेसिल ब्लैकवेल 1990

3 मसीन कला, पितृसत्ता क्या है पृष्ठ - 6

1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है। जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 32.27 प्रतिशत ही रोजगार युक्त है साथ ही इसमें लिंग अनुपात में भारी अन्तर है।¹ इसके अनुसार 50.15 प्रतिशत पुरुष तथा 14.72 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं।² इन रोजगार युक्त महिलाओं में बहुत बड़ा प्रतिशत शहरी महिलाओं का है, इसका सीधा सबन्ध शिक्षा का विकास है। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र उत्तरांचल है जहाँ महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है किन्तु वहाँ महिलाओं की स्थिति सबसे चिन्ताजनक है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जिसमें मुख्यतः 8 जिले आते हैं अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में घर, खेत, व जंगल का समस्त कार्य महिलाओं द्वारा ही सम्पादित होता है। ये कार्य महिलाएँ हर अवस्था में करती हैं। गर्भावस्था तथा प्रसव के दिनों में भी। घर तथा बाहर दोनों ही जगहों पर कार्य की सक्रियता पहाड़ी महिलाओं को किसी प्रकार की व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती अपितु यह कार्याधिक्य पुरुष प्रधान समाज की विशेष शैली का प्रतिफल है। समस्त समाजों में स्त्री पुरुष दोनों कार्य करते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह कार्य समान परिस्थितियों में समान माग पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा समान रूप से सम्पादित हो।³ सामान्यतः घरेलू वर्ग के कार्य की दो धारयाँ हैं। पहला पारिवारिक उद्योग दूसरा व्यक्तिगत उद्योग। पहले वर्ग में परिवार की महिलाएँ यदि रोजगार युक्त नहीं हैं तो वह परिवार के लिए बिना पारिश्रमिक के कार्य करती हैं (जिनमें पत्नियों और पुत्रियों समाहित हैं)⁴ यह उन विचारों का समर्थन करता है जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए कार्य की धिता व्यक्त करते हुए काम की बात कही जाती है।

1 1991 की जनगणना रिपोर्ट

2 वही

3 कलपगम यू. लेबर एण्ड जेन्डर, पृष्ठ - ५

4 वही पृष्ठ - 17

असंगठित क्षेत्र का कार्य इसी श्रेणी का कार्य है। अधिकांशत उत्तर प्रदेश में महिलाये इसी तरह के कार्य व्यापार से जुडी है।

पहाडी क्षेत्रो में महिलाये पहाडी अर्थव्यवस्था की रीढ है। कुमायूँ में कार्यरत गैर-सरकारी सगठनो का मानना है कि ये महिलाये दिन के 24 घटे में से 14 से 22 घटे कार्यरत रहती है। पहाडी क्षेत्रो का यह श्रम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागो में थोडे बहुत अन्तर के साथ समान रूप से लागू होता है।

1957-67 के दशक में भी महिलाओ का बहुत बडा प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के रोजगार से जुडा हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रोजगार तो है किन्तु पारिश्रमिक नहीं इसलिए इसे महिला रोजगार से जोडकर नहीं देखा जा सकता। फिर भी बडी सख्या में निचले तबके की महिलाये कृषि क्षेत्र के रोजगार से जुडी थी जो मौसमी रोजगार होता है जहाँ तक वैतनिक रोजगार का प्रश्न है वह शिक्षा के विकास से जुडी प्रक्रिया है। 1957-67 के मध्य व्यापक स्तर पर होने वाले शिक्षा के विकास ने महिला रोजगार को प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ शैक्षिक विकास ने ही पर्दा प्रथा की परम्परा को तोडकर महिलाओ को बाहर आने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित किया। धीरे-2 पारिवारिक आदर्शों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे। 50 के दशक के आदर्श परिवार अल्पसंख्यक हो गये। सयुक्त परिवार टूटने लगे बडी सख्या में महिलाओं ने वैतनिक श्रम प्रारम्भ कर दिये। स्वास्थ्य सेवाये शिक्षा आदि क्षेत्र महिलाओ के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र बने। जहाँ शिक्षिकाओ की सख्या में वृद्धि हुई वही नर्सिंग में स्त्रियो ने धीरे-2 अपना एकाधिकार बनाया। फिर भी पुरातन मान्यताओ के साथ निरंतर संघर्ष इस दशक की स्त्रियो के लिए सामान्य बात थी।

रोजगार की महत्वाकांक्षायें उसके पारिवारिक जीवन के लिए कलह बनती जा रही थी। इस दशक में स्वेच्छा से नौकरी करने का चुनाव सिर्फ डाक्टर लडकियों ही कर सकती थी क्योंकि यह मूल रूप से रोजगार परक शिक्षा है। अन्यथा नर्सिंग तथा शैक्षिक कार्यों से वही स्त्रियाँ विशेष रूप से जुड़ी जिन्हें आर्थिक तंगी तथा आवश्यकता ने विवश किया। सामान्यतः इस दशक में भी महिलाओं के सामान्य गृहणी की भूमिका को ही निभाया और निभाना पसन्द किया।

उ०प्र० के मेडिकल कालेजों में छात्र-छात्राओं की संख्या — 1967

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	योग	खर्च
1956—57	15	3484	371	3855	16,02,512
1957—58	15	3,575	381	3956	18,15,816
1958—59	15	3418	405	3823	27,51,040
1959—60	15	3112	429	3541	24,20,112
1960—61	15	3,263	429	3,729	25,25,385

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाएं कम होते हुए भी आ रही हैं।

अध्याय : 5

पिछले तीन दशको या उससे कुछ अधिक समय से महिला सम्बन्धी प्रश्न विश्व-स्तर पर विचारणीय बन चुके हैं। 1970 के दशक के आरम्भिक वर्षों में महिलाओं के प्रति होने वाले भेद-भाव को मिटाने तथा समाज में उनकी समानभागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों में सक्रियता आयी है। इन प्रयासों को इस चेतना से भी प्रेरणा मिली कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, शैक्षिक और धार्मिक दशाओं से महिलाओं की पुनरुत्थापक और उत्पादक भूमिका का घनिष्ठ सम्बन्ध है जो महिलाओं के उत्थान में बाधक है।¹ पिछले कुछ समय से अधिसंख्य महिलाये विशेषकर मध्यम वर्ग तथा कामगार वर्ग की ग्रामीण एवं शहरी महिलाएँ पुरुष दमन और दबाव के विषय में अपनी समझ बेहतर करने के लिए छोटे-बड़े समूहों, औपचारिक, अनौपचारिक बैठकों, अध्ययन शिविरों और कार्यशालाओं से जुड़ी रही हैं। तब से महिलाओं में यह समझ आयी है कि हमारी बहुत सी परम्परागत मान्यताओं को चुनौती मिल रही है।² स्वतंत्रता प्राप्ति का यह तीसरा दशक इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है।

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन एक बहुत बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन है जो एक सतत विकास प्रक्रिया है। यह सही है कि पिछले दो दशकों या इससे कुछ अधिक समय से विश्व स्तर पर स्थापित हो रही लिंग चेतना ने सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रति समानता के व्यवहार के सूत्र को समझने का प्रयास किया है। फिर भी विश्व स्तर से प्रक्षेपित यह विचारधारा विभिन्न देशों के धरातल तक पहुँचने के अभियान में आज भी सफल नहीं हो पा रही। विशेषकर भारत में।

1 नैरोबी अग्रगामी नीतियों, पैरा 1

2 मसीन कमला, पितृसत्ता क्या है, पृष्ठ 2

दक्षिण एशिया में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव तथा दुर्व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। महिलाओं के आर्थिक शोषण, हीनता और उत्पीड़न को तीव्र बनाने वाले कारक सदियों पुरानी उन असमानताओं, अन्यायों और शोषण की दशाओं से उत्पन्न होते हैं जो परिवार समुदाय, राष्ट्र, उपक्षेत्र, क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर पायी जाती हैं। इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। यद्यपि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष सभी महत्वपूर्ण सस्थाओं पर प्रभावी रहते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पितृसत्ता के अन्तर्गत महिलाओं के पास कोई अधिकार प्रभाव या ससाधन नहीं होते। 1 वास्तव में कोई भी व्यवस्था बिना कुछ दमित लोगों की सहभागिता के नहीं चल सकती। इसलिए थोड़े बहुत ससाधन, अधिकार के मिलने के साथ महिलाओं के समर्पण का स्वभाव इस व्यवस्था को सदियों से चलाने में सहायक रही है। इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परम्परागत विचारों को बदलने तथा उससे उपजे दुष्परिणामों को बड़े पैमाने पर सामने लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

“1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 3010 (27) में 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने, विकास के सभी प्रयासों में महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने और विश्व शांति को मजबूत बनाने में स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए तेज प्रयास किये जायेंगे। ” 2 महासभा ने अपने प्रस्ताव 3520 (30) में उस विश्व कार्यवाई योजना को स्वीकार किया जो 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ने विश्व सम्मलेन ने वर्ष के उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किये थे। 3 उसी प्रस्ताव में महासभा ने 1976—1985 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक (समानता, विकास और शांति) घोषित किया।

1 वही पृष्ठ 16

2 नैरोबी अग्रगामी नीतियाँ पैरा 2

3 अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के विश्व सम्मेलन की रिपोर्ट, मैक्सिको सिटी 19 जून - 2 जुलाई 1975 (संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, सेल्स न० ई 76 चार 1) अध्ययन - 1 संस्करण - ए

महासभा ने अपने प्रस्ताव 33/185 में संयुक्त राष्ट्र महिला दशक समानता, विकास और शान्ति सम्बन्धी विश्व सम्मेलन के लिए रोजगार स्वास्थ्य और शिक्षा का उपविषय निश्चित किया। यह उपविषय निश्चित ही महिलाओं की समस्त समस्या के मूल में है। इस संदर्भ में नैरोबी अग्रगामी नीतियों का दस्तावेज अपनी प्रस्तावना में कहता है “ आज के बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ के कारण और मुक्त बाजार शक्तियों पर आधारित प्रगति के दृष्टिकोण के कारण असमानताओं और गरीबी में वृद्धि होती जायेगी।

मानवीय और सामाजिक विकास में होने वाले पूँजी निवेश में कमी आती जाएगी। इसलिए महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए सावधानी से पूँजीनिवेश किया जाय और परम्परागत रूप से उनको जिन अधिकारों से वंचित रखा गया है उन्हें वापस दिलाने की सम्भावनाएँ बढ़ाई जाए। ”

महिला विकास से सम्बन्धित लगभग सभी प्रस्तावों में इस तरह के विचार पढ़ने को सरलतापूर्वक मिल जाते हैं किन्तु इन विचारों को अमल में लाने के लगभग सभी प्रयास विफल रहे हैं। फिर भी दशकों से हो रहे प्रयास में भारत के अन्दर आशिक सफलता तथा धीमी किन्तु विकास प्रक्रिया को अनदेखी नहीं की जा सकती। 1967-77 तक का समय महिला प्रश्नों के संदर्भ में कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जनचेतना, सामाजिक परिवर्तन विशेष रूप से मुखरित महिला आन्दोलनों की दृष्टि से सक्रमण काल रहा है। नारी आन्दोलनों ने तथा देश की राजनीतिक स्थितियों ने महिला अधिकारों तथा उनकी समाज के प्रति महत्वपूर्ण भागीदारी को समझाने के सकारात्मक प्रयास किये। जिसने भारत में महिलाओं की परम्परागत भूमिका तथा उनके शोषण पर समाज को सोचने के लिए विवश कर दिया।

शिक्षा —

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जहाँ एक ओर पूँजीवादी उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है वही शिक्षा के विकास पर भी बल दिया है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि एशिया के परम्परागत विकासशील देशों में शिक्षा के प्रसार का एक मूल कारण पश्चिमी विदेशी संस्कृति से आपसी सम्प्रेषण भी है। इस सम्प्रेषण की पहली आवश्यकता महिला शिक्षा है। महिलाओं की शिक्षा उसके सामाजिक स्तर से स्पष्ट तथा गहरे रूप से जुड़ी हुई है। 1 आधुनिकीकरण एक धीमी किन्तु गतिशील प्रक्रिया है जो परिवर्तन को जन्म देने में सहायक है— यह परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक, तकनीति, समाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से परिलक्षित होता है। यह परिवर्तन किसी समाज में अनायास नहीं होता। उपरोक्त क्षेत्रों में परिवर्तन तथा विकास समस्त समाज के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है जो मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। साथ ही मस्तिष्क परिवर्तन के बिन्दुओं की तलाश करने लगता है जो नये सामाजिक क्रिया कलापों तथा सम्बन्धों का विकास करती है। 2

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा युवाओं के मानसिक परिवर्तन का सबसे उचित हथियार है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि शिक्षा समाज के परिवर्तन का सशक्त साधन है। इसलिए शिक्षा महिलाओं के स्तर में सुधार लाने और उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने का आधार है। 3 स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में परम्परागत रूप से लड़कियों को शिक्षा के रूप में आदर्श मातृत्व तथा सुन्दर गृह निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। 4

1 अग्रवाल ममता, एजूकेशन एण्ड मार्टनार्इजेशन, पृष्ठ 11

2 जार्ज एम एस 'एजूकेशन एण्ड मार्टनार्इजेशन' इन ऐसे ऑन मार्डनार्इजेशन ऑफ अन्डर डेवेलपड सोसाइटी, 2017 मद्रास के देसाई ठाकरे एण्ड कम्पनी बाम्बे, 1971 पृष्ठ 228

3 नैरोबी अग्रगामी नीतियों पैरा — 163

4 सिंह भीष्म नारायण एजूकेशन एम्पावरमेंट फॉर वूमेन, ए ऐसे इन पॉलिटिक्स इण्डिया, दिसम्बर 1997

साथ ही धार्मिक शिक्षा का विकास किया जाता था किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मुखरित विचार धाराओं से महिला शिक्षा को बहुत तेज गति से बढ़ावा भले ही न मिला हो किन्तु वैचारिक परिवर्तन अवश्य हुए हैं। इस वैचारिक परिवर्तन ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया है। जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने भी महिलाओं के विकास सम्बन्धी कानूनों का निर्माण तथा प्रतिपादन किया। 1967-77 के मध्य महिला शिक्षा के विकास को हम उ०प्र० के विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। जहाँ तक महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है इसमें आश्चर्यजनक रूप से पिछले तीन दशकों में वृद्धि हुई है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर इन तीन दशकों में विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ने से घटा है। जिन स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाएँ उपलब्ध हैं वहाँ माता-पिता अपनी पुत्रियों को विद्यालय भेजने से नहीं हिचकते। इसके कई कारण हैं—

1. सबसे प्रथम कारण तो यह है कि जिस उम्र में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें कन्या की उम्र बहुत कम होती है इसलिए वह गृहकार्यों के लिए अक्षम होती है
2. दूसरे माता-पिता के विचारों में यह परिवर्तन अवश्य आया है कि कन्या को पत्रा लिखने सम्बन्धी ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

3. उन्हें रामायण-महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों के स्त्री विषयक नियम का ज्ञान हो जाय जिससे वो परम्परागत भारतीय व्यवस्था के संचालन में सहायक हो सकें। ये कारण मूलरूप से ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के इन कारणों के साथ माता-पिता के विचारों में लड़कियों के भविष्य को लेकर नये दृष्टिकोण का विकास हुआ है। माता-पिता के बीच यह विचार नये आर्थिक सम्बन्धों तथा शिक्षा के साथ उनके जुड़ाव के कारण हुआ है।

30-35 वर्ष तक की महिलाओं से लिए साक्षात्कार से यह बात उभरकर आती

है कि यह 70 के दशक के क्रान्तिकारी वैचारिक परिवर्तन का परिणाम था। जिन महिलाओ ने इस दशक के पूर्व सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी उन्होने अपनी कन्याओ को उच्च शिक्षा के महत्व को समझाकर उन्हे न केवल उच्च शिक्षा दिलायी अपितु प्रेरित भी किया। यह स्थिति 1970 के दशक मे शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धि है। यह एक सामाजिक स्थिति है जिसके आकडे 1971 की जनगणना रिपोर्ट तथा अन्य माध्यमो से उपलब्ध करने का प्रयास किया गया। 1960 मे हुए यूनेस्को के कन्वेंशन को ध्यान मे रखकर महिलाओ मे इस दशक में रोजगार युक्त शिक्षा के विकास की प्रवृत्तियो को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप महिलाओ के लिए भी शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रो मे प्रवेश की सुविधा दी गयी।

शैक्षिक स्तर	स्टेटस	उम्र	पुरुष		महिलाएं	
			1971	1981	1971	1981
साक्षर गैर शैक्षिक स्तर	सम्पूर्ण	सभी उम्र के	29 45	31 68	36 22	37 60
प्राइमरी	सम्पूर्ण	''	35 51	27.65	40 70	32 86
मिडिल	सम्पूर्ण	''	17 67	17 29	12.14	12 70
हाई स्कूल	सम्पूर्ण	''	13 99	18.17	08 81	12 38
गैर तकनीकी डिप्लोमा	सम्पूर्ण	''	00 88	00 05	00 23	00 01
टेक्निकल डिप्लोमा	सम्पूर्ण	''	00 11	00 12	00.02	00 03
स्नातक	सम्पूर्ण	''	02.39	05 04	01.88	04.41

शैक्षिक स्तर तथा साक्षरता के आधार पर प्रतिशत निर्धारण (1971-81)

यदि हम साक्षरता व शिक्षा के आधार पर 1971 से 1981 के जनगणना दशक आधार दी गयी तालिका का अध्ययन करे तो कुछ रोचक तथ्य उभरकर सामने आते है तालिका मे स्त्री तथा पुरुष दोनो की वितरण प्रणाली को 1971 से 1981 के आधार पर दिया गया है। बिना औपचारिक शिक्षा प्राप्त किये ही बडी सख्या मे लडकियो साक्षर है। (37 60प्रतिशत) इनका प्रतिशत औपचारिक प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रही बालिकाओ (32 36 प्रतिशत) से बहुत अधिक है। यह प्रतिशत बालको से भी अधिक है (27 65 प्रतिशत) कक्षा 5 के पश्चात मिडिल स्तर तक आते—2 बालिकाओ का यह प्रतिशत आश्चर्य जनक रूप से कम हो जाता है।

1971 से 1981 के मध्य जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है बालिकाओ का प्रतिशत निश्चत ही 40 7 प्रतिशत तथा 32 86 प्रतिशत के रूप में अपने बालक सहपाठियो से 35 51 तथा 27 65 प्रतिशत अधिक है। सरकारी तथा गैर सरकारी सगठनो के प्रयास के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे जो उपलब्धि हमे दिखती है उसे उससे ऊँचे स्तर पर बनाये रखने तथा उतने संसाधन जुटाने मे केन्द्र तथा राज्य दोनो ही सरकारें असफल रही।

1971 मे केवल 12.14 प्रतिशत लडकियो मिडिल की परीक्षा पास कर सकी जबकि छात्रो का प्रतिशत 17.67 था। 1981 में इसमे बहुत थोडा अन्तर आया 12 70 प्रतिशत का जबकि छात्र 17 29 प्रतिशत रहे। गैरतकनीकी डिप्लोमा कोर्स मे लडकियो मात्र 0 23 प्रतिशत जबकि 1981 मे यह 0.01 रहा। टेक्निकल डिप्लोमा मे यह प्रतिशत मात्र 0 02 (1971) तथा 0 01 (1981) मे रहा।

1971 से 1981 के मध्य सिर्फ 1 38 प्रतिशत बालिकाओ ने ही स्नातक स्तर की परीक्षा दी यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है जो 1981 मे सिर्फ 4 41 प्रतिशत तक बढी जबकि बालको का प्रतिशत 2 39 तथा 5 04 रहा जो निश्चय ही बालिकाओ के प्रतिशत से अच्छा है। किन्तु फिर भी सम्पूर्ण शिक्षा के विकास की दृष्टि से निराशाजनक है। 1971-81 के मध्य उ० प्र० मे शिक्षा की यह स्थिति निश्चय ही सतोषजनक नही है किन्तु बालिकाओ की प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से उतसहवर्धक अवश्य है। यह स्थिति 1947 की स्थितिओ की तुलना मे निराशाजनक नही कही जा सकती है। इसलिए इसे राष्ट्र तथा प्रदेश की उपलब्धियो के स्तर पर देखा जाना चाहिए। जिसने महिलाओ के विकास के मार्ग को वैचारिक स्तर पर उद्वेलित किया जो आज बहुत मुखरित रूप मे हमारे समक्ष उपस्थित है। नैरोबी की अग्रगामी नीतियो अपने प्रस्तावो मे कहती है

शिक्षा महिलाओ के स्तर मे सुधार लाने तथा उन्हे पूर्ण प्रोत्साहन देने का आधार हैं। यह वह मौलिक आधार है जो समाज के पूर्ण सदस्यों के रूप मे उनकी भूमिका को पूरा करने के लिए महिलाओ को दिया जाना चाहिए। सरकारो को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी स्तरों पर और योजनाओ , कार्यक्रमो तथा परियोजनाओ को सूत्र करने मे महिलाओ की भागीदारी को मजबूत करना चाहिए। विकासशील विश्व की वास्तविकताओं के अनुसार महिलाओ के शिक्षा नीति को विकसित करने के उपाय किये जाने चाहिए।¹

यद्यपि यह लक्ष्य "2000 तक" महिलाओ के विकास के लिए रखा गया है और इसकी आवश्यकता महसूस की गयी। किन्तु इस रिपोर्ट में जिन बिन्दुओ पर विचार किया गया वह महिला शिक्षा के प्रति विकासशील देशो की सरकार के उदासीन दृष्टि के कारण ही।

प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियों समाज में शिक्षा के प्रति जागृत रुचि को इन्गित करती है किन्तु मिडिल तथा उच्च स्तरीय शिक्षा में महिलाओं की कम उपस्थिति तथा समाज में उच्चमहिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हमारी सरकार तथा जनसंचार माध्यमों दोनों की असफलता का पर्याय है।

लडकियों का वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रबन्धकीय विषयों की पढाई में कम उपस्थिति का होना इस क्षेत्र में सरकारी प्रोत्साहन की कमी को दर्शाता है।

1947 में स्वतंत्रता के पश्चात महलनोबिस ने जिन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के समग्र ढाचागत विकास की कल्पना की थी उसमें शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया। साथ ही कहा गया कि हम शिक्षा के विकास के द्वारा ही अपने सम्पूर्ण लक्ष्यों के नजदीक पहुँच सकते हैं। किन्तु विकास के अन्य कार्यक्रमों तथा अन्य आवश्यकताओं के समक्ष हमारी शिक्षा की योजनाएँ प्राथमिक श्रेणी से द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी क्रम में जा पहुँची और विकास जैसी बातें अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के हवाले कर दी गयीं।

भारत में महिला आन्दोलनों की सक्रियता :-

1970 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला आन्दोलन खड़े हुए वह सरकार के लिए समस्या बनने लगे क्योंकि सरकारी विचारधारा तथा महिलाओं के परिवर्तित चरित्रों के बीच एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था।² महिलाओं ने उन सभी बिन्दुओं पर प्रश्न खड़ा किया जिनमें उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा, जो सैद्धान्तिक रूप से तर्कसंगत नहीं थे।³

1 अग्रगामी नीतियाँ नैरोबी पैरा - 163

2 मजुमदार बीना, - *ऑपेन डर्स ऑफ़ वॉमैटिकल डिस्कॉर्स*, 22 जुलाई, 1995 E.P.O

3 1980 का राजीव - लोगोवाद समझौता जिसमें चदर प्रथा पर महिला आन्दोलनकारियों तथा कटटरपथियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था।

सभी सरकारों के सामने यह प्रश्न खड़ा था कि महिला आन्दोलनों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर क्या हो और कैसे उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाया जाय। क्योंकि नारी आन्दोलनों द्वारा उठाये गये बौद्धिक प्रश्नों का विरोध उन धार्मिक संगठनों द्वारा होता था जिनका समाज की बहुसंख्यक जनता पर प्रभाव होता था तथा जो पितृसत्तात्मक विचारधारा द्वारा पोषित थे।¹ फिर भी यह अनवरत वैचारिक संघर्ष था जिसे आगे चलकर महिला आन्दोलन के स्वरूप को गढ़ना था।

आगे चलकर यह नारी आन्दोलनों का भी विचारधारा के स्तर पर अनेक विभाजन हुआ मार्क्सवादी, समाजवादी, नारीवादी, अतिनारीवादी आदि। इन महिला संगठनों में आपस में गहरे वैचारिक मतभेद हैं किन्तु यह प्रश्न सबके लिए सार्थक था कि नारी की समाज में भूमिका क्या और कैसी होनी चाहिए। इस संदर्भ में लगभग सभी महिला आन्दोलनकारियों ने पुरुष तथा उसकी सत्ता स्त्री तथा उसकी भूमिका पर गहराई से विचार किया निष्कर्षतः उन्होंने सभी समस्याओं के मूल में पितृसत्तात्मक तंत्र को दोषी ठहराया। कमला भसीन कहती हैं — “कुछ लोग जरूर यह मानते हैं कि पुरुषों का जन्म ही राज करने के लिए हुआ है।² सभी परम्परावादी जैवकीय रूप से पितृसत्ता को निर्धारित मानते हैं। गर्डा लर्नर कहती हैं — “परम्परावादी चाहे धार्मिक या वैज्ञानिक ढांचे में काम करते हो वे महिलाओं के निचले दर्जे को सदा हर जगह प्रचलित, ईश्वर प्रदत्त व प्राकृतिक बात मानते हैं।³ यह विचारधारा सिर्फ धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों तक ही सीमित नहीं है। अरस्तू ने भी इसी तरह के विचार रखे। अरस्तू के अनुसार मादा वास्तव में ‘विकलांग नर है’, एक ऐसी प्राणी जिसकी आत्मा नहीं है।

1 दिवसाला में सती हुई रूपकवर का विभिन्न धार्मिक संगठनों अनेक विरोधों के बाद भी समर्थन किया। रूपकवर को धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर उसके पति की लाश को हजारों लोगों की भीड़ के समय जिंदा जला दिया गया था।

2 मुस्लिम धार्मिक ग्रन्थ कुरान कहता है हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा है।

3 भसीन कमला, पितृसत्ता क्या है, सिद्धम मिशन इण्डिया, नयी दिल्ली।

उसने कहा चूँकि स्त्री शारीरिक रूप से निम्न है इसलिए उसकी योग्यता तर्कशक्ति तथा निर्णय लेने की समझ सभी कुछ घटिया है। सिगमंड फ्रायड ने महिलाओं विषय में टिप्पणी है कि “नारी की शरीर रचना ही भाग्य है।” फ्रायड की दृष्टि में समान्य मनुष्य पुरुष था। जबकि स्त्री विकृत मनुष्य।

महिला आन्दोलन कारियों ने अपने सैद्धान्तिक विचारधाराओं के अनुरूप सभी धार्मिक तथा परम्परावादी विचारधाराओं के विरुद्ध अपने विरोध प्रदर्शित किये तथा गहरे ^{संघर्ष} ~~अध्यापन~~ यापन के माध्यम से समानता सबन्धी तर्क प्रस्तुत किये। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने के उपरान्त अपने तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किये। कई लोगों ने पुरुष के प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विभिन्न परम्परावादी विचारों के पीछे कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत नहीं हैं। सन् 1884 में एंगल्स ने अपनी पुस्तक “ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रापर्टी एण्ड द स्टेट” में पितृसत्ता के प्रारम्भ के विषय में महत्वपूर्ण मत पेश किया। एंगल्स का विश्वास था कि स्त्रियों की अधीनता की शुरुआत व्यक्तिगत सम्पत्ति की शुरुआत के साथ हुई। इस पुस्तक ने महिला आन्दोलन की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्सवादी नारीवादियों ने एंगल्स के विचार को और विकसित किया।

दूसरी तरफ नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं की अधीनता के लिए सिर्फ आर्थिक कारणे पर केन्द्रित होना काफी नहीं है। फिर भी गर्डा लर्नर कहती है — इतिहास और समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने में एंगल्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिमन जैसी नारीवादी कहती है— “स्त्री न अपने हार्मोन से नियंत्रित है न उसमें कोई रहस्यमय अतृप्ति है, बल्कि यह तो उसका शरीर है जो जगत से सम्बन्धित दूसरों के माध्यम से प्रवर्तित हुआ है।

अत औरत वैसी ही है जैसी वह बनायी गयी है। वो आगे कहती है “हमे ऐसा भी नही समझ लेना चाहिए कि केवल आर्थिक स्थिति बदलते ही स्त्री मे पूर्ण परिवर्तन हो जायेगा। यद्यपि मानव विकास क्रम मे आर्थिक अवस्था एक आधारभूत तत्व है, जो व्यक्ति का नियता है किन्तु इसके बावजूद नैतिक, सामाजिक सास्कृतिक आदि व्यवस्थाओ मे भी परिवर्तन करने की पूरी जरूरत है जिसके बिना नयी स्त्री का आविर्भाव सम्भव नही होगा।” इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नारी को पैदा होते ही, यहाँ तक आज के सन्दर्भों मे जन्म लेने से पहले ही जब बच्चा गर्भ में भ्रूण अवस्था मे रहता है उपेक्षित कर दिया जाता है। उसके पालन पोषण मे परिवार व समाज भेदभाव बरतते है और उसके जीवन को पितृसत्तात्मक मूल्यों के सदृश गढने लगते हैं। यह स्थिति नारी के अभिशप्त जीवन की कहानी है।

मार्क्सवादी महिला आन्दोलन कहता है “उत्पीडितो और उत्पीडको के बीच, शोषित और शोषको के बीच न कभी समानता हो सकती है न हुई है। जब तक महिलाओ के लिए वो सारी सुविधाये उपलब्ध नही कराता जो कि कानून पुरुषो को उपलब्ध कराता है।” जान ग्रास कहती है . “यदि हम एक महिला के रुप मे जीवन के हर क्षेत्र मे परिवर्तन चाहते है तो हमे यह स्वीकार करना होगाकि पूँजीवादी टुकडे — टुकडे परिवर्तन को समाहित करने की क्षमता रखता है।

महिलाओं की

उदाहरण के लिए कई विवाहित महिलाओ को तलाक लेना पडा। सुरक्षा की तैयारी के बिना श्रम बाजार में फेक दिया जाता है। 1970 के दशक में भारत मे महिला आन्दालनो के लिए स्थितिया बहुत अनुकूल थी।

बाल-विवाह, दहेज, तलाक, दहेज हत्या, पारिवारिक हिंसा, बलात्कार, अपहरण, आदि ने सक्रिय योगदान दिया। सर्व प्रथम महिलाओं ने अपने विरुद्ध हो रही हिंसा को अपने आन्दोलन का विषय बनाया। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रतिहिंसात्मक व्यवहार हमारी परम्परा है। भारतीय इतिहास तथा साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। यह हिंसा प्रायः परिवार, समाज, जाति समूह तथा राज्य की देन होती है। 1983 में भारत सरकार तथा अकाली दल के बीच जो समझौता होना था उसमें सिक्खों के लिए 'पर्सतल्ला' को स्वीकार किया गया था। जिसमें उन्होंने सिक्ख महिलाओं के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम (जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956) को मानने से इन्कार कर दिया था। तलाक के अधिकार को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 को अमान्य किया साथ ही बहु-विवाह प्रथा को स्वीकार करते हुए उसे चादर अन्दाजी के रूप में सिक्ख परम्परा का प्रतीक माना। इस समझौते के प्रावधानों पर राष्ट्रीय महिला संगठनों तथा 5 ग्रामीण महिला मण्डलों तथा कुछ सिक्ख महिलाओं द्वारा इसका मुखर विरोध हुआ। दक्षिणपथी राजनीति का यह कट्टरपथी स्वरूप महिला आन्दोलनों के अभाव में सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम होते हैं। रुढ़ीवादी परम्परावादी राजनीतिज्ञ महिलाओं की स्वतंत्रता को अपनी जाति, समूह तथा सस्कृति के विकास में बाधक समझते हैं।

भारत में सही दिशा में एक समग्र महिला आन्दोलन की आवश्यकता लम्बे काल से रही है। यह सही है कि भारत में महिला आन्दोलनों की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है किन्तु आज भी विभिन्न छोटी-छोटी धाराओं में बटा आन्दोलन अपना सामुच्च्य नहीं प्रस्तुत करता है।

माक्सवादी जहाँ महिलाओ के आर्थिक शोषण तथा उत्पादन के साधनो से उसके सम्बन्ध को जोड़ अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते है तथा वर्ग चेतना और आन्दोलन की बात करते हैं वही दूसरे नारीवादी आन्दोलन महिला उत्पीडन को समय तथा काल के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के भीतर ही हल करने के प्रयास को महत्व देती हैं। इस टकराहट ने महिलाओ के बीच आन्दोलन के उद्देश्यो को लेकर श्रम पैदा किया है।

भारत मे महिलाओ की मुक्ति का सपना अपने पिता – पति की सकारात्मक भूमिका पर आधारित है। माक्सवाद कहता है कि जो उसे बुर्जुआ समाज पाखण्ड पर टिकाये रखना चाहता है। इन विरोधभासो के बीच भारत मे नारी आन्दोलन अपने – अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।

1970 के दशक मे प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियो ने जहाँ प्रदेश मे महिला शिक्षा के विकास मे सुदृढ कदम रखे वही शिक्षित तथा साक्षर महिलाओ का अपनी परम्परा तथा भूमिका का पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया यह महिलाओ के जीवन मे एक नया मोड था। उन्हे अब न तो पुस्तको को पढने पर प्रतिबन्ध था और न ही असमर्थता थी। यही कारण था कि उन्होने स्वयं ही महिलाओ से सम्बन्धित सामाजिक वुराइयो का समझा तथा उनसे निपटने के स्वप्रयास प्रारम्भ किये। फलस्वरुप इस दशक मे महिला आन्दालनो ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में कार्य किया। मधु किश्वर, वन्दना शिवा, पद्मा सेठ, वीना मजुमदार, इंदू अग्निहोत्री, माहिनी गिरी, जयन्ती पटनायक जैसे नाम इन महिला आन्दोलनों से उभरकर आये। जिन्होने बहुत ही लगन तथा मेहनत से महिलाओं के अन्धान के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया।

इसमे मधु किश्वर ने आगे चलकर 'मानुषी मगल' संगठन के माध्यम से महिलाओ मे चेतना के विकास के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया। सामान्य महिला पत्रिकाओ से अलग हटकर उन्होने 'मानुषी' नामक पत्रिका निकाली जो महिलाओ मे एक नयी समझ पैदा करने मे बहुत कुछ सक्षम रही।

यह वही समय था जब प्रदेश के उत्तरांचल मे पर्यावरणवादी नेता सुन्दर लाल बहुगुणा से चिपको आन्दोलन (1974) की शुरुआत कर पहाडी महिलाओ को उनके अस्तित्व का ज्ञान करया था। उस आन्दोलन के पश्चात पहाड की महिलाओ मे समाज मे अपनी भूमिका को लेकर नवीन चेतना पैदा हुई। फलस्वरुप उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलो मे महिला मगल दल जैसे अनेक स्वयं सेवी संगठनो तथा गैर सरकारी संगठनो ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिमी तथा मध्य उत्तर प्रदेश की महिलाओ ने 'दहेज तथा बलात्कार 1 को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये। मथुरा बलात्कार काण्ड जो बाद मे बलात्कार से जुडे कानूनो के कारण विचारणीय मुद्दा बन गया।¹ इस घटना ने प्रदेश की समस्त महिलाओ को वैचारिक स्तर पर झकझोर दिया। यही कारण था कि महिला आन्दोलनो को पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में व्यापक जन समर्थन मिला और महिलाओ ने अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किये। किन्तु उत्तर-प्रदेश मे महिलाओ द्वारा संचालित यह सभी आन्दोलन सीमित रहे। सदियों से महिला मजदूरो के साथ किये जा रहे भेदभाव को इन महिला संगठनो ने कभी आन्दोलन का मुद्दा नहीं बनाया जबकि यह अघोषित सत्य है कि मजदूरी के समान श्रम तथा घंटो के बाद भी महिला श्रम पुरुष श्रम से सस्ता है। और यह सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध भी है।

१. मथुरा केस, सुभन बलात्कार केस, 1989 (1) स्कैल, 199 और परद्विया बलात्कार केस हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 मार्च 1988

रोजगार और महिलाएं :-

महिलाओं के विकास के लक्ष्य समानता, विकास और शांति के उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। अनुभव के विभिन्न स्तर सामने आये। यह बाधाएँ वास्तव में राजनीतिक तथा आर्थिक एक जुटताओं तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकजुटताओं के कारण आयी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थितियों के बिगड़ने में तत्कालीन अर्थव्यवस्था के तत्वों ने भी भूमिका अदा की है। दूसरी तरफ महिलाओं की उत्पादक तथा पुनरुत्पादक भूमिकाओं में भी गिरावट आयी है जिसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में दूसरी श्रेणी की बनी रही। ये ऐसे ऐतिहासिक कारक हैं जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रगत साधनों तक महिलाओं की पहुँच को सीमित करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के प्रभावी ढंग से शामिल होने को सीमित करते हैं। घरेलू कामों और श्रम शक्ति में भागीदारी का 'दोहरा बोझ' महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी बना हुआ है।

मुख्य महिला श्रमिकों का प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी के कार्यों का विभाजन

वर्ष	कुल मुख्य श्रमिक	प्राथमिक निकाय	द्वितीयक निकाय	तृतीयक निकाय
19810	T100.00	83 42	7 64	8.94
	R100 00	90 78	5 41	3 81
	U100 00	14 94	28 32	56 74
1991	T100 00	84 57	6 31	9 12
	R100 00	91 88	4 23	3 89
	U100 00	17 69	25 35	56 96

स्रोत — जनगणना रिपोर्ट भारत सरकार, उत्तर प्रदेश 1981—1991

इस तालिका से हमें ज्ञात होता है कि कुल महिला श्रम का 84.57 प्रतिशत प्राथमिक गतिविधियों में लगा है। जो 91.88 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 17.69 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में है। 1981 से 1991 के मध्य कुल कार्य शक्ति में थोड़ा बढ़ोत्तरी हुई 83 42 प्रतिशत से मात्र 84.57 प्रतिशत के रूप में। दूसरी तरफ द्वितीयक श्रेणी के कार्यों में (जन संख्या रिपोर्ट Va, Vb तथा Vi श्रेणी) में केवल 6.31 प्रतिशत 1991 में जो 1981 के 7.64 से थोड़ा कम है। द्वितीय श्रेणी के प्रतिशत का मुख्य हिस्सा नगरीय क्षेत्रों का है। इन विश्लेषणों से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि सम्पूर्ण कार्यशक्ति का अधिकांश अभी भी ग्रामीण इलाकों के असंगठित क्षेत्रों में लगा है। जो घरेलू उत्पादन की मुख्य उत्पादक शक्ति होते हुए भी उपेक्षित तथा तिरस्कृत रहता है। प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं की अधिसंख्या इस तथ्य का प्रमाण है सस्ते श्रम के साथ दोहरी भूमिकाओं का बोझ वहन कर रही है।

नियोजन —

पिछले दशक मे पारिवारिक आदर्शो मे महत्वमूर्ण परिवर्तन आये है। 50 के दशक का आदर्श परिवार अल्पसंख्यक हो गया है। महिलाओ ने बडी सख्या मे वैतनिक श्रम शुरु कर दिये हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश मे बेरोजगारी की समस्या बहुत बढी है। आकडे दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसख्या क्षेत्रो मे अल्प राजगार तथा नगरीय क्षेत्रो के शिक्षित वर्गो मे बेरोजगारी की समस्या शोचनीय है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वे रौंद के आधार पर 1987-88 के लिए बेरोजगारी के अनुमात लगाए हैं। बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रो के लिए यह मात्र 3.07 प्रतिशत है। आठवी योजना के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो मे खुली बेरोजगारी मे वृद्धि हुई है।

शिक्षितो मे रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर

लिंग / निवास	1977-78 से 1983	1983 से 1987-88	1977-78 से 1987-88
(1)	(2)	(3)	(4)
ग्रामीण	7.8	8.5	8.1
शहरी	6.8	7.4	7.1
पुरुष	7.2	7.5	7.3
स्त्रियो	8.1	11.7	9.7
कुल	7.2	7.8	7.5

नोट सामान्य मुख्य स्थिति (आयु वर्ग 15 +)

स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 32वो, 38वो और 43वो रौंद

उर्पयुक्त आकडे यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी स्त्रियों के सदर्भ में 1983 में 141 प्रतिशत थी जो 1987 - 88 में बढ़कर 352 प्रतिशत हो गयी और शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 690 प्रतिशत से 877 प्रतिशत हो गया है। इसका अर्थ है स्त्रियों में अल्प बेरोजगारी प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र में महिलाये सबसे अधिक कार्यरत हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही स्थानों पर महिलाओं की तुलना में पुरुष रोजगार अधिक है। पुरुषों में यह प्रतिशत जहाँ 49.31 है वह महिलाओं में यह मात्र 7.45 प्रतिशत है। गावों में यह विषमता नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। रोजगार युक्त पुरुष नगरों में 46.19 प्रतिशत है तथा गाँवों में 50.10 प्रतिशत है। वही महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक निराशाजनक है। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि परिवार औरत को न्यूनता पूरक श्रम शक्ति बना देता है। तब वह श्रम बाजार की सरती श्रम शक्ति बन जाती है। यह सब कुछ हमें कृषि क्षेत्रों तथा उद्योगों के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस सम्बन्ध में मुख्य आकड़े जनगणना रिपोर्ट तथा रीना मिश्रा के अप्रकाशित शोध - ग्रन्थ "status of working women in U.P." महिलाओं की रोजगारपरक स्थितियों को दर्शाते हैं।

साम्प्रदायिकता तथा महिलाएं :-

किसी भी देश में जातीय आत्म-सम्मान के साथ रुढ़िवादिता की लहर चलती है तो वहाँ सबसे पहला खतरा व्यक्ति की स्वतंत्रता को होता है और यह स्थिति महिला विकास में बाधक होती है। क्योंकि समस्त धार्मिक, नृजातीय, सांस्कृतिक और रुढ़िवादी लोग मूल रूप से लैंगिक समानता के विरोधी होते हैं।¹ जैसा कि हिटलर का सिद्धांत था - "महिलाये बच्चे पैदा करने, रसोई और चर्च में प्रार्थना करने के लिए ही पैदा हुई हैं।² रंगभेद तथा अन्य नस्लवादी अल्पमत व्यवस्थाओं के तहत महिलाये तथा बच्चे कत्लेआम जैसे प्रत्यक्ष अमानवीय व्यवहार के शिकार होते हैं।

1 मजुमदार बीना सुव इदू अग्निहोत्री, *ऑर्गेनिंग रूई ऑफ पॉलीटिकल डिस्कॉर्स*, 3rd एडिशन 1995 E.P. 6

2 चक्रवर्ती रणु - *भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं का योगदान* पृष्ठ - 6

“ तीन दशक से ज्यादा समय से फिलिस्तीनी महिलाये घर मे और बाहर कठिन जीवन स्थितियों का सामना कर रही हैं। वो अपने परिवारो की जिदगी तथा फिलिस्तीनी जनता की जिदगी के लिए सघर्ष कर रही हैं।”^१ “ दक्षिणी लेबनान तथा जौला पहाडियों मे हिंसा तथा अस्थिरता ने इस्त्राइली कब्जे में रहने वाली अरब महिलाये भी भेदभाव तथा हिरासत जैसी कार्य वाहियों से पीडित हैं।”^२ भारत से लेकर फिलिस्तीन तक के स्वतंत्रता सघर्ष का यदि विशद विवेचन किया जाय तो परिणाम के रूप मे — स्थितियों के सामान्य होते ही महिलाओ के सक्रिय और साहसी सहयोग को रद्दी की टोकरी के डाल दिया जाता है और पुनः हम राष्ट्रीय सम्मान, जातीय गौरव तथा राष्ट्रीय सस्कृति के व्यामोह मे उलझ जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर शांति ही किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास की पहली शर्त है। हथियारबन्द लडाइयों का सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को भूमतना पड़ता है।^३ ईरान मे राजा शाह पहलवी के शासन काल मे जो परिवर्तन दिखायी पड रहे थे उसने ईरानी महिलाओं मे शिक्षा का भरपूर प्रसार किया। इससे वहाँ की स्थितियों मे बदलाव स्वाभाविक था। आयातुल्ला खामोशी के आगमन के साथ रात मे आये धार्मिक शासन ने वहाँ के समाज को पुनः रुढिवादी जकडन मे जकड दिया इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव वहाँ की महिलाओं पर पडा। लगभग समान स्थिति अफगानिस्तान मे नजीबुल्लाह के अपदस्थ होने तथा तालिबानो के आगमन के पश्चात हुई। अफगानिस्तान में भी इस्लाम की स्थापना तथा सत्ता के संघर्ष से महिलाओ ने अपने जीने के मूलभूत अधिकारो को भी खो दिया है। वहाँ सबसे कडा प्रतिबन्ध महिलाओं के घरों से बाहर निकलने पर लगाया गया है। इस प्रतिबन्ध के कारण वहाँ 16वीं सदी की पर्दा प्रथा की पुर्नस्थापना हुई है। दूसरी तरफ इन कट्टरपंथी ताकतों ने महिला शिक्षा को प्रतिबन्धित कर दिया है। कश्मीर की आतकवाद भी स्थितियों लगभग ऐसी ही हैं।

-
- 1 नैरोबी अग्रगामी नीतियों
 - 2 वही
 - 3 अफगानिस्तान तथा कश्मीरी आतकवाद इसका उदाहरण है।

इन स्थितियों से निपटने के लिए प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। नैरोबी 2000 तक की अग्रगामी नीतियों में इन स्थितियों की गम्भीरता पर विचार करते हुए कहा गया — “हथियार बन्द स्थितियों तथा आपात स्थितियों के कारण महिलाओं एवं बच्चों के जीवन के लिए गम्भीर खतरा पैदा हुआ है। इसके कारण लगातार विस्थापन, विध्वंस, तबाही शारीरिक पीडा, सामाजिक पीडा, सामाजिक और पारिवारिक विघटन और असहायता के भय और खतरे पैदा हुए हैं। कभी-कभी इसके कारण स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं की पर्याप्त सुलभता का पूरा — पूरा खात्मा होता है, राजगार के अवयव जाते रहते हैं और कुल मिलाकर भौतिक दशाओं में बदतरी आती है।¹

पैरा — 261

“हथियार बन्द टकरावों को सीमित करने के उद्देश्य से प्रेरित 1949 की चौथी जेनेवा कन्वेंशन और 1949 की चौथी जेनेवा कन्वेंशन के का प्रथम अतिविक्रित प्रोटोकाल 1977 में स्वीकार किया गया जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, जारी वार्ताएँ और अन्तर्राष्ट्रीय वहस मुबाहिसे जो शत्रुता के चक्र नागरिकों को संरक्षण देने का आम ढाँचा प्रदान करते हैं और महिलाओं तथा बच्चों को मानवीय मदद तथा संरक्षण प्रदान करने के प्रावधानों के आधार प्रदान करते हैं। आपात काल तथा हथियार बन्द झगडों के दौरान महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धित 1974 घोषणा (महासभा प्रस्ताव 3318 (XXX)) में जो उपाय सुझाये गये हैं, सरकारों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।²

पैरा — 262

ऐसा नहीं है कि इन हथियार बन्द टकरावों का प्रभाव पारिवारिक स्तर पर नहीं करना पडता। ऐसी स्थितियों अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा पारिवारिक स्तर पर भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि रुढ़िवादिता तथा साम्प्रदायिकता एक दूसरे के सहयोगी हैं और हथियार उसका आधार है।³

1 नैरोबी अग्रगामी नीतियों पैरा — 261

2 वही पैरा — 262

3 आतकवादी गतिविधियों (विशेषरूप से कश्मीर, पंजाब) जो धर्म को अपना साधन बनाती हैं।

कट्टरपथ धर्म के ओट में समाज के विकास को बाधित करता है और साथ ही दूसरी विचारधारा तथा सस्कृति से टकराहट को जन्म देता है। इस द्वन्द में पुरुष मानसिकता अपने सम्पूर्ण पाशुविक स्वरूप में दृष्टिगोचर होती है।¹ ऐसी मानसिक स्थितियों ही शान्ति काल में स्त्री के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दगा हो, डकैती हो, युद्ध हो सबकी परिणति के रूप में महिलाओं को विषम, दयनीय और दूरगामी परिणाम अनायास भोगने के लिए विवश होना पड़ता है।

साम्प्रदायिक और आतंकवादी वातावरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पुरुष सत्तात्मक समाज में स्वयं पुरुषों द्वारा स्त्रियों के लिए बनाये नियम धूल चाटते हैं और सम्पूर्ण वातावरण पाशविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को दोहरे भय और बन्धनों में बाधा जाता है।² सुरक्षा के नाम पर सामाजिक नियम कानूनों की एक शृंखला सी बनती जाती है जिसमें महिलाओं के बांधने के कड़े प्रयास किये जाते हैं। भारतीय परिस्थितियों में जहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों ही सम्प्रदायिकता तथा भेदभाव से निर्धारित होती है। जहाँ एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग (जो अपने आप में बहुसंख्यक है) हो जो समाज सरकार तथा उसकी नीतियों को निर्धारित करता है। जो महिलाओं के विकास की अवधारणा को अपनी अस्मिता के लिए खतरा मानता हो। उस देश में महिला तब तक साम्प्रदायिक त्रासदी से गुजरती रहेगी जब तक वह स्वयं अपने अस्तित्व के प्रति जागृति नहीं होती। हर अल्प संख्यक कहा जाने वाला वर्ग अपनी अपनी अस्मिता की लड़ाई में महिला की अस्मिता की समझ खो बैठता है।³ पंजाब के आतंकवाद का गुमनाम पहलू — यौन आतंकवाद — रहा है।⁴ बन्दूक की नोक पर मजीत कौर का अपहरण करने वाले आतंकवादियों ने लगातार एक साल तक उसका यौन शोषण किया।⁵ चौबीस वर्षीय भूपिंदर कौर को तो बालात विवाह की यातना दो बार झेलनी पड़ी मृत आतंकवादी पतियों से उसके तीन बच्चे हैं।⁶ पांच वर्षों तक भारी आघात झेल चुकी भूपिंदर का कहना है “ सिर्फ बच्चों के लिए जिंदा हूँ”⁷

1 पंजाबी आतंकवाद की शिकार सबसे अधिक महिलाएँ हुईं क्योंकि आतंकवादियों ने निर्दोष कुँआरी लड़कियों को अपनी हबस का शिकार बनाया साथ ही उन्हें प्रताड़ित भी किया (इंडिया टुडे 31 सितंबर 1992 — पृष्ठ — 73 देखें)।

2 मुस्लिम विदेशी आक्रमणों के पश्चात भारतीय महिलाओं के जीवन में “ पर्दा” की सस्कृति तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों में उसकी कम होती सहभागिता तथा बाल विवाह इसकी पुष्टि करते हैं।

3 सत हरचंद सिंह लोगोवाल द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व भारत सरकार से होने वाले समझौते के प्राक्घान में “पंजाबी सस्कृति” के नाम पर महिलाओं के अनेक अधिकारों को छीन लिया गया था तथा विवादित ‘चादर अन्दाजी’ की प्रथा का समर्थन किया गया था।

4 विनायक रमेश — इंडिया टुडे — पृष्ठ 72 दिसम्बर 31 1992

5 वही

6 वही

7 वही

ऐसी ही परिस्थितियों दंगों के समय हिंसा में महिलाओं को उठानी पड़ती है विशेषकर कमजोर और गरीब तबके की महिलाओं को 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा देना देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा था किन्तु प्रतिफल के रूप में लगभग सभी वर्ग की स्त्रियों को इसके दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भयंकर हिंसा हुई। कम से कम 200 के लगभग लोगों की मृत्यु हुई। 7 ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्गों द्वारा क्रोध का शिकार सुरक्ष के घरे से बाहर की महिलाएँ रही। ऐसी ही स्थितियों 1984 में इंदिरा गाँधी की मृत्यु के पश्चात हुए दंगों में सिक्ख महिलाओं को देखनी पड़ी। 8

1967-77 के मध्य राजनीति तथा महिलाएँ :-

यह दशक शीर्ष महिला राजनीति का था। 24 जनवरी 1996 को भारत की प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में भारतीय राजनीति के शीर्ष पर एक महिला राजनीतिज्ञ इंदिरा गाँधी का आगमन हुआ। इसलिए यह सम्पूर्ण दशक भारत में राजनीति विशेष रूप से महिलाओं के सर्भ में उल्लेखनीय है। 1956 में अखिल भारतीय चुनाव कांग्रेस तथा 1959 राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही इंदिरा गाँधी ने निश्चय ही भारतीय राजनीति की पुरुष प्रधानता को चुनौती दी। किन्तु यह उपलब्धि समग्र रूप से महिलाओं की उपलब्धि नहीं थी। इतना अवश्य था कि भारतीय महिलाओं को एक मजबूत मानसिक आधार अवश्य मिला। महिलाओं ने भारतीय राजनीति में सक्रियता दिखानी प्रारम्भ की विभिन्न राष्ट्रीय दलों में महिलाओं की प्राथमिक सदस्यता बढ़ी किन्तु यह स्थिति देश की संसद तथा विधान सभाओं में देखने को नहीं मिलती।

1 वही

2 वही पृष्ठ 44

एक सिक्ख महिला के अदालत में दिये गये बयान के कारण कई राजनेता कानून के घरे में हैं।

संसद ने महिलाओं की उपस्थिति

चुनाव वर्ष	कुल सीट	निर्धारित महिला सांसद	प्रतिशत
1951	499	22	4.4
1957	500	27	5.4
1962	503	34	6.7
1967	523	31	5.9
1971	521	22	4.2
1977	544	19	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति

चुनाव वर्ष	निर्धारित महिला विधायक	प्रतिशत
1967	08	.
1969	18	...
1974	21	...
1977	13	...

संसद तथा विधान सभा के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 1977 तक भारत में महिलाओं की राजनीति सक्रियता 1942 से लगातार एक सीधी रेखा में औपचारिक रूप से सिर्फ पूर्ण होती रही है । इसमें किसी तरह के विकास के लक्षण स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखता जिसे रेखांकित किया जा सके ।

दक्षिण एशिया की शीर्ष सत्ता तथा परम्परा में हमेशा महिलाओं के सदर्थ में विरोधा भास रहा है । फिलिपींस, भारत, पाकिस्तान, लका, वर्मा, बंगलादेश, इसका उदाहरण है। फिलीपींस में कोराजान इक्वानों को उनके मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति बनाया गया वो भी अपार जनसमर्थन के साथ । बंगलादेश में खलिदा जिया तथा शेख हसीना वाजिद का जनसमर्थन के आधार पर क्रमशः प्रधानमंत्री बनाया गया । पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो को पिता की मृत्यु के पश्चात मिली राज सत्ता । श्रीलका में श्री मौओं भण्डारनायक का राष्ट्रपति बनना । बर्मा में उदारवादी नेता आग-साग-सू की को पिता के मृत्यु के पश्चात मिला जन समर्थन दक्षिण एशिया की राजनीति में महिलाओं की स्थिति का एक अन्य स्वरूप रूप है जो सामान्य रूप से सुखद प्रतीत होता है किन्तु शीर्ष पर महिलाओं को बैठाकर उन्हें कमजोर समझते संचालित करने की मानसिकता से ग्रस्त है ।

राजनीति में महिलाओं का पर्दापण तथा बहुसंख्या उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगी किन्तु संसद तथा विधान सभाओं में महिला उपस्थिति के आकड़े अत्यन्त निराशाजनक हैं साथ ही जो प्रतिनिधित्व ऐसी जगहों पर दृष्टिगत होता है वह समाज के उच्चवर्ग तथा पुरुष राजनीतिज्ञों द्वारा पोषित महिलाओं का है जो प्रकारान्तर से पुरुष चिन्तारो की समर्थक तथा उनके द्वारा संचालित रही हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जिस प्रदेश में प्रथम गर्वनर महिला रही उस प्रदेश में सुचेता कृपलानी के पश्चात् कोई भी मुखर महिला नेतृत्व नहीं के बराबर रहा। 1967-77 के मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला राजनीतिज्ञों की प्रमुखता या भागीदारी आशिक ही रही। 1967 में हुए चुनावों में 400 से अधिक सीटों पर हुए चुनावों में मात्र 08 महिलाओं का विधान सभा में जीतना इस बात का प्रमाण है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के पास अपना घोषणा पत्रा होता है जिसके आधार पर वो जनता के सामने चुनावों में उतरते हैं 1977 तक कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिला प्रश्नों को वारीयता नहीं दी। जबकि स्वतंत्रता आन्दोलन में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं ने देश की अगुवाई की उन्हें हाशिये पर नहीं रखा जा सकता। फिर भी पण्डित जवाहर लाल तथा गोविन्द बल्लभ पंत (उ० प्र०) से लेकर इंदिरागांधी तक के मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या नगण्य थी।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं का राजनीति में न आने का कारण सामाजिक तथा आर्थिक भी है। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में नारी की सामाजिक सक्रियता को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। यह इसलिए कि स्त्रियों की राजनीतिक सक्रियता जहाँ पुरुषों के वर्चस्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है वही महिलाओं के शोषण का भी मार्ग प्रशस्त करती है राजनीति में सक्रिय सामान्य महिलाओं के चरित्र का हनन उनकी सक्रियता में बाधक पहुँचाता है।

1 देखें 1977 तक के सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र।

“ सरकारो तथा राजनीतिक पार्टियो जिनको राष्ट्रीय तथा स्थानीय विधायिकाओ मे महिलाओ की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए , महिला नियुक्तियो तथा पदोन्नतियो मे सघन प्रयास करने चाहिए” 1 इन तीस वर्षो मे भारत सरकार ने ऐसे प्रयासो मे कोई सक्रियता नही दिखाई। फलस्वरूप महिलाओ की राजनीतिक भागीदारी को किसी स्तर पर बढावा नही दिया जा सका। इस दशक मे राष्ट्रीय राजनीति मे महिला नेतृत्व के बाद भी कोई ठोस परिणाम उभरकर सामने नही आये।

अध्याय : 6

स्वतंत्रता के समय की स्थिति की तुलना में, इस दशक में महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप आदि के मामले में वास्तव में प्रगति की है किन्तु साथ ही साथ उसके ऊपर अत्याचार भी बढ़ गये हैं। ऊँची दहेज राशि, ससुराल वालों द्वारा बहुओं को जला डालना आदि में अत्याधिक वृद्धि हुई है— विशेषकर शहरी पढ़े-लिखे मध्यमवर्गीय परिवारों में यह घटनाएँ प्रतिदिन के जीवन से जुड़ गयी हैं। सामूहिक बलात्कार, बाल वेश्यावृत्ति आदि घटनाएँ महिलाओं के प्रति समाज के नैतिक चरित्र के पतन तथा प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

ग्रामीण जीवन में भी बदलाव के लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता को तथा उसके स्पष्ट परिणाम को इस दशक में देखा जा सकता है किन्तु इस दशक की सबसे बड़ी विडम्बना है प्रगतिवाद तथा कट्टरपथ का टकराव। शहरीकरण पिछले कुछ "दशकों की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों में एक रहा है और अनुमानतः सन 2000 तक विश्व की महिलाओं की आधी संख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। इसलिए सम्भवतः यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में इसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार तीनों ही की समस्या यहाँ के सम्पूर्ण जीवन दर्शन से जुड़ी है। गर्भ धारण व प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी विशिष्ट अवस्थायें हैं।

हाल के अध्ययन यह दिखाते हैं कि ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ रही है जिनमें कोई एक महिला ही एक मात्र कमाने वाली है। कुछ खास कठिनाइयों (सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी) जिनका वो सामना करती हैं, के चलते ऐसी अनेक महिलाएँ उन बेहद गरीब लोगों में से हैं जो शहरी औपचारिक श्रमबाजारों में केन्द्रित हैं, और उनमें बड़ी संख्या ग्रामीण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी हैं। उन्हें बहुत कम आर्थिक सामाजिक तथा नैतिक समर्थन मिलता है।

महिलाओ के साथ ऐसी स्थितियों मे स्वास्थ्य के प्रति उनकी लापरवाही या अत्यधिक श्रम से उत्पन्न स्थितियों मे खराब स्वास्थ्य ही है।

महिलाये व स्वास्थ्य:-

भारत मे अधिसख्य महिलाये अनेक कारणो से अच्छे स्वास्थ्य से वचित हैं। गर्भधारण तथा प्रजनन उसकी विशिष्ट अवस्था है। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी यह समस्या उनके सम्पूर्ण जीवन चक्र से जुडी है। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी यह समस्या उनके सम्पूर्ण जीवन चक्र से जुडी है। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी इस समस्या के मूल मे हमारी सस्कृति का आदर्श नारीत्व है। इसलिए भारतीय नारी के जीवन स्तर के आकलन मे महिलाओ का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक है।

भारतीय समाज मे चूकि महिला का अपने शरीर पर ही अधिकार नही है, इसलिए महिलाओ मे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता साधारणतया देखने को नही मिलती। इस खराब स्वास्थ्य के मूल कारणो मे गरीबी तथा हमारी पितृसत्तामक व्यवस्था है जो महिलाओ को परिवार के भीतर बचे खुचे ससाधनो से निर्वाह करना सिखाते है। 1 परिवार के भीतर के काम तथा बचे हुए ससाधनो के बीच महिलाओ का स्वास्थ्य निरतर प्रभावित होता रहता है। उपेक्षा की यह प्रक्रिया बालिकाओ के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। 2 उत्तर प्रदेश ही नही लगभग सम्पूर्ण भारत मे बालिका का जन्म एक अभिशाप के रूप मे स्वीकार किया जाता है। जन्म से ही वह परिवार के लिए आर्थिक बोझ होती हैं फलत. उन्हे बालको की तुलना मे उपेक्षा का शिकार होना पडता है। उपेक्षा की इन्ही अवस्थाओ के साथ उनका शरीर युवावस्था मे ही कृपोषण का शिकार हो जाता है। प्रजनन सम्बन्धी अनिवार्य नैसर्गिक आवश्यकताओ तथा मासिक धर्म के माध्यम से प्रतिमाह होने वाले रक्तस्राव के कारण महिलाओ मे लौह-तत्व की आवश्यकता निरतर बनी रहती है।

इसके लिए उच्च कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है जो भारतीय महिलाओं को नहीं मिलता। महिलाओं की इस कुपोषण का शिकार नवजात शिशु होते हैं।

उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी आवश्यकता का पूरा अन्न उपजाने में सक्षम है किन्तु दालें, तिलहन तथा दूध जो भोजन की पौष्टिक अनिवार्यत हैं— कि उत्तर प्रदेश में कमी है। इसके कारण यहाँ सामान्यत मध्यमवर्गीय परिवारों के भोजन में, वसा, प्रोटीन तथा विटामिन की कमी हो जाती है विशेषकर लड़कियों तथा महिलाओं के भोजन में इसकी कमी पायी जाती है। एक युवा व्यक्ति को 2200 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। किन्तु महिलाओं को सामान्यत यह सिर्फ 1200—1400 ही मिलता है। (1200 ग्रामीण महिलाओं को तथा 1400 शहरी महिलाओं को) जबकि एक युवा पुरुष को 1700 कैलोरी मिलता है जो महिलाओं से बहुत अधिक है।

कई अध्ययनों द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि परिवारों के भीतर कन्याओं तथा महिलाओं की उपेक्षित स्थिति उनके भोजन को भी प्रभावित करती है। NNBM (नेशनल न्यूट्रीशन मोनिटरिंग बोर्ड) के ग्रामीण सर्वेक्षण के आंकड़ों में महिलाओं एवं पुरुषों के भोजन में कैलोरी की मात्रा में कोई बड़ा अन्तर नहीं दर्शाया गया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओ मे ऊर्जा तथा प्रोटीन का प्रतिशत

ऊर्जा				प्रोटीन			
प्री-स्कूल	स्कूल	किशोर	युवा	प्री-स्कूल	स्कूल	किशोर	युवा
1-3,4-6	7-9,10-12	13-15,16-18		1-3,4-6	7-9,10-12	13-15,16-18	
58 6, 63 5	61 1, 71 4	65 5, 88 6	96 2	96 2, 116 5	80 1, 73 7	66 7,96 1	114 8

NNMB के सर्वेक्षण के अनुसार 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चो (बालक,बालिकाओ दोनो मे ही) किसी प्रकार के प्रोटीन की कमी नही है और न ही बालक बालिकाओ मे किसी प्रकार का अन्तर है। यह अन्तर 7 वर्ष की उम्र के पश्चात देखने को मिलता है।

लिंग आधारित ऊर्जा तथा प्रोटीन का स्तर

लोग	उम्र	
	1-6 वर्ष	7-18 वर्ष
स्त्री	66	72
पुरुष	65	89

स्रोत N.N.M.B. रूरल सर्वे 1975-80

N N M B. के एक प्रमुख सर्वेक्षण से यह बात उभरकर आती है कि 17 से 26 प्रतिशत महिलाये उत्तर प्रदेश में प्रोटीन की कमी का शिकार हैं। एक अध्ययन कगे अनुसार 33 प्रतिशत महिलाये ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी का शिकार हैं। नलिनी अब्राहम ने अपने अध्ययन में 55 प्रतिशत महिलाओ को लौह-तत्व तथा अन्य पोषक पदार्थों की कमी का शिकार बताया है। उनका कहना है कि 15-50 वर्ष तक के उम्र की महिलाये जो महिलाओ के जीवन का मुख्यकाल है में उन सभी तत्वों की कमी रहती है जो एक स्वस्थ महिला को इस उम्र में मिलनी चाहिए। फलस्वरूप 55 प्रतिशत महिलाये ऐनीमिया (रक्त अल्पता) से ग्रसित रहती हैं। भोज्य पदार्थों में आवश्यक तत्वों एवं ऊर्जा का आभाव नवजात शिशुओ में रतौंधी, पीलिया तथा विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण होता है।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आहार का स्तर :-

प्रोटीन तथा ऊर्जा के कुपोषण की समस्या उत्तर प्रदेश की महिलाओ की प्रमुख समस्या है, विशेषकर प्रजनन काल में यह समस्या सबसे अधिक है। वालेन्ट्री हेल्थ ऐसोशिएशन द्वारा किये गये एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। प्रजनन काल में महिलाओ का वजन सामान्य वजन से कम बहुत कम होता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 253 प्रतिशत महिलाओ का वजन 38 किलो से भी कम होता है। इस प्रकार कुपोषण, रक्तअल्पता तथा कम वजन के कारण महिलाये सामान्य वजन के बच्चों को जन्म नहीं देती साथ ही उनके दूध में भी आवश्यक तत्वों की पर्याप्त कमी रहती है जो बच्चों में कुपोषण का कारण है।

1 N N M.B. रूरल सर्वे (1975-80)

2 N.N M.B रूरल सर्वे (1975-80)

उम्र-समूह	प्रतिशत भार 38 किलो से कम	नाप 145 सेमी० से कम
20-24	17	22
25-29	20	25
30-34	24	22
35-39	25	25
40-44	26	26

स्रोत रिपोर्ट ऑन न्यूट्रीशनल स्टेटस इन यू०पी० (1982)

लिंग परीक्षण:-

भारत में जनसंख्या नियंत्रण तथा उससे जुड़े लगभग सभी प्रकार के परीक्षणों से अधिकतर महिलाओं को ही गुजरना पड़ता है। 1974 में दिल्ली के आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट में गर्भ के अन्दर भ्रूण के अन्दर पायी जाने वाली कमियों को जानने के लिए एक परीक्षण प्रारम्भ किया। 1975 में AIIMS ने पाया कि इस परीक्षण का दुरुपयोग लिंग निर्धारण के आधार पर (बालिका भ्रूण के सम्बन्ध में) गर्भपात के लिए हो रहा है। इस सूचना की पुष्टि के पश्चात AIIMS ने 1979 में यह परीक्षण बन्द कर दिया। किन्तु पंजाब के अमृतसर नगर से यह सूचना मिली कि यहाँ के मेडिकल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने इस परीक्षण को व्यवसाय के रूप में प्रारम्भ किया तथा अपने विज्ञापनों में लड़कियों को परिवार के लिए बोज़ तथा भय की सज़ा दी। इस तरह के परीक्षण भारतीय समाज के लिए वरदान के रूप में सामने आये और शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी यह सुविधा उपलब्ध थी लोगों ने बालिका-शिशु के आने से पूर्व ही भ्रूण-हत्या करवाना प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे यह लिंग निर्धारण एक सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आने लगा।

RECOMMENDED DIETARY ALLOWANCES FOR INDIANS

Group	Particulars	Body wt kg	N.c.t energy Kcal/d	Protein g/d	Fat g/d	Cal- cium mg/d	Iron mg/d	Vit A μ g/d		Thia- min mg/d	Ribo- flavin mg/d	Nico- tinic acid mg/d	Pyn- doxin mg/d	Ascor- bic acid mg/d	Folic acid μ g/d	Vit B-12 μ g/d
								Reti- nol	β -caro- tene							
Men	Sedentary work		2425						12	14	16					
	Moderate work	60	2875	60	20	400	28	600	2400	14	16	18	-2.0	40	100	1
	Heavy work		3800						16	19	21					
Woman	Sedentary work		1875						0.9	11	12					
	Moderate work	50	2125	50	20	480	30	600	2400	11	13	14	2.0	40	100	1
	Heavy work		2975						12	15	16					
	Pregnant woman	50	+300	+15	30	1000	38	600	2400	+0.2	+0.2	+2	2.5	40	400	1
Lactation	0-6 months	50	+550	+25	45	1000	30	950	3800	+0.3	+0.3	+4	2.5	80	150	1.5
	6-12 months		+400	+18						+0.2	+0.2	+3				
Infants	0-6 months	5.4	108/kg	2.05/kg		500				55 μ g/kg	65 μ g/kg	710 μ g/kg	0.1	25	25	0.2
	6-12 months	8.6	98/kg	1.65/kg						50 μ g/kg	60 μ g/kg	650 μ g/kg	0.4			
Children	1-3 years	12.2	1240	22			12	400	1600	0.6	0.7	8	0.9	40	30	
	4-6 years	19.0	1690	30	25	400	18	400	2400	0.9	1.0	11	1.6	40	40	0.2-1.0
	7-9 years	26.9	1950	41			26	600	2400	1.0	1.2	13		60		
Boys	10-12 years	35.4	2190	54	22	600	34	600	2400	1.1	1.3	15	1.6	40	70	0.2-1.0
	10-12 years	31.5	1970	57			19			1.0	1.2	13				
Boys	13-15 years	47.8	2450	70	22	600	41	600	2400	1.2	1.5	16	2.0	40	100	0.2-1.0
	13-15 years	46.7	2060	65			28			1.0	1.2	14				
Girls	16-18 years	57.1	2640	78	22	500	50	600	2400	1.3	1.6	17	2.0	40	100	0.2-1.0
	16-18 years	49.9	2060	63			30			1.0	1.2	14				

विज्ञान की प्रगति के साथ ही भारतीय कुरीतियों में भी वैज्ञानिक प्रगति के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखने लगे। जहाँ 19वीं शती तक बालिका शिशु की हत्या सामाजिक समस्या थी वही अब बालिका भ्रूण की हत्या एक समस्या बन गयी। 1985 में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया और उससे यह आग्रह किया गया कि भ्रूण परीक्षणों को बन्द कर देना चाहिए।' साथ ही विभिन्न महिला संगठनों ने इस तरह के व्यवसाय के खिलाफ अपना उग्र विरोध दर्शाया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इस तरह के व्यवसाय को अनैतिक करार देने का आग्रह किया गया। इसके पश्चात भी यह व्यवसाय 1996 तक लगातार बिना किसी प्रतिरोध के चलता रहा। इन परीक्षणों का परिणाम यह हुआ कि गर्भ में बालिका शिशु होने के कारण महिलाओं को अपने प्रजनन काल में कई गर्भपात कराने पड़ते हैं जिसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर लगातार पड़ता रहता है।

परिवार नियोजन तथा महिलायें:-

भारत की बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए जिन उपायों की खोज की जा रही है वो परिवार कल्याण तथा सुखी परिवार की कल्पना के साथ महिलाओं के उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। जनसंख्या नियंत्रण यह उत्तरदायित्व तब और भी कठिन और पीड़ादायक हो जाता है जब समस्त सरकारें अपने नीति निर्धारण में सिर्फ महिलाओं को ही केन्द्र बिन्दु बनाती हैं। गर्भ-निरोधकों के संदर्भ में अभी तक जितने शोध हुए हैं उनमें 85 प्रतिशत महिलाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। फलस्वरूप गर्भ निरोधक दवा खाने से लेकर आपरेशन तक सभी में महिलाओं के सहयोग को ही प्राथमिकता दी जाती है। पुरुषों के लिए जो भी साधन उपलब्ध हैं वो उनके प्रयोग से अपने आपको अलग रखते हैं। 1 माह में महिला केवल 72 घण्टे गर्भधारण करने की स्थिति में होती है जबकि पुरुष हर समय सन्तानोत्पाती के योग्य होते हैं।

भारत ही नहीं लगभग सम्पूर्ण विश्व में गर्भ निरोधक गोलियों ज्यादातर महिलाओं के लिए ही हैं जो अनेक हार्मोनल गडबडियों को उत्पन्न करती हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं।

स्वास्थ्य से जुड़ी इन अनेक विसंगतियों के कारण ही भारत में महिला मृत्युदर में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है। जिसके कारण भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निरंतर कम होती गयी है।

1977-89 के मध्य महिला आन्दोलन -

स्वतंत्रता प्राप्ति का यह चौथा दशक कई दृष्टियों से सकारात्मक विकास को रेखांकित करता है। महिला विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों पर स्वयं महिलाओं द्वारा किये गये प्रयासों ने इस दशक में महिलाओं को पहले की तुलना में अधिक सचेतनीय स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। परिवार तथा समाज के अन्दर होने वाले भेदभाव तथा शिक्षा और विकास की बेहतर स्थितियों के लिए महिलाओं ने अब परम्परागत रूढ़ियों को तोड़कर बोलना प्रारम्भ किया। महिलाओं ने अनेक सामाजिक प्रतिबन्धों को मानने से इन्कार कर दिया। दहेज, दहेज-हत्या, बलात्कार, सामाजिक पारिवारिक उत्पीड़न के खिलाफ महिला संगठनों की सक्रियता बढ़ी। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर स्वयंसेवी संगठनों के गठन हुए। अपने प्रारम्भिक चरण में इन संगठनों ने न केवल रचनात्मक कार्य किये अपितु अनेक स्तरों पर सफलता भी प्राप्त की। नारी आन्दोलन ने इस दशक में निश्चय ही महिलाओं के अन्दर व्यक्ति बोध का पाठ पढाया।

धीरे-2 महिला सगठनो ने स्त्री से जुड़े प्रारम्भिक प्रश्नों के बाद समानता जैसे शब्द की अर्थवत्ता को समझने तथा समझाने का प्रयास करना प्रारम्भ किया जिससे समाज में महिला आन्दोलनों को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़े होने लगे। साक्ष्यों से बनाये गये नियम कानून जब तर्क और चिन्तन के आगे अपना अर्थ खोने लगे तो लगभग सम्पूर्ण समाज में एक उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गयी। प्रारम्भ में महिलाओं ने जिस सुरक्षा को सहजता से स्वीकार किया था अब वो उन्हें ही तोड़ने के लिए प्रयासरत हो गयी। निश्चय ही इसके मूल में अनेक कारण हैं।

“ प्रजनन-कार्य के जरिये मानव जाति के विकास का जैविक मामला हो या सामान्य कामेच्छा की पूर्ति का आदिम प्राकृतिक मसला, काम और सस्कृति के समन्वय पर आधारित उद्यात लैंगिक प्रेम का मसला हो या समाज के क्रिया-कलापो की धुरी के रूप में परिवार के गठन का सवाल हर जगह यौन-सम्बन्ध स्त्री-पुरुष के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।” इसलिए, अगर सबसे पहले इसी क्षेत्र में स्त्री-पुरुष के रिश्ते के तनाव की जटिल अभिव्यक्तियाँ हुई हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सवेदना की पेचीदा बुनावट, व्यक्ति चेतना की प्रखरता और पश्चिमी आधुनिकता के कतिपय प्रभावों के कारण इन अभिव्यक्तियों का अधिकांश मामलों में प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। यही कारण है कि बार-2 समाज, परिवार की शांति तथा बच्चों के समुचित विकास के प्रश्न स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप स्त्री परिवार, पति, बच्चों के रिश्ते को प्रमुखता देकर समानता जैसे विषय पर बार-2 असहमति व्यक्त कर देती है। हमारे घरेलू और सामुदायिक जीवन में नारी की जो विकृत स्थिति है उसे साहित्य में बहुत सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया है और यही हमारी सांस्कृतिक इतिहास की सबसे बड़ी विडम्बना है। आधुनिक समाज की जो विकृतियाँ महिलाओं की पवित्रता, जो महिलाओं की पवित्रता और सामाजिक सम्बन्धों की नैतिकता के समस्त प्रतिमानों को खण्ड-2 कर रही है इसी विडम्बना के परिणाम हैं।”

जिनका समूचा दोष नारी आन्दोलनो को दिया जाता रहा है। इसलिए निश्चय ही हमे नारी आन्दोलनो की सम्पूर्ण भूमिका का मूल्यांकन करना होगा। क्योकि इस दशक मे उग्र हुए नारी आन्दोलनो के स्वर ने सम्पूर्ण भारतीय समाज मे भय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। फलस्वरूप पुरुषो के बीच चैतन्य तथा प्रखर स्त्रियो के लिए एक प्रकार की भय मिश्रित घृणा का प्रसार हुआ है।² समानता तथा बराबरी जैसे तर्को के बीच से वो अपने को निकालकर साहित्य मे वर्णित नारी की चमकदार पितृसत्तावादी भावना से अब छला जाना उसे पसन्द नही है। महिलाओ के विषय मे कहे गये अनेक परम्परागत शब्द तथा व्याख्याये अपनी अर्थवत्ता खो चुके है। परम्परागत मान्यताओ मे हमने महिलाओ को दर्द का दुख दूसरा भय बना डाला था। यही कारण है कि उस दशक के नारी आन्दोलन ने स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दो की व्याख्या 5000 वर्षो की पुरुषवादी विचार धारा के विरोध मे बराबरी के साथ करने का प्रयास किया। फलस्वरूप नगरो के कुछ महिला सगठनो ने नारी स्वतंत्रता की जो व्याख्या की वह व्यक्तिवादिता की चरमसीमा पर पहुँच गया। जिसने नैसर्गिक नारीत्व को न केवल अपमानित किया अपितु उसे गलत दिशा प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। गाँवो मे जहाँ हमारे सामने महिला उत्थान और विकास के बुनियादी प्रश्न भयानक रूप से हमारे सामने मुँह बाये खडे है वहीं बडे नगरो मे स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने अनेक विकृतियो को जन्म देना प्रारम्भ कर दिया इसलिए हमे भारत मे महिला आन्दोलनो के इतिहास को एक बार पुनः समझने का प्रयास करना होगा। भारत मे जिन प्रश्नो को लेकर प्रारम्भिक नारी आन्दोलनो ने अपनी साख बनायी उसमे जनता सहयोग उन्हे बराबर मिलता रहा। इसका कारण था उनका नैतिक मानदण्ड। इन उच्च नैतिक मानदण्डो ने न केवल चरित्र निर्माण तथा चितन की प्रक्रिया के विकास पर बल दिया अपितु एक प्रखर बुद्धिवादी सम्मानजनक पढी लिखी महिला पीढी का निर्माण किया किन्तु जब नयी पीढी न इस आन्दोलनो को अपने हाथ में लेना प्रारम्भ किया तो उन्होने पुरुषो से बराबरी के समी बिन्दुओं पर विचार कर तर्क देना प्रारम्भ किया जिसने हमारे अनेक तथाकथित समन की परिभाषा को तोडना प्रारम्भ कर दिया।

इसका सबसे अधिक प्रभाव लैंगिक सम्बन्धों पर पडा।

महिला आन्दोलन तथा सामाजिक समस्याये -

अपने उम्र तथा तीखे स्वरो मे इस काल के महिला सगठनो सामाजिक बुराइयो पर चोट करना प्रारम्भ किया। दक्षिण एशिया मे महिलाओ के साथ होने वाली हिंसा पर बडे विस्तार से विचार किया गया है और लिखित दस्तावेज भी तैयार किये गये है। साथ ही हिंसा व महिलाओ का आर्थिक शोषण, हिंसा व यौनिकता, हिंसा व जाति तथा वर्ग आदि के बीच समझने की कोशिश की गयी है। 1988 मे भारत मे हुए महिला सगठनों के एक सम्मेलन मे निम्न प्रस्ताव पास किया गया-

“ औरत को हिंसा के विशेष रूपो का सामना करना पडता है जैसे बलात्कार तथा अन्य यौन अत्याचार, गर्भ मे बच्ची की हत्या, डायन के नाम पर महिलाओ की हत्या, सती, दहेज हत्याए, पत्नी के साथ मारपीट। ये सभी हिंसा और और उनमे असुरक्षा की भावना भर देते है जिसके कारण वह घर की चहारदिवारी में कैद रहती है। आर्थिक शोषण के सामाजिक दमन का शिकार होती है। घर समाज व सरकार द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ हम यह मानते है कि सरकार इस हिंसा का बहुत बडा स्रोत है, और वह परिवार, काम की जगह तथा पास पडोस के माहौल मे पुरुषो द्वारा औरतो के साथ की जाने वाली हिंसा में मददगार है। इन्ही कारणो से विशाल नारी आन्दोलनो घर के भीतर व बाहर इसके खिलाफ सघर्ष पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।”¹

1 नारी मुक्ति सघर्ष सम्मेलन, पटना 1988 की रिपोर्ट के अंश।

महिलाओ के विरुद्ध होने वाले इन पारिवारिक, सामाजिक राजनैतिक हिंसा को समझने महिलाओ की सक्रियता तथा उसके विरुद्ध विरोध के स्वर ने— महिलाओ को और कुछ नही तो इस दशक मे वाणी की स्वतंत्रता अवश्य दी है। पारिवारिक तानाशाही का शिकजा महिलाओ पर से कम हुआ है। किन्तु महिलाओ की इस स्वतंत्रता के विरुद्ध समाज मे अत्यंत विकृत प्रतिक्रियाये हुई है। यही कारण है कि पिछले दशको की तुलना मे इस दशक मे महिलाओ पर अत्याचार की घटनाओ मे बढोत्तरी हुई है। बलात्कार, दहेज हत्या, हत्या तथा इस प्रकार की अन्य घटनाओ मे बढोत्तरी हुई है।

महिलाओ के प्रति हिंसा के आंकडे निम्नलिखित है.-

- 1 प्रति 47 मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है।
- 2 प्रति 44 मिनट पर एक महिला का अपहरण होता है।
- 3 77 महिलाये प्रतिदिन दहेज हत्या का शिकार है।
- 4 महिलाओ से सम्बन्धित अपराधो की सख्या लिखित दस्तावेजो मे सबसे अधिक है।

स्रोत — क्राइम रिकार्ड ब्यूरो गृहमंत्रालय

केवल दिल्ली मे 194 लोगो को बलात्कार के अपराध मे गिरफ्तार किया गया किन्तु आरोप केवल 4 लोगो पर सिद्ध हो आया।

127 दहेज हत्याओ मे से आरोप केवल एक पर सिद्ध हो पाया।²

स्रोत — पुलिस रिकार्ड

1 क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, गृहमंत्रालय, भारत सरकार

2 पुलिस रिकार्ड, दिल्ली

बाल बलात्कार.—

1990 में 9863 बलात्कार के अपराधों में से 394 इस वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के साथ था तथा 2090 अपराध 10-16 वर्ष कम उम्र के बच्चों के साथ हुआ।¹

स्रोत — गृह मंत्रालय

महिलाओं के प्रति अपराधों में इस बढ़ोत्तरी के पीछे अनेक कारण हैं। महिलाओं ने पिछले दो दशकों से घर के अन्दर के कड़े संरक्षण को तोड़ा है। संरक्षण की स्थितियाँ जहाँ महिलाओं को शक्तिहीन बनाती हैं वही संरक्षण के अभाव में भी महिला शक्तिहीनता की स्थिति का अनुभव करती हैं किन्तु दोनों ही स्थितियाँ अनेक अर्थों में भिन्न हैं। संरक्षित स्त्री के प्रति हिंसा केवल परिवार के अन्दर होती है किन्तु पारिवारिक संरक्षण से हीन महिला के प्रति हिंसा समाज द्वारा होती है।

पारिवारिक हिंसा की अपनी स्थितियाँ हैं जो परोक्ष, अपरोक्ष दोनों ही रूपों में दिखाई देती हैं। अधिकतर अवस्थाओं में इसका अपरोक्ष रूप ही रहता है जिसका कोई साक्ष्य नहीं होता। यह हिंसा समानता की अवधारणा के आधार पर देखे तो कई स्तरों पर है किन्तु जहाँ सामाजिक हिंसा का प्रश्न है यह अपने मूर्त अमूर्त दोनों ही रूपों में बहुत घुणित और व्यापक है।

1 क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, गृहमंत्रालय, भारत सरकार

पारिवारिक हिंसा—

पारिवारिक हिंसा का प्रारम्भ लिंग परीक्षण से प्रारम्भ माने (जो इस दशक की बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी) तो यह पुत्री के गर्भ में आने से प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में व्यवसायिक स्तर पर उपयोग किये जा रहे लिंग परीक्षण केन्द्रों पर अधिसंख्य लोग लिंग निर्धारण की प्रतिकूल स्थितियों में गर्भपात को प्राथमिकता देते हैं।¹ और लिंग निर्धारण के आर्थिक बोझ को सहन कर पाने में असमर्थ है वो बालिका शिशु की हत्या के अन्य तरीकों का प्रयोग करते हैं।

उदारवादी मूल्यों के प्रसार तथा स्त्रियों के लिए काम और रोजगार के विभिन्न दरवाजे खुलने के साथ अनेक परिवारों में बेटों का जन्म अब पहले की तरह मनहूस घटना नहीं रह गयी है।² लेकिन गाँवों में पुराने नुस्खों का जारी रहना और शहरों में लिंग परीक्षण के लिए बढ़ती भीड़ बताती है कि चुनौती न केवल बढ़ी है बल्कि नये-नये रूपों में सामने आ रही है।³ लिंग परीक्षण सम्बन्धी विधेयक की धारा-22 के प्रावधानों में कहा गया है कि लिंग परीक्षण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जायेगा। विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, किन्तु यह विज्ञापन अब अप्रत्यक्ष हो गये हैं। यह तो है स्त्री का सस्यार में आने के लिए सर्घष। यह पारिवारिक हिंसा का प्रारम्भ है जो लिंग भेद की सुदृढ़ पृष्ठ भूमि तैयार करता है। परिवार में बालिकाओं पर दूसरी तरह हिंसा विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने पर भेदभाव के रूप में देखने को मिलती है।⁵

1 ये शहर हैं— इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, बनारस, लखनऊ।

2 जैन अरविन्द— औरत होने की सजा, पृष्ठ 46, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

3 वही

4 यह असमानता भोजन तथा शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह अन्तर अत्यंत भयावह है।

5 10 मार्च 1989, चंडीगढ़ में भाई होने की खबर सुनकर तीन बहनों ने आत्महत्या कर ली

इन अप्रत्यक्ष तथा अघोषित हिंसा के साथ ही परिवारों में अप्रत्यक्ष घोषित हिंसा की हमारे यहाँ परम्परा है जो बालिका वध की मानसिकता के साथ श्रृंखला बनाती है। इसका उदाहरण है दहेज-हत्याये, चरित्रहीनता के आरोप तथा उसके साथ ही हत्या। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़ना के कारण की जाने वाली आत्महत्याये। ये सभी पारिवारिक हिंसा की प्रत्यक्ष उदाहरण है।

इस दशक में प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में दहेज हत्याये बढ़ी है तथा दूसरी अन्य महिला विरोधी प्रवृत्तियों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। तलाक के प्रतिशत बढ़ गये हैं। जहाँ तलाक नहीं है वहाँ तनाव बढ़े हैं जो शहरों में विशेष रूप से पारिवारिक विघटन के कारण हैं। परिवार में जहाँ तेजी से स्त्री की भूमिका बदल रही है, वही पुरुषों की भूमिका में बदलाव जैसी प्रक्रिया नहीं है उन्हें बदलते परिवेश के साथ अपने को बदलने का प्रयास करने की सलाह दी जा रही है और यही कारण है कि इस दशक में टकराव की अवस्थाये बढ़ी है।।

नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति:-

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पिछले दशकों की तुलना में निश्चय ही स्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस दशक में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। नगरों में उच्च, मध्यम तथा निम्न तीनों ही वर्गों की महिलाओं की स्थिति में सुधार परिवर्तन हुआ तथा विकास के रास्ते खुले हैं। महिला शिक्षा तीनों ही वर्गों में समान रूप से आकर्षण का बिंदु रहे हैं। विशेषकर निम्न वर्ग की महिलाओं में अपने बच्चों विशेष रूप से बच्चियों को शिक्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

1 1 दिसम्बर 1980 को अशोक बिहार, उत्तरी दिल्ली में गर्भवती सुधा गोयल को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला।

2 आदमी की निगाह में औरत, राजेन्द्र यादव, साप्ताहिक हिन्दुस्तान 1989 पृष्ठ 23

किन्तु शिक्षा, विकास तथा आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के साथ नवीन सामाजिक विकृतियों ने नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश किया—

- जैसे महिलाओं से सम्बन्धित अपराध जिसमें शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न बढे है।
- फलस्वरूप मानसिक रूप से विकृष्ट महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- छोटी बच्चियों के साथ अपहरण, बलात्कार की घटनाएँ बढी हैं।
- दहेज लेने के साथ वधु को जलाने की संख्या में भी बढोत्तरी हुई है।

नगरों में महिलाओं ने इन सभी स्थितियों को पहले की तरह स्वीकार नहीं किया है परिणामतः उनके स्वर महिला संगठनों के समर्थन से प्रतिक्रियात्मक हो गये हैं और कई स्थितियों में महिला अपराध के रूप में परिवर्तित दिखाई देती हैं।¹

ग्रामीण क्षेत्र — ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में इस दशक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। ग्रामीण जाति व्यवस्था के आधार पर होने वाले वर्गीकरण महिलाओं के सदर्भ में भी दिखते हैं। निम्नवर्गीय ग्रामीण महिलाएँ जहाँ असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगी हुई थी वहाँ उच्च जातीय महिलाओं के रहन सहन तथा रोजगार परक स्थितियों भी पूर्ववत् बनी हुई थी। यद्यपि ग्रामीण महिलाओं को ससाधनों के सचालन का अधिकार नहीं है फिर भी वह परिवार के लिए उत्पादन की प्रक्रिया से सतत रूप से जुडी रहती है तथा परिवार के लिए सस्ती श्रमिक बनकर परिवार के उत्पादन को सहयोग देती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दशक तक महिला सम्बन्धी अपराधों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। भारतीय परम्पराओं के आदर्श महिलाओं के सम्बन्ध में थोड़े बहुत बचे हुए थे जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इस दशक में कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं देता फिर भी सचार माध्यमों से जुडाव तथा नई शिक्षा नीति ने सम्पूर्ण समाज में परिवर्तन को जन्म दिया और यह परिवर्तन महिलाओं के सम्बन्ध में भी दृष्टिगत होता है।

1 आगरा पागल खाने में भर्ती 25 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें पागल बनाकर भर्ती कराया गया है जो वास्तव में पागल नहीं हैं। इनके अलावा सर्वेक्षणों तथा साक्षात्कारों के माध्यम से यह तर्क उभरकर आया कि समाज की प्रवृत्ति महिलाओं के सम्बन्ध में अत्यंत उपेक्षापूर्ण है। यह उपेक्षा महिलाओं में मानसिक विकृष्टीकरण का कारण होती है तथा जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ स्थितियों अत्यंत तनावग्रस्त हैं।

2 इलाहाबाद के नैनी सेन्ट्रल जेल के महिला वार्ड में पिछले 20 वर्षों में महिला अपराधियों की संख्या न केवल बढी है बल्कि अपराध और उसकी प्रवृत्तियों में भी बदलाव आया है।

रूढिवादी प्रवृत्तियाँ तथा महिलायें -

उत्तर प्रदेश से ही भारतीय सस्कृति का केन्द्र रहा है। भारतीय सस्कृति का सदर्म स्वय ही महिलाओ की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। किन्तु स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने सविधान निर्माण के साथ भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भारत मे सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है।¹ हम लिंग तथा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव को प्रश्रय नही देगे।² यहाँ के नागरिको को इस देश मे पूरे सम्मान और स्वतत्रता के साथ जीने का अधिकार है।³ यदि हम इन सदर्मो को देखे तो हमारे भारतीय कानूनो मे बहुत सी असमानता दिखाई पडती है। पहला कि हमने सविधान के अन्तर्गत अपने निजी कानूनो को भी जीवित रखा है।⁴ यह निजी कानून हमारी सम्पूर्ण प्रगतिवादी विचारधारा को बाधित करते है।

वस्तुत हमने निजी कानूनो के माध्यम से शोषण के उन समस्त हथियारो को चमकदार बनाये रखा है जो लिंग समानता के ऊपर प्रहार कर सके। हमने इन हथियारो द्वारा अपने समस्त मध्यकाल को थोडे बहुत परिवर्तन के साथ जीवित रखा है। यही कारण है कि हम समानता स्वतत्रता जैसे शब्द महिलाओं के सदर्म मे समझने मे स्वय को असमर्थ पाते है। महिलाओ के लिए हमने उत्तरदायित्वो और व्यक्तित्व के विकास मे सीमाओ का निर्माण किया है ओर इन्हे तोडने वाली महिलाओ के लिए अलग व्यवस्था गढी है। यह हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अग है।

1. भारत का संविधान, मूल अधिकारें से उद्धृत .

2. वही

3. वही

4.

गुजारे भत्ते की समस्या:-

यह समस्या भी हमारे पुरुष-प्रधान समाज द्वारा आरोपित समस्या है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही अंग है कि पति परिवार के आर्थिक श्रोतो का केन्द्र बिन्दु है जबकि पत्नी आश्रिता।⁴ ऐसा नहीं है कि पत्नी ने अपने श्रम का उपयोग नहीं किया किन्तु फिर भी चूँकि आर्थिक पक्ष का स्वामी पति है इसलिए परिवार में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्नी केवल गृहणी तथा माँ जबकि पति आय का श्रोत तथा परिवार का 'सरक्षक' है। परिवार के सरक्षक की भूमिका के रूप में पति को परिवार में तानाशाह के रूप में शासन करने का पूर्ण अधिकार है और वह इन अधिकारों का प्रयोग हमेशा अत्यंत कड़ाई से करता है। वस्तुतः यह समस्या मध्यमवर्गीय तथा उच्चवर्गीय समस्या है।⁵ इससे पूरी तरह निपट पाना बहुत कठिन है।

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 9 प्रतिशत इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इस्लाम के कड़े नियमों के अन्तर्गत इस समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था महिलाओं के सद्वर्तन में अत्यंत कट्टरपथी है। 20वीं शती के इस अंतिम वर्षों में भी इस समाज में मध्यकालीन सामंतवादी तत्त्व पूर्ण रूप से सुरक्षित है। शिक्षा का अभाव, पदा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, तलाक इस समाज की अलग पहचान प्रदर्शित करते हैं।

'कुरान' तथा 'हदीस' महिलाओं के सद्वर्तन में अन्य धार्मिक ग्रन्थों के ही समाना महिलाओं को निर्देशित करते हैं। उन निर्देशों तथा अन्य पितृसत्तात्मक नियम जो इन निर्देशों को सुरक्षित रकते हैं— को इस समाज में सुरक्षित पाया जा सकता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत इस्लामिक प्रगतिवाद तथा प्रभुत्व का अन्त हो चुका था। अंग्रेजी नियम कानूनों तथा चित्तन शैली के समक्ष तत्कालीन सभी मान्यताओं पर विचार प्रारम्भ हो गया।

स्त्रियों के सदर्थ में कुरान में लिखा है कि " हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा है।" दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता की स्वीकार की गयी है। यह अधीनता मुस्लिम समाज में जीवन के हर स्तर पर देखने को मिलती है। क्योंकि विवाह जिसे हेदाया के अनुसार एक विधिक प्रक्रिया माना गया है, को वास्तविक रूप में स्त्रियों पर थोपा जाता है वर एव वधु की स्वीकृति को कोई विशेष महत्व न देकर दोनों की स्वीकृति मान ली जाती है। विवाह के पश्चात् जीवन के दाम्पत्य सम्बन्धी लगभग सभी निर्णयों में पति के अधिकार असीमित हैं। बिना तलाकनामों के सिर्फ शब्दों के उच्चारण से भी तलाक दे सकता है। यदि " मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है।" जैसे स्पष्ट आशय वाले शब्द कहे गये हैं तो तो आशय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु पत्नी को यह अधिकार नहीं है मुस्लिम विधि के अनुसार पति-पत्नी अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन कर रही हो। पत्नी से सम्बन्धित ये सभी शर्तें पुरुष प्रधानता को प्रदर्शित करते हैं। इद्दत, इला जिहार जैसे नियम स्त्री पुरुष संदर्भों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में सहायक हैं। कुरान कहता है—" जो कुछ पैगम्बर साहब देते हैं उसे स्वीकार करो और जिसे वो मना करते हैं उससे दूर रहो।" मुहम्मद साहब के इन शब्दों का उपयोग लैंगिक सम्बन्धों में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है।

मई सन 1986 को सरकार ने मुस्लिम कट्टरपथियों के सामने आपने आपको पूर्णतः समर्पित कर दिया।¹ मुस्लिम महिला (तलाक सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 1986 ने मुस्लिम महिलाओं को दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया जो अभी तक सभी समुदायों के व्यक्तियों को प्राप्त था।²

२२ जुलाई

1. प्रमुखदार बीना, चेंबिंग हर्षे ब्लॉक पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ३ अक्टूबर 1995 E.P.W
 2. देखें: I. P. C. की धारा - 125.

यह कानून तब प्रकाश में आया जब शाह बानो के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विवाद प्रारम्भ हुआ। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम निजी कानून के तहत इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। न्यायालय की दृष्टि में यह एक देश में एक संविधान के अन्दर रहने वाले नागरिकों में विभेद था। अतः देश में समान नागरिक संहिता के निर्धारण पर विचार किये जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आग्रह किया। यह मुस्लिम कट्टरपथियों के लिए स्वीकार्य नहीं था। उनका नारा था "इस्लाम खतरे में है"। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते की इस समस्या पर जब मुस्लिम कट्टरपथियों ने विवाद प्रारम्भ किया तो ससद ने कट्टरपथियों के समक्ष घुटने टेकते हुए मई 1986 में एक विधेयक पास किया जिसे मुस्लिम महिला विधेयक के नाम से जाना गया। कांग्रेस ने इस विधेयक को पास करने के लिए पार्टी के भीतर तीन लाइन का व्हीप जारी किया और यह विधेयक ससद में पास हो गया।

एक जनतांत्रिक देश में मुस्लिम महिलाओं की यह तस्वीर स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद सामने आयी जब 50 वर्ष से अधिक अवस्था की शाहबानो को न्यायालय में जाना पड़ा अपने भरण-पोषण के लिए। मुस्लिम समाज में ही नहीं यह स्थिति सम्पूर्ण भारतीय समाज की है जहाँ महिलाओं के सर्दर्म में अधिकार जैसी कोई अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती।

मुस्लिम समाज तथा महिलायें:-

इस्लाम धर्म से पूर्व असीमित बहुपत्नीत्व की प्रथा थी। इस्लाम के अन्तर्गत क्रमिक सुधार के रूप में बहुपत्नीत्व को चार तक सीमित कर दिया गया है। अरब में इस्लाम धर्म से पूर्व स्त्री वासना-तृप्ति की वस्तु तथा पति की सम्पत्ति मानी जाती थी। पुरुष स्त्री को कुछ समय या सदा के लिए खरीदता था। वहाँ चार प्रकार के विवाह प्रचलित थे।

प्रथम प्रकार का विवाह आजकल के विवाहों के समान था तथा अन्य तीन वेश्यावृत्ति से बेहतर कोटि के नहीं थे।

पैगम्बर साहब ने अरब समाज की बहुत सी कुरीतियाँ दूर की तथा स्त्री की सहमति को विवाह के लिए आवश्यक कर दिया। "इस्लाम में सन्यास नहीं है।"¹

अतः मुहम्मद साहब लोगों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं "वह जो विवाह करते हैं अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ धर्म अल्लाह से डरकर सदाचार तथा पवित्र जीवन व्यापित करके पूरा कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं "विवाह मेरा आज्ञा पत्र है। इसमें से जो लोग अविवाहित हैं वो विश्वास के योग्य नहीं हैं।"²

पैगम्बर मुहम्मद साहब के इन सुलझे तथा परिवर्तनकारी विचारों का आदर करते हुए भी मुस्लिम समाज ने अपने समाज में स्त्री को दमित करने के अनेक शोषणकारी प्रतिबन्ध लगाये जो कुरान और हदीस की मूल भावना के विरुद्ध हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम एव हिन्दू दोनों ही निजी कानून सविधान की मूल भावना तथा लैंगिक समानता का विरोध करते हैं। जहाँ बाल विवाह अवरोध 1 अधिनियम 1929 द्वारा सम्पूर्ण भारत में बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया वहीं निजी कानून इसे सुरक्षित बनाये रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम विवाह में अव्यस्कता कानून में अभिभावक की भूमिका सिर्फ महिलाओं के सर्दर्म में लागू होती दृष्टिगत होती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 (सशोधित के अन्तर्गत, कोई भी मुसलमान विवाहित स्त्री विवाह-विच्छेद की डिक्री इस आधार पर प्राप्त करने के लिए अधिकृत है कि अपने पिता या अन्य अभिभावक द्वारा 15 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले विवाह कर दिये जाने पर 18 वर्ष की उम्र से पहले उसने विवाह से अस्वीकार कर दिया हो।³

1. मुस्लिम विधि

2. वध

3. वध.

महिला शिक्षा का विकास:-

भारत में शिक्षा के विकास की समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण जटिल रूप धारण कर चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बालको एवं बालिकाओं की जनसंख्या में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा पर अधिक व्यय आवश्यक हो जाता है। इसमें सदेह नहीं कि शिक्षा पर किया गया व्यय श्रमिकों की उत्पादितता में वृद्धि करता है। प्रत्येक छात्र पर 144 रुपये वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया है। 1981 में 5 से 14 वर्ष की आयु के 1,560 लाख व्यक्तियों के होने के कारण शिक्षा व्यय में 2,246 करोड़ रुपये वार्षिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त डाक्टरी देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी अधिक व्यय होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान सम्पूर्ण भारत में 14वां है। मात्र 14.6 प्रतिशत लोग यहाँ साक्षर हैं। इन आंकड़ों का अर्थ मात्र यह नहीं कि हमारी शिक्षा नीति में कोई बहुत बड़ी गलती है साथ ही यह भी है कि जनसंख्या का बाढ़ देश के ऊपर बोझ बनता जा रहा है।

लिंग	निरक्षर	साक्षर तथा प्राथमिक शिक्षा	प्राथमिक पाठशाला शिक्षा पूर्ण	मिडिल स्कूल पास	हाईस्कूल पास	हाईस्कूल से ऊपर	छूटे	कुल प्रतिशत उम्र
कुल पुरुष	36.4	16.8	15.2	12.5	13.8	5.3	0.1	100.00
कुल महिला	61.9	3.9	1.0	5.8	0.5	0.2	0.1	100.00

स्रोत - नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (1992-93) उत्तर प्रदेश

- 1 दत्त रुद्र एव सुन्दरम के पी एम भारतीय अर्थव्यवस्था
- 2 जनसंख्या रिपोर्ट 1991
- 3 नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (1992-93) उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता सम्बन्धी अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि महिला साक्षरता

क्षेत्र	साक्षरता दर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	21.7
मध्य उत्तर प्रदेश	24.1
बुन्देलखण्ड	19.5
पर्वतीय प्रदेश	35.7
पूर्वी उत्तर प्रदेश	17.5
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरुष	55.7
महिला	25.3
कुल	41.6

स्रोत — जनसंख्या रपट, 1991 सामान्य जनसंख्या, उत्तर प्रदेश

उपरोक्त आंकड़े शिक्षा की क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं जैसा कि स्पष्ट है महिला साक्षरता की दर पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक 35.7 तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र 17.5 है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व ने बेरोजगारी को स्थायी बना दिया है। जिससे महिला शिक्षा के विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यही स्थिति बुन्देलखण्ड में भी है।

नगरीय एव ग्रामीण शिक्षा के प्रतिशत –

प्रदेश की कृषि प्रधानता का प्रभाव यहाँ की शिक्षा पर भी पडा फलत नगरो और ग्रामो की शिक्षा प्रतिशतता मे आश्चर्यजनक अन्तर देखने को मिलता हैं यह अन्तर प्राथमिक पाठशाला मे बालको के प्रतिशत से ही ज्ञात हो जाता है। 1991 के जनगणना के आकडे यह दर्शाते है कि 5 से 9 वर्ष के 29 26 प्रतिशत बालक तथा 13 02 प्रतिशत बालिकाये ग्रामीण क्षेत्रो मे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते है वही नगरीय क्षेत्रो मे यह आकडे क्रमश 22 86 तथा 17 प्रतिशत है। इन आकडो के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं नगरीय क्षेत्रो मे महिला शिक्षा मे निश्चित विकास हुआ है। NFHS के नवीनतम आकडो के अनुसार उत्तर प्रदेश मे शिक्षा के प्रति सामान्य लोगो की भागीदारी बढी है। ग्रामीण क्षेत्रो मे यह 42 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रो यह बढकर 69 5 प्रतिशत है।

स्वतंत्रता के इस पचासवे दशक में उत्तर- प्रदेश में यदि महिलाओं के समग्र विकास को रेखांकित किया जाय तो निश्चित रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ दृष्टिगत होगी। शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन, निर्णयन, विज्ञान सहित लगभग सभी क्षेत्रों इस परिवर्तन में शामिल हैं। आधुनिकता तथा विकास के सम्मिलित प्रारूप ने नारी जीवन के लगभग सभी पूर्ववर्ती बिन्दुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। ये परिवर्तन जनसंख्या के घनत्व के आधार पर तथा विकास संबंधी आंकड़ों के आधार पर नगण्य है। भारत के सन्दर्भ में जहाँ ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से थोड़े बहुत सतोषजनक भी हैं। किन्तु उत्तर - प्रदेश महिला विकास की दृष्टि से तथा मूल वैचारिक परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है। महिलाओं के सन्दर्भ में यहाँ का मूल दर्शन आज भी मध्यकालीन है जो यहाँ के समाज में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास ने जहाँ आम घरेलू महिला के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव की स्थिति पैदा की है वही स्वतंत्रता समानता तथा अधिकारों के प्रश्न स्त्री - पुरुष के मध्य स्वाभिमान का विषय बना हुआ है। भारत के ढाचागत विकास में मूलरूप से दो धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं - वह हैं नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का अलग - अलग स्तरों पर विकास। इस दोहरे विकास ने अलग-अलग स्तरों पर परिवर्तन को भी जन्म दिया है। यह परिवर्तन जहाँ नगरीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए कान्ति के समान है वही ग्रामीण महिलाओं के जीवन में यह परिवर्तन न के बराबर दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस धीमी गति के अनेक कारण हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है - कृषि आधारित सामाजिक संरचना तथा आर्थिक विपन्नता। यह आर्थिक विपन्नता ग्रामीण परिवारों में ऐसा जाल बुनती है जहाँ रोटी, कपड़ा और छत के अलावा अन्य कोई वस्तु आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आती है। फिर महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता जैसी विचार धारा वहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण में अपनी जगह नहीं बना पाती। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मूल मानवीय अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है।

दूसरी तरफ संचार माध्यमों के प्रभाव ने ग्रामीण युवा में परिवर्तन के बीज रोपे हैं। यही कारण है कि दोनों ही क्षेत्रों में हमें परिवर्तन का आभास कमोवेश होता है। किंतु फिर भी इन परिवर्तनों में खासी दूरियाँ हैं।

ग्रामीण महिलाएँ —

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र कृषि आधारित है। और कृषि आधारित व्यवस्थाओं में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। इन परिवारों में महिलाएँ अपने सम्पूर्ण रचनात्मक श्रम के साथ समर्पित हैं, किन्तु उनका यह श्रम अपने स्तरीकरण के साथ कमश तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यहीन है। उत्तर — प्रदेश का ग्रामीण समाज मूल रूप से दो महत्वपूर्ण आर्थिक वर्गों तथा विभिन्न जातियों में विभाजित है। ग्रामीण समाज का यह विभाजन महिलाओं के सर्दरभ में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातीय महिलाएँ अपनी सम्पूर्ण मध्यमवर्गीय परम्पराओं का पालन करते हुए घर के भीतर के कार्यों को महत्व देती हैं। इसमें कृषि से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। दूसरी तरफ निम्न जातीय महिलाओं पर साधारणतया व्यवहारिक रूप में परम्पराओं का पालन आवश्यक नहीं है और यही कारण है कि ये ग्रामीण महिलाएँ पुरुषों के साथ कार्य करते हुए दृष्टिगत होती हैं।

उच्चजातीय ग्रामीण महिलाएँ : —

ग्रामीण उच्चजातीय महिलाएँ कृषि के उन कार्यों से जुड़ी हैं जो अत्यधिक जटिल तथा कठिन हैं। जैसे खेतों से आये अनाज का संरक्षण । अनाज का संरक्षण अपने आप में बहुत श्रमसाध्य कार्य है। जो महिलाओं के हिस्से में आता है। परिवार मुख्यत एक आर्थिक इकाई है।

यद्यपि गृहकार्य और उत्पादन में अन्तर होता है किन्तु ग्रामीण परिवार इकाई से इसे अलग कर पाना मुश्किल है। गृहणी के कार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से उत्पादन के हिस्से थे और हैं। परिवार अभी भी एक निजी सहायता प्रणाली है — ऐसी इकाई जिसमें अवैतनिक श्रम होता है। अतः उच्चजातीय ग्रामीण महिलाएं निम्न जातीय श्रमिक महिलाओं की तुलना में अत्यन्त त्रस्त और बन्धन युक्त जीवन व्यतीत करती हैं। जहाँ स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे शब्द अर्थहीन हैं। सर्वेक्षणों के दौरान यह पाया गया कि सबसे अधिक त्रासद स्थितियाँ युवा ग्रामीण महिलाओं की हैं। जिनको दोनों ही श्रेणियों में अत्यन्त कठिन जीवन शैली को अपनाना पड़ता है जिसे वे अपनी नियति मानती हैं। साक्षात्कारों के दौरान पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में महिलाओं ने बताया कि समस्त कार्यों को करने में वह 24 घंटों में से लगभग 18 घंटे खर्च करती हैं। ये कार्य उनके दिनचर्या के रूप में अनिवार्यतः करने ही पड़ते हैं। इन कार्यों का कोई विकल्प उनके पास नहीं है। फिर भी उच्चजातीय ग्रामीण परिवारों में शिक्षा का प्रचार हुआ है और इन परिवारों में लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता के महत्व को लोगो ने समझा है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी व वर्तमान स्थिति : —

स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों की अवधि के बीत जाने के बाद भी भारत में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में वह भागीदारी नहीं प्राप्त हो सकी है जैसा कि संविधान निर्माताओं एवं राष्ट्रीय नेताओं ने कल्पना की थी। भारत में लोकसभा के अबतक 12 चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। परन्तु किसी भी लोक सभा चुनाव में 50 महिला सांसद नहीं चुनी जा सकी। राजनीति के शीर्ष पदों पर महिलाओं के पहुँचने का प्रतिशत काफी कम है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तो और भी कम है।

जबकि प्रशासनतत्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। निर्णय लेने तथा इन्हे लागू करने के स्तर पर बड़ी सख्या मे महिलाओ की प्रशासन मे भागीदारी से न सिर्फ लोकतत्र मे महिलाओं को उभरकर आने का अवसर मिलता है। बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी बढावा मिलता है।

यदि उपेक्षित वर्ग के लोग जिनमे महिलाए भी सम्मिलित है अधिकार प्रदान करने वाली राजनीतिक प्रणाली से बाहर रहते हैं तो लोकतात्रिक समाज की स्थापना का लक्ष्य पूरा नही हो सकता। राजनीतिक प्रणाली से आशय केवल वोट देने का अधिकार प्राप्त करना ही नही है बल्कि नीति निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालना भी सम्मिलित है। भारत मे महिलाओ को व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मे प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। ससद मे यह प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सभा मे यह प्रतिशत 8 प्रतिशत मात्र है। 1997 के अर्न्तसंसदीय सर्वेक्षण सघ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किये गये 106 देशो में से बागला देश महिला प्रतिनिधियों की दृष्टि से 52वे स्थान पर तथा भारत 65वे स्थान पर था।

भारत मे पार्टी की सक्रिय राजनीति में स्त्रियो की बढत तो है पर पार्टी प्रमुख पदो पर वे मात्र 11 प्रतिशत हैं। नीचे दी जा रही तालिका से यह स्पष्ट है कि महिलाओ का स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात के 50 वर्षो मे सम्पन्न 12 लोकसभा चुनावो मे प्रतिनिधित्व उत्साहवर्धक नही रहा है।

सन्	1952	1957	1962	1967	1971	1977	1980	1984	1989	1991	1996	1998
लोकसभा मे महिला सासदो का प्रतिशत	4.4	5.4	6.8	5.9	4.2	3.4	7.9	8.1	5.3	7.2	7.2	8
राज्य सभा मे महिला सासदो का प्रतिशत	7.3	7.5	7.6	8.3	7.0	10.2	9.8	11.4	9.7	15.5	9.0	—

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात हुए आम चुनावों में लोक सभा के लिए चुनी हुई महिलाओं में अभी तक केवल 4 से 8 प्रतिशत महिला सांसद ही सर्वोच्च विधायिका तक पहुँची हैं। विगत 50 वर्षों में सम्पन्न हुए 12 चुनावों में महिला उम्मीदवारों व निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या दर्शाने वाली निम्न तालिका से स्पष्ट है कि 1952 के लोक सभा चुनाव में महिला सांसदों की कुल संख्या 22 थी जो 1962 में बढ़कर 35 हो गयी थी लेकिन 1967, 1971, 1977 में महिला सांसदों की संख्या में क्रमशः कमी आती गयी और 1977 में केवल 19 सांसद रह गयीं। 1984 में सर्वाधिक 44 सांसद बनीं लेकिन 1989 के चुनाव में यह संख्या पुनः घटकर 27 हो गयी। दसवीं तथा ग्यारहवीं लोकसभा में 39-39 सांसद थीं वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या घटकर 43 हो गयी है।

वर्ष	कुल प्रत्याशी	पुरुष प्रत्याशी	महिला प्रत्याशी	महिला निर्वाचित
1952	1,874	—	—	22
1957	1,518	1,473	45	35
1962	1,985	1,915	70	
1967	2,369	2,302	67	30
1971	2,784	2,698	86	21
1977	2,439	2,369	70	19
1980	4,620	4,478	142	28
1984	5,574	5,406	164	44
1989	6,160	5,962	198	27
1991	8,699	8,374	325	39
1996	13,952	13,353	325	39
1998	4,750	—	271	43

स्रोत के० बी० के० पोलीग्राफिक्स

के० बी० के० पोलीग्राफिक्स के उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि ग्यारहवीं लोकसभा तक यद्यपि महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है किन्तु पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में यह नगण्य है। जबकि 1952 के पहले लोक सभा चुनाव में कुल महिला प्रत्याशियों के आंकड़े उपलब्ध न होने पर भी यह कहा जा सकता है कि उनकी संख्या अधिक नहीं थी किन्तु सफल प्रत्याशियों की संख्या आशाजनक थी।

यदि पहले चुनाव में, जबकि जबकि हमारे पास योग्य व कर्मठ महिला नेतृत्व की अच्छी संख्या थी यह परिपाटी डाली गयी होती कि 50 प्रतिशत नहीं तो 30 प्रतिशत महिलाये होगी तो शायद आज परिदृश्य कुछ अलग होता और हम प्रशासन और निर्णयन में महिलाओं के योगदान से वंचित नहीं रहते।

के० बी० के पोली ग्राफिक्स के उपरोक्त आकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि ग्यारहवीं लोकसभा तक यद्यपि महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। दूसरी लोकसभा में महिला उम्मीदवार केवल 45 थी। वही ग्यारहवीं लोक सभा के चुनाव में लगभग 599 महिलाएं उम्मीदवार थी। यद्यपि 12वीं लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या घटकर 271 हो गयी। कुल महिला प्रत्याशियों में 15.86 प्रतिशत महिलाये अपनी योग्यता व छवि के बल पर संसद पहुंच सकी हैं। परन्तु यह प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। राज्य विधान सभाओं में यह प्रतिशत अभी भी बहुत कम है।

उत्तर — प्रदेश की राजनीति में महिला भागीदारी :-

उत्तर — प्रदेश भारत के सभी राज्यों में वैचारिक पिछड़ेपन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनेक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण इस प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है। जो महिलाओं का सिर्फ धर्म और संस्कृति से जोड़कर देखती है। यहाँ ग्रामीण ही नहीं नगरीय क्षेत्रों में भी महिलाओं को सामाजिक सदस्यों के विशाल क्षेत्र से दूर रखा जाता है। यही कारण है कि 27 विधान सभाओं में सर्वाधिक 425 विधायकों वाली उत्तर — प्रदेश विधान सभा में महिलाएं मात्र 18 हैं। इसलिए उत्तर — प्रदेश की राजनीतिक भागीदारी एक विचारणीय प्रश्न है।

भारत में महिलाओं को प्रतिनिधि सभाओं में आरक्षण देने की सर्वप्रथम मई 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े उत्साह के साथ 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। यह विधेयक पंचायती राज विधेयक के नाम से जाना गया किन्तु यह विधेयक राज्य में दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया। 1993 में 73वाँ एव 1994 में 74वाँ संविधान संशोधन के अन्तर्गत कमरा पंचायती निकायों एवं स्थानीय आरक्षण प्रदान किया गया।

यद्यपि यह आरोप है कि पंचायत चुनावों में जो महिलाएँ चुनकर आती हैं वे अनपढ़ हैं। पंच महिलाएँ अक्सर पर्दे में रहती हैं और घूँघट निकालकर अपने पतियों के इशारों पर काम करती हैं। उन्हें अपने क्षेत्र की जानकारी भी नहीं होती है। वे जन प्रतिनिधित्व नियम तक का अर्थ नहीं जानती हैं।

इस संदर्भ में निश्चित ही कुछ आरोप सिद्ध हो सकते हैं किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान स्वरूप में पंचायत के अस्तित्व में आने के बाद ही अनपढ़ होते हुए भी महिलाओं ने प्रत्यक्ष स्वविवेक से अपने निर्णय लेने की क्षमता को पहचाना है। जहाँ तक संवैधानिक समझ और दूसरी राजनीतिक प्रक्रियाओं का सवाल है तो वह अशिक्षित पुरुषों पर भी उतना ही लागू होता है जितना महिलाओं पर। इसके लिए सम्पूर्ण समाज के साक्षरता के प्रतिशत को उठाना अत्यन्त आवश्यक है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी न होने का महत्वपूर्ण कारण है कि उन्हें पार्टियों में उचित भागीदारी से वंचित रखा जाता है। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की यदि विवेचना की जाय तो वहाँ महिलाओं का प्रतिशत अत्यन्त निराशाजनक है। वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल के संसदीय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस समय 73 सदस्य हैं जिनमें महिलाओं की संख्या 9 है। कांग्रेस कार्यसमिति के 19 सदस्यों में मात्र 2 महिलाएँ हैं।

राजनीतिक दल	कुल सदस्य	महिलाओ की सख्या
(1) भारतीय जनता पार्टी		
ससदीय बोर्ड	9	1
राष्ट्रीय कार्यकारिणी	73	9
(2) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति	19	2
(3) जनता दल राज्य मामलो की समिति	15	0
ससदीय बोर्ड	15	0
राष्ट्रीय कार्यकारिणी	75	11
(4) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	70	5
पोलिट ब्यूरो	15	0
(5) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	—	—
सचिवालय	9	0
राष्ट्रीय कार्यकारिणी	31	3
राष्ट्रीय परिषद	125	6
(6) सयुक्त मोर्चा		
सचालन समिति	15	0

उपरोक्त आकडे इस बात का प्रमाण हैं कि महिलाओ के सत्ताकरण के प्रति राष्ट्रीय पार्टियों के दृष्टिकोण मे भी गम्भीरता नही है। यही कारण है कि देश के प्रथम आम चुनाव के बाद से निरतर महिलाओ की सक्रिय भागीदारी तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी सजगता मे कमी आयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओ की भागीदारी पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया।

इसके कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था हमारी सामाजिक सोच क्योंकि हमारी संस्कृति में महिलाओं की सामाजिक परिदृश्य में सक्रिय भागीदारी को अच्छा नहीं समझा जाता अतः स्वतंत्रता के पश्चात् हमने अपने संस्कृति मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। यद्यपि औद्योगीकरण तथा पूंजीवादी प्रभाव के बाद होने वाले परिवर्तनों को महिलाओं के साथ जोड़कर न देखे तो निश्चित रूप से हमारा सामाजिक प्रयास महिलाओं के विकास में अर्थहीन ही रहा है। यही कारण है कि हमें संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करनी पड़ रही है और इस मांग को अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

महिला आरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रावधान :-

81 वॉ संविधान संशोधन विधेयक -

- 1- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 (1) लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।
 - 2- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(2)के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
 - 3- अनुच्छेद 332(1) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।
 - 4- किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के जहां तक सम्भव हो एक तिहाई स्थान अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है। ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भिन्न-2 चुनाव क्षेत्रों को चकानुकम द्वारा आवंटित किये जा सकेंगे ।
-

5— जहाँ ऐसे नाम निर्देशन लोकसभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लॉक के सम्बन्ध में किये जाते हैं । जहाँ वह स्थान प्रथम दो, दो साधारण निर्वाचनों के पश्चात् गठित की जाने वाली प्रत्येक लोकसभा के लिए आग्ल भारतीय समुदाय की महिला के नाम निर्देशन के लिए आरक्षित होगा और तीसरा साधारण निर्वाचन के पश्चात् गठित की जाने वाली लोकसभा में उस समुदाय की महिला के लिए स्थान आरक्षित नहीं रहेगा

6—इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किये गये संशोधनों से लोकसभा या दिल्ली की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान (यथाशक्ति) लोकसभा किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों की अवधि में भी महिलाओं को राजनीतिक एवं निर्णयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं प्राप्त हो सकी है । भाजपा गठबंधन की केन्द्र सरकार में एक मात्र कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कुल महिला मंत्रियों की संख्या 3 है । इस प्रकार केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिशत मात्रा 9 है।

U.N.D.P. की वार्षिक रिपोर्ट , 1997 के अनुसार विकसित देशों में 12प्रतिशत तथा विकासशील देशों में 6प्रतिशत महिलाओं केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। विश्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के महिलाओं का औसत 7प्रतिशत है ।

रिपोर्ट के अनुसार स्वीडनमे 47 प्रतिशत सयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे 21 प्रतिशत नार्वे मे 41 प्रतिशत फिनलैण्ड मे 35 प्रतिशत तथा भारत के पडोसी देशो बागलादेश व पाकिस्तान मे कमश 4 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत केन्द्रीय मन्त्रिमडल की सदस्य महिलाये है।

इन आकडो से यह स्पष्ट है कि न केवल भारत मे बल्कि विश्व स्तर पर प्रशासन तथा निर्णयन की प्रक्रिया मे महिलाओं की सीधी हिस्सेदारी पुरुषो की तुलना मे कम है किन्तु विकासशील देशो मे यह स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। भारत के सदरभो मे यह स्थिति किसी से छिपी नही है।

शिक्षा सामाजिक—आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। भारत मे महिला साक्षरता 40 प्रतिशत से भी कम है जिन राज्यो मे महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक है वहा की राजनीतिक एव निर्णयन प्रक्रिया मे महिलाये निचले स्तर से ही भागीदार है। प्रशासन तत्र महिलाओ के विकास तथा उनकी स्थिति में परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकता है। जिन राज्यो में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक है वहाँ महिलाओ की प्रशासन तथा निर्णयन मे भागीदारी भी उत्साहजनक हैं लेकिन जहाँ ऐसा नही है वहाँ स्थितियों बेहद निराशाजनक है। इसमे उ०प्र० अग्रणी राज्यो मे है। उ०प्र० मे समाज की आन्तरिक गतिविधियो तथा जनता की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता मे हमारी सरकारों की कोई भूमिका नही है। जबकि केरल मे अब तक की राज्य सरकारों ने जनता के बीच उसके वैचारिक परिवर्तन में अपनी भूमिका को अग्रणी माना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के राष्ट्रीय आकडे महिलाओ के संदर्भ में इतने निराशाजनक है तो प्रादेशिक स्तर पर इसके उत्साहजनक होने की आशा नही की जा सकती।

अब निर्णयन की न्याय प्रक्रिया में 23 न्यायाधीशों में से केवल एक महिला न्यायाधीश है और उच्च न्यायालयों के लगभग 420 न्यायाधीशों में से मात्र 14 महिला न्यायाधीश हैं। भारत सरकार के 75 सचिवों में सिर्फ एक ही महिला सचिव है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के उपरान्त भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है।

वस्तुतः भारत में पिछले दशक से ही विभिन्न राजनैतिक दलों की महिला नेताओं और महिला अधिकारियों की हिमायती लोगों की यह कोशिश रही है कि प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी हो, महिलाएँ भी देश के उन अहम मुद्दों पर अपनी राय रख सकें जिन मुद्दों पर उनकी सोच भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की। राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर बार-बार इस मांग के बाद भी पुरुष सत्तात्मक राजनैतिक दलों की उम्मीदवारों की सूचियों में महिलाओं का आंकड़ा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाया है। परिणामतः 1996 के चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक दल ने अपने-2 चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के मुद्दे को प्रमुखता दी।

राजनीतिक दलों द्वारा लिया गया यह निर्णय निश्चय ही महिलाओं के सबलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा किन्तु अधिकतर दलों ने इसे मात्रा चुनावी मुद्दों के रूप में प्रयोग किया। उनका यह प्रसास सार्थक नहीं कहा जा सकता।

दहेज.—

पिछले दो दशकों से दहेज लेने और देने की प्रवृत्ति में अत्यन्त वृद्धि हुई है। विवाह के लगभग 90 प्रतिशत मामलों में अनिवार्यतः अपने हैसियत के अनुसार दहेज लिया और दिया जाता है। यह एक ऐसा अघोषित सामाजिक समझौता है। जिसको विवाह का व्यावहारिक मापदण्ड बना लिया गया है।

उ०प्र० के ग्रामीण तथा नगरीय दोनो ही क्षेत्रो मे दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 300 छात्रो से से पूछे गये प्रश्नो मे लगभग सभी दहेज लेने के समर्थक थे। उन परिस्थितियो मे जब वह प्रतियोगी परिक्षाओ के उम्मीदवार हो। क्लास प्रथम तथा द्वितीय के पदो पर चयनित उम्मीदवारो की दहेज राशि एक निश्चित सीमा है और यह सब आपसी समझ और विवेक का प्रश्न है।

उ०प्र० मे चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात नगरीय जीवन शैली तथा उसकी क्रय शक्ति मे विस्तार हुआ है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव लडकियो के विवाह पर पडा है। ऐसा नही है कि दहेज लडके वालो द्वारा ही मॉगा जाता है कुछ ऐसे भी प्रकरण होते है जहाँ दहेज देना लडकी के घर वाले अपनी शान का प्रश्न समझते है। इसलिए समाज का आन्तरिक सम्प्रेषण इतना सघन और जटिल है कि अन्तिम रूप से कोई एक निष्कर्ष निकालना कठिन है फिर भी दहेज लेना उ०प्र० के समाज की पहचान है। दहेज से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर मे अच्छी पढी लिखी और योग्य लडकियो मे भी बेचारगी तथा अनिश्चितता की स्थिति रहती है। ऐसा नही है कि लडकियो के भीतर दहेज को लेकर विरोध की स्थिति हो लडकियो भी विवाह में मिलने वाले गहने, कपडे और भौतिक सुख—सुविधा के सामानो के आकर्षण से बची रहती हैं किन्तु फिर भी माता—पिता पर आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ का कारण वो अपने आपको स्वयं समझने लगती है। नगरीय क्षेत्रो में इसी कारण लडकियो के विवाह की अवस्था जो पहले 20 से 22 वर्ष थी से बढ़कर 25—30 वर्ष हो गयी है। इसके पीछे मूल रूप से हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत की बहुत बडी भूमिका है। सस्कृति तथा नये आर्थिक ढांचे ने मिलकर भारतीय नारी के जीवन को एक नये आर्थिक सामाजिक सकट में डाल दिया है।

साक्षात्कारों पर आधारित

दहेज हत्या -

पिछले दो दशक पूर्व तक दहेज हत्याये उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रो मे ही मुख्य रूप से होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस पाचवे दशक मे स्त्रियो ने जहाँ स्वतंत्रता समानता तथा सत्ताकरण के प्रश्न की मुहिम चला दी वही बुनियादी स्थिति मे महिलाओ का सामाजिक स्तर न केवल गिरा है बल्कि उसे अनेक तरह की सामाजिक विकृतियो का सामना करना पड रहा है। इनमे दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, तथा बलात्कार प्रमुख है। उ०प्र० मे ग्रामीण सामाजिक संरचना मे विवाह एक आवश्यक सामाजिक-प्रक्रिया है किन्तु 1970 के पश्चात इस विचारधारा मे थोडा-2 परिवर्तन आया और विवाह को आवश्यकता की मूल विचारधारा से हटकर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाने लगा।

महिलाओ के साथ हिंसात्मक व्यवहार हमारी अलिखित सामाजिक संहिता है। इसका कार्य व्यापार हमारी आपसी समझ का नमूना है। स्वतंत्रता के इस पाचवे दशक मे महिलाओ के प्रति न केवल हिंसा मे विस्तार हुआ है अपितु हिंसात्मक बिन्दुओ मे भी विस्तार हुआ है, हिंसा के नये क्षेत्रा खुले है। यह हिंसात्मक प्रक्रिया कुछ तो नारीवादी चेतना और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की टकराहट के कारण होते है। और कुछ सामाजिक प्रक्रिया का अंग होते है। राजस्थान की साथिन भवरी देवी के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार इसका उदाहरण है, दूसरी तरफ हिंसा की अन्य गतिविधियो सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। आकडे बताते है कि दहेज हत्याये 1987 से 1997 के मध्य अत्यन्त तीव्र गति से बढी है। 6 जुलाई 1997 को चदौली की एक युवती की रहस्यमय परिस्थितियो मे मृत्यु हो गयी किन्तु छान बीन के पश्चात यह हत्या दहेज के सदिग्ध घेरे मे आ गयी।

विश्व संस्था अन्तरसंसदीय सच के 97 के सर्वेक्षण के अनुसार 1988 में पूरी दुनिया में उच्च पदों पर (संसदीय सीटों) 14.6% महिलाएँ थी, जनवरी '97 में यह संख्या घटकर 11.7% रह गई।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के सर्वेक्षण पर आधारित विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है कि विश्व में स्वीडन की संसद में सर्वाधिक 40.4% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व वाला देश मोरक्को है वहाँ की संसद में महिलाएँ महज 0.6% हैं। मोरक्को की 333 सदस्यों वाली संसद में महज दो महिलाएँ हैं।

कुछ प्रमुख देशों में वहाँ की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	देश	कुल सीट	महिलाएँ	प्रतिशत
01	स्वीडन	349	141	40.4
02	नॉर्वे	165	65	39.4
03	फ़िनलैण्ड	200	67	33.5
04	डेनमार्क	179	59	33.0
05	हालैण्ड	150	47	31.3
06	न्यूजीलैण्ड	120	35	29.2
07	जर्मनी	672	176	26.2

08-	स्पेन	350	86	24.6
09-	चीन	2978	626	21.0
10-	स्विटजरलैण्ड	200	42	21.0
11-	वियतनाम	395	73	18.5
12-	कनाडा	295	53	18.0
13-	आस्ट्रेलिया	148	23	15.5
14-	जिम्बाबवे	150	22	14.7
15-	भारत	500	71	14.2
16-	पोलैण्ड	460	60	13.0
17-	इण्डोनेशिया	500	63	12.6
18-	कोलम्बिया	163	19	11.7
19-	अमेरिका	435	51	11.7
20-	फिलीपीन्स	203	22	10.8
21-	रूस	450	46	10.2
22-	जाम्बिया	155	15	9.7
23-	सीरिया	250	24	9.6
24-	ब्रिटेन	651	62	9.5
25-	बांग्लादेश	330	30	9.1
26-	मलेशिया	192	15	7.8
27-	गिनी	120	9	7.5
28-	इजराइल	120	9	7.5
29-	भारत	545	39	7.2 *
30-	ब्राजील	513	34	6.6
31-	फ्रांस	577	37	6.4
32-	यूनान	300	19	6.3

1. नोट: भारत के सन्दर्भ में वर्तमान लोकसभा में यह प्रतिशत लगभग 8% हो गया है।

13	बेनेजुएला	203	12	5.9
14-	थाइलैण्ड	393	22	5.6
15-	जापान	500	23	4.6
16-	मिश्र	454	9	2.0
17-	मोरक्को	333	2	0.6

[I. I. P. O के वर्तमान-चय आधारित]

इस तालिका से स्पष्ट है कि 40 एशियाई देशों में इण्डोनेशिया 12.6% महिला प्रतिनिधियों के साथ तथा बांग्लादेश 9.1% महिला प्रतिनिधियों के औसत के साथ भारत से बेहतर स्थिति में है भारत में वर्तमान लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 8% हो गयी है।

तालिका से यह भी स्पष्ट है कि स्वीडन, नार्वे, फिनलैण्ड और डेनमार्क में महिलाओं को विधायिका में 33% या उससे अधिक स्थान प्राप्त है। हाइलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, जर्मनी, स्पेन, चीन और स्विटजरलैण्ड में 20% से 32% स्थानों पर महिला सांसद हैं। 10% से कम महिला सांसद- जाम्बिया, सीरिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश, ग्लोशिया, चिली, इजराइल, भारत, ब्राजील फ्रांस, यूनान, वेनेजुएला, थाइलैण्ड, जापान, मिश्र और मोरक्को में हैं। स्पष्ट है कि जापान और फ्रांस जैसे उन्नत देशों में भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का कम हस्तक्षेप दिखाई देता है।

रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में दस देश ऐसे भी हैं जहाँ की संसद अभी भी महिला प्रतिनिधित्व से पूरी तरह से वंचित है - ये देश हैं- संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, न्यू गिनी प्रपुआ, टोंगा आदि। 97 के अन्तर्संसदीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किए गये 106 देशों में बांग्लादेश महिला प्रतिनिधियों के स्थान की दृष्टि से 52वें स्थान पर तथा भारत 65वें स्थान पर था। अर्जन्टीना 25³ महिला सदस्यों के साथ विश्व में ग्यारहवें नम्बर पर है।

TABLE 11.1 (a)
DISTRICT WISE RANKS ON DEVELOPMENT INDEX (DI)
AND INDEX OF WOMEN DEVELOPMENT (IWD)

REGION/DISTRICT	DEV. INDX.	RANK	I.W.D.	RANK
WESTERN REGION				
1 Bijnor	10.18	16	2.45	43
2 Moradabad	9.00	23	2.02	56
3 Badaun	7.56	47	1.64	62
4 Rampur	10.30	15	1.68	61
5 Bareilly	9.35	21	1.94	57
6. Pilibhit	7.90	38	1.85	59
7 Shahjahanpur	7.52	48	2.19	52
8 Saharanpur	10.14	17	2.50	41
9 Muzaffarnagar	10.05	18	2.70	32
10 Meerut	11.22	13	2.83	24
11 Bulandshahr	8.84	27	2.25	50
12 Aligarh	8.03	34	2.39	47
13. Mathura	7.68	42	2.22	51
14. Agra	9.52	20	2.35	49
15 Etah	7.01	55	2.06	54
16 Mainpuri	7.15	52	2.37	48
17 Farrukhabad	7.97	36	2.72	30
18. Etawah	7.74	40	2.62	37
19 Ghaziabad	11.93	8	2.83	25
20. Haridwar	10.85	14	2.65	34
21. Ferozabad	11.89	9	6.11	3
CENTRAL REGION				
22. Sitapur	6.18	63	1.92	58
23. Hardoi	6.38	62	2.03	55
24 Unnao	7.04	53	2.50	40
25 Lucknow	12.31	5	3.48	12
26 Barabanki	6.89	59	2.44	44
27 Rae Bareli	7.31	50	2.78	27
28 Kanpur Dehat	6.92	58	2.72	31
29 Kanpur	14.42	2	3.64	10
30 Fatehpur	7.60	45	3.16	18
31 Lakhimpur Kheri	6.92	57	1.85	60
BUNDELKHAND REGION				
32 Jalaun	8.55	29	2.77	28
33 Hamirpur	7.69	41	2.88	22
34 Banda	7.75	39	3.23	15
35. Lalitpur	7.34	49	2.42	45
36 Jhansi	9.95	19	3.20	16
HILL REGION				
37 Uttar Kashi	13.52	3	6.18	2
38 Dehra Dun	15.10	1	4.48	9
39 Tehri Garhwal	11.61	12	5.49	6
40 Garhwal	11.79	11	5.22	7
41. Chamoli	12.12	7	5.68	5
42. Pithoragarh	11.83	10	5.97	4
43 Almora	12.16	6	6.23	1
44 Nainital	12.56	4	3.90	9

TABLE 11.1

INDEX OF DEVELOPMENT AND INDEX OF WOMEN DEVELOPMENT FOR
THE DIFFERENT DISTRICTS OF UTTAR PRADESH: A REGIONAL ANALYSIS

REGION / DISTRICT	CPR	FEMALE	SEX	LITERACY	WPR	WPR	%OF HH	%OF HH	%OF HH
	91-92	AGE AT	RATIO	(F)	MALE	FEMALE	WITH ELE.	WITH DK	WITH
	INDI-1	MARRIAGE	IND-3	IND-4	IND-5	IND-6	IND-7	IND-8	IND-9
	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991
WESTERN REGION									
1 Bijnor	35 40	19 00	871	26 97	47 90	3 02	28 53	85 47	38 85
2 Moradabad	38 70	18 40	852	18 34	50 08	2 37	20 80	79 44	30 87
3 Badaun	31 30	16 80	810	12 82	54 03	1 58	11 27	66 52	26 16
4 Rampur	39 40	14 70	858	15 31	52 42	2 34	27 60	82 34	53 05
5 Bareilly	32 80	17 60	839	19 85	51 65	1 40	24 06	80 64	38 74
6 Pilibhit	31 10	17 10	853	17 22	52 08	1 80	15 20	83 25	20 58
7 Shahjahanpur	28 20	16 70	816	18 59	45 06	5 10	14 30	57 28	20 62
8 Saharanpur	30 30	18 50	851	28 10	51 50	3 45	38 13	88 96	30 23
9 Muzaffarnagar	34 40	18 00	850	29 12	51 05	5 42	31 10	92 00	27 56
10 Meerut	36 90	18 50	852	35 62	49 23	3 93	45 36	91 71	34 56
11 Bulandshahar	31 40	17 90	855	24 30	47 04	2 73	24 78	86 84	23 21
12 Aligarh	27 40	17 90	842	27 17	47 90	3 02	19 68	70 18	17 08
13 Mathura	31 90	17 30	816	23 04	47 87	3 26	21 03	56 75	14 66
14 Agra	41 30	16 10	832	30 83	48 15	2 25	36 57	60 49	27 10
15 Etah	30 90	17 10	824	22 91	50 58	1 72	10 60	57 89	12 85
16 Mainpuri	30 30	16 90	833	33 05	49 16	1 10	10 82	56 25	10 71
17 Farrukhabad	33 10	17 10	835	31 97	45 06	5 10	14 34	50 18	18 11

उपसंहर

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त बीते 50 वर्षों में अगर महिलाओं की स्थिति को रेखांकित किया जाय तो यह स्वतंत्रता, समानता तथा लैंगिक न्याय जैसे बिन्दुओं पर आज भी निराशाजनक स्थिति में ही है। यद्यपि एक समय था जब वर्ग और लिंग के आधार पर कोई विभाजन नहीं था किन्तु धीरे-धीरे जिन बिन्दुओं पर स्त्रियों ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया प्रारम्भ किया वह उनकी नियति बन गयी। इस नियति को स्त्रियों ने केवल स्वीकार किया अपितु आत्मसात कर लिया। यद्यपि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता को मातृ-प्रधान सभ्यता की संज्ञा दी जाती है किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस समाज में सुगठित राजतंत्र के लक्षण परिलक्षित हो वहाँ मातृ-सत्ता का होना विरोधाभास से अधिक कुछ नहीं है। यदि सिन्धु-कालीन सभ्यता में ऐसे लक्षण दिखते भी हैं तो ये परिवार तथा धर्म की सीमा तक ही रहे होंगे। जहाँ तक आर्य स्त्रियों का प्रश्न है पितृसत्तात्मक परिवारों ने उन पर काफी हद तक अपना नियंत्रण रखा। हालांकि उस चरवाही अर्थव्यवस्था में स्त्रियों को सक्रिय उत्पादक भूमिका का अत्यधिक महत्त्व था। समय के साथ धीरे-धीरे खेतिहर अर्थव्यवस्था विकसित हुई। 600 ई०पू० तक वर्ग तथा जाति का भेद पैदा हो चुका था। ब्राह्मण वर्ग एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका था। यह वर्ग समस्त समाज की भूमिका निर्धारित करने तथा उसे संचालित करने का कारक बना। यही से स्त्रियों के लिए कार्यों का विशेष बटवारा तथा उसकी भूमिका का निर्धारण प्रारम्भ हो गया। यही समय था जब स्त्रियों की सक्रिय भूमिका पर नियंत्रण लगाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। इसके अनेक कारण थे। इसमें सबसे प्रमुख था व्यक्तिगत सम्पत्ति का विकास और इसके उत्तराधिकार का प्रश्न। यहीं से स्त्रियों की यौनिकता पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके लिए अत्यंत आवश्यक था कि इसके मनोवैज्ञानिक आधार विकसित किये जायें। यह आधार विचार धारा के स्तर पर परम्पराओं तथा कानूनों के स्तर पर तथा शासन के स्तर पर सुगठित तथा सुनियोजित रूप से विकसित किये गये। राजतंत्र के विकास तथा उत्तराधिकार की सुनिश्चितता ने जिस कालखण्ड में स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया वह उत्तर वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक एक सीधी रेखा में विकसित होती रही।

मौर्यकालीन राजतंत्रीय ढाँचे में महिलाओं का सुनियोजित शोषण प्रारम्भ हुआ। कौटिल्य के निरकुश नियमों ने एक तरफ राज्य के हित के लिए महिलाओं का अपमानजनक उपयोग किया वहीं दूसरी तरफ सामान्य मध्यम वर्गीय स्त्री की बची खुची स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस काल तक आते-आते पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने निरकुश तथा स्वेच्छाचारी रूप में प्रकट हुई। फलस्वरूप महिलाओं को पुरुषों की सम्पत्ति के रूप में देखा जाने लगा। महिलाएँ धीरे-धीरे सम्पूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अलग कर दी गयीं। मौर्य कालीन सदर्भों में महिलाओं पर अकुश शासन तथा कानून के स्तर पर किया गया किन्तु गुप्त काल तक आते-आते पितृसत्तात्मक परिवारों ने महिलाओं पर विचारधारा के स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारम्भ किया। यह कार्य उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे ग्रन्थों के चरित्रों के माध्यम से करने का प्रयास किया। जिसमें उन्हें अत्यंत सफलता मिली। यही कारण था कि यह काल भारतीय नारी के आदर्श को सृजित करने वाला काल बन गया। इस काल में आदर्श महिला चरित्र की जो परिकल्पना की गयी वो आज तक स्थापित है। सभी परम्परावादी पितृसत्ता को जैवकीय रूप से निर्धारित मानते हैं। पुरुष का पुरुषत्व और नारी का नारित्व जैविकीयता पर आधारित नहीं है बल्कि यह तो लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय महिलाओ से सम्बन्धित जो विषय विचारणीय ने जिन पर राष्ट्रीय नेताओ ने अनेक विचार प्रस्तुत किये वो सभी विषय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उतने मुखर नहीं रह गये थे फिर भी महत्वपूर्ण 'हिन्दू कोड बिल' के पश्चात दहेज निरोधक कानून जैसी सवैधानिक प्रक्रिया इस बात का प्रबल संकेत थी कि भारतीय राष्ट्रीय सरकार महिला विषयक प्रश्नो पर उदासीन नहीं थी। यही कारण था कि सामाजिक समानता का प्रश्न महिलाओ के सदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण रहा।

उत्तर प्रदेश का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, इसके लगभग सभी क्षेत्रो में समान है। नगरीय एवं ग्रामीण दोनो ही स्तरों पर महिलाओं एवं बालिकाओ की उपेक्षा यहाँ की सामान्य जीवन शैली है। शिक्षा से लेकर सम्बलित अधिकारों तक उसे दूसरे श्रेणी की नागरिकता प्राप्त है। कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाता है। उ० प्र० के सभी क्षेत्रो में व्यवस्था के इस स्वरूप को सामाजिक समझदारी के साथ उपरोक्ष तथा परोक्ष दोनो ही रूपों में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है। पारिवारिक पदानुक्रम में पुरुष सदैव ऊपर रहता है। इसलिए उत्तर-प्रदेश पितृ सन्नात्मक व्यवस्था का सबसे उपयुक्त रूप है। यही कारण है कि यहाँ सामाजिक पिछडापन आज भी अपने मूल रूप में अनेक विसंगतियों के साथ विद्यमान है। उदाहरण के लिए दहेज को ही ले। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनने के बाद भी दहेज स्त्री जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1952 तक दहेज हत्यायें समाचार पत्रों के पृष्ठों का अंग नहीं थी किन्तु शिक्षा पूँजीवादी संगठन तथा महिला विकास की विसंगतियों के साथ दहेज हत्यायें ही जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस कानून के बनने के पश्चात दहेज तथा दहेज सम्बन्धी अन्य अपराओ में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला सम्बन्धी जिन दो कुप्रथाओं ने प्रमुख रूप से अपना स्थान बनाया है उनमें दहेज-हत्या तथा भ्रूण-हत्या प्रमुख हैं जबकि दोनों ही अपराधों के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाये हैं।

उत्तर-प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यह सामाजिक विकृतियाँ अपने पूर्ण प्रभावी तरीके से परिलक्षित हैं। महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार हमारी अलिखित सामाजिक। इसका कार्य व्यापार हमारी आपसी समझ का नमूना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार में पर्याप्त वृद्धि हुई है और हिंसा के नये क्षेत्र खुले हैं।

आधुनिक विचारधारा तथा जीवन-पद्धति से परिवारों में तनाव बढ़ा है फलस्वरूप पति-पत्नी के रिश्तों में टकराव आया है। कारण है कि भारतीय न्यायालयों में लम्बित मुकदमों में तलाक से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है। तलाक कानूनों ने जहाँ परिवारों के टूटने के दृश्य प्रस्तुत किये हैं वहीं महिलाओं की स्थिति को अत्यंत जटिल बना दिया है। तलाक के अधिकांश मामलों में वैचारिक टकराव के कारण नवविवाहिताओं को पारिवारिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है। पिछले 50 वर्ष इस क्रूरता के साक्षी हैं।

प्रत्येक देश और समाज में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कठिन श्रम तथा दोहरे दायित्व का निर्वहन करती हैं। परिवार के लिए किये गये इस असाध्य श्रम के बाद भी उनके प्रति परिवार का रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहता है। भारत चूँकि कृषि-प्रधान देश है अतः यहाँ महिलाएँ बड़ी संख्या में कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं किन्तु उन्हें उत्पादन के बिन्दुओं से जोड़कर नहीं देखा जाता। यही कारण है कि उन्हें साधनों के संचालन तथा नियंत्रण का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा के विकास के साथ महिलाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर बढ़े हैं, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में। चिकित्सा, शिक्षा जैसे क्षेत्र व्यापक रूप से महिलाओं के लिए खुले हैं।

1991 की जनगणना के अनुसार 30 प्र0 में बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है तथा उत्तर-प्रदेश की कुल जनसंख्या का 32.27% ही रोजगार युक्त है, साथ ही इसमें लिंग अनुपात में भारी अन्तर है। इसके अनुसार 50.15% पुरुष तथा 14.72% महिलाएँ ही कार्यरत हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं को राजनीति एवं निर्णयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं प्राप्ति हुई है। यू एन डी पी की वार्षिक रिपोर्ट 1997 के अनुसार विकसित देशों में 12 तथा विकासशील देशों में 6 महिलाएँ केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की सदस्य हैं। भारत में आज भी महिलाओं को निर्णयन की मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। 27 विधान सभाओं में सार्वधिक 425 विधायकों वाली उत्तर-प्रदेश विधान सभा में मात्र 18 महिलाएँ हैं। महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन पचायती राज निकायों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करना।

भारत में महिलाओं को सभी क्षेत्रों व्यवस्थामिका, न्यायपालिका और कार्य पालिका में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। महिलाओं के सामाजिक स्तर से संबंधित एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में 20 वर्ष पूर्व कहा था कि भारत में राजनीतिक दलों का दावा पुरुष प्रधान है और कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सामान्य पूर्वाग्रहों तथा सामाजिक मान्यताओं से युक्त नहीं हैं। वे महिला नागरिकों को पुरुषों का पिछलडगू मानते हैं। दुर्भाग्यवश आज भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

इन तमाम राजनैतिक तथा सामाजिक स्थितियों के बीच कुछ महिला संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा चिंतकों ने महिलाओं के विषय में तथा उनकी स्थितियों के लिए जिम्मेदार मूल कारणों पर विचार करना प्रारम्भ किया। इन विचारकों ने भारत में पितृसत्ता व उससे जुड़े प्रश्न जेडर जाति और वर्ग को ध्यान में रखते हुए पितृसत्ता के आरम्भ को समझने का प्रयास किया गया।

भारत जैसे देश में जहाँ सामंती अवशेष अभी बहुत मजबूत हैं में महिला मुक्ति का सवाल तथा महिला-विकास और भी अधिक जटिल है। भारत के बड़े-बड़े विकसित शहरों में रहने वाली महिलाएँ अभी भी सामंती जकड़न में बंधी हुई हैं क्योंकि वहाँ महिलाएँ महिला प्रश्नों के मूल बिन्दु को समझने का प्रयास नहीं करती। दूसरी तरफ स्वतंत्र नारी आन्दोलन की ताकतें भी उभरकर सामने नहीं आयी हैं। किन्तु उत्तर-प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में महिलाएँ सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रही हैं और वहीं से उनका सबलीकरण प्रारम्भ हुआ है। उदाहरण के लिए उत्तराखण्ड के तीन प्रमुख आन्दोलन-शराब बन्दी, चिपको तथा अलग राज्य बनाये जाने की मांग सभी में महिलाएँ सक्रिय ही नहीं अगुआ रही हैं। महिलाओं द्वारा संचालित इस विशाल और व्यापक आन्दोलनों के पश्चात भी उत्तराखण्ड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।

नारी आन्दोलनों की सक्रियता तथा मूल समस्याओं की समझ के पश्चात नारी चिंतकों ने जब स्त्री-पुरुष समानता का प्रश्न खड़ा किया और उसके लिए संघर्ष प्रारम्भ किया तो इस आन्दोलन को परम्परावादियों तथा शासक दोनों ही तरफ से अपने-अपने स्तरों पर विरोध का सामना करना पड़ता है और कर रहे हैं। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है 33% महिला आरक्षण विधेयक का सदन में पास न होना तथा उस पर कांग्रेस प्रवक्ता अजित जोगी की टिप्पणी।

अजित जोगी का कहना था कि "अगर महिलाएँ सदन तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगेगी तो समाज की सबसे मूलभूत ईकाई परिवार का क्या होगा।" यह नारीवाद के खिलाफ शासक वर्ग का सचेत प्रचार है जो मूल रूप से महिला विकास में बाधक तत्व हैं।

हमेशा से परिवार के नाम पर, सम्बन्धों की मधुरता के नाम पर, प्रेम व करुणा के नाम पर, महिलाओं से ही बलिदान मांगा गया है और इस बहाने उसे दोगुना दर्जे का नागरिक बनाकर पहलकदमी से वंचित रखा गया है। फिर भी हमारे परिवार अहंकार से भरे हुए हैं।

वश के नाम पर मर मिटते हैं लोग वश पुत्रों के नाम से चलता है। पुत्रियों की अवहेलना होती है। यही पितृसत्तात्मक व्यवस्था ऊपर उठकर सार्वजनिक पितृसत्ता का रूप ले लेती हैं। इसके उदाहरण हमें काम काजी महिलाओं के अनुभवों तथा उसके अध्ययन से हमें मिलते हैं।

इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़े महिलाओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाओं में रक्त अल्पता, पोषक तत्वों की कमी तथा अत्यधिक कार्य-भार के कारण महिलाओं में मृत्यु-दर की अधिकता है तथा नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

महिला विकास के ये बिन्दु मूल-रूप से मध्यम वर्गीय महिलाओं से अधिक जुड़े हैं जबकि निम्न वर्ग की महिलाएँ अनेक स्वतंत्रताओं के साथ भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक-शोषणों का शिकार होती हैं। दैनिक वेतन भोगी महिलाएँ हमारी सैद्धांतिक समानता के दावों के विपरीत-पुरुषों से कम वेतन पाती हैं जबकि उनके काम के घण्टे अधिक हैं। उनको अपने घर तथा बाहर के काम के दायित्व को अधिक सक्रियता से निपटाना पड़ता है। इनको सामाजिक तथा पारिवारिक दोनों ही प्रकार के शोषण का सीधे सामना करना होता है। परिवार में प्रताड़ना तथा काम के समय शोषण के साथ बलात्कार जैसी हिंसा का सीधे सामना करना पड़ता है। इसलिए दिहाड़ी पर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए स्थितियाँ और भी विचित्र तथा विकट हैं। अब यही स्थितियाँ मध्यमवर्गीय काम-काजी महिलाओं की भी हैं। उन्हें प्रति-दिन शोषण तथा हिंसा के विभिन्न तरीकों से गुजरना पड़ता है।

दूसरी तरफ 30 प्र० की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। धर्म जहाँ व्यक्ति की आस्था के मनोविज्ञान से जुड़ा है वही महिलाओं के सद्वर्णन में यह अत्यंत ही हृदयहीन और नकारात्मक भूमिका निभाता है। इस्लाम में जहाँ पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजने की बात कही गयी है वहीं दिन्दू धर्म अनेक परोक्ष-अपरोक्ष कुरीतियों से ग्रस्त है।

पिछले लगभग 50 वर्षों में महिलाओं तथा महिला-संगठनों ने वास्तविक समानता के सिद्धान्त पर कार्य करने की दिशा में सोचकर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। यद्यपि व्यावहारिक समानता का प्रश्न आज भी अनुत्तरित है फिर भी महत्वपूर्ण हिन्दू कोड बिल से लेकर अनेक कानूनी अधिकार जो स्त्री की समानता की राह में महत्वपूर्ण थे स्त्रियों ने प्राप्त किये हैं। इन्हीं सदर्थों के तहत महिला समस्याओं का वैश्वीकरण भी हुआ जिससे महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर पिछले दस वर्षों में अत्यंत सजगता आयी और यही कारण है कि महिला चिंतक अब सिर्फ समानता की बात नहीं करती बल्कि राजनैतिक सत्ताकरण की बात करती हैं। 1975 में मैक्सिको से लेकर 1995 बीजिंग तक आते-आते महिलाएँ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राजनीति में भागीदारी को विशेष महत्व दे रही हैं।

उत्तर-प्रदेश महिलाओं से सम्बन्धित इन सभी बिन्दुओं से पूरी तरह आन्दोलित हैं किन्तु यहाँ की परम्परागत सामतवादी जीवन शैली महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार देने के पक्ष में पहल नहीं करती। महिला विकास-क्रम में 30 प्र० भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पीछे है।

1947 में देश के स्वतंत्र होने के उपरान्त प्रदेश तथा देश में गठित नयी सरकार ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय स्तर पर तो महिलाओं से सम्बन्धित प्रश्न मुख्य विषय बने रहे किन्तु प्रादेशिक स्तर पर इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया फलस्वरूप प्रदेश में महिलाओं के विकास की गति बहुत धीमी है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरान्त कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।

पिछले 50 वर्षों में युग बदला है परिस्थितियाँ बदली हैं। सबसे अधिक समाज की आर्थिक संरचना बदली है। स्त्री के आत्मगत और वस्तुगत स्थितियों में परिवर्तन हुआ है किन्तु यह विकास गुणात्मक विकास नहीं है। महिलाएँ सम्पूर्ण मानव जाति का लगभग आधा हिस्सा हैं और किसी भी देश, राज्य व क्षेत्र के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी इस आधी दुनिया को विकास की मुख्य धारा के साथ ले चले क्योंकि यदि यह आधी जनसंख्या परम्पराओं में बंधी रही तो किसी भी देश, राज्य, क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में यदि महिलाओं के विकास को रेखांकित किया जाय तो निश्चित रूप से उपलब्धियाँ दृष्टिगत होंगी। शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन, निर्णयन तथा राजनीति के क्षेत्र महिलाओं के लिए व्यापक रूप से खुले हैं। साथ ही समाज की विचारधारा में भी परिवर्तन दिखता है। नयी आर्थिक, सामाजिक संरचना में महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शोषण की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं इसलिए हमें महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को दो तरह से देखना होगा। 1. महिलाओं के विकास से सम्बन्धित राजकीय दृष्टिकोण 2. महिलाओं के विकास से सम्बन्धित सामाजिक दृष्टिकोण। दोनों ही विकास की दृष्टि और गति भिन्न-भिन्न होती हैं।

राजकीय दृष्टिकोण व्यापक होते हुए भी समाज द्वारा संचालित होता है अतः राजकीय दृष्टिकोण केवल बड़ा और क्रियाशील दिखता है। वास्तव में होता नहीं है। चूँकि इसकी सम्पूर्ण कार्यविधि समाज के लिए होती है इसलिए इसकी गति का निर्धारण भी समाज करता है। उदाहरण के लिए 1947 का वर्ष राष्ट्र निर्माण जैसे प्रमुख सवाल का वर्ष था। अतः महिला विषयक प्रश्न उपेक्षित ही रहे। यदि राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्री-पुरुष भागीदारी के आकड़े एकत्रित कि जाये तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी लगभग पुरुषों के समान ही होगी। किन्तु इन महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भूमिका से अलग रखा गया। विचारणीय प्रश्न है कि यदि हमारे पास नेहरू, पटेल, सुभाष जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे तो योग्य और पढी लिखी महिलाओं की पूरी श्रृंखला भी थी। जिन्हें उपयुक्त भागीदारी का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यह उपेक्षा महिलाओं के प्रति हमारी परम्परागत नीति और दृष्टिकोण का उदाहरण है।

उत्तर प्रदेश महिला विकास की दृष्टि से तथा मूल वैचारिक परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत पिछडा हुआ राज्य है। इस प्रदेश मे पितृसत्ता की वैचारिक जडे इतनी गहरी और मजबूत है कि यहाँ परिवर्तन और विकास सम्बन्धी दोनो ही क्रियाए अत्यंत जटिल और दुरुह है। सम्पूर्ण भारत की तरह यहाँ भी विकास द्विस्तरीय दिखता है। नगरो के स्तर पर इस विकास की गति अपेक्षाकृत तेज तथा ग्रामीण स्तर पर यह गति अत्यंत धीमी है। जहाँ नगरीय स्तर पर विकास के सरकारी आकडे तथा गैरसरकारी आकडे सतोषजनक है वहीं ग्रामीण स्तर पर यह आकडे राज्य की सम्पूर्ण स्थिति का खुलासा कर देते है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के ढाचागत विकास में स्त्रियो के योगदान तथा स्त्रियो के लिए समग्र रूप से कुछ कह पाना अत्यंत कठिन काम है।

50 वर्षो मे स्त्रियो की दशा मे जो परिवर्तन हुए है वो मुख्य रूप से नगरो मे तथा बहुत धीमी गति से गाँवो मे दिखते है। किसी भी आर्थिक,समाजिक परिवर्तन मे सास्कृतिक व मानसिक सोच का परिवर्तन सबसे बाद मे आता हैं। चूँकि महिलाओं से सम्बन्धित विकास समाज के सहयोग से सम्बन्धित विकास है साथ ही यह समाज की प्राथमिक इकाई परिवार के विकास का प्रश्न हैं इसलिए हम इसके एकतरफा विकास की कल्पना नही कर सकते। यह न केवल आधी दुनिया के विकास का प्रतिबिम्ब है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज से जुड़ा विकास है। इसलिए 50 वर्षो के महिला विकास को रेखाकित करना आसान नही है। सविधान निर्माण प्रक्रिया तथा हिन्दू कोड बिन्दु के प्रस्ताव के बाद भी महिलाओ के विकास के सरकारी प्रयास राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर चलते रहे किन्तु वास्तविक विकास की प्रक्रिया का आरम्भ व्यक्तिगत तथा सामाजिक चेतना पर आधारित है। 1970 के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर हुई महिला चेतना का प्रभाव भारत पर भी पडा। फलस्वरूप ऐसे साहित्यो तथा संगठनों का सृजन किया गया जिसने महिलाओ के व्यक्तिगत चितन को विस्तार देकर सामूहिक बना दिया। यही कारण है कि नगरो मे जटिल तथा सर्घषपूर्ण स्थितियों के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते है।

नगरो मे सयुक्त परिवार के विखडन तथा एकल परिवारो के गठन ने परिवार मे स्त्री की स्थिति को निरतर सशक्त बनाया है नगरो मे बदलती आर्थिक सरचना तथा विकास ने सम्पूर्ण भारतीय चितन के तथा सस्कृति के पुर्नमूल्याकन की स्थिति उत्पन्न कर दी है इसलिए गाँव से नगरो की तरफ पलायन बढा है। मध्यकालीन व्यवस्था के रूढिगत ससकार लगमग खत्म हो चुके है। इसलिए नगर अपनी जनसख्या के सर्वांगीण विकास मे भारतीय गाँव की तुलना मे अधिक सफल रहे है। इसका परिणाम यह हुआ कि बडी सख्या मे लोगो ने गाँव से नगरो की तरफ पलायन किया है। इन परिवर्तनो के बाद भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के नगरीय मूल्यो के परिवर्तन की भी अपनी सीमा है। समय व काल के अनुसार यह रूढिवादिता के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया है। फिर भी सम्पूर्ण नियत्रण परिवार के मुखिया के रूप मे पुरुषो के पास ही है। ऐसा नही है कि नगरीय क्षेत्रो मे महिलाओ को पूर्ण समानता प्राप्त है किन्तु गाँव की तुलना मे वैचारिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

उत्तर प्रदेश के नगर तुलनात्मक दृष्टि से अत्यत पिछडे तथा रूढिग्रस्त है। इसलिए यहाँ का महिला विकास ही नही बल्कि समग्र विकास के आकडे निराशाजनक है। महिलाओ के सदर्थ मे राष्ट्रीय आकडे प्रादेशिक आकडो से अच्छी स्थिति मे है। सामान्य भारतीय महिलाओ की तुलना मे उत्तर प्रदेश मे महिलाओ की सामान्य उम्र 9 वर्ष कम है तथा साक्षरता दर 14 प्रतिशत कम है। मृत्युदर जन्मदर तथा प्रजननदर तीनो ही सबसे अधिक है। समग्र विकास की यह दर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य मे अत्यत निराशाजनक है। यू०एन०डी०पी० ने विकास की क्रमसख्या में सबसे नीचा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया है। 16 प्रमुख राज्यों मे उत्तर प्रदेश जेन्डर डेवलपमेन्ट इन्डेक्स मे सबसे नीचे है। यहाँ के समाज के जातिगत बटवारे तथा असमान सम्पत्ति विभाजन ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। सामाजिक विकास की श्रेणी मे महिलाओ का स्थान सबसे नीचे तथा उसके विकास से सदर्थित बाते परिवार तथा समाज की प्राथमिक आवश्यकता नही है।

यद्यपि पिछले कुछ दशको से पारिवारिक मूल्यों में कुछ परिवर्तन आया है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। महिला विकास से सम्बन्धित परिवर्तन के रूप में हम जिन बिन्दुओं पर मुख्य रूप से बात कर सकते हैं वह हैं शिक्षा, राजनीति, निर्णयन रोजगार तथा रहन-सहन। इन क्षेत्रों में प्रदेश की निश्चित उपलब्धियाँ रही हैं किन्तु इस विकास के साथ सामाजिक विसंगतियाँ कम चिंता का विषय नहीं हैं राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में महिलाओं को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला वह था शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश। यद्यपि शिक्षा के परम्परागत दृष्टिकोण और स्वतंत्रता के पश्चात् स्वतंत्र महिला चेतना की टकराहट में समाज में उद्वेलन की स्थिति पैदा कर दी है। हलाकि इस क्षेत्र में परम्परागत दृष्टिकोण को बदलने में नारीवादी लेखन का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 50 वर्षों में नारी शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन का मूल कारक बिन्दु है।

पिछले 50 वर्षों में समाज के दृष्टिकोण में जो महिलाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, वह महिला शिक्षा की आवश्यकता को लेकर है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दशक से अन्तिम दशक तक के अंतिम आकड़े इसका प्रमाण हैं कि प्रदेश में महिला शिक्षा में पहले की तुलना में बढ़ोत्तरी बहुत अधिक है। 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 557 प्रतिशत पुरुष तथा 253 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। इसमें सबसे अधिक पहाड़ी महिलाएँ हैं। जिनका प्रतिशत 357 प्रतिशत है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों का लगभग आधा है किन्तु फिर भी महिला शिक्षा के विकास पर संतोष किया जा सकता है। आवश्यकता है इस दिशा में सार्थक प्रयत्नों की। जहाँ तक प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है यह बालक तथा बालिका दोनों के विषय में संतोषजनक है। प्राथमिक शिक्षा में महिलाएँ 1950-51 के 12 प्रतिशत से बढ़कर 1991-92 तक 393 प्रतिशत तक हो गयी यह आशाजनक संकेत है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के विकास को लेकर अंतर बहुत बड़ा है। नगरीय क्षेत्रों की 695 प्रतिशत लड़कियाँ जो 6-14 वर्ष की हैं नियमित स्कूल जाती हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत मात्र 422 प्रतिशत है।

प्रदेश मे पढी लिखी स्नातक महिलाओ का प्रतिशत मात्र 441 प्रतिशत तथा तकनीकी शिक्षा मे मात्र 1 प्रतिशत महिलाए हैं उपरोक्त आकडो के आधार पर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 50 वर्षो मे महिला शिक्षा का विकास तो हुआ किन्तु अभी इसे बहुत सतोषजनक नही कहा जा सकता है।

यहो के ग्रामीण समाज पर आज भी वर्णव्यवस्था की मजबूत पकड है। ब्राहमण वर्ग सबसे प्रभावी वर्ग है जो शिक्षित भी रहा है। ग्रामीण समाज मे गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, मुखमरी वैज्ञानिक समझ का आज भी आभाव हैं। ऐसे मे धर्म का नागपाश मनुष्य को जकडे रखता है। यह स्थिति सचेतन रूप से ही समाज के प्रभावशाली हिस्सो द्वारा अन्य लोगो पर आधिपत्य के लिए प्रयोग की जाती रही है। चूंकि भारत की मूल्य निर्माण तथा संस्कृत निर्माण प्रक्रिया मे प्राचीनकाल से ही ब्राह्मणो का वर्चस्व रहा है। यह वर्चस्व धर्म तथा महिलाओ के माध्यम से हमेशा पोषित रहा है। सामान्य जाति और वर्ग में विभाजित ब्राह्मणीय समाज में पूर्व समाजों की तुलना मे महत्व घट गया जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक यथावत बना रहा। यही कारण है कि पिछले 50 वर्षो मे प्रदेश का आर्थिक विकास अत्यंत धीमा रहा है। शिक्षा के अभाव के कारण जन्मदर मे बढोत्तरी हुई है जिसका सीधा असर यहो की ग्रामीण संरचना पर पडा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारो में जो जटिलता तथा कडे कानूनी कसाव हैं वो महिलाओ के संदर्भ में सबसे अधिक है। यही कारण है कि नगरीय जीवन के प्रति भारतीय महिलाओं मे अत्यधिक आकर्षण है और अवसर मिलने पर वो नगरीय जीवन ही चुनाव पसंद करती हैं। इसके अनेक कारण है इसमें सबसे प्रमुख है महिलाओ पर काम का बोझ साथ ही घरेलू ससाधनो से उनका वचित होना। प्रदेश की ग्रामीण महिला दिन के 24 घटे में से 16 घटे घरेलू कामो मे लगी रहती है। उसके इस कार्य की उपयोगिता तथा महत्व को परिवारों में नजरअदाज किया जाता है। काम के इन अत्यधिक घटो तथा अतिरिक्त बोझ का बुरा प्रभाव महिलाओ के स्वास्थ्य पर पडता है। भारतीय परिवारो में महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता का प्रश्न ही नही उठता।

महिलाओ का अस्वस्थ होना परिवार के लोगो की दृष्टि मे कोई गम्भीर चिंता का विषय नहीं होता है। आर्थिक पिछडेपन के साथ ही स्वतंत्रोत्तर भारत की सामाजिक स्थितियो मे परिवर्तन हुआ है। यद्यपि विकास प्रक्रिया मे अन्तर्विरोध स्पष्ट रूप से परिलक्षित है किन्तु इस विकास के सकारात्मक पक्ष से अधिक नकारात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करता है। पूँजीवाद के आगमन तथा औद्योगिक विकास ने मानव के सम्पूर्ण दर्शन तथा मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। इस परिवर्तित मनोविज्ञान का सबसे बुरा असर महिलाओं के सदर्म मे पडा है। विवाह स्त्री जीवन का ऐसा बिन्दु है जहाँ विकास की अवधारणा अर्थहीन हो जाती हैं । पिछले 25 वर्षों के समाचार पत्रों के अध्ययन तथा अस्पतालो के बर्नवार्डों, परिवार कल्याण तथा सोनोग्राफी से सम्बन्धित आकडों से ज्ञात होता है कि हमने महिला विकास सम्बन्धी चिंतनो मे नकारात्मक विकास अधिक किया है। उत्तर प्रदेश मे 60 के दशक के पश्चात दहेज हत्या के समाचार कभी-कभी समाचार पत्रों के पृष्ठो पर हुआ करते थे। किन्तु पिछले दो दशको मे दहेज लेने और देने की सख्या तथा राशि मे बढोत्तरी हुई हैं। 60 के दशक तक ऐसी घटनाएँ जहाँ नगरीय परिवेश की घटनाये थी अब वो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की घटना हो गयी। विवाह संस्कारो मे पूँजीवादी प्रभाव के कारण आडम्बर बढे है। परिवार के अदर महिलाओ का विकास इस तरह से किया जाता है कि वह अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाती। फलस्वरूप 100 प्रतिशत महिलाएँ दहेज देने के लिए विवश है दूसरी तरफ 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ दहेज हत्या तथा 30 प्रतिशत से अधिक दहेज उत्पीडन का शिकार है। व्यवहारिक रूप से अचल सम्पत्ति मे हिस्सा न होने के कारण लडकियों की स्थिति परिवार मे एक निश्चित समय सीमा के पश्चात विचारणीय हो जाती हैं। लैंगिक समानता तथा महिला सत्ताकरण को इस प्रदेश में व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण भारत मे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं की उचित भागीदारी आज भी नहीं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सविधान द्वारा लैंगिक समानता के सिद्धान्तो को सुनिश्चित किया गया है (भारतीय संविधान अनुच्छेद 14) किन्तु यर्थाथ इससे अलग रहा है।

पिछले 50 वर्षों में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक क्षेत्रों में जिस गति से बढ़ी है उसी गति से राजनीतिक क्षेत्र में यह सहभागिता दिखाई नहीं देती। आकड़े बताते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हुए आम चुनावों में लोकसभा के लिए चुनी हुई महिला प्रत्याशियों में अभी केवल 4 से 8 प्रतिशत महिला सांसद ही सर्वोच्च विधायिका तक पहुँची हैं। इसका सीधा असर सामाजिक विकास पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के सदर में तो यह स्थिति और भी अधिक उलझी हुई है। प्राचीन आर्य सभ्यता की पहचान रखने तथा भारतीय संस्कृति के गढ़ होने की छवि ने यहाँ के समाज को थोड़े बहुत परिवर्तनों के बाद भी बनाये रखा है। यहाँ महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को आज तक सहर्ष स्वीकार नहीं किया गया है। इस सदर में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में युवाओं से लिये गये साक्षात्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर युवाओं को महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर आपत्ति थी उनका कहना था कि महिलाओं को अपने परम्परागत कार्यों को रूचिपूर्वक करना चाहिए। इससे उनके नारीत्व का विकास होता है। पुरुष प्रधान समाज की यह युवा विचारधारा महिला विकास में मुख्य बाधक तत्व है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं राजनीति ही नहीं निर्णयन प्रक्रिया से बहुत कम जुड़ी हुई हैं। इसके विपरीत संविधान के 73 तथा 74वें संशोधन द्वारा सबलीकृत करने का प्रयास किया गया है जिसमें उन्हें पंचायती राज के अंतर्गत 33 प्रतिशत आरक्षण द्वारा सत्ताकृत किया गया है। यू0एन0डी0पी0 की वार्षिक रिपोर्ट 1997 के अनुसार विकसित देशों में 12 प्रतिशत तथा विकासशील देशों में 6 प्रतिशत महिलाएं केन्द्रीय मंत्रीमंडल की सदस्य हैं। सम्पूर्ण प्रतिशत 7 हैं यह प्रतिशत महिलाओं की सत्ता में भागीदारी का संकेत मात्र है।

अधिकांश देशों में कानूनी व्यवस्था पितृसत्तात्मक तथा बुरुजुआ है। भारत का संविधान इससे अछूता नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित संविधान में महिलाओं को एक ओर जहाँ समानता का सैद्धान्तिक अधिकार दिया गया है वहीं निजी कानूनों को अनुच्छेद 26 के अनुसार वैधानिक मान्यता दे दी गयी है।

यह देश के विकास के लिए विशेषकर स्त्रियों के विकास में बाधक रहा है। हिन्दू विधि में फिर भी 1955-56 के पश्चात सुधार के लिए प्रयास किया गया किन्तु मुस्लिम विधि अपने मूल स्वरूप में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इसका परिणाम यह है कि महिलाओं की आधी जनसंख्या आज भी वही है जहाँ 400 वर्षों पहले थी।

यूएनडीपी ने 1995 में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए Human Development Report के माध्यम से Gender Development Index का निर्माण किया। जिसमें भारत सबसे नीचे है भारत की इस स्थिति का कारण हमारी राजनीतिक अक्षमता भी है। हमने निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं के प्रश्न को हमेशा उपेक्षित रखा है। उदाहरण के रूप में उसके स्वास्थ्य को ही ले भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक सामान्य महिला को उसकी कुल कैलोरी का मात्र 54 प्रतिशत गाँवों में तथा 64 प्रतिशत शहरों में मिलता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रदेश की महिलाएं अनेक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, ऊर्जा, लौहत्व तथा रक्त अल्पता की शिकार हैं। इतना ही नहीं 90 प्रतिशत महिलाओं का भार उनकी आयु के हिसाब से कम होता है। ज्यादातर महिलाओं के गर्भधारण की उम्र 16 वर्ष तक मृत्युदर जो 15 से 35 वर्ष की उम्र में लगभग 48 प्रतिशत है। इसके मूल में निरक्षरता है क्योंकि 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मात्र 25 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। आकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की घरेलू स्थिति तथा सामाजिक स्तर दोनों ही चिंताजनक हैं। पुरुषों की तुलना में वे भोजन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा तीनों में ही उपेक्षित हैं।

पिछले 50 वर्षों में महिला विकास सम्बन्धी सभी आकड़ों के अध्ययन के पश्चात यह कह पाना अत्यंत आसान दिखता है कि भारतीय महिलाओं की समस्त समस्याएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं परिवार इसके मूल में है। जहाँ हम पदानुक्रम द्वारा शोषण तथा उत्पीड़न की व्यवस्थाएँ गढ़ते हैं और हम यह स्वीकार करने से घबराते हैं कि हमारे सस्कारों में कहीं कुछ विकास बाकी रह गया है।

मानव ने देशो को तो उपनिवेश बाद मे बनाया सबसे पहले तो व्यक्ति को ही उपनिवेश बनाया है। उपनिवेश यानि अस्मिता विहीन अस्तित्व जो प्रथमत अपने लिए नही अपने स्वामी के लिए हो। भारत जैसे गरीब देश मे वह एक सामती समाज मे इस उपनिवेश को बनाये रखने के लिए धर्म का सहारा लिया गया और धर्म के विस्तार के लिए सबसे अधिक उपजाऊ जमीन महिलाओ मे मिलती है क्योकि महिलाओ को इस किस्म की शारीरिक एव मानसिक गुलामी मे रखा गया है कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नही बनता उन्हे अपने जिन्दगी पर सबसे कम नियंत्रण का अधिकार है। इसलिए राधाकृष्णन ने हिन्दू व्यू आफ लाइफ मे लिखा कि "जहाँ तक नर और नारी के सम्बन्धो के प्रश्न उठते है तो इस सम्बन्ध मे हमे गम्भीर कम और ईमानदार अधिक होना उचित होगा। जीवन मे इन गम्भीर मामलो मे हमारी प्रवृत्ति यह होती है कि हम ससार के सामने मिथ्या सा अभिनय करे। जहाँ सच्चाई और आतरिक इमानदारी होनी चाहिए वहाँ छल व कृत्रिमता व्याप्त है। अच्छा है इन तथ्यों का सामना ईमानदारी से किया जाय और ऐसी योजनाए बनाई जो अत्याधिक आदर्शवादी न हो। हम मनुष्य के सामने अच्छाई का जो नमूना और नैतिक कार्यों का जो विधान प्रस्तुत करे वो ऐसा होना चाहिए जिसका वो पालन कर सके। वह उस ससार के साथ सगत होना चाहिए जिसमे सामाजिक आधार व व्यवहार का ढांचा खोखला हो रहा है और समाज घुल-घुल कर नये रूप मे ढल रहा है। पुरुषो ने स्त्रियो के सम्बन्ध मे जो विचार प्रस्तुत किये वो अधिकाश दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी है। स्त्रियो के स्वाभाव के विषय में और स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषो की श्रेष्ठता के विषय मे मनगढंत कहानियाँ बना डाली। उसने सारी सूझ-बूझ नारी की रहस्यमयता और पवित्रता के साथ-साथ सौन्दर्य में लगा दी।"

ग्रन्थ सूची

(अ) (1) संस्कृत विद्यान संहिता

ऋग्वेद

अथर्ववेद

शतपथ ब्राह्मण (आवश्यकतानुसार अन्य)

धर्मसूत्र (प्रमुख रूप से गौतम धर्मसूत्र)

मनुस्मृति

कामसूत्र

मनुस्मृति की टीकायें-

(1) मिताक्षरा

(2) दाय भाग

(3) शुत्रनीतिसार

(4) याज्ञवल्क्यस्मृति

(5) विष्णु धर्मोत्तर पुराण

प्रमुख पुराण-

(1) वायु पुराण

(2) अग्नि पुराण

(3) भागवत पुराण

(2) प्रतिनिधि संस्कृत साहित्य

(1) वाल्मीकि रामायण

(2) महाभारत

(3) हर्षचरित

(4) मालती माधव

(5) मुद्राराक्षस

(6) अभिज्ञान शाकुंतलम

- (7) काव्य मीमासा
- (8) कादम्बरी
- (9) स्वप्न वासवदत्ता
- (10) विक्रमाकदेव चरित

(3) प्रतिनिधि साहित्य

- (1) राजतरंगिणी
- (2) पद्मावत
- (3) मृगावती
- (4) चद्रायन
- (5) पृथ्वीराज रासो
- (6) परमाल रासो (आल्ह खण्ड)

(4) प्रतिनिधि इस्लामिक संहिता

- (1) कुरान
- (2) हदीस

(5) प्रतिनिधि मुस्लिम साहित्य

अकबरनामा—

तुजके जहाँगीरी—

तारीखे हिन्द—

(6) समकालीन हिन्दी साहित्यकारों की रचनाये

—महादेवी का साहित्य

—अमृता प्रीतम

—कृष्णा सोबती

—नासिरा शर्मा

—जयशंकर प्रसाद

—प्रेम चन्द

—मैथिलीशरण गुप्त

—शरत चन्द

—अन्य साहित्यकारो की अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी रचनाये

(7) पत्र-पत्रिकायें

—सरस्वती

—हंस

—चाद

—फेमिना

—सहेली

—मनोरमा

—धर्मयुग

—हिन्दुस्तान

—लीडर

—टाइम्स ऑफ इंडिया

—जनसत्ता

—सहारा

—महिलाओ पर प्रकाशित तमाम रचनाये व जर्नल इत्यादि

1. Agrawal M.N - Education in second five year plain university of Allahabad 1957-58
2. Agrawal J C- Indian women education and status 1976- New delhi
3. Ahuja Ram - Crims Against women , Jaipur 1987
4. Aiyer S.P- Modernization of traditional society and other essays macmillan of India 1973
5. Alatas , S.H.- Modernization and social change studies in social change in south East Asia ,Angus and Roberston publication,Sydney, 1972
6. Aleen shamin- Women police and social change 1992
7. Alteker A.S.- The position of women in the hindu civilizetion Banaras, 1947
8. Adray J.P- Crimes against women , Jaipur New Delhi 1988

9. Ashraf K N.- Life and condition of the people of Hindustan New Delhi-1970
- 10 Asthama Pratima- Womens movement in India New Delhi-1970
- 11 Basham A.L. - Basham A.L.- Wonder that was India New Yark-1947
- 12 Beg,Tara Ali ed- Women in india, publication division govt of India Delhi, 1958
- 13 Bhatnager G.S.- Education and social change the Minerva Associates Calcutta 1972.
- 14 Bashby H J - Window burning London .1855.
- 15 Chaudhari J.B- The position of women in vedic Rituals, vol II Calcutta 1956
16. Chaturvedi S.N.- History of rural Education in U.P Allahabad
17. Chaudhuri A.B.- Witch Killing among the sonthals Allahbad 1985.

- 18 Cormack Margarde- she who rides a peacock
Indion students and social
change A Research analys
Asia publication^{shing} house, Delhi
1961
- 19 Das R - Women education in the post
independence period (1947-
1971) and its impact on the
social change
20. Dak T.M.- Women and work in indian
society (Delhi,1988)
21. Deshpande V.S. - Women and New low (New
Delhi, 1984)
- 22 De souza Alfred - Women and contempory
India (New Delhi,1977)
23. DeSai Neera - Women in modern india
(Bombay 1963)
24. Everet J.M. - Women and social change in
India (New Delhi 1981)
25. Gandhi M.K.- Women and social justice 4th
ed Ahemdabad 1959.
26. Gand M.K.- Women role in society
Navjeevan publishing house
1959.

- 27 Gandhi M.K.- Women Ahmedabad 1959.
- 28 Gandhi M.K.- To the women ed hingorani A.T. vol I ,II Karanchi 1991.
- 29 Gupta Giri Raj - Marriage religion and society pattern of change in Indian village Vikas publishinghouse New Delhi.
30. Ghosh J. - Daughter of Hindustan Cal cutta-1989.
- 31.Hate Chandrakala- changing status of women Bombay- 1969
- 32 Hate Chandrakala - changing status of women in post independence India allied publishers, New Delhi 1969.
- 33.Leela dube & Rajani Patriwala(eds) 1990- stuctures of strategies women work and family New Delhi Sage.
- 34.M.C.- Raja Ram Mohan Ray and Indian awakening New Delhi- 1975
- 35.Mathed Asha - Fair sex in unfair society 1992

36. Mahadevan- Women and population Dynamics.
36. Mehta Chetan Singh- Women and law 1992
- 37 Mehta Vimal - Attitude of Education women towards social issues New Delhi-1979.
- 38 Mitra Ajanta - Women in changing society 1993.
- 39 Mishra Sheila- Womens Participation in politics and political parties New Delhi.
40. Mishra Rekha- Women in mugal India (1526-1748 AD) New Delhi.

ANNEXE

BIBLIOGRAPHY

1. Bose, Ashish Demographic Diversity of India, 1991, census state and District level Data Reference book B.R publishing corportation, Delhi july 1991.
- 2 Banerjee, B. world bank to help educate all the pioneer october 1, 1992.
- 3 Census of India occasional paper no.5 of 1994, housing and amenities.
- 4 Census of India series 1, paper 1 of 1981,1991.
5. Census of India series 22, occasional paper no.2, bassed on 5 persent sampling Uttar Pradesh, 1981.
6. Census of india series 22. provisional paper 1 of 1991 Uttar Pradesh.
7. Chandshekhar, c.p.&sen a. all india rural poverty: an esti mate frontline february 23, 1996.
8. Children and women in uttar pradesh a situtation analysis UNICEF Lucknow April 1994.
9. Children and women a situtation analysis (1990) UNICEF New Delhi 1991.

10. Draft five year plan (1992-97) U.P. vol. II.
11. EPW research foundation poverty levels in India norms estimats and trends August 21, 1993.
- 12 Glittering threads a social economic study of women Zari workers SEWA Bharat Lucknow 1989.
13. Health information of India 1990, 1991, central bureau of health intelligence directrote of health and family welfare govt of India.
14. Kabber N.& Murthy R.K. compensating for institutional Exclusion& Lessons from indian goverment and non goverment credit interventions for the poor insitue of devlopment studies discussion paper 356 1996, England.
15. Ministry of health and family welfare yearbook 1987-88 family welfare programes in India govt of India.
- 16 Mishra R. status of working women in Uttar Pradesh un published thesis giri institue of development studies lucknow (1989)
17. Naini a health scenario of u.p. voluntary health association Lucknow may 1989.
18. National family health survey population research centre Lucknow univercity Lucknow & Iips Bombay Uttar Pradeash 1992-93.

19 NSSO 27th round (oct.72-sep.73) for Uttar Pradesh NSSO, Nov 1975.

20 NSSO 43rd round (july1987-june1988)- Uttar Pradesh NSSO jan 1992.

21 National nutritinol monitoring board (NNMB) rural survey food and nutrition section state health secation Lucknow 1992.

22. Pulley r.v. making the poor creditworthy: a case study of IRDP in India world bank discussion paper 58 Washington 1989.

23. Registrar generals news letter vol 20, 1990 vol 21 1991.

24. Sen B. situational analysis and strategy thrust in Uttar Pradesh study done for novib 1994. developments assocates Lucknow.

25. Shiv kumar A.K. (1996) UNDP's Gender Realeded Developments Index (DI): A computation of indian status economic and political weekly April 6, 1996.

26. State of India health voluntary health associnal of India New Delhi 1992.

27. Singh M.A. and Burra N. (ed) women in waste land devlopment Sage publications.

28. Saxena N.C. women and waste land developments in India policy issue (1993) Sage publication.

29. Singh K.S. ecology social organization economy linkages and development process national series VII (1996) Oxford university press.

30 State of health in U.P. UPVHA Lucknow 1995.

31 Trivedi H.R. scheduled caste women studies women studies in exploitation (1970) concept publishing company New Delhi

32. Who's who of U.P. legislative assembly secreatry U.P. legislative assembali.

33. Women in India A. Statistical profile department of women and child developments ministry of Human Resource Developments Goverment of India 1988